खण्ड-425, अंक-3
मंगलवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1920
(7 जुलाई, 1998 ई0)

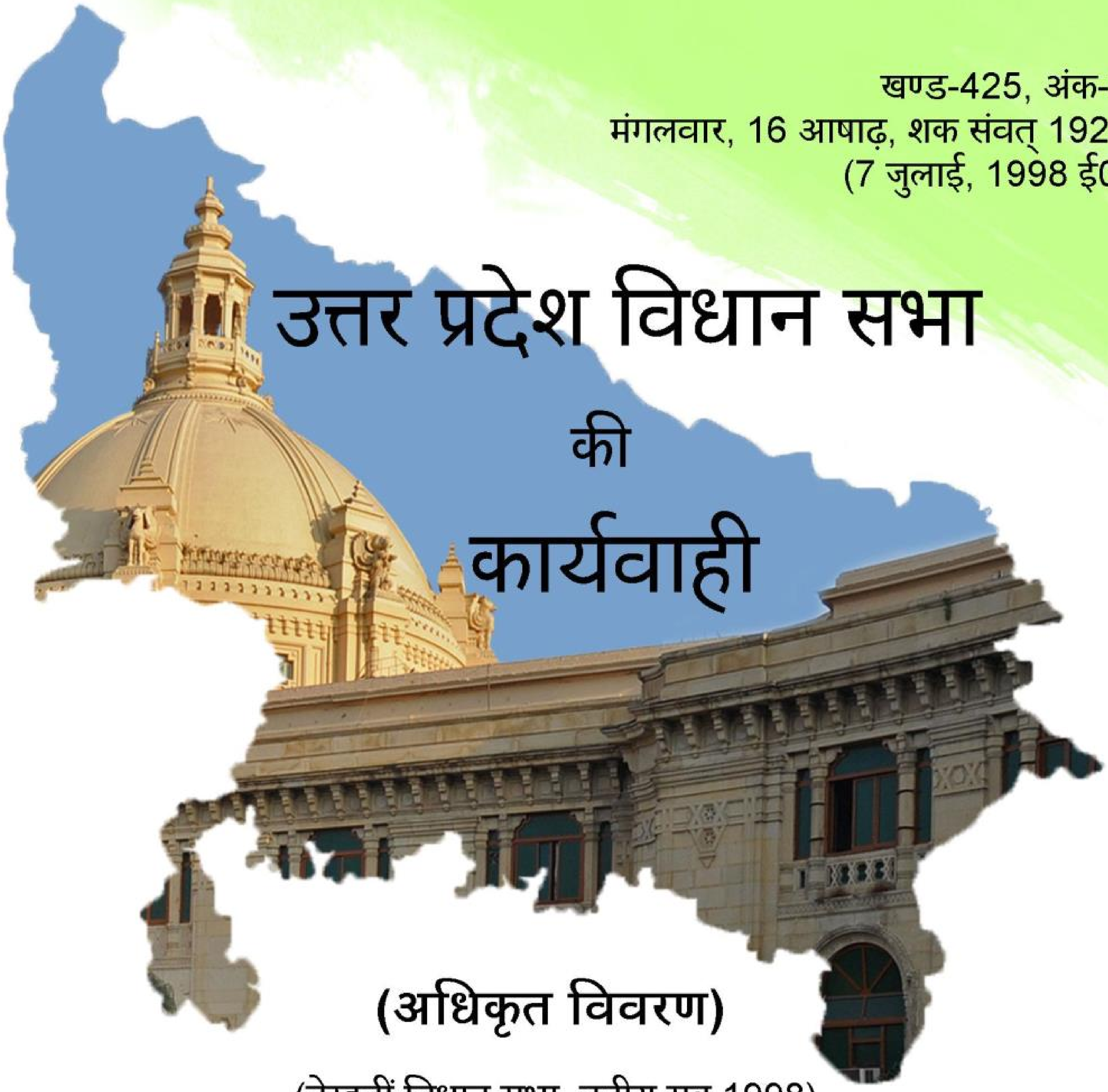

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
जनपद बदायूं गुन्नौर में सपा नेता की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग - - - -	3
प्रश्नोत्तर	4—69
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें - - - -	69
इन्नामुल्लाह बिल्डिंग नया नगर जनपद देहरादून में चल रहे अवैध बूचड़खाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	69
जनपद हरदोई के मल्लावा क्षेत्रान्तर्गत व्याप्त पेयजल संकट का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	70
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत वन गायों से क्षेत्र के पीड़ित किसानों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	70
विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में डिग्री कक्षाओं में प्रवेश के समय इण्टरमीडियट के प्राप्तांकों को मेरिट बनाते समय कोई महत्व न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	71
जनपद कौशाम्बी के ब्लाक कड़ा देवीगंज बाजार में पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	71
जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां में स्थित हत्याहरण तीर्थ के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	71
जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्रान्तर्गत खाद्य तेलों की कीमत नियंत्रित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना - - - -	72
सहकारिता मंत्री द्वारा 5 जुलाई, 1998 को सरस्वती शिशु मंदिर के मण्डप में प्रदेश की हजारों समितियों में एक प्रशासक और तदर्थ कमेटियां बनाने के निर्णय की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न - - - -	72
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 - - - - (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	72
उ० प्र० पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 1998 - - - - (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	72—73
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 - - - - (पुरःस्थापित)	73
नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य एवं शलाका के आधार पर चयनित नियम-56 की सूचनाओं को स्वीकार किये जाने का निर्णय - - - -	73—74
नियम 311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित किये जाने का निर्णय - - - -	74—75
नियम 311 को नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित व कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें - - - -	75—89

विषय	पृष्ठ संख्या
विभिन्न दलों के लिए अनुदानों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किये जाने की सूचना - - - -	89
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानो के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान सं०- 55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान सं०- 56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन), अनुदान सं०- 57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान सं०- 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या- 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), - - - - (स्वीकृत)	90—161
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग - - - - (स्वीकृत)	161—163
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग - - - - (स्वीकृत)	163
श्री बाल चन्द्र मिश्र सदस्य विधान सभा द्वारा प्रदेश में हो रही भू-गर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का स्थगन - - - -	163—164
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं - - - -	164
मेरठ महानगर के चार ट्यूबवेलों की रि-बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य - - - -	164—165
जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज के ग्राम गुजर टोला में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने तथा भाई बहन दोनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य - - - -	165—166
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दरकी जनपद-मुरादाबाद के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य - - - -	166—167
जनपद सिद्धार्थनगर के सिकटा ग्राम में दलित वर्ग के घरों को जलाये जाने एवं लूटे जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना पर एक घन्टे की चर्चा का स्थगन - - - -	167
प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी० एम० एस०, पी० एम० एस० (महिला) पी० एच० एस० डाक्टरों का एकीकरण कर समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन - - - -	167
प्रदेश में कुत्तों के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या की तुलना में उसके इलाज हेतु ए० आर० वी० के० न्यून उत्पादन एवं अस्पतालों में उसके इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन - - - -	167—168
नस्थियाँ - - - -	169—174

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमुवेश, स्वामी	बिजनौर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
के० सी० सिंह "बाबा"	उधम सिंह नगर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू लाल कुरील, श्री	उन्नाव
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मातबर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम खिलाड़ी, श्री	बदायू
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहाँपुर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रिक्त–	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

जनपद बदायूं बुग्नौर में सपा नेता की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज गरीबों, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं . . . . . .

(विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने एवं सदन के वेल में आकर नारे लगाने से घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

राम निवास यादव की हत्या हो गयी है, वह सपा का नेता था, आप इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें। आपने जो सूचना दी है, वह स्वीकार हो गयी है। जब वह ली जायेगी, तो सभी को अवसर मिलेगा।

("सदन स्थगित करके पहले चर्चा करायें" की आवाजें)

घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(तत् पश्चात् 11 बजकर 4 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित हो गयी)

नोट :– उ० प्र० विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने की मांग

** 1.—श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री अम्बरीष कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव तथा श्री अम्बिका चौधरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार उक्त संस्तुति लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हाँ।

केन्द्र सरकार की संस्तुति केवल केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में थी।

राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

शासन द्वारा संस्कृत के उत्थान को प्रोत्साहन दिये जाने विषयक कार्य योजना

** 2—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संस्कृत के उत्थान तथा छात्रों में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)—

हाँ।

शासन द्वारा संस्कृत संस्थान को अनुदान देकर संस्कृत संस्थान के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं उसके उत्थान के लिये निम्नलिखित प्रमुख कार्य कराये जा रहे हैं।

(1) संस्कृत भाषा के मौलिक एवं अनुदित ग्रन्थों का प्रकाशन, वेद संहिताओं का सस्वर उच्चारण के साथ-साथ ध्वन्यंकन, संस्कृत विद्वानों एवं लेखकों को प्रोत्साहनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत करना।

(2) शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं उनका संस्कृत भाषा के प्रेमियों एवं छात्रों के लिये वितरण।

(3) छात्रों में संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिये वाद-विवाद, श्लोक गायन, संस्कृत नाटकों का मंचन, कवि सम्मेलन का आयोजन।

(4) संस्कृत भाषा के उत्थान के लिये जिला स्तर पर त्रैमासिक सरल संस्कृत शिक्षण सत्रों का आयोजन।

(5) संस्कृत संस्थान में बड़े पुस्तकालय की व्यवस्था करके संस्कृत के दुर्लभ ग्रन्थों, शोध छात्रों हेतु पुस्तकों की व्यवस्था तथा उनके अध्ययन के लिये पुस्तकालय में व्यवस्था करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित कारों की संख्या एवं उनकी आवंटन नीति तथा रख-रखाव

* 1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के पास इस समय कितनी कारें है ? उनमें से कितनी मंत्रियों को और कितनी अधिकारयों को आवंटित हैं ? उक्त आवंटन का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कारों के अधिकांश चालक वाहन अपने-अपने घरों पर खड़ा करते हैं और इसके फलस्वरूप उनका दुरुपयोग होता है ? यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग के पास इस समय कुल 219 कारें हैं ।

मा० मुख्य मंत्री जी सहित मा० मंत्रियों को 116 और अधिकारियों को 35 कारें आवंटित हैं ।

मा० मंत्रियों को कार्यालय ज्ञाप संख्या एम-12190/आरएसबी—65, दिनांक 8 दिसम्बर, 1965 के प्रस्तर-1(1) के अनुसार तथा अधिकारियों को उनकी आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय निर्णय के आधार पर वाहन आवंटित किये गये हैं ।

जी नहीं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकांश चालकों को गैराज आवंटित हैं । जिन चालकों के पास गैराज नहीं है, उन्हें अपने वाहन नियमानुसार टेनिसलान सचिवालय में अथवा जिस महानुभाव के साथ वाहन सम्बद्ध है उनके निर्देशानुसार सुरक्षित स्थान की समुचित व्यवस्था होने पर रात्रि में पार्क किये जाने के निर्देश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* 2—श्री श्याम देव राय चौधरी—[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में उद्योग स्थापना की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यक्रम

* 3—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में पूंजी निवेश एवं उद्योग स्थापना में आने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या एवं उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हाँ । प्रदेश में औद्योगीकरण को गतिशील बनाने तथा उद्योग स्थापना में आने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक एवं प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत उद्योग बन्धु को सशक्त करते हुए प्रत्येक माह जिला स्तर पर जिला उद्योग बन्धु की बैठक प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में नियमित कराने के प्राविधान किये गये हैं, जो वर्तमान में क्रियान्वित भी हो रहा है । इसके अतिरिक्त वृहत एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में आने

वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी गठित की गयी है। पूंजी निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली में उद्योग बन्धु का एक कार्यालय भी खोला गया है। प्रदेश सरकार द्वारा नयी औद्योगिक नीति का गठन भी किया जा रहा है जिसका प्रारूप औद्योगिक संगठनों से सघन विचार विमर्श करने के बाद अन्तिम किया जायेगा ताकि उद्योगों को स्थापित होने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान हो सके।

उपरोक्तानुसार।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा एवं आय के स्रोतों की जाँच की मांग

* 1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग की निर्माण इकाइयो में तैनात मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों ने सेवा में आने के बाद अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया था? यहि हां, तो उस ब्यौरे और अब उनकी सम्पत्ति में कितना अन्तर हो गया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनकी आय के स्रोतों का पता लगायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ताओं के सेवा में आने के समय चल/अचल सम्पत्ति के विवरण उपलब्ध नहीं हैं। अब सभी मुख्य अभियन्ताओं से उनकी चल/अचल सम्पत्ति के तिथिवार अर्जन के विवरण प्राप्त किये गये हैं।

मुख्य अभियन्ताओं से प्राप्त उनकी चल/अचल परिसम्पत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी—

* 1—[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सरकार के प्रत्येक विभाग के मंत्रियों से लेकर अनुभागों तक को एक ही स्थान/भवन में बैठाने की योजना विषयक जानकारी

* 2—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के मंत्री, अधिकारी तथा अनुभागों को ही एक भवन या एक स्थान पर बैठाने की योजना सरकार बना रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो उक्त योजना के अनुसार समस्त मंत्रियों एवं अधिकारयों आदि को एक भवन तथा एक स्थान में बैठाये जाने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानाभाव के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उ० प्र० पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उनका विकास किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

* 3—श्री राम औतार शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कितने क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है? बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत कितने तीर्थ स्थल शामिल हैं? वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में क्या-क्या विकास कार्य किये गये? भविष्य में पर्यटक स्थलों के विकास की क्या कार्ययोजना है?

श्री कलराज मिश्र--

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रदेश को 6 बल क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है।

बौद्ध परिपथ योजना में 6 स्थल सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा तथा कौशाम्बी बौद्ध तीर्थ स्थल आते हैं।

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में बौद्ध परिपथ में वाह्य सहायतित परियोजना (ओ०ई०सी०एफ०) के अन्तर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति एवं लैण्ड स्केपिंग का कार्य सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग का कार्य एवं गाजीपुर तथा दोहरीघाट में मार्गीय सुविधा का निर्माण कराया गया। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत मुख्य रूप से मथुरा एवं वाराणसी में सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण मिर्जापुर में घाटों का निर्माण तथा अयोध्या में अवस्थापना सम्बन्धित कार्य किये गये।

वर्ष 1998-99 में मैदानी क्षेत्र के पर्यटक स्थलों वाराणसी, विन्ध्याचल, मथुरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, अयोध्या, कपिलवस्तु, चित्रकूट एवं आगरा और पर्वतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु आय-व्ययक व्यवस्था करायी गयी है। इसके अतिरिक्त दशम वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा कैलाश मानसरोवर की यात्रा सेवाओं में सुधार तथा पर्यटन स्थलों के विकास करने हेतु आय-व्ययक व्यवस्था की गयी है।

पुराने स्थायी मान्यता प्राप्त जू० हाई स्कूल विद्यालयों को नियमानुसार अनुदान सूची में शामिल करने की जानकारी

* 4—श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को पूर्ण वेतन प्रदान करने के लिये पिछले वर्षों से विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लाये गये? क्या भविष्य में सरकार पुराने स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लायेगी? यदि हाँ, तो किस वर्ष तक के विद्यालय तथा संख्या कितनी होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल) --

जी नहीं। पूर्व वर्षों में जूनियर हाई स्कूल विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये हैं।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शासन समय-समय पर जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नियमानुसार अनुदान सूची पर लेने पर विचार करती है।

उपरोक्तानुसार।

* 5—श्री कृष्ण चन्द्र पनेठा—[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०"6" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरांचल के पी० सी० एस० कैडर के रिक्त पद भरे जाने की जानकारी

* 6—श्री लाखीराम जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरांचल में उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी स्तर के पी० सी० एस० कैडर के अधिकारियों के कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जिला टिहरी गढ़वाल में उप जिलाधिकारी स्तर का कोई पद रिक्त नहीं है एवं उत्तरांचल में उप जिलाधिकारी स्तर के 18 पद रिक्त हैं। टिहरी गढ़वाल में अपर जिलाधिकारी का एक पद तथा उत्तरांचल में अपर जिलाधिकारी के 4 पद रिक्त हैं।

अधिकारी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

* 7—श्री जगदम्बिका पाल—

[कई विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सरकार द्वारा भ्रष्ट एवं अक्षम कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने हेतु योजना बनाये जाने विषयक मानक की जानकारी

* 8—श्री समर पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भ्रष्ट एव अक्षम कर्मचारियों को जबरिया रिटायर करने की कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो इस प्रकार रिटायर किये जाने वाले कर्मचारियों का मानक क्या है?

श्री कल्याण सिंह—

सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नियम पूर्व से ही विद्यमान हैं।

50 वर्ष की आयु की प्राप्ति के उपरान्त सम्पूर्ण सेवाकाल के परन्तु विशेषत: अन्तिम 10 वर्षों के सेवाभिलेखों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अनिवार्यत: सेवानिवृत्त कर सकते हैं।

वर्ष 1983 बैच के आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की भाँति उसी बैच के आई० ए० एस० अधिकारियों को भी आयुक्त/सचिव पद पर प्रोन्नति करने विषयक जानकारी

* 9—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1983 बैच के आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की डी० आई० जी० के पद पर हुई पदोन्नति के समरूप क्या उसी बैच के आई० ए० एस० अधिकारियों को भी आयुक्त/सचिव पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद द्वारा बाजार मूल्य से अधिक में क्रय की गयी आफसेट मशीनों की जाँच की मांग

* 10—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1995-96 में प्रेस के लिये सात आफसेट मशीनें खरीदी गयी थी जिसकी कीमतें बाजार मूल्य से ज्यादा थी जिसमें विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हाँ। वर्तमान निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा 7 अदद सिंगल कलर आटोमेटिक सीटफेड आफसेट प्रिंटिंग मशीन का क्रय आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ० प्र० कानपुर के माध्यम से किया गया था। मशीनों के क्रय हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की खुली निविदा आमंत्रित की गयी थी। तकनीकी रूप से पात्र निविदा में प्रति मशीन न्यूनतम दर रु० 9,50,000.00 (एक्साइज ड्यूटी सम्मिलित, व्यापार कर अतिरिक्त, एफ० ओ० आर० डेस्टिनेशन) प्राप्त हुई थी। तद्नुसार प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर क्रय की कार्यवाही की गयी थी। उद्योग निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदा आमंत्रित करके क्रय व्यवस्था की जाती है तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य का परीक्षण करके निर्णय लिया जाता है। अतः मशीन की कीमतों का बाजार मूल्य से अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी स्थिति में विभाग को करोड़ों का नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

उक्त के परिपेक्ष्य में उच्चस्तरीय जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजधारी–

* 11—[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

इरम कान्वेन्ट स्कूल चौपटिया लखनऊ के मैनेजर द्वारा किये गये घोटाले पर कृत कार्यवाही की जानकारी

* 12—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 को इरम कान्वेट स्कूल चौपटिया, लखनऊ के मैनेजर द्वारा किये गये घोटाले के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की भाँति वेतन दिये जाने विषयक जानकारी

* 13—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता दी गयी है तथा उनमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की भाँति वेतन दिलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

दिनांक 14-10-86 के बाद प्रदेश में लगभग 3218 अशासकीय विद्यालयों को हाईस्कूल/इण्टर की नवीन/अतिरिक्त वर्ग/अतिरिक्त विषय की मान्यता दी गयी है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरण द्वारा अंशकालिक अध्यापकों को अपने श्रोत से सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की जनता को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों की जानकारी

* 14—श्री भारत सिंह रावत—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र की सिविल, बेनाम तथा कसर हिन्द भूमि को भी वन भूमि घोषित कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इससे पर्वतीय क्षेत्र में जन जीवन दुष्कर हो गया है तथा क्षेत्र के विकास की सम्भावनायें भी क्षीण हो गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त कठिनाइयों से पर्वतीय क्षेत्र की जनता को राहत दिये जाने के उद्देश्य से क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)—

जी नहीं। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की बेनाम तथा केसर हिन्द भूमि को वन भूमि घोषित नहीं की गयी है बल्कि भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 17-10-1993 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की बेनाम भूमि को रक्षित वन अधिसूचित किया गया है, जो अभी भी प्रभावी है।

जी नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत वन भूमि पर वनेत्तर विकास कार्यों को भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकता है और इस समय भी इस प्रकार अनुमति प्राप्त करके वन भूमि पर विकास कार्य चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्ताव भेजने पर अनुमति मिलने में कोई कठिनाई नहीं है।

* 15—श्री अजय कुमार पोइया

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद् की भाँति भूखण्ड आवंटन में जनपद गौतम बुद्ध नगर में विधायकों एवं सांसदों का दो प्रतिशत कोटा आरक्षित करने की मांग

* 16—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद्, गाजियाबाद के भूखण्ड आवंटन में दो प्रतिशत विधायक, सांसद कोटा आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी तरह नोएडा ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी विधायकों, सांसदों के लिए भूखण्ड आवंटन में दो प्रतिशत कोटा आरक्षित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हाँ।

आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर, 1994 के अन्तर्गत विधायक, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु छः श्रेणियां बनायी गयी हैं, जिनके तहत प्रश्नगत आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इन श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षण करना नोएडा के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

दोहरी शिक्षा नीति के कार्य प्रणाली के कार्यान्वित करने का आधार

* 17—श्री विजय पाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-8 के छात्रों की परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है व माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-8 के छात्रों की परीक्षा उक्त विद्यालयों द्वारा संचालित की जाती है ? यदि हां, तो शिक्षा नीति की दोहरी कार्य प्रणाली किस आधार पर कार्यान्वित की गयी है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

शिक्षा सत्र 1998-99 में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-8 तथा माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-8 की बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद जौनपुर ग्राम वि० आयुक्त द्वारा भूमि संरक्षण इकाई को धनराशि उपलब्ध न कराकर स्वैच्छिक संस्थाओं को उपलब्ध कराने की जाँच की मांग

* 18—श्री श्रीराम पाल—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उ० प्र० राज्य को डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि को भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस हेतु राज्य स्तर पर कोई तकनीकी जांच समिति पृथक से गठित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन में उक्त धनराशि को ग्राम्य विकास आयुक्त उ०प्र० के निर्देशों की अवहेलना करके डी०पी०ए०पी० भूमि संरक्षण इकाइयों को धनराशि उपलब्ध कराने के स्थान पर धनराशि स्वैच्छिक संस्थाओं को उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद स्तर पर अधिकारी व जन प्रतिनिधियों की संयुक्त निगरानी समिति गठित कराकर जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

विशेष सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद जालौन में तीन भूमि संरक्षण इकाइयों और 9 स्वैच्छिक संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

1–[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बौद्ध पर्यटक स्थल फर्रुखाबाद में साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट होने से रोकने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय की जानकारी

2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि संकिता जनपद फर्रुखाबाद में बौद्ध पर्यटक स्थल पर दूसरे धर्मावलम्बियों की प्रतिमाओं को रखे जाने के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट हो रहा है? यदि हां, तो उसको रोकने हेतु सरकार क्या कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद महोबा तहसील कुलपहाड़ में बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

3–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी विधान सभा क्षेत्र की तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12 नवम्बर, 97 को प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र दिया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ।

सीधे राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु कोई योजना न होने के कारण राजकीय इण्टर कालेज खोला जाना सम्भव नहीं है। किन्तु असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा विद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर राठ चरखारी मार्ग पर वर्मा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

4—डा० छोटे लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 4 दिसम्बर, 1997 में राठ नगर, जिला हमीरपुर में उनके आगमन पर एक मांग पत्र दिया गया था, जिस में राठ चरखारी (महोबा) मार्ग पर कस्बा राठ से 8 कि०मी० दूर वर्मा नदी पर पुल बनवाये जाने की अपेक्षा की गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

प्रश्नगत सेतु एवं पहुँच मार्गों के निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत रु० 600 लाख आंकलित की गयी है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

लो० नि० विभाग सुल्तानपुर के मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

5—श्री तेजभान सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद का अशा० पत्रांक-10639/ दिनांक 22-12-97 का अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड सं०-1 लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर को प्रेषित जिसमें मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान करने के आदेश हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

जी हाँ।

दिनांक 29/30 मई, 1993 में मा० प्रधान मंत्री, भारत सरकार के गौरीगंज (सुल्तानपुर) आगमन पर जन सभा के लिए किये गये निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस विभाग को, धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था। धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त हो जाने के बाद श्रमिकों का भुगतान हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता

डा० गणेश कृष्ण जेतली इण्टर कालेज के अध्यापकों द्वारा बिना रसीद दिये अधिक शुल्क वसूलने की जाँच पर कार्यवाही की मांग

श्री अजय कुमार पोइया—

6—क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० गणेश कृष्ण जेतली इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर के किसी अध्यापक के विरुद्ध बिना रसीद दिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा माह फरवरी व मार्च, 1997 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य द्वारा कमेटी गठित कर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच कमेटी में कौन-कौन से सदस्य थे तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त सम्बन्ध में प्रधानाचार्य ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हाँ।

जी हाँ।

जाँच समिति निम्नवत् है :–

1- श्री राम मिलन पाण्डेय, प्रधानाचार्य/अध्यक्ष
2- श्री मो० आलिम अंसारी
3- श्री राम/अकबाल त्रिपाठी
4- श्री बैगम अली
5- श्री जगन्नाथ यादव
6- श्री सन्त राम गुप्त
7- श्री राम अनुज

संस्था प्रबन्धक को सम्बोधित शिकायतों को गठित जांच समिति द्वारा हस्ताक्षरोपरांत संस्था प्रधान को प्रस्तुत किये गये जिसे प्रधानाचार्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-7-97 द्वारा शिकायतों की पुष्टि का उल्लेख करते हुए जाँच आख्या प्रबन्धक को प्रस्तुत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

7—श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं०-56 द्वारा उत्तरित]

शाहजहाँपुर सिगहा पान्टून पुल पर पथकर की अवैध वसूली पर कार्यवाही की मांग

8—श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में सेतु कोलाघाट सिगहा पान्टून पुल (फेरी) पर पथकर निर्धारित दर से अधिक लिया जा रहा है एवं पैदल व साइकिल चलने वालों से भी ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

9—श्री रमेश राही–[3रें बुधवार में अता० प्र० सं०"174" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य सेतु निगम में आरक्षित उप परियो० प्रबन्धक के पदों पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति विषयक जानकारी

10—श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सेतु निगम में 12 पद उप परियोजना प्रबन्धक (सिविल) जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित हैं, परन्तु आरक्षित पदों पर मात्र नौ व्यक्ति ही अनुसूचित जाति/जनजाति के ही नियुक्त किये गये हैं ? शेष 3 पदों पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उ० प्र० राज्य सेतु निगम में उप परियोजना प्रबन्धक (सिविल) 12 पद अनुसूचित जाति तथा एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

जी नहीं। उप परियोजना प्रबन्धक (सिविल) के पद पर अनुसूचित जाति के 12 व्यक्ति तथा अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति नियुक्त किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ओ० सी० आर० "अ" तथा "ब" भवन लखनऊ की लिफ्टों के रख-रखाव पर खर्च हुए धन की जानकारी

11—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा संचालित ओ० सी० आर० (ब) तथा (अ) भवन लखनऊ के अन्दर चलने वाली लिफ्टों के रख-रखाव तथा उनकी व्यवस्था सुधारने में मई, 1997 से 15 मई, 98 तक कुल कितना धन खर्च कया गया है? क्या सरकार इन लिफ्टों के रख-रखाव की व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

निर्दिष्ट अवधि में ओ० सी० आर० (अ) ब्लाक में रु० 1,27,839.00 तथा (ब) ब्लाक में रु० 52,432.00 लिफ्टों के रख-रखाव पर खर्च किया गया है एवं "ब" ब्लाक में तीन नई लिफ्टों को लगाने हेतु रु० 28.89 लाख खर्च किया गया।

(अ) ब्लाक की लिफ्टें सुचारु रूप से कार्यरत हैं तथा (ब) ब्लाक की पुरानी लिफ्टों के स्थान पर तीन नई लिफ्टें लगायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग

12—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षकों की कमी के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है? प्रदेश के कितने जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद रिक्त हैं? क्या जनपद आजमगढ़ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में सरकार जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रदेश में वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षकों के 21 पद रिक्त हैं।

जनपद आजमगढ़ में दिनांक 6-5-1998 को जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है, प्रदेश के अन्य जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण विभाग में अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक के होते हुए भी उनका कार्य स्थानीय अभियन्ताओं से लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

13—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग में अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक उपलब्ध होते हुए भी उनके कार्य स्थानिक अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था सुधार करते हुए अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धकों के लिये निर्धारित कार्य उन्हीं से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां । निगम में अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक का सही पदनाम अपर परियोजना प्रबन्धक है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मण्डलों में आर० टी० ओ० के रिक्त पदों की संख्या एवं नियुक्ति की मांग

14—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने मण्डलों में आर० टी० ओ० के पद रिक्त हैं ? पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आजमगढ़ मण्डल स्तर पर आर० टी० ओ० की नियुक्ति क्या सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

प्रदेश के 19 मण्डलों में से मात्र 9 मण्डल लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, हरिद्वार (सहारनपुर मण्डल) अल्मोड़ा (नैनीताल मण्डल), देहरादून, नरेन्द्र नगर (टेहरी) एवं पौड़ी गढ़वाल (पौड़ी गढ़वाल मण्डल) में कुल 11 आर० टी० ओ० के पद सृजित हैं जिसमें से झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, नरेन्द्र नगर (टेहरी) एवं पौड़ी गढ़वाल मण्डल में सृजित आर० टी० ओ० के पद रिक्त हैं ।

आजमगढ़ मण्डल में आर० टी० ओ० का पद सृजित न होने के कारण आर० टी० ओ० की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तरांचल के विकास हेतु वन अधिनियम में संशोधन करने की मांग

15—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में वन अधिनियम, 1980 के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? क्या सरकार उत्तरांचल के विकास को देखते हुए इस नियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जी नहीं । विभिन्न विकास कार्यों हेतु वांछित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की धारा-2 के तहत प्रदान की जाती है । वर्ष 1997-98 में वन भूमि हस्तान्तरण के 87 प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम- 1980 केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील-कुरांव के कस्बा बडोखर में माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग

16—श्री राम कृपाल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील-कुरांव के कस्बा, बडोखर में कोई भी माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण वहाँ के बालक-बालिकाओं को वहां से दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है, जिससे बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? क्या मंत्री जी उक्त कस्बे में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां। परन्तु कस्बा बडोखर से 10 किलोमीटर की परिधि में बालकों हेतु दो इण्टर कालेज एवं एक हाई स्कूल संचालित है। राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज (बालक/बालिका) की स्थापना जिला योजनान्तर्गत की जाती है और जिलायोजनान्तर्गत जनपद इलाहाबाद के लिये परिव्यय/बजट उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के मेजा रोड से खीरी आदि कतिपय मार्ग की क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए इनके निर्माण कराने की मांग

17—श्री राम कृपाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र मेंजा-इलाहाबाद के अन्तर्गत मेजा रोड से खीरी मार्ग व कोहरार से कोरांव एवं देव घाट से दमन गंज व भारत गंज से कोरांव आदि मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है ? आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो इन मार्गों का निर्माण कब तक कराया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं। कतिपय स्थानों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों की मरम्मत का कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के प्रमुख मार्गों की जर्जर स्थिति के लिए दोषी लो० नि० वि० के अभियन्ताओं के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की मांग

18—श्री चन्द्र नाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के प्रमुख मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये लोक निर्माण विभाग के दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन करेगा ? प्रमुख मार्गों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्गों की मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है तथा उपलब्ध संसाधनों से मरम्मत का कार्य निरन्तर कराया जाता है।

19—डा० वकार अहमद शाह—[4थे सोमवार में अता० प्र० सं०-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला योजना अन्तर्गत लो० नि० वि० गोण्डा को प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों की जांच की मांग

20—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मा० मुख्य मंत्री को निर्माण खण्ड 1/3 लो० नि० वि० गोण्डा में जिला योजना के अन्तर्गत एस० आर० वाई० एवं एस० एन० डी० के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यों की जांच अधिष्ठान हेतु पत्र दिया था और उक्त पत्र पर मुख्य मंत्री जी ने प्रमुख सचिव, लोक नि० वि० को दिनांक 9-4-98 को जांच करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हो गया है ? जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जांच करने के आदेश मुख्य अभियन्ता फैजाबाद क्षेत्र को दिये जा चुके हैं । जांच कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

21—नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

महाविद्यालय बस्ती के अध्यापकों के अनुमोदन के विचाराधीन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की मांग

22—श्री गोपाल कृष्ण तथा श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि किसान प्रशिक्षण (एल०टी० सामान्य) महाविद्यालय, बस्ती के तीन अध्यापकों के अनुमोदन से सम्बन्धित प्रकरण शासन के शिक्षा विभाग में सन् 1993 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

23—श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कार्यवाही की मांग

24—श्री राम प्यारे—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-9-97 को माध्यमिक शिक्षा सचिव को स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के सम्बन्ध में पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां ।

पत्र पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आख्या मांगी गयी थी जो अभी अपेक्षित है ।

स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के सम्बन्ध में संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र पर कार्यवाही

25—श्री राम प्यारे—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-3-97 को शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के सम्बन्ध में संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक मण्डल आजमगढ़ को पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ से शिक्षा निदेशक (मा०) को आख्या प्राप्त हो गयी है जिस पर निदेशालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के राजकीय इण्टर एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने विषयक योजना की जानकारी

26—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल (कुमायूं, गढ़वाल) में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितने प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? क्या शिक्षा सत्र 1998-1999 में इन रिक्त पदों को भरे जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

कुमायूं/गढ़वाल मण्डल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निम्नलिखित पद रिक्त हैं :—

पदनाम	कुमायूं	गढ़वाल	योग
प्रधानाचार्य	111	273	384
प्रधानाचार्या	22	9	31
प्रधानाध्यापक	53	167	220
प्रधानाध्यापिका	18	19	37
प्रवक्ता (पुरुष)	229	1058	1287
प्रवक्ता (महिला)	119	75	194
सहा० अध्यापक (एल० टी० पुरुष)	316	1099	415
सहा० अध्यापिका (एल० टी० महिला)	76	91	167
चतुर्थ श्रेणी (पुरुष)	105	71	176
चतुर्थ श्रेणी (महिला)	07		07

जी हाँ। कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद जौनपुर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में फर्जी नियुक्तियों की जांच की मांग

27—श्री अफजाल अहमद—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में अनौपचारिक शिक्षा का वास्तविक रूप से कोई केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है? मड़ियाहूँ विकास खण्ड में फर्जी नियुक्तियाँ करके कागज पर केन्द्र चलाया जा रहा है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं। जनपद जौनपुर में कुल 1672 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं।

मड़ियाहूँ विकास खण्ड में 98 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं जिसमें शासन के नियमों के अनुरूप अनुदेशक/अनुदेशिकाएं कार्यरत हैं। केन्द्रों का संचालन विधिवत वास्तविक रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

शिक्षा निदेशालय द्वारा चयनित लेखा परीक्षकों को अनुपादित योजनान्तर्गत लाभ दिये जाने विषयक विधायक के पत्र पर कार्यवाही

28—श्री राम प्यारे—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4973 / 15-2-94-27(59)88 टीसी दिनांक 13 जून, 1995 के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा चयनित 1-1-86 से 31-3-89 तक तदर्थ रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों का 80:20 अनुपादित योजना के अन्तर्गत ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पदों को स्थापित कर दिया गया है? क्या इसके अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को शासनादेश का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक शेष कर्मचारियों को लाभान्वित कर दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

शासनादेश संख्या-4073/15-2-94-27(59)/88 टी.सी. दिनांक 13 जून, 1995 द्वारा अनुमन्य लाभ तदर्थ लेखा परीक्षकों को नियमानुसार देय नहीं है। नियमित रूप से चयनित कर्मियों को यह लाभ दिया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत लेखा परीक्षकों को ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों का लाभ देने विषयक जानकारी

29—श्री राम प्यारे—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4073 / 15-2-94-27(59)88 टी०सी० दिनांक 13 जून, 1995 के अन्तर्गत प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालयों में कार्यरत लेखा संगठन के लेखा परीक्षकों को ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर स्थापित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

नियमित रूप से चयनित लेखा परीक्षकों को प्रश्न में संदर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार लाभ दिया गया है। तदर्थ रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों को वर्तमान नियमानुसार यह लाभ देय नहीं है।

लो० नि० विभाग कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल के निलम्बित अवर अभियन्ताओं को देय वेतन का लाभ न मिलने की जांच की मांग

30—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण कुमायूँ एवं गढ़वाल के अधीन कार्यरत कितने अवर अभियन्ता विगत 10 वर्षों से अधिक समय से निलम्बित हैं और उन्हें नियमानुसार देय वेतन का 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं? क्या सरकार इनके लम्बी अवधि के निलम्बन सम्बन्धी कारणों की जांच कराकर आख्या सदन के पटल पर रखेगी? यदि हा, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

कुमायूँ और गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत केवल एक अवर अभियन्ता (श्री इन्द्रजीत सिंह) दस वर्ष से अधिक समय से निलम्बित है। 3/4 जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने हेतु इनका आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

एकमात्र निलम्बित अवर अभियन्ता अनुसूचित जाति के है।

श्री इन्द्रजीत सिंह के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है और उस पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कन्थरी को मुख्य सड़क से जोड़ने की माग

31—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कन्थरी की आबादी दो हजार एक सौ से ऊपर होने के बावजूद अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया? क्या सरकार उक्त कन्थरी ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हा, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिला योजना के अन्तर्गत यथासमय प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के नया गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

32—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के नया गांव जिसकी आबादी लगभग 1600 के करीब है, मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका? क्या सरकार उसे मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिला सेक्टर में प्रस्ताव पर निर्णय होन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम इस्लामपुर जगाई को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

33—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम इस्लामपुर जगाई की आबादी लगभग दो हजार से अधिक होने के बावजूद अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार उक्त इस्लामपुर जगाई ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिला सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्ताव पर निर्णय होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रि मण्डल के सदस्यों की भाँति अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए स्टाफ कार हेतु पेट्रोल की सीमा निर्धारण करने विषयक जानकारी

34—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंत्रि मण्डल के सदस्यों को स्थानीय यात्राओं (स्टाफ कार) के लिये प्रतिमाह कितने लीटर तेल अनुमन्य है ? निर्धारित कोटे से अधिक पेट्रोल व्यय करने पर उसका भुगतान किस मद से किया जाता है ? क्या इसी प्रकार की सीमा अधीनस्थ विभागों/निगमों एवं परिषदों के अधिकारियों पर लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

स्थानीय यात्राओं (स्टाफ कार) हेतु मा० कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को 120 लीटर तथा मा० राज्य मंत्रियों को 80 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह अनुमन्य है।

निर्धारित कोटे से अधिक पेट्रोल का भुगतान सामान्यतः नहीं किया जाता है।

पेट्रोल पर व्यय की सीमा की जानकारी सम्बन्धित विभाग से की जा सकती है।

35—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—[4थे गुरुवार में अता० प्र० सं०-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासन के निर्देश पर फलकलिया नदी पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

36—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के निर्देश पर मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, लो० नि० वि०, वाराणसी द्वारा प्रेषित आगणन सहित प्रस्ताव पत्र सं० 798/यू०वे०यात/82,

यू०वे०यास०/95-96 दिनांक 21-2-92, 97 संयुक्त सचिव, अनुभाग-11, लो०नि०वि० उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ? क्या उक्त प्रस्ताव में सरदार पटेल मार्ग-पटेल नगर अर्दलहाट से पैनहट वाया परमहंसपुरी–मार्ग के कि०मी०-4 में फलकलिया नदी पर लघु सेतु का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? क्या भारतीय किसान यूनियन, मिर्जापुर एवं जिला प्रशासन, मिर्जापुर के बीच दिनांक 11-3-97 को हुए निर्णय के बिन्द्-11 में उक्त फलकलिया नदी पर पुल निर्माण कराने की सहमति हुई है? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार जिला प्रशासन की बचनबद्धता के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त फलकलिया नदी में पुल निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राकलन के अनुसार धन अवमुक्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा यथावत् जारी रखने की मांग

37—श्री बाबू खां–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट संख्या 25133/88 में दिनांक 14-9-93 द्वारा पारित आदेश द्वारा ड्राइंग अनुदेशक एवं वर्कशाप अनुदेशक को दिये गये सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा विषयक आदेश दिनांक 7-11-88 को क्वैश कर दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा 3309/18प्रा० शि०–2-30 (ई) डी०डी०/74 दिनांक 25-11-88 द्वारा इंजीनियरिंग अनुदेशकों की स्वीकृति सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा को समाप्त करने का क्या कारण है। क्या सरकार इंजीनियरिंग अनुदेशकों को दी गयी उक्त सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा यथावत् जारी रखने का आदेश देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हाँ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 14-9-93 में निहित निर्देशों के क्रम में यह सुविधा सामाप्त की गयी।

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में सेलेक्शन ग्रेड देने हेतु सभी सहायता प्राप्त संस्थाओं के इंजीनियरिंग अनुदेशकों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची नहीं बनायी जा सकती है।

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निक के इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा देने की मांग

38—श्री बाबू खाँ–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा-2 के आदेश संख्या 6927/प्रा० शि०2-104 ई/84, दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 द्वारा 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने

वाले राजकीय पालीटेक्निक के इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता प्राप्त सभी पालीटेक्निकों के इंजीनियरिंग अनुदेशकों को भी दस वर्ष की नियमित सेवा पर उक्त सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा देगी ?, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1107/16-प्रा०शि०-2-30(इं)ईडो/74, दिनांक 25-5-95 द्वारा उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के इंजीनियरिंग अनुदेशकों को 10 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहजहाँपुर को निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि का पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य कराने की जानकारी तथा पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

39—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा सितम्बर, 97 तक कुल कितनी धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहजहाँपुर को दी गयी है ? इसमें से कुल कितना धन सड़क एवं पुल निर्माण हेतु खर्च किया गया ? क्या समस्त कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही कराया गया ? यदि हां, तो 5 लाख रुपयों से अधिक कार्य किन-किन ठेकेदारों द्वारा कराया गया ? क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में रु० 199.31 लाख, 1995-96 में रु० 202.28 लाख तथा 1996-97 में रु० 130.18 लाख तथा 1997-98 में सितम्बर, 97 तक रु० 186.39 लाख, इस प्रकार कुल रु० 726.16 लाख की धनराशि लोक निर्माण विभाग शाहजहाँपुर को दी गयी।

इसमें से कुल रु० 677.53 लाख की धनराशि सितम्बर, 97 तक सड़क एवं पुल पर व्यय किया गया।

जी हां, समस्त कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही कराया गया है।

5 लाख रुपयों से अधिक का कार्य निम्नलिखित ठेकेदारों द्वारा कराया गया :–

वर्ष 1994-95 में सर्वश्री आर० के० सिंह, राम गुलाम गुप्ता, मै० शरीफ उल्ला, विनय कुमार।

वर्ष 1995-96 में सर्वश्री राम किशोर सिंह, मै० रोहित कन्सट्रक्शन कं०, मै० शरीफ उल्ला, विनय कुमार, सुरेश चन्द्र अग्रवाल, मुकेश सक्सेना, वीरेन्द्र पाल सिंह, चन्द्र पाल सिंह।

वर्ष 1996-97 में सर्वश्री राम किशोर गुप्ता, मै० पाल कन्सट्रक्शन कं०, आर० के० सिंह, सुरेश चन्द्र अग्रवाल, मुकेश सक्सेना, वीरेन्द्र पाल सिंह, मै० रोहित कन्सट्रक्शन कं०, ओमेन्द्र पाल सिंह, त्रिलोक नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, सुनील कुमार।

वर्ष 1997-78 में सर्वश्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, वीरेन्द्र पाल सिंह, त्रिलोक नाथ अग्रवाल, संजीव कुमार, राजेश कुमार सिंह।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहाँपुर कोलाघाट पुल के निर्माण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

40—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 25-3-91 को जनपद शाहजहाँपुर में कोलाघाट पुल का उद्घाटन तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या छः वर्ष सात माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त पुल का निर्माण सरकार कब से प्रारम्भ करा रही है ? क्या सरकार पुल निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करके शीघ्र पुल निर्माण शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

कोलाघाट पुल का शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा 25-3-91 को किया गया था।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार, प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के मात्र एक को छोड़ सभी इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा जारी के सम्बन्ध में जानकारी

41—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3309/18प्रा०शि० 2-30(ई०)/ई-डी० 74 दिनांक 25-11-88 के अनुसार कितने इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की गयी थी ? कितने अनुदेशकों का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-9-93 के परिप्रेक्ष्य में उक्त सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा वापस ली गयी ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त इंजीनियरिंग अनुदेशकों में मात्र एक को छोड़कर सभी की सुविधायें यथावत् जारी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुदेशकों को भी उनकी दीर्घकालीन सेवा को देखते हुए एकल पद मानते हुए सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा पूर्ववत् जारी रखने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

अनुदेशको को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य की गयी। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-9-93 के परिप्रेक्ष्य में जिन अनुदेशकों से पूर्व में प्रदान की गयी सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा वापस ली गयी है, उनकी संख्या की जानकारी संस्थाओं से ज्ञात की जा रही है।

जी नहीं।

वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शासनादेश संख्या 1107/16-प्रा०शि०-2-30(ई) ईडी/74, दिनांक 25-5-95 के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड की पात्रता श्रेणी में आने वाले अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एकल पद को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है।

प्रदेश में अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा स्कूल/कालेजों में अध्यापन कर रहे लोगों को उसी विद्यालय के रिक्त पदों पर समायोजित करने विषयक जानकारी

42—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा जो शिक्षक/शिक्षिकायें विभिन्न स्कूल/कालेजों में अध्यापन का कार्य कर रहे तथा विगत 8-10 वर्षों से

कार्यरत हैं साथ ही अध्यापन हेतु बी० एड० एल० टी० आदि की पूर्ण अर्हता रखते हैं उन्हें कार्यरत विद्यालयों में ही रिक्त स्थान पर समायोजित किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक इसका शासनादेश जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

43—श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित ग्राम प्रधान बरनाटकिटकर गौरीगंज सुल्तानपुर तथा अन्य का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ जिसमें अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, गौरीगंज सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, पत्रांक 7497, दिनांक 25-11-97 जो सचिव को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 11-11-97 प्राप्त हुआ है परन्तु उसके साथ ग्राम प्रधान बरनाटकिटकर गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

शिकायत की जाँच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) फैजाबाद द्वारा करायी गयी। जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा निजी विद्यालयों को अनुदान की शर्तों का पालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक जानकारी

44—श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त समिति शिक्षा द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ० प्र० के जी० ओ० संख्या 1627/15-8-96/3007/57/96 द्वारा असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्र को विद्यालय स्थापना हेतु कितने विद्यालयों को वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया है ? क्या उक्त धनराशि आवंटित आहरण करते समय कोई शर्तें पूर्ति के बाद भी आहरण का अधिकार दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त शर्तें क्या थीं ? उन शर्तों का पालन क्या किसी संस्था द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो धन आहरण करने वाली संस्था तथा उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

डा० नैपाल सिंह–

शासनादेश संख्या--1627/15-8-96/3007(57)/96, दिनांक 5 जुलाई, 1996 द्वारा 26 असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से कन्या विद्यालय खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

जी हां।

शर्तों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

(1) शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि पर स्वामित्व शासन का होगा और संस्था सांकेतिक प्रीमियम/किराये पर पट्टेदार होगी।

(2)—अनुदान का दुरुपयोग होने की दशा में संस्था के संचालकों से देय ब्याज सहित उसे भू राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

(3) अनुदान के उपयोग की अवधि धनराशि प्राप्त होने के छः माह बाद तक की होगी।

(4) निर्माण कार्यों/साज-सामान पर अधिक होने वाला व्यय संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी।

(5) विद्यालय को वित्त विहीन मान्यता दी जायेगी और विद्यालय के संचालन हेतु शासन से किसी भी प्रकार का आवर्तक अनुरक्षण अनुदान अथवा अनावर्तक अनुदान भविष्य में देय नहीं होगा।

(6) विद्यालय भवन का निर्माण/साज-सामान उपकरणों का क्रय शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित आवश्यकता सम्बन्धी मानकों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों तथा सामान क्रय हेतु उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से किया जायेगा।

(7) विद्यालय को दिया गया अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक तथा संस्था के संयुक्त खाते में किसी डाकघर या शेड्यूल्ड बैंक में जमा होगी, जिसकी पासबुक जिला विद्यालय निरीक्षक के पास रहेगी। विद्यालय की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था हो जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार धन का आहरण/व्यय किया जायेगा।

शर्तों का पालन किये जाने की अनिवार्यता है।

शर्तों का पालन किये जाने की अनिवार्यता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर श्रीमती अमरावती देवी द्वारा पति को वेतन न दिए जाने पर मा० विधायक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

45—श्री तेजभान सिंह—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित श्रीमती अमरावती देवी पत्नी श्री बृजभूषण ग्राम धौरहा, पो०—भादर, तह०-अमेठी, जिला सुल्तानपुर का पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 19-12-97 प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थनी के पति का वेतन न दिये जाने की शिकायत है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जी हां।

प्रार्थिनी के पति श्री बृजभूषण सिंह वनरक्षक को अवैध पातन के आरोप में निलम्बित करके जांचोपरान्त इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थी। सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण में निदेश याचिका दायर की गयी। मा० अधिकरण द्वारा श्री सिंह के सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा पुनः विभागीय जांच किये जाने के आदेश दिये गये, इसके अतिरिक्त उन्हें निलम्बित मानते हुए जीवन-निर्वाह भत्ताके एरियर के भुगतान के भी निर्देश दिये गये। मा० अधिकरण के आदेशानुसार श्री सिंह को जीवन-निर्वाह भत्ते के एरियर का भुगतान कर दिया गया तथा दुबारा जांचोपरान्त दिनांक 5.12.1996 को श्री सिंह को सेवा में बहाल करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि निलम्बन अवधि के जीवन-निर्वाहभत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान न किया जाय तथा राजकीय क्षति के रूप में रु० 2672.75 की वसूली की जाय एवं उन्हें निन्दा प्रविष्टि दी जाय।

उपर्युक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री सिंह ने अपने पत्र दिनांक 28.2.97 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलीय अधिकारी वन संरक्षक, विन्ध्य क्षेत्र द्वारा सेवाच्युत एवं पुनर्बहाली के अन्तराल का वेतन भुगतान (जीवन-निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त) का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष लो० नि० विभाग कान्ट्रैक्टर्स एसोसियेशन आगरा द्वारा निविदा आमंत्रण प्रसार में बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत

46—श्री विजय पाल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री योगेन्द्र पाल सिंह डिठौनिया अध्यक्ष, लो० नि० विभाग कान्ट्रैक्टर्स एसोसियेशन आगरा द्वारा दिनांक 20-6-1997 को निविदाओं के आमंत्रण में विस्तृत प्रचार/प्रसार न करने के संबंध में अनियमिततायें बरती जाने का आरोप-पत्र मुख्य अभियन्ता, लो० नि० वि० परिक्षेत्र, आगरा को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां। आगरा परिक्षेत्र के समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंताओं को निविदाओं के आमंत्रण हेतु प्रचार/प्रसार के लिए नियमों को कठोरता से पालन करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

47—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

[दिनांक 23-6-98 को अता० प्र० सं०-3 द्वारा उत्तरित]

ओसवाल यूरिया फैक्ट्री शाहजहांपुर द्वारा बिना लाइसेन्स कैमिकल दाना बनाने पर जांच की मांग

48—श्री बाबू खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओसवाल यूरिया फैक्ट्री, पिपरोला, शाहजहांपुर बगैर लाइसेन्स प्राप्त किये हुए कोई कैमिकल दाना बनाने का कार्य गत कई वर्षों से कर रही है ? यदि हां, तो क्यों। क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध ढंग से चल रही फैक्ट्री को बन्द कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में नई प्राइमरी पाठशालाएँ खोलने विषयक जानकारी

49—श्री बाबू खां—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1998-99 में कितनी प्राइमरी पाठशालायें नई खोली जायेंगी ? उक्त पाठशालायें कब तक पढ़ाई कार्य शुरू कर देंगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1998-99 में खोले जाने का लक्ष्य है।

शिक्षण कार्य शैक्षिक सत्र 1998-99 में शुरू करने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद सीतापुर के ग्राम मस्जिद के निकट क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण विषयक जानकारी

50—श्री रमेश राही—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महोली से हरगांव मार्ग पर लगभग 2 वर्षों से ग्राम मस्जिद के निकट पुल क्षतिग्रस्त है ? क्या उक्त पुल के निर्माण कराये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

मरम्मत कराने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला में निर्मित स्कूल भवनों के क्षतिग्रस्त की जांच की मांग

51—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत तहसील उतरौला में 1-1-95 से 15-5-98 के बीच बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किस-किस गांव में प्राइमरी पाठशाला/जू० हा० स्कूल, कन्या जू० हा० स्कूल/कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवनों का निर्माण कराया गया है ? क्या सभी भवनों का कार्य पूरा हो गया है ? क्या यह सही है कि कुछ निर्मित भवन क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? तकनीकी रूप से पक्के भवनों का कार्यकाल शासन ने कितने वर्षों का निर्धारित किया है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में दिनांक 1-1-95 से 15-5-98 के बीच निम्नलिखित गांवों में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, कन्या जूनियर हाई स्कूल व कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवनों का निर्माण कराया गया :–

1. गरीबनगर
2. चींटी
3. हरकिशना
4. मितवरिया
5. मस्जिदिया
6. मुजेहना
7. अगया खुर्द
8. धमौली
9. अचलपुररूप
10. गुमाफत्माबीत
11. नुथईपर कानूनगो
12. ट्रेडवाऐमा
13. इटईअब्दुल्ला
14. इटवा
15. खानपुर
16. पुरैना कानूनगो
17. हाशिमपारा
18. अजगरी नकशाद
19. पिरैला माफी
20. बासपुर
21. मुबारिकपुर
22. चिकनी
23. महुआइब्राहीम
24. केशवगढ़
25. बुमड़ी

जी नहीं।

जी नहीं।

सामान्य रूप से नवनिर्मित विद्यालय की रंगाई-पुताई को छोड़कर विशेष मरम्मत हेतु अनुदान 10 वर्ष से पहले दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक प्रकोप से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के संबंध में यह व्यवस्था लागू नहीं होती।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लो० नि० विभाग गोण्डा के सहा० अभियन्ता के विरुद्ध मा० विधायक के पत्र पर कार्यवाही

52—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मा० मुख्य मंत्री को निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० गोण्डा के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र लिखा था जिस पर मुख्य मंत्री जी ने प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० को 16-3-98 को जांच करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के आरोप क्या थे जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

उक्त पत्र में श्री सिद्दीकी सहायक अभियन्ता द्वारा एस०आर० एवं ए०आर० के धन का दुरुपयोग किये जाने एवं चन्द ठेकेदारों के पक्ष में फर्जी वर्क आर्डर काटकर सरकारी धन का बंदरबांट किये जाने तथा उक्त धन के विपरीत क्षेत्र में कोई कार्य न कराये जाने के आरोप हैं। जांच करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र को दिये जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

विधायकों को आवास आवंटन की नीति की जानकारी

53—श्री राम सिंह सैनी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों को आवास आवंटन की नीति क्या है ? क्या कुछ विधायकों को छोटे आवास तथा कुछ को बड़े आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या मापदंड है ?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय विधान मण्डल के सदस्यों को "उ०प्र० राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली-1963" के अनुसार आवास आवंटित किये गये हैं।

जनपद हरिद्वार ब्लाक भगवानपुर में स्थित ग्राम नगला को जोड़ने हेतु स्वीकृत मार्ग निर्माण की आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी

54—श्री राम सिंह सैनी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार ब्लाक भगवानपुर में स्थित ग्राम नगला को जोड़ने हेतु वर्ष 1997-98 में लेपन स्तर का मार्ग स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इस मार्ग निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा वर्ष 1997-98 में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया था ? क्या इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री तेजभान सिंह—

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं०-47 द्वारा उत्तरित]

56—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं०-113 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर हुए व्यय एवं साक्षरता के प्रतिशत में हुई वृद्धि की जानकारी ।

57—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कितने जनपदों में चलाया जा रहा है ? कितने लोग शिक्षित किये गये तथा कितना धन व्यय हुआ ? इसके फलस्वरूप प्रदेश में कितनी साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के रुप में राज्य के 68 जनपदों में संचालित किया गया है । माह मई, 98 तक रु० 49.62 लाख प्रतिभागी शिक्षित किये गये हैं तथा माह मई, 98 तक रु० 7205.62 लाख की धनराशि व्यय हुई । राज्य में साक्षरता कार्यक्रम तथा अन्य प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता प्रतिशत में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है ।

हरिद्वार कुम्भ मेला-98 के कार्यों में मार्गों का निर्माण निजी ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने की जानकारी

58—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार कुम्भ कार्यों के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मार्गों के निर्माण की जिम्मेदारी जब सेतु निगम उ० प्र० को सौंपी गयी है तो हरिद्वार—नजीबाबाद तथा हरिद्वार—लक्सर—पुरकाजी मार्ग के निर्माण का कार्य निजी ठेकेदारों से क्यों कराया जा रहा है ?

श्री कलराज मिश्र—

कुम्भ मेला-98 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से संबंधित समस्त कार्यों को करने की जिम्मेदारी सेतु निगम को नहीं सौंपी गयी थी ।

अतः हरिद्वार—नजीबाबाद तथा हरिद्वार—लक्सर—पुरकाजी मार्गों का कार्य ठेकेदारों से कराया गया ।

हरिद्वार कुम्भ मेला-98 के कार्यों में सेतु निर्माण निजी ठेकेदारों से कराने एवं अधिक व्यय होने आदि की जांच की मांग

59—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ कार्यों के अन्तर्गत सत्यनारायण मंदिर से ऋषिकेश तक सेतु निगम द्वारा बनायी जा रही सड़क के निर्माण की दर क्या है ? नेपाली फार्म से भानियावाला तक लगभग समान दूरी की सड़क जो निजी ठेकेदारों द्वारा बनायी जा रही है, के निर्माण की दर क्या है ? यह कार्य सेतु निगम को न देकर निजी ठेकेदारों को देने से सरकार को कितना धन अधिक देना होगा ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित करेगी ?

श्री कलराज मिश्र—

दिल्ली—तीतिपास मार्ग के किमी०-205 से 212 सत्यनारायण मंदिर से ऋषिकेश तक जो भाग सेतु निगम को दिया गया, उनकी दरें निम्न प्रकार हैं :—

1. टैक कोट का कार्य—रु० 5.95 प्रति वर्ग मीटर
(3 कि० ग्रा० प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से)
5 कि० ग्रा० प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से—
रु० 7.90 प्रति वर्ग मीटर।

2. 75 एम०एम० मोटे बी०एम० का कार्य—
रु० 18.12 प्रति घन मीटर।

3. 20 एम०एम० मोटा एम०एस०एस० का कार्य—
रु० 37.86 प्रति वर्ग मीटर।

नेपाली फार्म से भानियावाला तक मुरादाबाद—देहरादून मार्ग के कि० मी०—173 से 189 भानियावाला तक निजी ठेकेदारों को दी गयी दरें निम्न प्रकार हैं :

1. टैक कोट का कार्य—रु० 8.11 प्रति वर्ग मीटर
(5 कि० ग्रा० प्रति 10 वर्गमीटर की दर से)

2. 50 एम०एम० मोटा बी०एम० का कार्य—
रु० 2149.00 प्रति घन मीटर।

3. 20 एम०एम० मोटा एम०एस०एस० का कार्य—
रु० 44.00 प्रति वर्ग मीटर।

निजी ठेकेदारों को कार्य देने से सरकार को रु० 8.86 लाख धन अधिक देना होगा।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर से मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा जांच चल रही है।

शाहजहांपुर साक्षरता कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि की जाँच एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर को साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना धन वर्ष 95 से 97 तक आवंटित हुआ ? जिन विकास खण्डों में उक्त कार्यक्रम चलाया गया क्या वहां सभी लोग साक्षर हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

रु० 103.39 लाख।

विकास खण्ड भावलखेड़ा, तिलहर, कटरा/खुदागंज तथा जैतीपुर में उक्त कार्यक्रम चलाया गया तथा पहचाने गये 114963 निरक्षरों के सापेक्ष 102312 व्यक्तियों को साक्षर किया गया। कार्यक्रम अभी गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी मण्डल के राजमार्गों की मरम्मत कर उसे चालू हालत में लाने की मांग

61—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल के अन्तर्गत कालपी से हमीरपुर तक राजमार्ग को मरम्मत कराकर कब तक चालू हालत में ला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

कालपी से हमीरपुर मार्ग पर मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। मार्ग यातायात हेतु चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में तैनात विभिन्न प्रशासनिक विभागों/निगमों आदि से सम्बद्ध कर्मचारियों को हटाने की मांग

62—श्रीमती उर्मिला देवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/निगमों से सम्बद्ध कर्मचारियों को तत्काल हटाये जाने/कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव, उ० प्र० के अर्धशासकीय पत्रांक 238/पी०एस०एम० एस० 9/90 दिनांक 27 फरवरी, 1990 द्वारा समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को कोई निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो वर्तमान में लोक निर्माण सचिव शाखा में अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/निगमों के कितने कर्मचारी किन-किन श्रेणियों में तथा कब से निरन्तर कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 41 कर्मचारी विभिन्न तिथियों से तैनात हैं।

सचिवालय प्रशासन द्वारा विभाग में उपलब्ध रिक्तियों पर तैनाती करने के उपरान्त उक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी के एक आवास पर 50 हजार रु० व्यय की स्वीकृति एवं कराये गये कार्यों पर खर्च हुई धनराशि के फलस्वरूप मानक के अनुसार किराया निर्धारण की मांग

63—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत वर्षों में राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी के आवास संख्या ई० डी० 41 पर व्यय हुए लगभग 50 हजार रुपये की स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त आवास एक निजी सचिव को आवंटित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आवास में इतनी धनराशि किस-किस कार्य पर खर्च की गयी और क्या उक्त कार्य अन्य आवासों में भी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार व्यय की जाने वाली धनराशि का कोई मानक एवं उसके फलस्वरूप किराया निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

आ०सं०—ई०डी०—41, डायमण्ड डेरी में विगत 5 वर्षों में रु० 25,300/- की स्वीकृति विशेष मरम्मती मद में राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है।

जी हां।

उक्त आवास में पुराने डोर शटर को बदलने, क्षतिग्रस्त प्लास्टर को पुनः सड़े-गले दरवाजे बदलने, लैट्रीन शीट एवं हैण्ड वेसिन बदलने का कार्य कराया गया। यह विशेष मरम्मती प्रकृति के कार्य हैं, आवश्यकतानुसार अन्य आवासों में भी कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विशेष मरम्मती मद में धनराशि व्यय कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुये किया जाता है। इसके लिये मानक निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी में आवंटित श्री खान के आवास का आवंटन निरस्त करने एवं किराया वसूली की मांग

64—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी में आवास संख्या-ई०डी० 25 श्री एस० ए० खान को प्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कई वर्षों से आवंटित है ? क्या यह सही है कि श्री खान सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री खान को आवंटित आवास की मरम्मत तथा निर्माण कार्य पर कई लाख रुपये विगत वर्ष में खर्च किया गया है और उक्त आवास का किराया भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवास का वर्तमान आवंटन तुरन्त निरस्त करके अवशेष किराया वसूलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी का आवास संख्या-ई०डी० 25 श्री एस० ए० खान, प्रेस प्रतिनिधि के नाम नहीं बल्कि ए० एम० खान, प्रधान सम्पादक, भविष्यसाथी के नाम 06 जून, 1990 से आवंटित है । प्राप्त सूचनानुसार श्री ए० एम० खान प्रधान सम्पादक, भविष्यसाथी नाम का को पत्रकार सूचना विभाग द्वारा प्रेस मान्यता प्राप्त नहीं है ।

प्रश्नगत आवास में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कुल रुपये 90,185.00 के मूल तथा विशेष मरम्मत कार्य कराये गये हैं । अध्यासित व्यक्ति द्वारा जून, 1998 तक का सम्पूर्ण किराया जमा कर दिया गया है ।

उक्त आवास का आवंटन निरस्त किया जा चुका है ।

हरिद्वार जिला यो० अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग न करने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

65—श्री राम सिंह सैनी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार में जिला योजनान्तर्गत 1997-98 में सड़क निर्माण हेतु कितना अनुदान आवंटित किया गया था ? कितने धन का उपयोग किया गया ? कितनी धनराशि विभाग द्वारा शासन को समर्पित की गयी ? क्या यह सही है कि पूरी धनराशि उपयोग नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद हरिद्वार के लिये जिला योजनान्तर्गत कुल रु० 140.32 लाख धन आवंटित किया गया ।

समस्त आवंटन का उपयोग किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा मंत्री को दिये पत्र पर नियुक्ति की मांग

66—श्री राम प्यारे—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 9-7-97 को उनके द्वारा तत्कालीन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल अमरावती, महाराष्ट्र से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

शिक्षा निदेशक (बे०) को प्रकरण यथोचित कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

67—श्री तेजभान सिंह—[3सरे गुरुवार में अता० प्र० सं० "126" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ज्ञानभारती उ० मा० विद्यालय रायबरेली की अनियमित प्रबन्ध समिति को भंग करने की मांग

68—श्री तेजभान सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानभारती उ० मा० वि० परसदेपुर, रायबरेली की प्रबन्ध समिति का चुनाव कब हुआ तथा चुनाव में पर्यवेक्षक कौन था ? यदि नहीं, तो किन नियमों के आधार पर प्रबन्ध समिति मान्य की गयी है ? क्या मंत्री जी इस प्रकार की अनियमित कार्यरत प्रबन्ध समिति को भंग कर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक 13-10-1996 को हुआ था। विभाग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया गया था।

जिलाधिकारी, रायबरेली के आदेश से तहसीलदार सलोन की उपस्थिति में उक्त प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ था। बाद में जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 1-3-98 को उक्त चुनाव का भौतिक सत्यापन किया और दिनांक 1-3-98 को उक्त प्रबन्ध समिति को मान्य कर दिया।

प्रकरण की जांच करायी गयी और तदनुसार प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडियट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 16 डी (2) के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा दिनांक 11-6-98 को निर्देश दिये गये है उक्त सम्बन्ध में प्रबन्ध से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद यथाशीघ्र नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण निगम लखनऊ की इकाइयों द्वारा विगत पाँच वर्षों में पंजीकृत फर्मों से क्रय की गयी सामग्री पर व्यापार कर एवं जुर्माने का निर्धारण तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

69—श्री तेजभान सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम की लखनऊ स्थित किन-किन इकाइयों पर विगत पांच वित्तीय वर्षों में क्रमशः कितनी धनराशि की सामग्री पंजीकृत फर्मों से क्रय की गयी तथा इसके कारण व्यापार कर विभाग द्वारा कितना कर एवं जुर्माना निर्धारित किया ? इस स्थिति के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

विगत पांच वर्षों में पंजीकृत फर्मों से क्रय की गयी सामग्री की धनराशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

पंजीकृत फर्मों से क्रय की गयी सामग्री पर नियमानुसार व्यापार कर का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है तथा व्यापार कर विभाग द्वारा पुनः कोई कर या जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर)

जनपद सुल्तानपुर के जामो ब्लाक में अनियमित विद्यालय खोलने की शिकायत पर जांच की मांग

70– श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मंत्री जी को सम्बोधित पत्र जिसमें जनपद सुल्तानपुर के जामो ब्लाक में अनियमित विद्यालय खोलने की शिकायत है, जो पत्रांक 1298 दिनांक 5-6-97 को सचिव, बेसिक शिक्षा को जांच हेतु भेजा गया है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

प्रकरण शिक्षा निदेशक (बे०) को संदर्भित किया गया था। प्रकरण में शिक्षा निदेशक (बे०) से प्राप्त आख्या के अनुसार विद्यालय खोलने में कोई अनियमितता नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

71—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–[3सरे बुधवार मे अता० प्र० सं० "175" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

72—श्री श्याम देव राय चौधरी–[4थे सोम० के अता० प्र० सं० "40" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मऊ, जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में यमुना नदी पर पीपे का पुल निर्माण कराये जाने की मांग

73—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ, जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में यमुना नदी पर पीपे का पुल वित्तीय स्वीकृति के बाद क्यों नहीं बनवाया जा रहा है ? यह पीपे का पुल कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत कार्य का अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति की जानकारी

74—श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प० दीन दयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में

दिनांक 26-3-98 को एक पत्र दिया गया था ? यदि हां तो क्या उक्त प्रस्तावित मार्गों को स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहाबाद निवोहरा मार्ग से ग्राम रामपुरा तक को मुख्य सड़क से जोड़ने विषयक स्वीकृति की जानकारी

75—श्री विजय पाल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जिला योजना की बैठक में सम्पर्क मार्गों में फतेहाबाद निवोहरा मार्ग से ग्राम रामपुरा तक जिसकी आबादी 1000 से अधिक व 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, को मुख्य सड़क से जोड़े जाने हेतु खड़ंजा से लेकर लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य को स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ, लेकिन रामपुरा गांव की अनुसूचित जाति की आबादी 13.9 प्रतिशत ही है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

76—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अनेक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक शिक्षकों एवं छात्रों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? निर्धारित मानक के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ? कब तक सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

77—श्री चन्द्रपाल सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बस्ती में श्री राजा राम पुत्र श्री गंगा प्रसाद द्वारा रोड पर किये गये अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने की मांग

78—श्री राम नक्षत्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के संसारीपुर—पैकोलिया पी० डब्लू० डी० की सड़क पर लगभग कि० मी० 3 के पास त्रिलोकपुर ग्राम के सामने श्री राजा राम पुत्र श्री गंगा प्रसाद ग्राम त्रिलोकपुर द्वारा रोड को अतिक्रमण करके अवैध रूप से मकान निर्माण किया गया है ? क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद वि० ख० प्रतापपुर के ध्वस्त मार्गों की मरम्मत कराने विषयक जानकारी

79—**श्री जोखू लाल यादव**–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद मे स्थित सराय ममरेज से बरिया राम स्टेशन मार्ग, अमोलवा से आरा खुर्द मार्ग, बारी से जंघई मार्ग, बरना से जंघई मार्ग ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित रहता है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों की मरम्मत कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लो० नि० विभाग फिरोजाबाद द्वारा धोसई से सरसौली मार्ग पर रपटा का निर्माण न कराये जाने के कारणों की जानकारी

80—**श्रीमती उर्मिला देवी**–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत धोसई से सरसौली मार्ग पर रपटा का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष नवम्बर, 1994 में स्वीकृत हुआ था? क्या उसका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, किन्तु स्वीकृति का दिनांक 19 सितम्बर, 1994 है।

जी हां।

प्रश्नगत रपटा स्वीकृत स्थल के दोनों ओर केवल कच्चा है जिसका निर्माण प्रश्नगत रपटे के अपस्टीम में लगभग 900 मीटर की दूरी पर इस नदी पर सेतु का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है।

लो० नि० वि० मैनपुरी द्वारा सिरौलिया मार्ग पर कराये गये मिट्टी के कार्य के मानक की जानकारी

81—श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में ग्राम भारौल से सिरौलिया मार्ग कब स्वीकृत हुआ था? इस पर कितने बार मिट्टी का कार्य कराया गया तथा क्या इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार हुआ है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग 19 सितम्बर, 1994 को स्वीकृत हुआ।

एक बार।

जाँच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील-अकबरपुर में ढोंस नदी के पक्के पुल को जनहित में ठीक कराने की मांग

82—श्री रामदेव आचार्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील अकबरपुर में बरियावन से पट्टी सम्पर्क मार्ग पर ढोंस नदी पर बना पक्का पुल खराब होने से जनता को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिये 5 कि०मी० के बजाय 75 कि०मी० घूमकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे जनहित में ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ। जनता को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए 35 कि०मी० घूमकर जाना पड़ता है।

प्रश्नगत सेतु के नवनिर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन शासन को प्राप्त हो गया है। निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता कर्वी जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

83—श्री ददू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-4-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वहीद बख्श अवर अभियन्ता कर्वी, जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

श्री वहीद बख्श, अवर अभियन्ता नहीं, वरन सहायक अभियन्ता हैं। प्रश्नगत शिकायती-पत्र के संदर्भ में जांच करायी जा रही है।

लो० नि० वि० आजमगढ़ के मेहनाजपुर में सड़क का पुनः निर्माण कराने की मांग

84—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में देवगांव—मेहनाजपुर मार्ग पर स्थित मेहनाजपुर कस्बे में लोक निर्माण विभाग की सड़क (लगभग एक कि०मी० लम्बी) के अत्यधिक खराब होने के कारण आवागमन दुर्लभ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के देवगांव मैहनगर मार्ग का नवीनीकरण/चौड़ा करने विषयक योजना की जानकारी

85—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में देवगाव—मेहनगर मार्ग पर अत्यधिक वाहन भार होने के कारण सड़क जर्जर है ? यदि हो, तो क्या उक्त सड़क का नवीनीकरण तथा चौड़ा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के आदेश पर महानन्द उ० मा० विद्यालय बद्दू का पुरा, इलाहाबाद के प्रबन्ध तंत्र को बहाल करने विषयक जानकारी

86—श्री जोखू लाल यादव—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के दिनांक 16-5-1996 के आदेश द्वारा महानन्द उ० मा० विद्यालय बद्दू का पुरा, हंडिया, इलाहाबाद में विद्यमान प्राधिकृत नियंत्रक की व्यवस्था को समाप्त कर कतिपय प्रतिबन्धों (शर्तों) के साथ विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को बहाल कर प्रबन्धक को प्रभार सौंप दिया गया था ? यदि हां, तो क्या विद्यालय के प्रबन्धक ने शपथ पत्र मे उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

वेतन वितरण अधिनियम-1971 की धारा 6(2) के अन्तर्गत प्रबन्ध तंत्र को नोटिस दिनांक 26-6-98 को दी गयी है। प्रबन्ध तंत्र से उत्तर प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद वि० सभा क्षेत्र प्रतापपुर में लो० नि० वि० के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने विषयक जानकारी

87—श्री जोखू लाल यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत आने वाले प्रतापपुर से उग्रसेनपुर मार्ग, फूलपुर से हनुमानगंज मार्ग एवं फूलपुर से सैदाबाद मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या इन मार्गों की मरम्मत वित्तीय वर्ष 1998-99 में करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

मार्गों की मरम्मत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

88—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—[3सरे बुधवार में अता० प्र० सं० - 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाँदा विकास खण्ड तिन्दवारी सैमरी नाले के मार्ग निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही की मांग

89—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-5-1998 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत सैमरी नाले पर बन रहे पुल के पहुँच मार्ग के निर्माण में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

तथाकथित अनियमितताओं की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही में बी० टी० सी० अध्यापकों की कमी को बी० एड० के अध्यापकों से पूरा करने विषयक उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग

90—श्री गोरख नाथ पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद में बी० टी० सी० अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पूर्ति बी० एड० के अध्यापकों से करने हेतु मा० उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आदेश का कब तक कार्यान्वयन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

91—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री, 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र, जनपद हरदोई में नगरपालिका परिषद् मल्लावां जिसकी आबादी लगभग साठ हजार है, वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना पर विचार करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव (शिक्षा) तथा उन्होंने अपने पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1990, 21 मार्च, 1990 तथा 28-1-97 द्वारा कार्यवाही करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब तक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी नहीं।

जी हां, आख्या मांगी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन की कमी के कारण।

हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की मांग

92—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राधौपुर सड़क से गढ़ी रसूलपुर होते हुए बलैहरा तक सड़क पर 12-13 वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड का डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर नहर पुल से भवन खेड़ा की सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग

93—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर नहर पुल से भवन खेड़ा होते हुए इब्राहिमपुर तक सड़क पर 10-12 वर्ष पूर्व खड़न्जा लगवाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड पर डामरीकरण का कार्य करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था करने की मांग

94—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां विधान सभा क्षेत्र, जनपद हरदोई के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या एम—3/45-7/हरदोई/96,दिनांक 18 दिसम्बर, 1996 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत सचिव, बेसिक शिक्षा ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के ग्राम कदुवारोली तक की सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग

95—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सेमरा चौराहा से सांडी सड़क से ग्राम कदुवारोली तक 7-8 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां तो उस पर कब तक डामरीकरण का कार्य करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में ऊसर सुधार निगम द्वारा स्वीकृत सड़कों आदि का निर्माण लो० नि० वि० द्वारा कराने की मांग

96—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर सुधार निगम द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत सड़क गिड़उर सम्पर्क मार्ग (ब्लाक ठेकमा) जनपद आजमगढ़ का लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण कार्य को वर्ष 1998-99 में पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक ठेकमा का गिड़उर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना नीदरलैण्ड सहायतित परियोजना "पायलट प्रोजेक्ट फार ऊसर रिक्लेमेशन इन यू०पी०" में प्रस्तावित है । उक्त परियोजना की अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति न मिलने के कारण उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सका है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

97—श्री अफजाल अहमद—

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं० 79 द्वारा उत्तरित]

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराने की मांग

98—श्री आर० के० सिंह पटेल—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में कोई महिला डिग्री कालेज नहीं है ? क्या महिला डिग्री कालेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्थापना कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

औचित्य नहीं है।

99—श्री आर० के० सिंह पटेल—[4थे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के राजकीय गोस्वामी तुलसीदास डिग्री कालेज में प्राचार्य आदि के पदों पर नियुक्ति एवं नये संकाय खोलने की कार्यवाही

100—श्री आर० के० सिंह पटेल—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर स्थित राजकीय गोस्वामी तुलसीदास डिग्री कालेज में प्राचार्य व आचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त डिग्री कालेज में कला के विषय बढ़ाने तथा विज्ञान संकाय खोलने की कोई कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में मृतक आश्रित के पुत्र श्री शिव प्रसाद को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

101—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्री प्रसाद वनरक्षक मारकुन्डी रेन्ज वन प्रभाग कर्वी,बांदा की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित नियमावली के तहत मृतक के पुत्र श्री शिव प्रसाद को नियुक्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक के आश्रित को शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जी नहीं।

श्री बद्री प्रसाद, वनरक्षक की मृत्यु दिनांक 12-9-75 को हो गयी थी। मृतक के आश्रितों द्वारा सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि (5 वर्ष) के बाद दिनांक 13-11-95 को दिया गया है, जो उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली-1993 के तहत कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रियायती अन्जुमन तरक्की उर्दू उ० प्र० द्वारा पूर्व वर्षों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

-102—श्री लालमणि प्रसाद—

क्या भाषा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रियायती अन्जुमन तरक्की उर्दू, उत्तर प्रदेश द्वारा 1989-90 के पूर्व वर्षों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के बाद क्या सरकार उक्त संस्थाओं की रोकी गयी अनुदान राशि जारी करेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं।

रोकी गयी अनुदान की धनराशि रु० 4,05,000 को पी० एल० ए० से आहरित करके रु० 30,000 की धनराशि विशेष आडिट के शुल्क के रूप में तथा शेष रु० 3,75,000 की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करायी जा चुकी है।

फैजाबाद मार्ग पर क्षतिग्रस्त पायल सेतु का निर्माण कराने की मांग

103—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा/बलरामपुर में बस्ती उतरौला मार्ग से गोण्डा-लखनऊ, अयोध्या-फैजाबाद मार्ग पर गुमड़ी घाट का पायल सेतु सितम्बर, 1997 में टूट गया था? आवागमन अवरुद्ध है? यदि हां, ता क्या सरकार गुमड़ी घाट के क्षतिग्रस्त सेतु को वित्तीय वर्ष 98-99 में निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत सेतु क्षतिग्रस्त है, परन्तु वर्तमान में उक्त मार्ग का यातायात वैकल्पिक मार्ग रेहरा-गुमड़ी से होकर जारी है।

प्रश्नगत सेतु स्थल पर वन विभाग की आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सेतु निर्माण सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वि० सभा क्षेत्र उतरौला के मार्गों एवं पायल सेतु के निर्माण में हुए फर्जी भुगतान एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

104—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत किन-किन छोटे-बड़े मार्गों पर पायल सेतु के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में मरम्मत के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया एवं किस-किस कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी थीं? क्या यह सही है कि सेतु के मरम्मत में फर्जी भुगतान किया गया है? क्या कार्यों का भौतिक सत्यापन सरकार करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

विधान सभा उतरौला में पायल सेतु की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् हैं :—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	सेतु का नाम	लाख रु० स्वीकृत धनराशि
1.	1995—96	उतरौला—फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग के कि०मी०-4 में पाइल सेतु	6.40
2.	1996—97	——	——
3.	1997—98	उतरौला—तुलसीपुर मार्ग के कि०मी०-2 में स्थित पाइल सेतु की मरम्मत।	2.20

आमंत्रिक निविदाओं का विवरण :—

क्र० सं०	कार्य का नाम
1.	उतरौला—फैजाबाद—इलाहाबाद मार्ग के कि०मी०-4 में स्थित पाइल सेतु की मरम्मत का कार्य।
(क)	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत इंडियन सालवुड की आपूर्ति।
(ख)	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत इंडियन सालवुड पाइल्स की आपूर्ति एवं एम० एस० आयरन शू, इत्यादि के लगाने का कार्य।
(ग)	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य एवं ईंट की सोलिंग का कार्य।
(घ)	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 25-40 कि०ग्रा० के जग्वा बोल्डर की पिचिंग हेतु आपूर्ति।
2.	उतरौला—तुलसीपुर मार्ग के कि०मी०-2 में स्थित पाइल सेतु की मरम्मत का कार्य।
(क)	सेतु की स्लीपर हटाने, दोबारा लगाने, सालवुड की आपूर्ति, रेलिंग का कार्य, दो काट पत्थर की एकत्रीकरण, लेपन एवं मिट्टी का कार्य।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मैदानी क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की भांति पर्वतीय क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का विनियमितीकरण न करने के सम्बन्ध में जानकारी एवं विनियमितीकरण किये जाने की मांग

105—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (मैदानी क्षेत्र) का विनियमितीकरण हुआ है? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र के 37 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का विनियमितीकरण न होने के क्या कारण हैं? इनका विनियमितीकरण कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

वर्ष 1996 के मैदानी क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का विनियमितीकरण किया गया। पर्वतीय क्षेत्र में इनकी संख्या निर्धारित कोटे जो 10% है, से पूर्व से अधिक होने के कारण विनियमितीकरण इस कोटे के विरुद्ध सम्भव नहीं हुआ। भविष्य में कोटे में उपलब्ध रिक्तियों में नियमानुसार इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीकृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर के शिक्षकों का आरक्षण रोस्टर प्रणाली के तहत की गयी नियुक्ति की जानकारी

106—श्री लालमणि प्रसाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थनगर जनपद में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकारपार में कौन-कौन से अध्यापक कार्यरत हैं? क्या इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शासनादेश के अनुरूप अम्बेडकर नगर में निर्माण कार्य आदि न कराने पर कार्यवाही

107—डा० राम बाबू हरित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या—2546 लो० नि० अनु०—11-,5 ई-72 दिनांक 23-7-1992 को 10 लाख की योजना, जनपद आगरा में रामनगर पुलिया (अम्बेडकर नगर चौक) बोदला शाहगंज मार्ग से गन्देपानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण सौन्दर्यीकरण आदि की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगी?

श्री कलराज मिश्र—

राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य यह जिला योजना में आ जाने तथा जिला योजना में प्रस्तावित न किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

फतहेपुर सीकरी मार्ग आगरा में मार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप न कराने वाले दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

108—डा० राम बाबू हरित—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग ।।, फतेहपुर सीकरी मार्ग आगरा पर वर्ष 1996-97 में मरम्मत पर कितना व्यय हुआ? क्या कार्य मानक के अनुसार न होने से यह मार्ग पुनः

जगह-जगह खराब हो गया है ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1996-97 में उक्त मार्ग पर मरम्मत पर रु० 48.22 लाख का व्यय हुआ।

जांच कराई जा रही है।

जांच आख्या पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाकान्त पाण्डेय सेवा निवृत्त शिक्षा अधीक्षक द्वारा पेंशन का भुगतान गृह जनपद से कराने की मांग

109—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाकान्त पाण्डेय सेवा निवृत्त शिक्षा अधीक्षक लखीमपुर खीरी गत एक वर्ष से बराबर प्रार्थना-पत्र देकर यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें शासनादेश के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के स्थान पर उनके गृह जनपद हरदोई से मासिक पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान कर दी जाय ? यदि हां, तो यह सुविधा उन्हें कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

दिनांक 1-7-98 से पेंशन जनपद हरदोई को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की उटंगन एवं खारी नदी के पुलों से पथकर समाप्त करने की मांग

110—श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग पर उटंगन नदी पर तथा शमसाबाद इरादत नगर मार्ग पर खारी नदी पर बने पुलों के निर्माण वर्ष से 21 मई, 98 तक वर्षवार कुल कितनी पथकर से आय दोनों पुलों से हुई है क्या सरकार उक्त दोनो पुलों पर पथकर समाप्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शमसाबाद–राजाखेड़ा मार्ग पर उटंगन नदी पर बने पुल के निर्माण वर्ष 1963-64 से 21-5-98 तक की अवधि में कुल रु० 53.98 लाख तथा इरादत नगर-शमसाबाद सेतु के निर्माण वर्ष 1967-68 से 21-5-98 तक की अवधि में कुल रु० 66.72 लाख की आय हुई है। वर्षवार विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

नियमानुसार ब्याज व अनुरक्षण व्यय सहित पुल की कुल लागत वसूल हो जाने अथवा वसूली के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पथकर वसूली समाप्त की जाती है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 171 पर।)

प्रदेश में आई० ए० एस० कैडर की संख्या एवं वर्ष 1997-98 में अतिरिक्त आई० ए० एस० पर व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

111—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई० ए० एस० कैडर के कुल कितने पद हैं? प्रदेश में वर्तमान समय में कितने आई० ए० एस० कार्यरत हैं? शासन को अतिरिक्त आई० ए० एस० अधिकारियों पर कितना धन वर्ष 1997-98 में खर्च करना पड़ा है?

श्री कल्याण सिंह—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ०प्र संवर्ग) की कुल अधिकृत संख्या-527 है।

(ख) 1-7-98 की स्थिति के आधार पर 430 अधिकारी प्रदेश शासन में कार्यरत थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1998-99 में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत संपर्क मार्गों को आच्छादित करने का लक्ष्य एवं विधायकों से भी प्रस्ताव मांगे जाने विषयक जानकारी

112—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० दीन दयाल उपाध्याय संपर्क मार्ग योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 को कितने ग्रामों को आच्छादित करने का लक्ष्य है? कुल कितने ग्राम एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में है? आच्छादित किये जाने वाले ग्राम कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं? इनके चयन का आधार क्या है? क्या विधायकों से भी इस योजनान्तर्गत प्रस्ताव मांगे गये हैं?

श्री कलराज मिश्र—

वर्ष 1998-99 में इस योजना मे आच्छादित होने वाले गांवों की संख्या का निर्धारण विचाराधीन है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 37937 गांव है।

इस योजना में आच्छादित होने वाले गांवों की संख्या के निर्धारण के उपरान्त प्रतिशत निकाला जायेगा।

पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना (आर०आई०डी०एफ०-4) में एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों का चयन करने का मानक निर्धारित किया गया है, जिनमें सम्पर्क मार्गों की अधिकतम् लम्बाई 2.00 कि०मी० या उससे कम हो, उस पर कोई पुल न पड़ता हो।

जी हां।

प्राणी उद्यान लखनऊ में बिना टेण्डर के जानवरों के बाड़े के निर्माण पर कार्यवाही की मांग

113—श्री राम सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक का शिकायती-पत्र सं०—क-2 नं० 119647 दिनांक 4-4-97 का प्राप्त हुआ है? क्या उक्त प्रकरण की जांच किसी तकनीकी विशेषज्ञ से कराई गई है? निदेशक, प्राणी उद्यान लखनऊ के कार्यकाल वर्ष 1994 से मई, 1998 तक जानवरों के बाड़ों के निर्माण में अब तक कितना धन खर्च किया गया? क्या यह सच है कि सारे निर्माण कार्य बिना टेण्डर के कराये गये हैं? क्या सरकार निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जी नहीं। मा० सदस्य के इस प्रकरण में अन्य शिकायती पत्र विभिन्न तिथियों के प्राप्त हुए हैं।

जी हां।

लखनऊ चिड़ियाघर में वर्ष 1994-95 से 97-98 तक वन्य जीव वार्डों के निर्माण पर लगभग रु 77,14,835.73 व्यय किया गया।

जी हां।

मामले में जांच करायी जायेगी।

114—श्री धीरज पाल—

[4 थे बुधवार में अता० प्र० सं० "164" के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

115—श्री राम विशुन आजाद—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा में हुए वृक्षारोपण कार्य का व्यय विवरण एवं रोपित वृक्षों में जीवित वृक्षों के प्रतिशत की जानकारी

116—श्री राम विशुन आजाद—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में वर्ष 1994 से मार्च, 1998 तक सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ है? क्या स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है तथा इन रोपित वृक्षों में कितने प्रतिशत वृक्ष अभी जीवित हैं?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उत्तर गोण्डा व दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग हैं जिसमें उत्तर गोण्डा में झझरी, करनेलगंज, परसपुर तथा दक्षिण गोण्डा में वजीरगंज, नवाबगंज, मनकापुर, बमनजोत, छपिया, पडरीकृपाल, तरबगंज बेलसर, बलरामपुर, हेरहाबाजार, गैडास बुजुर्ग, रूपईडीहा, कटराबाजार, हलधरमऊ, झझरी एवं उतरौला विकास खण्डों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत हुई :—

वर्ष	धनराशि
1994-95	20,67,000
1995-96	33,08,000
1996-97	34,40,000
1997-98	37,14,000

जी हां।

धनराशि का उपयोग कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 173 पर।)

आदर्श प्राद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सम्पूर्ण लाभ अर्जित किया जाना

117—श्री राम ललित चौधरी तथा श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्राद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा अपनी उम्र और शैक्षिक योग्यता के जाली प्रमाण-पत्रों के तहत अपनी सेवानिवृत्ति अवधि पूर्ण करने के पश्चात् भी अपने पद का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी उच्च स्तरीय जांच कराकर तत्काल इन्हें सेवामुक्त का आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

प्रश्नगत प्रधानाचार्य के उम्र एवं शैक्षिक अर्हता के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानाचार्य का वेतन भुगतान दिनांक 24-1-98 के आदेश द्वारा रोक दिया गया है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद बादशाहपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण कराने की मांग

118—श्री जोखू लाल यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से बादशाहपुर मार्ग पर स्थित फूलपुर कस्बे में पुलिया न होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या पुलिया का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इटावा के ग्राम कुतुबपुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

119—श्रीमती उर्मिला देवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भरथना जिला इटावा को अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ग्राम कुतुबपुर को सम्पर्क मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

सन्दर्भित ग्राम की आबादी 1000 से कम होने के कारण सम्प्रति स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जू० हाई स्कूल गौरीपुर जनपद सुल्तानपुर के भैरव प्रसाद तिवारी को पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान शीघ्र कराने की मांग।

120—श्री तेजभान सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, गौरीपुर, ब्लाक गौरीपुर जनपद सुल्तानपुर में चपरासी पद पर कार्यरत भैरव प्रसाद तिवारी पुत्र रामपाल तिवारी दिनांक 30.6.94 को सेवा निवृत्त हो गये हैं? उन्हें अब तक पेंशन एवं अन्य देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

पेंशन को छोड़कर अन्य सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है।

श्री तिवारी नियत वेतन पर कार्यरत थे। नियत वेतन पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमानुसार पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चन्द्र राष्ट्रीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर की प्रबन्ध समिति के सम्पन्न हुए चुनाव की जानकारी

121—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र राष्ट्रीय इण्टर कालेज गोसाईगंज, सुल्तानपुर की वर्तमान प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ था? यदि हां, तो किस वर्ष में?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

दिनांक 8-2-1996 को।

122—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

[दिनांक 30-6-98 को अता० प्र० सं० 113 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के बेरिया नजीरपुर सड़क से रामपुर महमूद तक के मार्गों का डामरीकरण कराने की मांग

123—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत बेरिया नजीरपुर सड़क से रामपुर महमूद तक 13-14 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के माधौगंज उन्नाव रोड सड़क से ग्राम पिपरावां तक की सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग

124—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत माधौगंज उन्नाव रोड सड़क से ग्राम पिपरावां तक 14-15 वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के मल्लावां—सण्डीला सड़क से हेरबल तक की सड़क का डामरीकरण कराने की मांग

125—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां—सण्डीला सड़क से हेरबल तक 16-17 वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां बांसा से खेरवा तक की सड़क का डामरीकरण कराने की मांग

126—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91—मल्लावां नि० क्षे०—जनपद हरदोई के अन्तर्गत बांसा से खेरवा तक 16-17 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के वि० सभा क्षेत्र मल्लावां के बिलग्राम जरौली नेवादा सड़क से ग्राम सढियापुर तक की सड़क का डामरीकरण कराने की मांग

127—डा० धर्मेश मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91—मल्लावां नि० क्षे०,—जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम जरौली नेवादा सड़क से ग्राम सढियापुर तक 18-19 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

शासन द्वारा डायरी, कलेण्डर छपवाने पर लगी रोक के पश्चात भी प्रबन्ध निदेशक, आई०टी०आर० कम्पनी बरेली द्वारा उक्त कार्य कराने एवं फर्जी भुगतान कराने के विरुद्ध कार्यवाही

128—डा० राम बाबू हरित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई०टी०आर० कम्पनी, बरेली के प्रबन्ध निदेशक श्री पूरन चन्द्र द्वारा कम्पनी की समस्त स्टेशनरी/डायरी, कलेण्डर आदि को अपने सगे साले (रिश्तेदार) की प्रेस मे० कुमायूं एसोसियेट हल्द्वानी से छपवा कर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है ? क्या उस समय शासन द्वारा डायरी, कलेण्डर छपवाने की रोक थी ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

समस्त स्टेशनरी/डायरी/कलेण्डर आदि की छपाई न कराकर वर्ष 1996-97 में कुल व्यय रु० 3.23 लाख में से रु० 2.79 लाख व वर्ष 1997-98 में कुल व्यय रु० 2.90 में से रु० 1.92 लाख की छपाई का कार्य कुमाऊं एसोसियेट्स हल्द्वानी से कराया गया तथा आपूर्ति की गई स्टेशनरी का भुगतान एकाउण्टपेयी बैंक ड्राफ्ट/चैक से किया गया है।

जी हां।

सभी सम्बन्धितों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त।

पं० दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना के तहत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु लगाये गये पत्थरों पर क्षेत्रीय विधायकों के नाम अंकित कराने की मांग

129—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना में जिला योजना अथवा राज्य योजना के रुपये से सड़कें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पर्क मार्गों पर लगाये जा रहे पत्थर अथवा बोर्ड पर क्षेत्रीय विधायक का भी नाम अंकित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत मार्गों का निर्माण राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

जी नहीं।

ऐसा करना उचित नहीं होगा।

स्व० भवानी पाल पाण्डे की विधवा को पारिवारिक पेंशन भुगतान कराने की मांग

130—श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा०पा० भगौतीगंज, बलरामपुर नगर क्षेत्र गोण्डा से सेवा निवृत्त हुए भवानीपाल पाण्डे निवासी ग्राम पूरे बृजलाल बासूपुर गौरीगंज, सुल्तानपुर की मृत्यु के पश्चात् इनकी विधवा श्रीमती पराना देवी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? पारिवारिक पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं।

इनके प्रकरण में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज मार्ग लुम्बिनी के बांसी से बस्ती मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने की मांग

131—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि राज मार्ग, लुम्बिनी से दुद्धि मार्ग, एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस पूरे मार्ग का मात्र एक भाग बांसी से बस्ती का नवीनीकरण नहीं किया गया है? क्या सरकार इस मार्ग का तथा बांसी से बस्ती मार्ग का नवीनीकरण इस वित्तीय वर्ष में कराये जाने पर विचार देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

बांसी से बस्ती मार्ग में 14 कि०मी० में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण है। 13 कि०मी० में नवीनीकरण अवशेष हैं।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में ककरही पुल के टोल टैक्स को वसूले जाने की जानकारी

132—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी से नौगढ़ मार्ग पर स्थित ककरही पुल का निर्माण कई वर्षों पूर्व हुआ था? यदि हां, तो क्या टोल टैक्स अब भी लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक भूतत्व एवं खनिजकर्म के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत का निस्तारण

133–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून परिक्षेत्र के उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिजकर्म जो सात वर्षों से देहरादून में ही तैनात है, के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत विभाग में कार्यवाही हेतु लम्बित हैं ? यदि हां, तो कब इन शिकायतों का निस्तारण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राणी उद्यान लखनऊ के परिसर से चन्दन के पेड़ की हुई चोरी पर कार्यवाही की मांग

134 श्री इन्द्रदेव सिंह–

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर), लखनऊ परिसर में चन्दन के कितने वृक्ष थे ? क्या यह सही है कि चन्दन के दो पेड़ कटवा दिये हैं और उसकी लकड़ी बेच दी गयी है या चोरी हो गयी है ? यदि हां, तो किसके आदेश से पेड़ कटवाये गये ? क्या सरकार चन्दन-पेड़ चोरी के आरोपी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां, लखनऊ प्राणी उद्यान परिसर में चन्दन के 9 वृक्ष थे।

दो पेड़ चोरी से काटे गये थे जिसकी लकड़ी बरामद नहीं हुई थी।

चन्दन के दोनों पेड़ चोरी से काटे गये थे।

इस मामले में दोषी पाये गये दैनिक श्रमिक को प्राणी उद्यान की सेवाओं से पृथक कर दिया गया है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की आकर्मण्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अध्यापकों को जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने की मांग

135–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में प्राथमिक शिक्षा की आकर्मण्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने कोई ठोस योजना बनायी है ? क्या सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों का स्थानान्तरण जिला के बाहर करने पर विचार कर रही है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

जी नहीं।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में रिक्त पदों पर आरक्षण पूर्ण न करने से नियुक्ति पर रोक लगाकर जांच कराने की मांग

136—श्री विजयपाल सिंह—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर एवं रीडर के रिक्त स्थानों को भरे जाने हेतु विगत दिनों पद विज्ञापित किये गये हैं? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण विधिवत पूरा न किये जाने के कारण पूर्व में भी विज्ञापित पदों पर रोक लगाई गयी थी? यदि हां, तो पुनः उक्त रिक्त पदों को विज्ञापित किये जाते समय नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियुक्तियों पर रोक लगाकर उक्त प्रकरण की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह **गौर**—

जी हां, मार्च,1998 में विज्ञापित हुए थे।

जी नहीं।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या 325/सत्तर—3-98, दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति प्रतिबंधित है। इस स्थिति से आगरा विश्वविद्यालय को 6-7-98 को पुनः फैक्स द्वारा अवगत करा दिया गया है। भविष्य में जब नियुक्तियां होंगी तब तत्समय प्रभावी आरक्षण नियमों का पूरा पालन किया जायेगा।

स्व० नि० विभाग की मृतक आश्रित नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली को अन्य विभागों में भी लागू करने की मांग

137—श्री रमेश राही—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सा० नि० विभाग द्वारा विगत वर्षों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति करने के बाद न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट पास करने के लिये तीन वर्ष का समय दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को अन्य विभागों में भी लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा परीक्षा शुल्क से अधिक धनराशि बिना रसीद के वसूलने विषयक जानकारी

138—श्री समरपाल सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद हरदोई के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त प्रति छात्र 5 रुपया (पांच रुपया) प्रत्येक पाठशाला से वसूल किया गया है? यदि हां, तो किस मद में? उस मद की अतिरिक्त धन प्राप्ति की कोई रसीद दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में बिना शिक्षा समिति के अनुमोदन के कथित प्राथमिक विद्यालयों का अवैध निर्माण एवं शिकायत पर कार्यवाही की मांग

139—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी में ग्राम शिवपालपुर, उमरीहार व ग्राम तोलकपुर एवं ग्राम वीरपुर ब्लाक जागीर, जनपद मैनपुरी में बिना शिक्षा समिति के अनुमोदन के वर्ष 1996-97 में प्राथमिक विद्यालय बनवाये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि इन विद्यालयों के अवैध निर्माण किये जाने की शिकायतें प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, मैनपुरी बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सचिव, उ०प्र० शासन को वर्ष 1997 में कई बार की ? यदि हां, तो शिकायतों के बाद शासनादेश के उल्लंघन का दोषी कौन है ? क्या इस संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां ।

शासनादेश संख्या—325/15-5-97—313/96 दिनांक 22-1-97 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मैनपुरी के अनुमोदन से भवन निर्माण कराया गया ।

जी हां ।

कोई नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप जिलाधिकारी नवाबगंज बरेली द्वारा अल्पसंख्यक प्रा० विद्यालय के भवन का निर्माण करवाने की मांग

140—मा० छोटे लाल गंगवार—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी नवाबगंज बरेली द्वारा अल्पसंख्यक प्रा० विद्यालय केलाड़ाड़ी हेतु गाटा सं०—280 नियत की है ? क्या राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि गाटा संख्या—280 विद्यालय के नाम दर्ज हैं ? यदि हां, तो अब तक भवन निर्माण क्यों नहीं कराया है ? सरकार इस प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कब तक करा देगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां ।

जी हां ।

पूर्व निर्धारित भूमि गाटा संख्या-149 का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण गाटा संख्या-280 में भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ।

राम गंगा कमाण्ड इकाई जनपद जालौन द्वारा ग्रामों में सिंचाई नालियों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग की जांच की मांग

141—श्री श्रीराम पाल—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में रामगंगा कमाण्ड इकाई द्वारा खण्ड विकास कदारा के ग्राम काशीरामपुर, बरदोली, लुहरगांव तथा आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई नालियों के

निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके आगणन के अनुसार धनराशि खर्च नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त इकाई द्वारा गत वित्तीय वर्ष व वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों की टी०ए०सी० जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी नहीं। जनपद जालौन म रामगंगा कमाण्ड इकाई द्वारा विकास खण्ड कदारा के ग्राम काशीरामपुर, बरदोली, लुहरगांव तथा आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई नालियों के निर्माण में मानक सामग्री का ही प्रयोग किया गया है तथा अनुमोदित आगणन के अनुसार ही धनराशि खर्च की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लो० नि० वि० जालौन द्वारा बिना टेण्डर आमंत्रित किए कराये गये कार्यों एवं अनियमितताओं की जांच कराने की मांग

142—श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में कार्यरत लोक निर्माण विभाग इकाई खण्ड प्रथम, द्वितीय व तृतीय द्वारा वर्ष 1997-98 में सड़कों तथा अन्य कार्यों के निर्माण में टेण्डर आमंत्रित न करके 25 से लेकर 30 लाख रुपये लागत के कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों से अनुबन्ध के आधार पर टुकड़ों-टुकड़ों में कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त इकाइयों द्वारा की गयी इस अनियमितता तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में मल्लावां उन्नाव रोड से तेजीपुर तक सड़क का डामरीकरण कराने की मांग

143—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां उन्नाव रोड से तेजीपुर तक 15-16 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में मल्लावां के बिलग्राम रजवहा से ग्राम बलेन्दा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

144—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91—मल्लावां नि० क्षे० जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम रजवहा से ग्राम बलेन्दा तक 14-15 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में मल्लावां के ग्राम कटिया भिखारीपुर से नसीरपुर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

145—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कटिया भिखारीपुर से नसीरपुर तक 14-15 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में मल्लावां के ग्राम बैकरिया तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

146—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91—मल्लावां नि० क्षे० जनपद हरदोई के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बिलग्राम के ग्राम बैकरिया तक सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में मल्लावां के सण्डीला मार्ग से बांसा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

147—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 13-14 वर्ष पूर्व मल्लावां–सण्डीला मार्ग से निर्मल नगर से मझिगांव होते हुये बांसा तक सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर डामरीकरण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

भगौसा खड़ंजा निर्माण के सम्बन्ध में विधायक श्री अजय कुमार पोइया के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगौसा खड़ंजा निर्माण के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम—3/8876/मथुरा/98, दिनांक 8-4-98 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रबन्धक ए०एच० कालेज मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के द्वारा नियुक्तियों में विभागीय नियमों का पालन न करने पर कार्यवाही।

149—श्री तेजभान सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक ए०एच० इण्टर कालेज मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ने वर्ष 1997-98 में अध्यापकों, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्तियां विद्यालय में की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों में विभागीय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अवैधानिक तरीके से की गयी नियुक्तियों को निरस्त करते हुए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जांच कराई जा रही है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच आख्या प्राप्त होने पर जांच के तथ्यों के आधार पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

150—श्री बांके लाल सोनकर—

[3 सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

151—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी —

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा वि० खण्ड मनकापुर गोपाल मार्ग में मिट्टी लेपन कार्य में अभियन्ता द्वारा मानक के अनुसार कार्य न कराने पर कार्यवाही

152—श्री राम विशुन आजाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में वर्ष 1997 98 में अम्बेडकर ग्राम महेवा गोपाल मार्ग को मिट्टी से लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने हेतु शासन द्वारा

कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या सम्पर्क मार्ग पर संबंधित अभियन्ता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य न करवाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार टी० ए० सी० जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

आयुक्त फैजाबाद के आदेश दिनांक 15-3-97 द्वारा रु० 12.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

जांच कराई जा रही है।

जांच के परिणाम पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा वि० खण्ड छपिया "श्रवण पाकर" तीर्थ स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु शासन की विचाराधीन योजना को आरम्भ कराने की मांग

153—श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में "श्रवण पाकर" तीर्थ स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वि० खण्ड भदपुरा ग्राम बरखन में उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना।

154—डा० छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरखन विकास खण्ड भदपुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त मुकदमें में पक्षकार हैं और न्यायालय द्वारा दिनांक 19-3-98 का स्थगन आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर विद्यालय के खाते से धन निकलवा कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवा दिया है ? क्या सरकार ऐसे मनमानी करने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लो० नि० वि० लखनऊ में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध उसी खण्ड में स्थानान्तरण करने के कारणों की जानकारी

155—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में स्थानान्तरण नीति के तहत 7 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कितने ऐसे कनिष्ठ लिपिकों को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लखनऊ से कार्यकारी अकार्यकारी खण्ड में स्थानान्तरित किया गया था ? क्या यह सही है कि उनमें से कुछ कनिष्ठ लिपिकों को उसी वर्ष पुनः स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध उसी खण्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

प्रान्तीय खण्ड लखनऊ में 7 वर्ष पूर्ण करने वाला कोई कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध नहीं था परन्तु स्थानान्तरण नीति वर्ष 1996-97 के आधार पर दो कनिष्ठ लिपिक स्थानान्तरित किये गये।

एक कनिष्ठ लिपिक का पुनः समायोजन इस खंण्ड में किया गया।

शासकीय हित में।

राज्य कर्मचारियों के समान बेसिक शिक्षा कर्मचारियों/अध्यापकों को पेंशन एवं देयों का लाभ देने विषयक जानकारी

156—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के समान ही बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन देय है ? यदि हां, तो क्या इसका पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत मार्गों के चयन हेतु क्षेत्रीय विधायकों के सहयोग के सम्बन्ध में जानकारी

157—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना लागू करने का शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां तो इस योजना के अन्तर्गत किस आधार एवं किसके प्रस्ताव से मार्गों का चयन किया जाता है ? क्या यह योजना क्षेत्रीय विधायक के सहयोग से तैयार की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कार्य कराया गया है ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना में एक हजार से अधिक आबादी के उन ग्रामों का चयन किया जाता है, जिनके सम्पर्क मार्गों की लम्बाई दो किमी० अथवा उससे कम है तथा उस पर कोई पुल नहीं पडता हो। इस आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जनपद गोण्डा/बलरामपुर के वि० खण्ड श्रीदत्तगंज आदि में अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने एवं उनमें की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

158—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गोण्डा/बलरामपुर के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 व 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र उतरौला विकास खण्ड श्रीदत्तगंज/उतरौला/गैडास बुजुर्ग में अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत तथा क्या सभी केन्द्रों पर नियुक्तियां की गयी हैं? कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

वर्ष 1995-96 में 92 एवं वर्ष 1996-97 में 208 अर्थात कुल 300 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं।

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

ग्राम पंचायतवार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं उन पर चयनित सभी अनुदेशकों की सूची संलग्न हैं।†

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कुल रू० 21.15.000.00 की धनराशि व्यय की गयी।

जनपद बलरामपुर के वि० खण्ड श्रीदत्तगंज आदि में प्रा० पाठशाला/जू० हाई स्कूलों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की मनमाने ढंग से की गयी नियुक्ति पर कार्यवाही

159—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत श्रीदत्तगंज/उतरौला/गैडास बुजुर्ग में वर्तमान में कौन-कौन प्राइमरी पाठशाला कन्या प्राइमरी पाठशाला/जूनियर हाई स्कूल संचालित किये जा रहे है? क्या उक्त पाठशालाओं में छात्र के 1.40 अनुपात में अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी है? यदि नही, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त जनपद में छात्रों के अनुपात के अनुसार नियुक्तियां न करके मनमाने ढंग से नियुक्तियों की गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

विकास खण्डवार विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की कमी है। मानक के अनुरूप रिक्त पदों के प्रति नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

आजमगढ़ में वन विभाग के निरीक्षण गृह की संख्या एव देवगांव के निरीक्षण गृह में रख-रखाव एवं सुधार की व्यवस्था की मांग

160—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में वन विभाग के कुल कितने निरीक्षण गृह हैं? क्या सरकार आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर देवगांव के पास स्थित निरीक्षण गृह के रख-रखाव तथा सुधार की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

आजमगढ़ जनपद में वन विभाग का कोई निरीक्षण गृह नहीं है।

आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर देवगांव के पास एक टूरिंग आफीसर क्वार्टर स्थित है। वर्ष 1997-98 में इसके सुधार एवं रख-रखाव का आंशिक कार्य किया गया है और अवशेष कार्य 1988-89 में करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

161—मा० छोटे लाल गंगवार—

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं०-64 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ रा० इण्टर कालेजों में विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने की मांग

162—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ स्थित रा० इं० कालेजों में विज्ञान वर्ग के कुल कितने प्रवक्ता के पद रिक्त हैं? क्या इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ में रा० इं० कालेजों में विज्ञान वर्ग के कुल 68 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। इन पर नियुक्ति की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर ली जायेगी।

163—श्री हरदेव सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद जौनपुर में नहर की पटरियों पर मार्ग बनाने एवं उस पर हुए व्यय का विवरण

164—श्री जगदीश नारायण मुन्ना—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में नहर की पटरियों पर मार्ग बनाने का कार्य किस-किस विधान सभा क्षेत्र में हो रहा है? उसमें कुल लम्बाई क्या है तथा कितना धन खर्च हो रहा है? जिला अभिकरण ने उस पर अब तक कितना धन व्यय किया है?

श्री कलराज मिश्र—

जनपद जौनपुर में विधा सभा क्षेत्र मछियाहूँ एवं बरसड़ी में नहर पटरी को पक्का करने का काम किया जा रहा है।

कुल लम्बाई 28.16 किमी० है, एवं इस हेतु रु० 180.22 लाख का व्यय अनुमानित है।

लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु जिला अभिकरण से प्राप्त रु० 31.35 लाख का व्यय किया गया है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में प्रवक्ता/चिकित्सक आदि की नियुक्ति बिना वेतन भुगतान एवं आरक्षित कोटा पूर्ण करने के लिए चयन समितियों में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने तथा आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

165—श्री चेतराम—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में वर्ष 1984 में कितने प्रवक्ता, सहायक आचार्य सह आचार्य तथा बिना भुगतान के प्रवक्ता अंशकालीन प्रवक्ता एवं अन्य चिकित्सक नियुक्त किये गये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के थे ? क्या चयन समितियों में उक्त वर्ग के अधिकारी थे ? क्या भविष्य में कोटा पूरा होने तक उक्त वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से करायेंगे ? क्या सरकार शासनादेशों के अनुसार चयन समितियों में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करायेगी एवं आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पौड़ी के बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर करने की जांच की मांग

166—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर सितम्बर से नवम्बर,1997 तक की नियुक्ति में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कितने मामलों में ? क्या इन फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति की जांच की जायेगी और नियुक्ति अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

22 अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्त हुए थे जिनकी सेवाएं समाप्त करके उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है।
जांच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रश्न नहीं उठता।

लो० नि० विभाग अल्मोड़ा तह० रानीखेत चिकिया सैंण-वेल्टी विनायक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

167—मा० छोटे लाल गंगवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री इन्द्रजीत सिंह (अनुसूचित जाति) अवर अभियन्ता जनपद अल्मोड़ा रानीखेत तहसील में चिकिया सैंण-वेल्टी विनायक मोटर मार्ग के निर्माण में भूमि अर्जन में अनियमितता के आरोप में प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार दिनांक 30 मार्च, 1988 को निलम्बित किये गये थे ? क्या यह सही है कि इसी मामले में निलम्बित अन्य कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है ? किन्तु लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त अवर अभियन्ता को न

तो बहाल किया जा रहा है और न ही उन्हें नियमानुसार 3/4 वेतन भत्ता ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त अभियन्ता की पत्नी श्रीमती राधा आर्या का प्रार्थना-पत्र विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू के उपरिपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1997 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

श्री इन्द्रजीत सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच आख्या प्राप्त हो गयी है और उस पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं। श्री सिंह दिनांक 12-5-95 से जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही जीवन निर्वाह भत्ता बढ़ाकर 3/4 करने के लिए उनका आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

मा० विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय का पत्र दिनांक 5-8-97 को प्राप्त हुआ है लेकिन उसके साथ श्रीमती राधा आर्या का प्रार्थना-पत्र संलग्न नहीं है।

मा० विधायक के पत्र के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहा० अध्यापिकाओं को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री अजय कुमार पोइया के पत्र पर कार्यवाही

168—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 6 जनवरी, 1998 को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ।

सम्बन्धित अध्यापिका विनियमितीकरण की परिधि में नहीं आती है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

169—श्री राम कृपाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मा० उत्तरांचल विकास मंत्री का दिनांक 25-3-1998 का पत्र एवं संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ सितानस्यूं पौड़ी गढ़वाल को अनुदान देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

170—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मा० उत्तरांचल विकास मंत्री के पत्र दिनांक 25-3-1998 जो माननीय शिक्षा मंत्री को संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ सितान्स्यूं पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत विद्यालय का अनुदान स्वीकृत हुआ ? यदि नहीं, तो प्रकरण पर क्या कार्यवाही चल रही है ? उक्त विद्यालय को अनुदान कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ।

अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद हरदोई के वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम बावट मऊ मढ़िया को अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित कर मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

171—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम बावट मऊ मढ़िया को अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को सम्पन्न करने हेतु शासन ने उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा है? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में जिलेवार रा० उ० मा० विद्यालयों/कालेजों में प्रवक्ता/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

172—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में रा० उ० मा० विद्यालय, इण्टर कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जिलेवार किन-किन रा० उ० मा० विद्यालयों, इण्टर कालेजों में एल० टी० ग्रेड प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? क्या सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां होंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी के ग्राम टेरा ब्लाक हरख आदि के मार्गों को ठीक कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

173—श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में बाराबंकी जैदपुर रोड से ग्राम टेरा ब्लाक हरख को ग्राम जहीरउद्दीनपुर होकर जाने वाली सड़क पर लगभग दो वर्षों से केवल बजरी व पत्थर ही पड़ा है? क्या इस कारण उस सड़क पर चलना असम्भव हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा उक्त सड़क ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, मार्ग पर बजरी व पत्थर को एकत्र करने के साथ-साथ मिट्टी का भी कार्य कराया गया है।

मार्ग कच्चा होने के कारण यातायात में असुविधा है।

जाँच करायी जा रही है। मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में जाँच के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और सदन के वैल में आ गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कानून की दुहाई देने वाली यह सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। (व्यवधान)

एक महिला को नंगा कर, घुमाया गया। (व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं पहले नियम 301 को ले रहा हूँ। आज दिनांक 7 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल सूचनायें 18 प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी।

श्री हरबंश कपूर, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री विजय पाल सिंह, श्री कृपा शंकर सिंह, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री राम पाल वर्मा, श्री अजय भट्ट की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।

श्री इन्द्रजी सरोज, श्री जगदीश नारायण की सूचनायें प्रतीक्षा सूची में और श्री मुरलीधर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री लाल सिंह वर्मा, श्री कौकब हमीद एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री अजय कुमार पोइया, श्री काशीनाथ, श्री राम नक्षत्र, श्री दिलीप कुमार वर्मा और श्री लालजी वर्मा की ये सभी सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद देहरादून इन्नामुल्लाह बिल्डिंग नया नगर में चल रहे अवैध बूचड़खाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री हरबंश कपूर–**

[मान्यवर, देहरादून नगर के नया नगर में इन्नामुल्लाह बिल्डिंग में गत कुछ वर्षों से चल रहे अवैध बूचड़खाने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

इन्नामुल्लाह बिल्डिंग नया नगर देहरादून नगर के सबसे अधिक घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है। घनी आबादी वाले इस आवासीय क्षेत्र के बीचो-बीच कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से एक बूचड़खाना चलाया जा रहा है। इस बूचड़खाने को चलाये जाने के लिये जिला प्रशासन या नगरपालिका परिषद् से कोई विधिवत् रूप से अनुमति नहीं ली गयी और न ही किसी अन्य सक्षम विभाग से कोई लाइसेंस आदि प्राप्त किया गया। बूचड़खाने में काटे जाने वाले पशुओं का कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जाता है पशुओं

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को काटे जाने के समय पशुओं की चीत्कार से वातावरण कांप जाता है और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए वहां पर रहना दूभर हो रहा है। मात्र यही नहीं मोहल्ले से गुजरने वाली नालियों एवं इन नालियों से जोड़ी जाने वाली अन्य नालियों में पशुओं का खून बहता रहता है जो भयावह दृश्य उत्पन्न करता है।

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत व्याप्त पेयजल संकट का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न है पर्वतीय अंचलों से लेकर प्रदेश के जनपदों में करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी पेयजल संकट सर्वत्र बना हुआ है। प्रदेश में चालीस फीसदी हैण्ड पम्प बेकार पड़े हुए हैं, अभी हाल ही में पानी दिलाने हेतु हाई कोर्ट ने अपनी सुनवायी के दौरान महाप्रबन्धक, जल संस्थान इलाहाबाद को कोर्ट में रहने का निर्देश दिया था तथा खराब हैण्डपम्प व ट्यूबवेलों को एक सप्ताह में सुधरवाने हेतु निर्देशित भी किया था, जनपद हरदोई में हरदोईवासियों को जरूरत का आधा ही पानी मिल पा रहा है, यही हाल 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र का भी है, छह सौ पचास मजरोंएवं एक सौ पचास ग्राम पंचायतों वाले इस क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न है तथा तीन नगरपालिकाओं वाला क्षेत्र त्राहि-त्राहि कर रहा है उक्त क्षेत्र के चालीस फीसदी हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं।

अतः पेयजल संकट निदान हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर वार्ड में एक-एक इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाया जाय तथा नगर पंचायत माधोगंज एवं कुरसठ के हर वार्ड में दो-दो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जाय तथा साठ हजार की आबादी वाली नगरपालिका परिषद् मल्लावां के हर वार्ड में कम से कम दस-दस हैण्ड पम्प लगवाये जायें तथा साठ हजार की आबादी वाली नगरपालिका परिषद् बिलग्राम के हर वार्ड में दस-दस इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाये जायें। पेयजल हेतु पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है तथा समाचार पत्रों में भी चर्चायें आ रही है लगातार सूचनायें सरकार को प्राप्त हो रही हैं फिर भी सरकार इस भयंकर समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है और जनता को दूषित पानी पीने को बाध्य कर रही है। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। अतः सदन के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है, सदन की सभी कार्यवाहियों को रोककर चर्चा कराया जाना आवश्यक है, जिससे जनता को शुद्ध एवं आवश्यकतानुसार पेयजल प्राप्त हो सके।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत वन गायों से क्षेत्र के पीड़ित किसानों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र फतेहाबाद में यमुना व उटंगन नदी के मिलाप पर बिहड़ों में सैकड़ों की तादाद में वन गाय रहती है जो कि वहां निवासित किसानों की खड़ी फसले सैकड़ों एकड़ बरबाद हो जाती है अथवा जान माल का प्रतिवर्ष नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति जर्जर हालत हो जाने से उक्त गायों से तंग आ चुके हैं। जिला प्रशासन आगरा से कई बार कहा गया है कि इन गायों को पकड़वाकर कहीं अन्यत्र छोड़वाया जाय मगर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। उटंगन नदी के बिहड़ों की सीमा पर तार लगाकर भी किसानों को राहत दिलायी जा सकती है जबकि ऐसा भी न हो पाने से किसानों में भारी हताशा व निराशा है। शासन को भी राजस्व की हानि हो रही है। अतः आपसे अपेक्षा करता हूं कि वन गायों से क्षेत्र के पीड़ित किसानों को राहत दिलाये जाने हेतु कोई व्यवस्था करने का कष्ट करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में डिग्री कक्षाओं में प्रवेश के समय इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों को मेरिट बनाते समय कोई महत्व न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह–

[मान्यवर, विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेजों में डिग्री कक्षाओं में प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं किन्तु इनकी मेरिट बनाते समय इण्टरमीडिएट के अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है जिससे छात्रों एवं अभिभावकों में इण्टरमीडिएट के परीक्षा परिणाम एवं डिग्री प्रवेश परीक्षा परिणाम के प्रति घोर असन्तोष हो रहा है क्योंकि प्रथम श्रेणी का उत्तीर्ण छात्र किन्हीं कारणों से डिग्री परीक्षा में प्रवेश से वंचित हो जाता है और इसके विपरीत तृतीय श्रेणी का उत्तीर्ण छात्र प्रवेश प्राप्त कर लेता है वर्तमान परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं डिग्री की प्रवेश परीक्षा परिणाम पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं इस कारण छात्रों एव अभिभावकों में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बनाये रखने की दृष्टि से डिग्री कक्षा में प्रवेश परीक्षा परिणाम बनाते समय इण्टरमीडिएट के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय होने के कारण सम्मानित सदन के समक्ष उठाने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।]

जनपद कौशाम्बी के ब्लाक कक्ष देवीगंज बाजार में पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू कौशाम्बी में ब्लाक कक्ष देवीगंज बाजार में पेयजल पानी की टंकी बनाना अति आवश्यक है क्योंकि देवीगंज के अन्तर्गत 10 हजार आबादी गांवों से जुड़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सरकार द्वारा पानी की टंकी बनवाने हेतु आदेश करें। जनहित में लाभदायक होगा।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां में स्थित हत्याहरण तीर्थ के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम पाल वर्मा–

[मान्यवर, विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध करना है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड कोथावां में हत्याहरण तीर्थ नामक एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर यह तथ्य सत्य लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने रावण वध करने के पश्चात् उक्त हत्याहरण तीर्थ में स्नान करके स्वयं को पाप मुक्त किया था, तभी से इस तीर्थ का नाम हत्याहरण तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ की महत्ता इतनी है कि यह चक्र तीर्थ नैमिषारण्य से मात्र 15 किमी० की दूरी पर स्थित है तथा भाद्र पक्ष के हर रविवार को दशहरा व अमावस्या के अवसर पर विशाल मेला लगता है तथा भारतवर्ष व प्रदेश के कोने-कोने से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, किन्तु खेद है कि पर्यटन विभाग द्वारा हत्याहरण तीर्थ के विकास व सौन्दर्यीकरण पेयजल की समस्या की ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। जिससे इस धार्मिक ऐतिहासिक स्थल की उपेक्षा से श्रद्धालुओं में सरकार के प्रति क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्रान्तर्गत खाद्य तेलों की कीमत नियंत्रित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

[मान्यवर, पूरे उत्तर में खाद्य तेलों के भाव में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2 महीने के अन्दर जिस तरह से खाद्य तेलों की कीमत बढ़ी है, उससे आम आदमी परेशान है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इस मूल्य वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ा है। प्रति किलोग्राम खाद्य तेल 58 रुपया (अट्ठावन) एवं 60 रुपया (साठ) रुपये बिकने से चारों ओर असंतोष है, तथा जनता आक्रोशित है।

अतः रानीखेत क्षेत्र में खाद्य तेलों की कीमत को नियंत्रित करने हेतु एवं अचानक बढ़ी इस कीमत को कम करने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं खाद्य मंत्री जी के वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

सहकारिता मंत्री द्वारा 5 जुलाई, 1998 को सरस्वती शिशु मन्दिर के मण्डप में प्रदेश की हजारों समितियों में एक प्रशासक और तदर्थ कमेटियां बनाने के निर्णय की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7-7-98 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई :–

श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, की मा० सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 1998 को सरस्वती शिशु मंदिर के मण्डप में प्रदेश की हजारों समितियों में एक प्रशासक और तदर्थ कमेटियां बनाने के निर्णय की घोषणा के बारे में है। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसे अस्वीकार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 1998

(व्यवधान)

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :–

(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 6 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि–

(2) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 6 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

(व्यवधान)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4, 5, 6, 7 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक 1998 †

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित करता हूँ।

नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य एवं शलाका के आधार पर चयनित नियम-56 की सूचनाओं को स्वीकार किये जाने का निर्णय

(सदस्यों के अपने स्थान पर जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमारी सूचना ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनायें नियम के अन्तर्गत आयी हैं, अगर वह नियम के अन्तर्गत अनुमन्य हैं तो वही ली जायेंगी, शेष को नहीं लूँगा।

माननीय मौर्य जी, जो सूचनायें नियम-56 में आयी हैं। वह शलाका में आ जायगी तो पहली 5 सूचनाओं पर जरूर सुनूँगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

नियमों को तोड़कर सदन का कार्यवाही नहीं चलेगी। मान लीजिए आपकी सूचना शलाका में आ गयी, लेकिन अगर नहीं आयी होगी तो आप परसों दे दीजिएगा। जब एक नियम बन गया है कि नियम-56 की सूचनाए शलाका के आधार पर स्वीकार होंगी तो फिर उपयुक्त होगा कि नियमों के अन्तर्गत सूचना आप दे दें। आज आपकी सूचना न आ पायी हो तो परसों आप फिर दे दीजिए।

---

† विलोक 15.7.98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम ललित चौधरी–

प्रदेश में जघन्य हत्यायें हो रही हैं, कोई विषय शलाका में न आ पाये तो कैसे काम चलेगा। ऐसी सूचनाओं पर आप अपने विवेक से काम करें।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार एक तो मैं चयन करता हूँ, शेष शलाका के आधार पर आती हैं। अनेक मा० सदस्य ऐसे हैं जिनकी सूचनाएं नहीं आती हैं, शलाका में वह फिर दे देते हैं कभी न कभी आ जाती हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं यह आपकी परिधि में आती है।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम-56 में जो शलाका में आ गयी हैं उनको समाप्त हो जाने दीजिए उन पर माननीय सदस्यों के विचार आने दीजिए।

नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित किये जाने का निर्णय

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए 311 में मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें। इधर मैं एक प्रवृत्ति देख रहा हूँ माननीय सदस्य कुछ सूचनाएं नियम-311 में दे देते हैं, कुछ नियम-56 में देते हैं। नियम-311 सदन में कोई कार्य हो रहा है उसके संबंध में होता है। नियम-311 की सूचना सब्सटेंटिव मोशन तो नहीं हो सकती। सदन के समक्ष कोई कार्य हो रहा है। उस समय अनुरोध किया जाता है कि 311 के अन्तर्गत नियमों को निलंबित करके कार्यवाही की जाये। मैं देख रहा हूँ कि 311 के अन्तर्गत सब्सटेंटिव मोशन चले आ रहे हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक बोलने का मौका मिल जाय लेकिन नियमों को इतना शिथिल कर दिया जाय कि यहाँ का कार्य विनियमित न हो सके तो कठिनाई हो जायेगी। मैं नियम-311 की सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर देता हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों की सूचनाएं आ जाती है और जो नहीं आती हैं वह अगले दिन दे दें, कभी न कभी आ जायेंगी। हम सब शान्तिपूर्ण वातावरण में अपनी बात कहने के लिए और दूसरे की बात सुनने के लिए उपस्थित हैं। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो आपकी सारी बात आ जायेगी और दूसरे पक्ष की सारी बात आ जायेगी उसके बाद कोई निर्णय या व्यवस्था हो जाये।

* श्री प्रमोद कुमार–

इसमें कोई बहुत असमंजस और असुविधा की स्थिति नहीं है, एक प्रश्न ला एण्ड आर्डर का सपा की ओर से आया और दूसरा माननीय मौर्या जी ने उठाया कि एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसकी हत्या कर दी गयी। माननीय चौधरी जी, माननीय शिवपाल जी, माननीय मौर्या जी, माननीय बरखूराम जी अपने विचार रख लें और उसके बाद हमारे विचार सुन लें दोनों तरफ की बात आ जायेगी। दोनों विषय ला एण्ड आर्डर के हैं। जैसा कि आपने 311 की बात कही पहले 311 अलग से सुना जाता था और नियम-56 पर अलग से सुना जाता था, आपको उस परम्परा का पालन करना चाहिए।

---

* अध्यक्ष ने चयन का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

पहले 311 के प्रस्ताव अपवाद स्वरूप आते थे साल में एक-दो प्रस्ताव आते थे। अब नियम-311 की सूचनाए रोज आने लगी है। हम तो पुरानी परम्परा को पालन करने के लिये आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर 1991 में जब आप स्पीकर थे तब आप ही कहा करते थे कि 311 की सूचनाओं के बारे में कि सब विरोधी दल मिलकर तय कर लें तो मैं सुन लूँगा।

श्री अध्यक्ष–

अब रोज दस आती हैं तो मैं भी असहाय हो जाता हूँ।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह परम्परा आपने ही डाली थी।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं तो यह कह रहा था कि जब सूचनाओं का विषय एक सा है तो आप श्री अम्बिका जी, मौर्या जी को सुन लीजिये, फिर हमको भी सुन लीजियेगा।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, तीन चार माननीय सदस्यों को सुन लेगें। पहले मैं सूचनाओं के बारे में पुकार तो लूँ। आज दिनांक 7-7-98 को नियम-311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम पाँच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। पहली सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम औतार शाक्य, श्री उदयराज यादव, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, डा० बकार अहमद शाह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री ओंकार सिंह यादव की है। इस विषय पर दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है। मेरा अनुरोध है कि 3/4 सम्मानित सदस्य आपस में तय कर लें। यह ऐसा विषय नहीं है कि सभी माननीय सदस्य बोलें। मेरा अनुरोध यह भी है कि अपनी बात सुनने के पश्चात् जो भी उत्तर संसदीय कार्य मंत्री दें, उसको भी सुन लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और समाजवादी पार्टी के चुने हुए जन प्रतिनिधियों की लगातार हत्या की जा रही है। श्रीमन्, कल दिनांक 6-7-98 को बदायूँ जनपद के गुन्नौर में श्री राम निवास, ब्लाक प्रमुख की सुबह 7 बजे, वह पूजा करने जा रहे थे, सरे आम अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है। मान्यवर, इतना ही नहीं 7-8 महीने पहली श्री राम निवास के घर पर उनके लड़के का सरे आम अपहरण करने यह अपराधी गये थे और पूरा-पूरा प्रयास भी किया था। श्री राम निवास ने वहीं के एक अपराधी सोहन लाल गुन्डा को मौके पर ही मारा भी गया था फिर भी उसने बार-बार जिला प्रशासन से और इस प्रदेश की सरकार से लगातार अपनी सुरक्षा की माँग की, परन्तु इस झूठी सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी और जब हम लोगों ने प्रयास किया तो थोड़े दिन के लिये सुरक्षा दे दी और बार-बार सुरक्षा तोड़ने

का काम किया। गुन्नौर से तीन किलोमीटर की दूरी पर वहाँ के प्रधानाध्यापक श्री लाला राम की सरे आम अपराधियों ने हत्या कर दी। अगर इन हत्यारों के प्रति प्रभावशाली कार्यवाही हो जाती और इनका मनोबल तोड़ दिया जाता तो श्री राम निवास की हत्या नहीं होती। इतना ही नहीं मान्यवर, आज समाजवादी पार्टी के एम०एल०ए० तक को धमकियाँ दी जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों को धमकियाँ दी जा रही है, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों को भी धमकी दी जा रही है। मान्यवर, इस सरकार का पूरा-पूरा षड्यंत्र है कि समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेताओं, एम०एल०ए० और सारे प्रत्याशी लोगों की क्रमवार हत्या करा दी जावे। यह सरकार बिल्कुल सम्वेदनशील नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग तमाम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं बार-बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ लेकिन इस सरकार के कानों में जूँ नहीं रेंग रही है। यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि वहाँ सम्भल से पूर्व रक्षा मंत्री मेम्बर बने हुए हैं। तब से इन्होंने तय कर लिया है, वहां की जनता का मनोबल तोड़ा जाय और समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल तोड़ा जाय।

मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर, इस पर गम्भीरता से चर्चा कराई जाय। मेरी मांग है, इस ब्लाक प्रमुख के परिवार के लोगों को कम से कम पांच लाख की मदद की जाय। इसके परिवार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं, उनको अवसर नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है

श्री अध्यक्ष–

जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं, उनको समय नहीं दिया जायेगा।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिस मुद्दे पर माननीय शिवपाल जी ने इस आदरणीय सदन में बात रखी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हत्या के संबंध में। मान्यवर, यह सरकार और जो यह घटना हुई है उसके बारे में कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लोकसभा क्षेत्र में बदायूं का हिस्सा आता है। यह सरकार पूरे देश और प्रदेश में यह संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए एवं समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, जब तुम्हारे नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा सकते हैं, तो समय रहते समाजवादी पार्टी को छोड़ दो। यह सरकार की सोची समझी रणनीति का अंग है। माननीय शिवपाल जी बोल रहे थे। इनके ऊपर भी बहुत सख्त संकेत हैं जिसको इन्होंने नहीं कहा। इनकी सुरक्षा हटायी गयी है, कम की गयी है। जिसको इन्होंने आपके सामने नहीं कहा। इस सरकार को आये हुए 9 महीने हो गये। इस नौ महीने में समाजवादी पार्टी के 250 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गयी। अभी बदायूं में हुई, हमारे क्षेत्र में सहदेव नामक व्यक्ति मारा गया।

श्री अध्यक्ष–

विषय पर बोलें।

श्री अवधेश प्रसाद–

आज की घटना बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना में पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गयी है। कटघरे में इसलिए खड़ी हो गयी है क्योंकि जिस ब्लाक प्रमुख की हत्या हो गयी है उसके लिए इस बात की प्रार्थना की गयी थी, इस बात की मांग की गयी थी कि उसकी जान को खतरा है। उसको सुरक्षा दी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। बीच में उसकी सुरक्षा कम कर दी गयी। जिसकी परिणति यह हुई कि उस नौजवान, जिसकी उम्र 25-30 वर्ष थी, का परिवार अनाथ हो गया। साथ ही पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर असर पड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा गिर रही है। इस प्रतिष्ठा को गिराने के लिए इस सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत यह घटना कराई है। जिससे यह संदेश मुरादाबाद, सम्भल, बदायूं में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जायेगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की खैर नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं, आज स्थिति बहुत विस्फोटक है। आज यह सरकार कटघरे में है। आज अपराधी इनकी साया में जी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। यह सिलसिला लोकतंत्र के लिए स्वस्थ्य परम्परा नहीं है। आज सरकार में यह लोग बैठे है, कल इधर के लोग सरकार में बैठेंगे। आने वाले दिनों में श्री मुलायम सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनको कमजोर करने के लिए यह सब किया जा रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोग दुखित हैं, जो भी दोषी हों उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद–

जो भी संरक्षण दिये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और 5 लाख रुपये का मृतक आश्रित को मुआवजा दिया जाए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उसमें मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी आज ही घोषणा करें, उनके निलम्बन के बारे में। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद–

इस प्रकरण में सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बिका चौधरी जी आप समाजवादी पार्टी के दल के उप-नेता हैं। वर्मा जी की अनुपस्थिति में समाजवादी पार्टी के सदस्यों का मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। मैंने इस सूचना पर दो माननीय सदस्यों को सुना है। अब किन्हीं दो माननीय सदस्यों को जिनके इस पर हस्ताक्षर हों, उनको मैं सुन लेता हूं। उसके पश्चात् श्री प्रमोद कुमार जी बोलेंगे। दो माननीय सदस्यों के नाम आप तय कर लें।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मेरी जगह कुंवर रेवती रमण सिंह जी को सुन लें।

* श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है, हमारी पार्टी के दो माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात रख लेंगे। एक मिनट मैं उसके बाद बोल दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में यह मामला उठा है। इसे शिवपाल सिंह जी ने उठाया है। यह अकेली घटना नहीं है, इस सदन में यह सवाल एक बार नहीं उठाया गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मुख्य मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कानून का

* वक्ता ने वाक्य का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज चल रहा है। मेरा कहना यह है कि इस प्रदेश में जंगल का राज चल रहा है। यह ब्लाक प्रमुख की हत्या इसी कड़ी में,जो समाजवादी पार्टी के 250 कार्यकर्ता मारे गये हैं,उसी कड़ी में है। इतना ही नहीं अगर आप देखें मुख्य मंत्री जी ने उस दिन बोलते हुए बड़े गर्व से कहा था डकैती, राहजनी, बलात्कार, हत्या सभी घटनाओं में कमी हुई है। मैं स्पष्ट रूप से सदन को बताना चाहता हूँ, डी०जी०पी० का,बयान छपा है। डी०जी०पी० ने जो आंकड़े दिये हैं,या तो वह आंकड़े सही हैं या मुख्य मंत्री जी के। डी०जी०पी० ने बताया कि हत्या बढ़ी है, डकैती बढ़ी हैं, राहजनी बढ़ी है, बलात्कार में बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार ने चारों आंकड़ों को छिपाने का काम किया है। मुख्य मंत्री जी का बयान सदन को भ्रमित करने वाला बयान है। ब्लाक प्रमुख की हत्या केवल एक साधारण घटना नहीं है। मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से यह हत्याएं हो रही हैं, बल्कि जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं,उनकी हत्या की जा रही है। मुख्य मंत्री जी कह देते हैं कि अपराधी चरित्र के लोग थे। मैं सदन में माँग करता हूँ,जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मारे गये हैं,इनकी जाँच एक जज के द्वारा करवा ली जाए और उसकी रिपोर्ट सदन को प्रेषित कर दी जाए। यह घटना गम्भीर है। इसमें उसके परिवार को पाँच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और तत्काल अपराधियों को पकड़ा जाये, और इस घटना पर सदन में चर्चा करवाई जाए।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विचारों की अभिव्यक्ति एक संवैधानिक अधिकार होता है।

(समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा श्री राम औतार शाक्य की जगह श्री ओमकार सिंह को सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, शाक्य जी की जगह श्री ओमकार सिंह को सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसे सदन नहीं चलेगा। मैं सदन को 1 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(तत्पश्चात 12 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, ओमकार जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, फिर राम औतार शाक्य जी का नहीं सुना जायेगा।

* श्री ओमकार सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मान्यवर, जब से यह सरकार सत्ता में आई है,पूरा प्रदेश लूट, हत्या, डकैती और अपहरण की चपेट में आ गया है। मेरे जनपद बदायूं में इस सरकार के कार्यकाल में 13 ऐसी डकैतियां पड़ गयी हैं जिसमें 20 से 25 लाख का माल लूटा गया है और हत्या भी हुई हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ के ब्लाक प्रमुख की हत्या तहसील गुन्नौर में हो गयी,वह समाजवादी पार्टी के नेता थे। उनका

* अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराध यह था कि 7 माह पहले बदायूं में वहाँ के सबसे बड़े बदमाश सोहन पाल उर्फ टुन्डा को अपने लड़के का अपहरण करते समय गोली मार दिया था। मान्यवर, 6-9-98 को सुबह 7 बजे पूजा को जाते समय उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गयी और हत्यारे खुलेआम बी०जे०पी० के नेताओं के संरक्षण में घूम रहे हैं। मान्यवर, राम निवास की हत्या में 6 आदमी नामजद हैं—मचई, नवाब, भगवान सिंह, बालिस्टर, तेजराम, अजब सिंह और इस केस को मान्यवर, वहाँ का कुख्यात अपराधी तेजपाल निवासी बानपुर चला रहा है। मान्यवर, इसी 28-6-98 को मृतक राम निवास ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था लेकिन उस पर वहाँ के प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

मान्यवर, इसी क्रम में दबथरा के लाला राम मास्टर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी आर०एस०एस० के ब्लाक प्रमुख गुलफाम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं। मान्यवर, हर घटना से संबंधित अपराधी इस सरकार से संबंधित है। मेरी मांग है कि इस संवेदनशील घटना पर इस सदन में चर्चा कराई जाय और मृतक ब्लाक प्रमुख राम निवास के परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाय।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, जिस पर माननीय शिवपाल सिंह जी, श्री अवधेश जी, श्री रेवती रमण सिंह जी और श्री ओमकार सिंह जी ने जिस पर अपनी बात रखी है, उसकी ग्राह्यता पर संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है, यह मैं कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। ला एण्ड आर्डर के बारे में इस सरकार का जो रुख है और जो स्थिति है, प्रदेश की जनता की और इस प्रदेश की, वह स्वतः स्पष्ट हो चुकी है। कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कहीं है ही नहीं। कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ तक गिर गयी है कि इस सरकार को एक क्षण भी इस प्रदेश में बने रहने का अधिकार नहीं है। वह अपना नैतिक और वैधानिक अधिकार खो चुकी है।

मान्यवर, पूरी सोची समझी साजिश के तहत संरक्षण देकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या कराने का काम यह सरकार कर रही है और इसी कड़ी में यह हत्या हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री मुलायम सिंह यादव जी जो सम्भल लोकसभा क्षेत्र से चुने गये, वहाँ पर जब चुनाव हो रहा था तो मैं गुन्नौर में भेजा गया था। मान्यवर, राम निवास जी जिनकी हत्या हुई है और जिनके कारण हुई है, उन सारे सत्यों से हम भिज्ञ हैं। मान्यवर, वह 30 साल के नौजवान थे, उनकी हत्या कर दी गयी। उनका दोष इतना था कि उस आदमी ने डरने और झुकने का काम नहीं किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उस नौजवान की हत्या कर दी गयी और सारे हत्यारे सरकारी संरक्षण में हैं। मैं मांग करता हूँ कि पूरी तरह से साजिश में शामिल लोगों का पर्दाफाश करें और संरक्षण देने वालों को भी दंडित करें और इसकी न्यायिक जांच करा ली जाए। जो 5 लाख रुपये मुआवजा देने का अनुरोध किया जा रहा है, वह तत्काल दिया जाए। मान्यवर, इसी कड़ी में पूर्व में 22 अप्रैल को लाला राम प्रधानाध्यापक की हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष—

कृपया इसी घटना तक सीमित रहें।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको यह फासिस्टवादी सरकार इनहेलेट करना चाहती है। पूरे प्रदेश में आज गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। कृपया इस पर तत्काल चर्चा कराये जाने की अनुमति प्रदान करें।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने हस्ताक्षर देख लीजिए, आपके हस्ताक्षर हैं या दूसरे ने बना दिये हैं, मैं आपके पास सूचना भेज रहा हूँ। जो सामान्य सूचनाओं पर हस्ताक्षर हैं,इसमें बहुत अन्तर लगता है। यह कुछ क्रम सा चल रहा है कि बहुत से लोग दूसरे के हस्ताक्षर कर देते हैं। आप कह देंगे कि आप के हस्ताक्षर हैं तो हम मान लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह दुर्घटना अकेली नहीं है। जब से सरकार आयी है रोजाना हत्याओं का दौर चल रहा है। मान्यवर, पहले विरोध के तेवर कुछ और हुआ करते थे लेकिन कोई इनका विरोध करे तो सत्ता के मद में इतना चूर हैं कि उसकी हत्या कराने में कोई गुरेज नहीं है। ब्लाक प्रमुख गुन्नौर के सम्बन्ध में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वे लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उनके पुत्र के अपहरण का प्रयास किया गया, अगर प्रशासन उसी समय सजग हो जाता और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो यह घटना शायद न घटती। इस तरह से प्रतापगढ़ के कुन्डा तहसील के श्री जगन्नाथ यादव जी की हत्या का मामला है, उनका घर कोतवाली से लगा हुआ था। प्रातः 9.30 बजे हत्यारे आते हैं और हत्या कर देते हैं। वे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे और तीन बार ब्लाक प्रमुख रहे। वायरलेस पर संदेश भेजकर अपराधियों के नाम उसमें भेजे गये, फिर सत्ता पक्ष के दबाव में उन अपराधियों के नाम प्राथमिकी से निकाल दिये गये। इस तरह से राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष तीर्थ राज मिश्र को दिन-दहाड़े भट्टी बाजार भडरवा से उठा लिया गया,उसमें तफतीश हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब सत्ता पक्ष का दबाव पड़ा तो पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया। मान्यवर, सरकार कितनी संवेदन शून्य हो गयी है, तीन बार उनको धमकी दी गयी परन्तु आज तक उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी है। पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव और श्री श्रीपति मिश्र की भी सुरक्षा हटा ली गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल घटना तक अपने को सीमित रखें।

श्री प्रमोद कुमार–

राजनीति में भाजपा जिस तरह का वीभत्स स्वरूप, तानाशाही और क्रूर रूप दिखा रही है,वह लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। भाजपा अपने विरोधियों को डरा कर और धमकाकर निष्कंटक रूप से राज करना चाहती है। आज सैकड़ों विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है। अपनी तानाशाही के रवैये से जिस प्रकार आज ये विरोधियों का वध कर रहे हैं,उससे भी ज्यादा बुरा कल उनका होगा। राजनीतिक हत्यायें और लोकतंत्र की हत्या करने का काम यह सरकार कर रही है। जिन दो घटनाओं का जिक्र मैंने किया है, पहली, श्री जगन्नाथ यादव, ब्लाक प्रमुख कुंडा और श्री तीर्थ राज मिश्र का अपहरण, इनके बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया इससे ज्यादा कल्याण सिंह की सरकार के लिए शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। आज यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और उनसे अपराध कराती है तथा अपराधों में यह सरकार लिप्त है। इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाये।

* श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, एक गम्भीर व दुःखद घटना का यहाँ पर उल्लेख किया गया। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी लगातार यह घोषणा करते रहे कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और न ही उसे कोई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है। यदि कोई अपराधी पकड़ में आता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो,उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । इस सदन को ही नहीं अपितु पूरी जनता को इन्होंने आश्वस्त किया है, परन्तु बिडम्बना यह है कि आज यह सरकार पक्षपात का रवैया अपनाये हुए है और यदि यह सरकार साफ नीयत से काम कर रही होती तो कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होती । राजधानी हो चाहे, कोई अन्य जगह, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है ।

बदायूँ में इस उदीयमान नेता की हत्या कर दी गई । मैं भी वहीं गया था । 28 साल का यह नौजवान लड़का है । कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । इसी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था । यदि आप दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो इसकी जुडीशियल जाँच करा दें । आज चुन-चुन कर समाजवादी पार्टी, बी०एस०पी०, कांग्रेस और किसान कामगार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं औरसत्तारूढ़ दल से जुड़े नहीं हैं उनकी हत्यायें कराई जा रही हैं, इससे सरकारी मशीनरी में भी यह संकेत जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं उन्हें थानों में भी स्थान मिल रहा है । जिन अपराधियों को टॉप-10 या टॉप-5 की सूची में होना चाहिए था,वह उसमें नहीं है ।

जो हार्डेन्ड क्रिमिनल हैं,उनकी श्रेणी में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दो तीन मुकदमे रंजिश के या घर के चल रहे हैं । अगर इस आधार पर थानों में सूची जारी की जायेंगी तो यह नियंत्रण होने वाला नहीं है । आज एक ब्लाक प्रमुख की हत्या हो रही है, विधायक की हत्या हो रही है, इस तरह से जनप्रतिनिधियों और चुने हुए लोगों की हत्या होंगी तो आम आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रह पायेगा ।

मान्यवर, जो बदायूं में घटना घटी है,वह काफी गंभीर विषय है । मैं चाहूँगा कि सरकार इसकी न्यायिक जांच कराये और उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाय और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो । आप इसकी जाँच करायें और निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच करायें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मृतक राम निवास यादव ब्लाक प्रमुख था और जब वह मंदिर में गया था तो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गयी । सुबह से मैं इस घटना की जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ । डी०आई०जी०, पुलिस अधीक्षक मौके पर गये हैं । इस घटना को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है । मान्यवर, मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था । वे यह कह रहे थे कि अपराधी अपराधी होता है और न तो उसकी जाति होती है और न ही कोई पार्टी होती है । यह मैंने कहा भी है । मान्यवर, अगर हत्या होती है तो यह कहा जाता है कि भाजपा का संरक्षण प्राप्त है । मान्यवर, दो गुटों का नाम लिया । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि विवेचना चल रही है, लेकिन एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो दो गुटों का नाम लिया गया था,एक तो महिपाल गुट और दूसरा नवाब सिंह का गुट था । मान्यवर, एक फैक्टरी में डकैती पड़ गयी थी और उन्हें शक था कि शायद ब्लाक प्रमुख ने नाम ले लिया है । यह रंजिश की बात प्रकाश में आयी है । मैं अभी अन्तिम रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि विवेचना चल रही है । यह दोनों गुट कौन हैं । पिछली लोक सभा में समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में यह कार्य कर रहे थे । इनका एक मामला प्रकाश में आया है,जाँच चल रही है । अगर आप आरोप लगाते हो तो सारी बातों को सोच करके आरोप लगायें । मान्यवर, यह कहा गया कि श्री राम नरेश यादव क्योंकि यादव थे इसलिए यह हुआ ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमने यह नहीं कहा कि वे यादव जाति के हैं इसलिए उनकी हत्या की गयी । मान्यवर, यह नहीं हो सकता कि यादव नाम का होने से वह हमारी पार्टी का हो गया । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

[x x x] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं, मान्यवर, कह रहा हूँ, जिनका नाम लिया है, यह दोनों गुट पिछले लोक सभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का झन्डा लगाये घूम रहे थे, इसके आगे हैं या नहीं। मान्यवर, हत्यारों और अपराधियों की जाति नहीं होती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस हत्या की जिम्मेदारी बजाय स्वीकार करने के आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। आपकी ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

सरकार का दोष इतना है कि एक साल से रंजिश चल रही थी, उनको दो सुरक्षा कर्मी सरकार की ओर से, श्री यादव को दिये गये थे, अगर सरकार की सदाशयता पर शक है, एक घटना हो चुकी थी, तो दो सशस्त्र प्रहरी दिये गये थे, दोनों उनके साथ थे। सरकार ने उनको वापस तो नहीं लिया। अगर सरकार चिंतित न होती तो सुरक्षा कर्मी उनके साथ न होते। जो हत्यारे पकड़े जायेगें, उनको सजा दी जायेगी, साजिश करने वाले, संरक्षण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

बजाय इस बात को स्वीकार करने के कि एक नवजवान की हत्या की गयी है, संरक्षण देने वालों की चिंता आप कर रहे हैं, सरकार के इस रुख के विरुद्ध हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सभी मा० सदस्य सदन का बहिष्कार कर के चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

कुन्डा में ब्लाक प्रमुख जगन्नाथ की हत्या हुई है और तीर्थ राज मिश्र का अपहरण हुआ है, यह दो मामले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी या नहीं।

श्री हुकुम सिंह–

कार्य स्थगन की सूचना है, इस पर जांच चल रही है और कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

एक टीम गठित हो जाये, तो क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष–

जांच के परिणाम आ जाने दें।

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उल्लेख किया है, **नामजद रिपोर्ट है और जिनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गयी है, उनके विरुद्ध प्रभावी कदम उठाये जायें और मृतकों के परिवार वालों की सुरक्षा की चिन्ता कर लें क्योंकि रंजिश के कारण खतरा हो सकता है और सहायता देने के लिये शासन विचार कर ले।**

श्री राम जग–

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में तरवा थाने के ग्राम सराय त्रिलोचन के निवासी सुभाष चौहान के बेटे जिसकी उम्र करीब आठ साल की थी और जो कक्षा दो का छात्र था और जिसका नाम हरेन्द्र सिंह था। 28 तारीख को 7.30 बजे अपहरण कर लिया गया।

...वह लड़का वापस आ रहा था कि साढ़े 7 बजे उसका अपहरण हो गया। और 30 तारीख को उसकी लाश करीब 4 कि० मी० दूर जमीरपुर में मिली। मान्यवर, लाश तीन दिन बाद मिली। पुलिस प्रशासन की स्थिति यह है कि 28 तारीख को गांव के लोगों ने डुमरिया गांव में जो तरवा पुलिस थाना है, में रिपोर्ट लिखाई कि हरेन्द्र जो कक्षा 2 का छात्र है जिसकी उम्र 8 साल है मिल नहीं रहा है। पुलिस ने इस घटना पर कोई तवज्जो नहीं दी और इस ढंग से भूमिका निभाई कि जैसी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 30 तारीख को लाश मिली तो वहां की पुलिस का रोल अच्छा नहीं रहा। लोग आनन-फानन में लाश लेकर थाने में गये। पुलिस इस घटना को छुपाने में लगी है। वहां का थाना इंचार्ज और एस०एस०पी० इस घटना को छुपाने में लगे हुये हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय और अशांति का वातावरण छाया हुआ है। वहां की पुलिस को जनता की कोई चिंता नहीं है। आम आदमी आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस 302 की घटना पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। यह मामला काफी गंभीर है।

आज पूरा आजमगढ़ भयभीत और आतंकित है। इससे पहले एक और छात्र राहुल का अपहरण हुआ और हत्या हुई। आज हरेन्द्र का अपहरण हुआ और फिर हत्या हुई। वहां की पुलिस निष्क्रिय है। मेरा निवेदन है कि अगर यही रवैया रहा तो वहां के छात्रों का जीवन संकट में है। इस संबंध में हमें यह कहना है कि आजमगढ़ के पुलिस अधिकारी जिसमें एस०एस०पी० भी शामिल हैं उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाय ताकि पुलिस घटना को छुपा न सके और जो दोषी हैं उनको सजा मिल सके। मेरा आरोप है कि आज जो स्थिति हैं वहां ऊपर से नीचे तक जंगल राज कायम है। राजनीतिक कार्यकर्ता और सामान्य कार्यकर्ता असुरक्षित है। प्रदेश की पुलिस छात्रों के अपहरण को रोकने में अक्षम हैं। आजमगढ़ की यह दूसरी घटना है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता से ले।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, हरेन्द्र चौहान के पिता श्री सुभाष चन्द्र द्वारा यह रिपोर्ट 30-6-98 को लिखाई गई है जिसमें उसकी लाश नहर के किनारे मिली है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। सिर्फ कारण डूबने से बताया गया है। जांच जारी है। इसमें किसी के ऊपर शक नहीं किया गया न ही किसी का नाम लिया गया है। फिर भी मामले को निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई गलत काम हुआ है तो इसकी जांच की जाएं। तो जब मामला प्रकाश में आ जायेगा तो स्थिति साफ हो जायेगी। उस बच्चे के पिता ने कोई शक किसी के बारे में दर्ज नहीं कराया है। तो इसकी मौत डूबने के कारण हुई है।

श्री राम जग–

मान्यवर, उस बच्चें की जीभ बाहर निकली थी और आखें भी बाहर निकली थी। चेहरे पर तेजाब डाला गया था जिससे मांस गायब हो गया था। जिससे मालूम होता है कि इसकी मारने से मौत हुई है। इसको छुपाने का प्रयास किया गया है और अस्पताल के डाक्टर से मिलकर इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गई है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पर सीधी सी०आई०डी० से जांच करायी जाए। या किसी गुप्त एजेन्सी से जांच करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

मा० श्री राम जग और मा० संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। (समय 1 बजकर 30 मिनट)

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, हमारे यहां जो घटना घटी है वह बहुत ही गंभीर है यह घटना एक कड़ी है लूट और डकैती की। जब लखनऊ में डकैती हुई उसके पश्चात् फौरन ही हमारे जनपद लखीमपुर में बैंक में डकैती हुई और डकैत बन्दूकें उठा ले गये। दूसरे दिन एक दूसरी घटना ग्रामीण बैंक में डकैती पड़ी। एक काश्तकार परिक्रमादीन वर्मा अपने भाई राकेश के साथ अपनी रिश्तेदारी में गया था रात के नौ बजे पुल पर बदमाशों

ने टार्च की रोशनी दी उसने समझा कि यहां पर पुलिस की ड्यूटी लगी है पुलिसवाले यहां पर होंगे उसने ट्रैक्टर रोक दिया तो बदमाशों ने उसकी बन्दूक लूट ली और 150/- रुपये भी ले लिये। वह वहां से खीरी थाने गया तो वहां के दरोगा ने कहा कि यह ओयल चौकी का मामला है और उसको ओयल चौकी को भेज दिया गया। वह ओयल चौकी आया तो वहां पर उससे यह कहा गया कि ये घटनास्थल थाना नीमगांव का है। चूंकि रात ज्यादा हो गयी थी इसलिए वह सबेरे 7.00 बजे नीम गांव थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा वहां के दरोगा ने परिक्रमादीन और उसके भाई को पचासों गालियाँ दी और रिपोर्ट दर्ज नहीं की जब जनता का दबाव बढ़ा तो रिपोर्ट दर्ज की। उसी दिन शाम को उसने परिक्रमादीन के भाई राकेश को थाने पकड़ मंगवाया और पांच दिन लगातार मारा-पीटा और कहा कि यदि तुम रुपया दे दोगे तो बन्दूक ढूंढ़ कर दे देंगे नहीं तो जेल भेज देंगे, 14000/- रुपये की मांग की गयी। 29 तारीख को उसके भाई परिक्रमादीन को पकड़ लिया और उसके साढ़ू को पकड़ लिया। वहां पर उसे करंट लगाया गया जिससे वह बेहोश हो गया, उसको पुलिस जीप पर लादकर डाक्टर के पास ले गये लोकल डाक्टर ने मना कर दिया तो पुलिस ने उसको जीप में लादकर एक कस्बे वेहजन ले गये। वहां पर कस्बे के डाक्टर ने भी मना कर दिया कि यह मरणासन्न है इसका इलाज नहीं हो पायेगा। उसके बाद उसको दरोगा ने जीप में लादकर लखीमपुर में, प्राइवेट आयूष नर्सिंग होम ले गये तो नर्सिंग होम वालों ने भी मना कर दिया। उसके बाद उसे सदर अस्पताल में 10 बजे रात को भर्ती कराया गया जहां पर वह 8.00 बजे सुबह मर गया। जब वह मर गया तो उसके पोस्टमार्टम की बात रखी गयी। डाक्टर ने कहा कि आपने कहा हमने तो इसलिये भर्ती किया कि यह बीमार है मर जाने पर लाश घर में रखा गया। आप पुलिस से सम्पर्क करिये पोस्टमार्टम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है आपकी।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, खत्म ही कर रहा हूं। श्रीमन्, फिर उसने एस०पी० साहब को कान्टैक्ट किया तो बहुत हीला-हवाली करने के बाद दो बजे रात को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा किया गया। आठ बजे मरा व्यक्ति अस्पताल में रोगियों के बीच में 14 घंटे पड़ा रहा। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रहे थे। जब जनता ने दबाव डाला तब जाकर 302, 342, 504 में दर्ज हो गयी। जो वहां के पुलिस कर्मचारी दोषी हैं अगर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो कैसे काम चलेगा। जांच किस तरह से हो पायेगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी से चाहता हूं कि घटना की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराई जावे। पुलिस के विरुद्ध जांच पुलिस वाले क्या करेंगे। मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यह जो प्रश्न डा० कौशल किशोर ने उठाया है यह अविलम्बनीय है। सवाल इस बात का है कि रक्षक ही भक्षक होने लगा है। आपने अधिकार दिया है कि चोरी, डकैती, लूट, हत्या जो भी अपराध हो, की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये व्यक्ति थाने में जायेगा। मान्यवर यह व्यक्ति भी थाने में गया था लेकिन आज परिस्थिति यह हो गई है कि उन्हें ही बन्द कर दिया जायेगा, उन्हीं पर एक्शन होगा, उन्हें ही करेन्ट लगाया जायेगा, उसकी ही हत्या कर दी जायेगी। इससे ज्यादा अविलम्बनीय और कुछ नहीं हो सकता है। सामान्य नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं अभी जितने माननीय सदस्य बोले हैं यही कि चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। यह एक साजिश के तहत हो रहा है। आपसे संरक्षण चाहता हूं नागरिकों को एक सुरक्षा की भावना महसूस हो।

मैं चाहता हूं कि इस पर सी०बी०आई० से जांच हो। दूसरे जिले के एस०पी० से जांच करवायें। वहां का एस०पी० और पुलिस प्रशासन उसमें इन्वाल्व है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतने दिन का मामला है और पुलिस कर्मचारियो के विरुद्ध भी एफ०आई०आर० तब दर्ज हुई जब जनता ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया, जन आन्दोलन किया। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि इसकी जांच हो और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक कोतवाली पे 26-6-98 में रिपोर्ट लिखाई गई राजेश कुमार द्वारा कि उनके भाई परिक्रमादीन की बन्दूक चोरी चली गई। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिये उसे बुलाया गया था। यह बात सही है कि उसकी तबीयत खराब थी और अस्पताल ले जाकर उसकी मृत्यु हो गयी और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ जिसमें क्लीयर था कि 'कॉज आफ डेथ नॉट नोन'। शक की कोई गुन्जाइश न रहे इसलिये इसकी मैजिस्टीरियल जांच के आदेश आज ही दे दिये गये हैं, मुकदमा कायम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सहायता देने पर मंत्री जी विचार कर लें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। यह अनुसूचित जाति के रहे होते तो आर्थिक सहायता अनुमन्य है हर एक को कहां से दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों व संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, उसकी तीन लड़कियां हैं अभी उसकी उम्र 32 साल थी। बड़ी लड़की 7 साल की है। पांच बीघे का काश्तकार है।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, थाने में मौत हुई है। कस्टोडियन डेथ हुई है। आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सहायता पर विचार कर लिया जायेगा। अगली सूचना श्री इकबाल महमूद की है।

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, सम्भल शहर प्राचीन शहर है। पृथ्वीराज चौहान के समय में यह शहर राजधानी रहा है पूरे हिन्दुस्तान की। आज उस शहर में नगर पालिका की यह हालत है कि उसने अपने नालों की सफाई के लिये जो शासन से पैसा गया था, वह पैसा उसमें नहीं लगाया है। वर्षा का तमाम पानी शहर के अंदर घुस गया है। यहां तक कि जनाना अस्पताल, मुंसिफी कोर्ट और शहर की मुख्य सड़कों पर इतना पानी इकट्ठा हो गया है जिससे चलना फिरना दूभर है। उस शहर में छोटी सी नहर बहती है। वहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा, अतिक्रमण कर लिया है। जिसकी वजह से नहर का पानी निकलना बन्द हो गया। जिसकी वजह से नहर का पानी घरों के अंदर घुस गया है। जिससे रोग फैल रहे हैं। लोगों को ज्वाइंडिस, मलेरिया हो गया है। पूरे शहर के अंदर बुरी हालत है। मुंसिफी कोर्ट के अंदर पानी भर गया है। मुंसिफी कोर्ट के क्वार्टर जनाना अस्पताल के पास बने हैं। महिला चिकित्सालय में पानी भरने आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। इसमें शासन को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह नहर खोल दी जाय ताकि पानी निकल सके और जो चेयरमैन हैं वह जो वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं उसको रोका जाय।

* सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

जल भराव के संबंध में समाधान करने के लिए आज जिला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, नहर के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसकी वजह से पानी मुहल्लों में घुस गया है। आजकल अतिक्रमण पर सरकार बहुत जोर दे रही है। मैं चाहूंगा कि यह घोषणा कर दें कि जो नहर पर अतिक्रमण किया गया है उसको हटा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

अतिक्रमण हटाने के बारे में समुचित निर्देश देने पर विचार कर लीजिएगा। श्री इकबाल महमूद और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री समरपाल सिंह, विजेन्द्र आर्य, कौकब हमीद और वीरेन्द्र सिंह की है। इसमें से कोई दो माननीय सदस्य बोल लें।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने विभिन्न विभागों में अप्रेन्टिस की ट्रेनिंग हासिल की है। इन्होंने इस आशय से अप्रेन्टिस की ट्रेनिंग ली थी कि बाद में उन विभागों में इनको रोजगार मिल जायेगा। ऐसा आश्वासन भी इनको दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अनेक वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी यह दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। कोई विभाग इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। यह धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर यह विधान सभा के सामने जायज मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं तो पुलिस इन पर लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज से कई लड़के घायल हुए हैं। 250 अप्रेन्टिस जेलों में बंद हैं। एक महीने से धरना चल रहा है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मान्यवर, सरकार ने खुद शासनादेश जारी किया कि कोई सीधी भर्ती नहीं की जायेगी। विभागों में जगह खाली हैं। अप्रेन्टिस ट्रेनिंग किए हुए लड़के बेकार घूम रहे हैं और सीधी भर्ती की जा रही है। उनको नहीं रखा जा रहा है। जब कि शासनादेश है कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। जो शासनादेश है वह मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी विभागों को भेजा गया है। यह शासनादेश 3 जनवरी, 1998 का है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ने सभी प्रमुख सचिवों, और समस्त विभागाध्यक्षों को यह निर्देश भेजा। इसमें रिलीवेंट पोर्शन यह है कि ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए प्रशिक्षणार्थियों को, भर्ती करते समय, उनका समायोजन करने के लिए, उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर, भर्ती सुनिश्चित की जाए। जो भी रिक्तियां हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाकर ट्रेंड लोगों को भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीधी भर्ती न की जाकर ट्रेनिंग किए हुए लोगों के माध्यम से भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हेयर सच ट्रेंड आर अवैलेबिल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड नाट बी मेड। अगर ट्रेण्ड अवेलेबिल है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट न किया जा सके। आप कह रहे हैं कि जो सीधी भर्ती निकाली गई हैं उसमें एप्लाई करो उसमें हो जाएगा तो हो जाएगा। इनकी ट्रेनिंग के ऊपर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। समय बरबाद किया है। अगर इन ट्रेंड लोगों को न भरकर सीधी भर्ती के माध्यम से अनट्रेंड लोगों की भर्ती करेंगे यह कहां तक न्यायोचित है।

यह सरकार न केवल शासनादेश का उल्लंघन कर रही है बल्कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है। यह इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। यह ट्रेनिंग प्राप्त किए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में बन्द कर दिया जाता है। ऐसे 250 नौजवान जेल में बन्द हैं। कौन इनकी जमानत कराए, कौन इनका मुकदमा लड़ेगा। पुलिस ने उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनका आपराधिक इतिहास बना दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बजट में कहते हैं कि हम हर हाथ को काम देने के लिए कृतसंकल्प हैं लेकिन यहां तो लाखों हाथ हैं जो इस प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और देश की प्रगति में अपना योगदान करने को तैयार हैं। यह स्किल्ड लोग महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं उनको रोजगार न देकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपके हस्ताक्षर इस पर नहीं है। कृपया मुझे क्षमा कर दें।

श्री हुकुम सिंह–

श्री समरपाल जी या तो किसी भ्रम के कारण यह कह रहे हैं या अपनी सूचना को प्रभावी बनाने के लिए सारे तथ्यों को घुमा फिराकर रख रहे हैं। आप कोई एक जानकारी दे दें जिसमें सीधी भर्ती के आधार पर कोई नियुक्ति की गई हो। नियुक्ति दो प्रकार से होती है एक लोक सेवा आयोग की परिधि में आती है दूसरे सीधी भर्ती के द्वारा। सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। अभी नियुक्ति जारी नहीं हुई है। अभी नीति की घोषणा की गई है। हम विज्ञापन निकालेंगे उसके बाद भर्ती करेंगे। जो मुख्य सचिव का हवाला और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। उन बिन्दुओं को दृष्टि में रखते हुए जो प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग किया है उनको अवसर दिया जाएगा। नियमानुसार उनको भर्ती में मौका दिया जाएगा। जो यह कहा गया कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। सीधी भर्ती की जा रही है। अनट्रेंड लोगों को ले रहे हैं। अभी भर्ती शुरू नहीं हुई है। अपुष्ट आधार पर माननीय सदस्य कोई बात न कहा करें।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि वर्ग–चार और तीन में कोई भर्ती नहीं हुई है। अप्रेन्टिस प्रशिक्षु जो 10-15 साल से अप्रेन्टिस किये हैं क्या तब से कोई भर्ती नहीं हुई है। दूसरी बात नियमानुसार करने की बात कही है, 3 जनवरी, 1998 का जी०ओ० है जिसमें कहा गया है कि अप्रेन्टिस प्राप्त किये हुए प्रशिक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए उनके समायोजन की कार्यवाई उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर देते हुए कहा की जब नियुक्तियां होगी तो डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षुओं को नियमानुसार अवसर दिया जायेगा। श्रीमन् आप इस पीठ पर बैठे हैं और सम्मानित उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और उसी परिप्रेक्ष में मुख्य सचिव का शासनादेश है जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति किया जायेगा, बल्कि नियुक्तियों में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा। श्रीमन्, इससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और मुख्य सचिव के शासनादेश की अवहेलना होगी।

श्री हुकुम सिंह–

कोई भी नियुक्ति स्थान की उपलब्धता और पात्रता के आधार पर होती है, जितने स्थान उपलब्ध होंगे उसी आधार पर नियुक्तियां सुनिश्चित की जायेंगी। अभियान चलाने का आशय यह है कि पद हो या न हो लेकिन नियुक्ति कर दी जाये। मान्यवर, 6 महीने से हम यहां बैठे हैं और 10 साल की जवाबतलबी की जा रही है हमने शासनादेश की भावना को देखते हुए स्पष्ट घोषणा की है और शीघ्र ही समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालेंगे उसमें यह भी शामिल होंगे।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि रिक्त पदों पर इनका समायोजन किया जाये किसी परीक्षा में बैठने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय समरपाल सिंह जी, आपकी बात आ गयी है। माननयी सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को अग्राहय करता हूं और रिक्तियों की संख्या को देखते हुए शासनादेश की भावना के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में आवश्यक कदम उठाया जाये।

शेष सूचनाओं में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। यह है श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, श्री परवेज हलीम की प्रदेश में महिला कल्याण द्वारा संचालित उत्तरक्षा-गृह, लखनऊ में कथित रूप से संवासिनियों का यौन शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। दूसरी सूचना श्री भोला शंकर मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद बदायूं के अम्बियापुर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम बेहटा गोसाई में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री विनोद मणि एवं श्री राम कृपाल की जनपद महराजगंज के फरेन्दा क्षेत्रान्तर्गत नगवा-बेहड़ा तटबन्ध की दयनीय स्थिति तथा विभाग द्वारा बाढ़ बचाव कार्यों को समुचित रूप से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। और चौथी सूचना श्री विजयपाल सिंह की जनपद आगरा में किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के अभाव से किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचना नियम-56 में अस्वीकार की गयी है वे हैं :–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदयराज यादव, श्री दीपक कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री समरपाल सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री दद्दू प्रसाद, श्री श्रीराम यादव, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री आर०के० सिंह पटेल, श्री मुरलीधर, श्री जगदीश नारायण, श्री आर०के० चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश सिंह, श्री लालमणि प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्री लालमणि प्रसाद, श्री श्याम सुन्दर, श्री रेवती रमण सिंह एवं श्री अवधेश प्रसाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियमों में सूचना तो नहीं दी है लेकिन माननीय सदस्या गौरी देवी जी परसों अपने जिले में गई थीं, वहां जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यह विशेषाधिकार से भी बड़ा मामला बनता है, कोई समय दे दें ताकि यह अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम-51 की सूचना लूंगा, तो उस समय सुन लूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी माह की शुरुआत में जालौन जिले में ग्राम करमेर, थाना आटा, में 26 वर्षीया मानवती, जो लोधी जाति की थी, को मारा पीटा गया और घर से बाहर जबरन खींचकर लाये, उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, जब उसके पति, सास, ससुर ने प्रतिरोध किया तो उनको भी मार-मार कर अधमरा कर दिया गया, उसके बाद उस महिला के साथ सामूहिक रूप से छेड़छेड़ करके बलात्कार किया गया, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने घर का कूड़ा झाड़ू-बहारु करके अपने घर के बगल की खाली जमीन पर डाल दिया था, मारने-पीटने वाले तथाकथित लोग उस खाली जमीन पर अपना स्वामित्व कहते हैं, जबकि वह बिना बाउन्ड्री की जमीन है, हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी जब उनको शान्ति नहीं हुई तो उन्होंने उस महिला की हत्या कर दी, इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने उन लोगों की एफ०आई०आर० नहीं लिखी, इस प्रकरण की विधिवत् जानकारी के लिये मैंने वहां के विधायक श्री श्रीराम जी को भेजा है, आज उनको आना था, अभी नहीं आये हैं, आने पर वह स्वयं जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय पर मैं एक घंन्टे की चर्चा की मांग करता हूं। एक तरफ यह सरकार कानून का राज होने की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ अपराधी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं यदि अपराधियों पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो कानून का राज कैसे होगा। वह महिला माननीय मुख्यमंत्री की जाति बिरादरी की है और हत्यारे भी उसी बिरादरी के हैं, वह महिला बहुजन समाज पार्टी की समर्थक थी, इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, यह दो परिवारों में केवल इस बात का झगड़ा हो गया कि उसने कूड़ा बहार कर उस जमीन पर डाल दिया था। उस महिला की मार-पिटाई कुछ ज्यादा हो गई, जैसा कि हर महिला चाहती है कि उसका पति बहादुर हो और वह अपमान का बदला ले लेकिन बदला लेने के लिये उसके पति ने कुछ नहीं किया और उस महिला ने आत्महत्या कर ली। न उसको नंगा किया गया और न नंगा करके घुमाया गया, यहां पर मामले को कुछ ज्यादा ही रंग देकर उठाया गया। हम लोग यहां बैठते हैं, हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि सच्चाई के आसपास ही रहें। और इतना अतिशयोक्ति करने का प्रयास न करें। इस घटना के चार अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, वह गिरफ्तार हो गये हैं, यदि नाम गिनाऊंगा तो आप कहेंगे कि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बताना चाहता हूं कि सभी बसपा के कार्यकर्ता हैं अंत में कहना चाहूंगा कि इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कार्यवाही हो रही है, उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन यह कहना कि नंगा नहीं किया गया, घुमाया नहीं गया और हत्या नहीं की गई, उसने आत्महत्या कर ली, यह सब आत्महत्या साबित करने के लिये किया गया षडयंत्र है। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

विभिन्न दलों के लिए अनुदानों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-11 लेने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं।

मेरा यह प्रयास होगा कि 3 घन्टे का समय लोक निर्माण और पर्यटन विभाग के अनुदानों के लिये निर्धारित कर देते हैं, इस तीन घन्टे में एक घन्टा सत्ता पक्ष, जिसमें माननीय मंत्री जी का भाषण उसके अलावा 45-50 मिनट मुख्य रूप से समाजवादी दल, जिसमें कटौती का प्रस्ताव रहेगा, उसके बाद आधा घंटा बहुजन समाज पार्टी तथा आधा घन्टा अन्य के लिये चर्चा कराने हेतु रहेगा। मेरा अनुरोध होगा कि माननीय दल के नेतागण उसी अनुसार सूची दें और माननीय सदस्य इसी हिसाब से अपने आपको नियंत्रित कर लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गौरी देवी को दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं अपने कक्ष में इनकी बात सुन लूं, हो सकता है वहीं समस्या हल हो जाय।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान सं०-55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान सं०-56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन), अनुदान सं०-57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान सं०-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

* लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,47,79,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें फिर सब पर एक साथ भाषण कर दें।

लोक निर्माण पर्यटन मंत्री श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,62,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 15,56,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 86,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,29,11,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 43,81,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 22,28,05,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के बहुमुखी विकास में अवस्थापना सुविधाओं की महत्ती आवश्यकता होती है, इनमें मार्गों का विकास अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । अगर मार्गों का विकास नहीं होता है तो विकास की गति स्वयंमेव बाधित होती है । अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत मार्गों का विकास सर्वोपरि है । इस समय जो हमारे पूरे प्रदेश की स्थिति है उसमें जिस प्रकार की अपेक्षा की जा रही है कि जितने भी प्रदेश में हमारे गांव हैं लगभग 1,12,805 वह सब ऐसी स्थिति में हो जाते कि प्रमुख मार्गों के साथ जुड़कर शहरों तक आने-जाने की सुविधा प्राप्त कर लेते, जो भी कृषि से उत्पादन होता उसका समुचित तौर पर विपणन होता । साथ ही साथ बाजार से या अन्यत्र स्थान से वे अपना कार्य करते हुए सामानों को गांव में ला पाते । लेकिन, दुर्भाग्य रहा कि वह स्थिति नहीं निर्मित हो पायी थी । इसी का परिणाम रहा कि हमारे प्रदेश को जिस गति के साथ विकास की प्रक्रिया में आगे आना चाहिए था वह नहीं आ पाया ।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश भर में 1,12,700 कि०मी० लम्बाई की सड़कें हैं, उसमें भी मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग हैं उसकी भी संख्या जो अपेक्षित होनी चाहिए थी वह नहीं हैं । राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई 2,862 कि०मी० है । इसी तरह से जो राज्य मार्ग हैं वह भी अपेक्षित नहीं हैं और उसकी लम्बाई 9,674 कि०मी० है । इसी ढंग से और भी अन्दर बढ़ते जाएं तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वह है 8,874 कि०मी० । जिले के अन्दर मार्गों का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था उसकी भी बहुत कमी है । उसकी लम्बाई अगर आंकड़ों में देखें तो 27,664 कि०मी० है । जो ग्रामीण मार्ग हैं जो अपेक्षित थें आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उनकी संख्या 63,870 कि०मी० है । मान्यवर, 1985 में जब भारतीय रोड कांग्रेस हुई थी लखनऊ के अन्दर, उस समय लखनऊ प्लॉन बना था उस प्लॉन के अन्दर यह अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश के 3.55 लाख कि०मी० सतही स्तर पर उसका विस्तार होना चाहिए, लेकिन मान्यवर, इसकी तुलना में जो हमारी स्थिति है वह हर दृष्टि से सभी विभागों को जोड़ देने के बाद भी हमारी लम्बाई है 1,35,700 कि०मी० की है । जो 3.55 लाख की कल्पना की जा रही थी लखनऊ प्लॉन के अन्दर,उसकी तुलना में बहुत कम है।

आज भारत के अन्दर एक लाख की जनसंख्या पर 246 किलोमीटर का औसत है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में यह औसत 146.2 किलोमीटर है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश मार्गों के हिसाब से पिछड़ा हुआ है । प्रदेश की इस तस्वीर को जब हम सामने में रखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है । मान्यवर, पैसा बहुत खर्च हुआ और सभी गांवों को प्रमुख मार्गों से जोड़ने की बात हुई परन्तु विगत में ऐसा नहीं हुआ । 59 हजार गांव प्रमुख मार्गों से जुड़ पाये हैं परन्तु 64 हजार गांव ऐसे हैं जो प्रमुख मार्गों से जुड़ने के लिए बेताब हैं मगर वह अभी जुड़ नहीं पाये हैं । एक हजार की आबादी से अधिक वाले जो गांव हैं उनकी संख्या 20 हजार है, जिनको प्रमुख मार्गों से जोड़ना है और एक हजार की आबादी से कम वाले गांवों की संख्या 34 हजार है, जिन्हें प्रमुख मार्गों से जुड़ना है । इस सबको सामने रखते हुए विचार किया गया कि कैसे इन गांवों को जोड़ा जा सके । चाहे वह राष्ट्रीय मार्ग हो, राज्य मार्ग हो, एम०डी०आर० हो या ओ०डी०आर० हो चाहे ग्रामीण मार्ग हों, इन गांवों को सुव्यवस्थित करते हुए गांवों को प्रमुख मार्गों से जोड़ा जाय, सम्पूर्णता के हिसाब से इस पर विचार करते हुए एक मार्ग विकास नीति तैयार की गई है । इसके माध्यम से बने हुए सड़कों का अनुरक्षण व्यापक तौर पर तैयार किया गया है वहीं पर सभी गावों को प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया जाय, इसके लिये समयबद्ध तरीके से विचार किया गया है । अब समयबद्ध तरीका क्या होगा ।

एक हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों को 2005 तक प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया जाय और जो बाकी गांव हैं, जिनकी संख्या 34 हजार है उन्हें 2010 तक प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया जाय । ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मार्ग सुविधा प्राप्त हो सके । प्राथमिकता के आधार पर हमने इसका प्राविधान किया है । दूसरी बात यह रखी है कि जो सड़क, पुल,ऊपरि सेतु, फ्लाई ओवर, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग आदि को समन्वित और नियोजित तरीके से विकास किया जा सके, जो रोड कांग्रेस द्वारा मानक निर्धारित हैं, उसी मानक के आधार पर जो भी सुनिश्चित अवधि है उस अवधि के अन्तर्गत, वह सड़कें भले ही वह खराब न हों उसकी स्ट्रेन्थनिंग या उसका नवीनीकरण तुरन्त किया जाय । तीसरी बात हमने यह की है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो विभिन्न विकास योजनायें हैं उनकी डबटेलिंग की

जाय। इसके आधार पर संसाधन उपलब्ध किये जायें और उसके द्वारा जो भी योजनायें बन रही हैं उसको हम तुरन्त करा सकें।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह इग पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इतना ही नहीं उसमें हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चाहे वह नेबार्ड हो, चाहे ऐशियन डेबलपमेंट बैंक हो चाहे कोई अन्य हो हम व्यवस्थित तौर पर संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि कर सकते हैं। चौथी बात विभाग के अन्दर प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक सुधार लाया जाय। पांचवी बात निजी निवेशों को प्राथमिकता के आधार पर, सहभागिता के आधार पर कार्य को आगे बढ़ायेंगे। उस आधार पर जो हमारे आर्थिक अभाव है उसकी पूर्ति की जा सकती है। बी०ओ०बी० से हम ले सकते हैं। हमने यह भी इसके अंदर रखा है इस वर्ष और आने वाले वर्षों में जो अब तक नहीं हुआ है, जो काम अधूरा रहा था, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है कि राष्ट्रीय मार्गों के किलोमीटर को और अधिक बढ़ायेंगे अर्थात राज्य मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग में बदलेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को राज्य मार्गों में, अन्य जिले मार्ग को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में और ग्रामीण मार्ग को अन्य जिलों में लेकर एक सनियोजित प्रयास करेंगे। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रारम्भ में ही मैंने बताया कि इस पर ध्यान दिया है।

हमने कुछ योजनाएं बनायी हैं और बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 2005 तक एक हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों को प्रमुख मार्गों से जोड़ देंगे। तो एक योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना प्रथम चरण पूरा हुआ है और जो प्रारम्भ किया उसके अंतर्गत 97-98 में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव जो थे उनको जोड़ने का प्रयास किया और 30 जून, 1998 तक एक हजार 7 गांव प्रमुख मार्गों से जुड़े हैं और 97-98 में जो खर्च आया है यह 34.64 करोड़ का आया है। 98-99 में जो प्रस्तावित है वह 55.50 करोड़ का है। हमने दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना का द्वितीय चरण भी रखा है। इसमें हमने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने चार गांव कम से कम दे दें उसमें से हम दो गांव ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि नेबार्ड वित्तीय पोषित योजना के माध्यम से इसे शीघ्रताशीघ्र कराया जाय और इसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसे हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। इसी तरह से ग्रामीण मार्ग, सेतु सम्बन्धित जो भी योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है, जो मार्ग निर्माणाधीन हैं उसके हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करा सकें इसके लिए नेबार्ड से प्रस्ताव रखा है। 97-98 में 72.16 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वर्ष 1997-98 में 961 सड़कें स्वीकृत थी, 80 पलों में 39 पुलों का निर्माण हो गया है, 961 सड़कों में 293 सड़कें पूर्ण हो गयी हैं और 1998-99 के लिये 100.06 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। लेखानुदान से 10 करोड़ रुपया अवमुक्त किया गया है। 40 सेतु पूर्ण हो गये हैं, यह कार्य हमने किया है। इसी तरह से हमने यह तय किया है कि नहरें सेवा मार्ग को पक्का किया जाये। वर्ष 1997-98 में 1023 किलोमीटर नहरों के मार्ग को पक्का करने का निर्णय लिया गया है, यह सिंचाई विभाग की ओर से था और 71.25 करोड़ रुपया लोक निर्माण विभाग का था, जिसमें 34.88 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था और हमारा यह प्रयास रहा है कि जो भी हमारे जिम्मे मार्ग बनने को हैं, उनका 75 प्रतिशत 1998-99 में पूरा कर लेंगे, यह निर्णय लिया गया है। यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा और लोक निर्माण विभाग दोनों द्वारा किया जायेगा।

मान्यवर 25 करोड़ रुपया लोक निर्माण विभाग को देने के लिये प्रस्तावित है। इसी तरह से 5 वीं योजना डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना है। इसके अन्दर 1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले नगरों की सड़कों को लिया है और आप लोगों ने अनुरोध किया होगा कि छोटे-छोटे कस्बों और नगरों की सड़कें पानी में डूबी रहती हैं और बहुत खराब रहती हैं, उनको सुव्यवस्थित कैसे किया जाये, इसको ध्यान में रखते हुये जो भी सड़कें होंगी हाट मिक्स्ड प्लान्ट से उनको सुव्यवस्थित करेंगे और उसके लिये 16 जिलों को इस योजना में लिया गया है और 97-98 में 5 करोड़ की धनराशि इसके लिये अवमुक्त

की गयी है, कार्य प्रगति पर है, प्रारम्भ हुआ है और 1998-99 के अन्दर 5 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। इस तरह से हमारी 6 ठी योजना प्रदेश की सड़कों की मरम्मत करने की है, नवीनीकरण की है और उनको गड्ढा मुक्त करने की है।

आज यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोक निर्माण विभाग का कार्य संभाला, तो तय किया था कि प्रदेश की जो प्रमुख सड़के हैं, उनको गड्ढा मुक्त करेंगे, सुनने में तो यह अजीब बात लगती थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जायेंगी, आश्चर्यजनक बात लगती थी, लोगों को हास्यास्पद बात लगती थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जायेगी, लेकिन हमने सबसे पहले तय किया कि इस अभियान को सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत रखना चाहिये ए पैच इज ए कान्टीनुअस प्रोसेस। गड्ढा हो वह तुरन्त पट जाये और फिर उसको मानक के अनुसार सुव्यवस्थित किया जाये। गड्ढा मुक्त करने का अभियान छेड़ा है और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय मार्ग पूर्ण गड्ढा मुक्त होंगे।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

हमने तय किया था कि एक श्रेणीबद्ध तरीके से काम करके हम राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को प्रथम चरण में गड्ढा मुक्त करेंगे और उस अभियान में 2862 कि०मी० राष्ट्रीय मार्ग गड्ढा मुक्त करेंगे और 778 कि०मी० राज्य मार्ग को गड्ढा मुक्त करेंगे तथा अन्य मार्ग जिसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तथा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, वह 1700 कि०मी० गड्ढा मुक्त करेंगे। इस तरह से जो क्षति ग्रस्त सड़के हैं उनकों भी नवीनीकरण करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सड़कों के नवीनीकरण जो अभी तक बाकी रह गये हैं, जो हमारी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 10500 कि०मी० जून 98 तक किया है और 7963 कि०मी० की मरम्मत हुई है।

हमने यह भी तय किया है कि 500 कि०मी० राज्य मार्गों का 35 करोड़ रुपया अनुरक्षण मद से अवमुक्त कराकर उनका चौड़ीकरण करेंगे उसके लिए अभियान चलाया गया है। उसमें 51 कि०मी० चौड़ीकरण हो गया है। इसके लिए 1998-99 में जो अनुरक्षण की मद है उसमें 220 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। इसके आधार पर गड्ढा मुक्त एवं नवीनीकरण करने की योजना बनाई है, और भी जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो अवस्थापना सुविधा है, जो हमारे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम हैं। हमने पूरी तरह प्रदेश को विहंगम दृष्टि से देखने के पश्चात् जो सड़के रह गयी हैं, उसको भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम चलायेंगे और यह योजना डा० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत संचालित कर एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और 425 में से 425 विधान सभा क्षेत्रों में पं० दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना अन्तर्गत लाकर जिला सेक्टर के माध्यम से हर जिले का सम्पर्क प्रदेश तक पहुँचाने का प्रयास है। हम एक हजार की आबादी से अधिक वाले गाँव को प्रमुख मार्ग तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है जिसे हम 2005 तथा 2010 तक प्रमुख सम्पर्क मार्गों से जोड़ देगें। इसके लिए पूरे बजट में 517 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

(एक सदस्य के बोलने पर कि जब तक आप रहेंगे)

मैं बोल रहा हूँ, स्वाभाविक रूप से आपके मन में कुछ भाव आ रहे होंगे लेकिन मेरे बोलने के बाद बोलते तो अच्छा रहता, आप बाद में बोल लें, ठीक रहेगा। मान्यवर, 1998-99 में 2800 गाँव जुड़ गये हैं इसकी लम्बाई 7000 कि०मी० है।

इसी तरह से जिला योजना के माध्यम से सम्पर्क मार्गों के कार्य जो अपूर्ण हैं उसके लिये 1997-98 में 293 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान में जो कार्य हैं उसके लिये 83.36 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। इस तरह से 300.08 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तावित हैं। जिला योजना के माध्यम से इन सारे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये अधीनीत कार्यों को व्यवस्थित किया जायगा। आये दिन शिकायतें आती हैं कि कार्य अपूर्ण हैं तो मैंने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि यह कार्य जिला योजना के माध्यम से हो जायं। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ विचार करके, जिला योजना के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत होते हैं, वह शासन में आते हैं और यहां से स्वीकृत होकर वहां जाते हैं इससे विलम्ब होता है। तो इसका विकेंद्रीकरण किया है और मंडलायुक्त को इसकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया है ताकि इसमें विलम्ब न हो।

मान्यवर, संसाधनों की कमी होने के बावजूद बाढ़ सहायता जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम ले रहे हैं उसके द्वारा भी अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो सके इसके लिये प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता के माध्यम से कई सड़कें बनायी गयीं, इसी तरह नाबार्ड की सहायता से सड़कें बनायीं गयीं हैं। जहां से सहायता प्राप्त हो सकती है उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं। बजट के अंदर जो प्रस्ताव किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 29 करोड़, 30 लाख, 91 हजार रुपये का प्रस्ताव है। विश्व बैंक से नये कार्यों के लिये 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। सब मिलाकर 37,30,91,000 का प्रस्ताव है। यह इस बात को स्वंमेव बताता है कि हम बाढ़ सहायता को लेकर आगे के कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं हमारे जो समपार रेलवे क्रासिग हैं उनके लिये चाहे वह उपरिगामी सेतु हों या अधोगामी सेतु हों हमने दोनों प्रकार के सेतुओं को बनवाया है। मैं बताना चाहता हूँ अलीगढ़ में 97-98 में अलीगढ़ राम घाट पर रेल उपरिगामी सेतु एवं जनपद गाजियाबाद में गौशाला फाटक के निकट रेल अधोगामी सेतु का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है तथा मऊ बलिया मार्ग पर सिकटिया के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हरदोई, अलीगढ़, इटावा, सुल्तानपुर तथा मेरठ में परतापुर के निकट उपरिगामी अधोगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मेरठ में सकौती टांडा के निकट रेल उपरिगामी सेतु एवं इलाहाबाद में सूबेदारगंज के निकट उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रेल उपरिगामी सेतु सुल्तानपुर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह से हम जो कार्य कर रहे हैं कि रेलवे क्रासिग के कारण कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जो कार्य कर रहे हैं विभागीय कार्यों को और अच्छा बनाने के लिये कुशलतापूर्वक हम उसका निर्वहन करें उसका पालन हो जाय इस दृष्टि से विभागीय कार्यों का कम्प्यूटरीकरण, डाटा बैंकिग, सड़कों के चौड़ीकरण से संबंधित कार्य किये गये हैं।

लखनऊ के सौन्दर्यीकरण से संबंधित, सड़कों के चौड़ीकरण, मरम्मत और भी सुव्यवस्था की दृष्टि से 44 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र में भी उद्योगों का ढंग से विकास हो उसके लिये भी मार्गों के निर्माण की व्यवस्था है। जनपद औरैया में मेसर्स गैस अथोरिटी आफ इंडिया, जनपद बुलन्दशहर में मेसर्स अगोतो शुगर केमिकल्स के कार्य, जनपद शाहजहाँपुर में मेसर्स बिन्दल एग्रो केमिकल्स, जनपद मथुरा में मेसर्स विजय श्री केमिकल्स इंडिया लि० तथा मेसर्स ए०टी०वी० पेट्रो केमिकल्स लि० कोसी कला के कार्य, जनपद सुल्तानपुर में मेसर्स मालविका स्टील प्रोडक्ट्स लि० जगदीशपुर के कार्य, जनपद मुरादाबाद में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल के कार्य के लिये व्यवस्था की गई है। औद्योगिक विकास में किसी तरह की बाधा न पड़े इस दृष्टि से कार्य किया है। इन सारे कार्यों के अतिरिक्त हमने ताज ट्रेपेजियम योजना को लिया है। लोक निर्माण और पर्यटन का बड़ा महत्व है और अगर मैं यह कह दूँ कि इनमें एकरूपता का सम्बन्ध है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगरा में ताज ट्रेपेजियम में ताज पार्क और आगरा फोर्ट को लिया है। वहाँ सड़कों की स्थिति ठीक हो सके। आगरा के अन्दर सड़कों को ठीक कर सकें जो इस ताज ट्रेपेजियम को आकर्षक बना सके, इसके लिये 10 करोड़, 65 लाख की योजना है जिसमें 24 किलोमीटर आगरा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के बायें किनारे पर उप मार्ग बनाया जा रहा है। इसी तरह से भूमि सुधार योजना है इसको भी ध्यान में रखते हुए सड़कों के विकास के लिये हमने गम्भीरता के साथ उसको लेने का और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

मान्यवर, आपको जानकारी है कि अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, जौनपुर एवं आजमगढ़ यह 390 किलोमीटर की लम्बाई में यह जिले कई स्थानों पर ऊसर से प्रभावित हैं इसके लिये 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 12.61 करोड़ प्राप्त हुई है। इलाहाबाद, एटा, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई के लिये विश्व बैंक से वर्ष 1997 में 700 किलोमीटर के लिये 96 करोड़ लागत के लिये स्वीकृत किया था। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है जहाँ लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम मार्गों के, पुलों के निर्माण का कार्य कर रहे हैं वहीं हमने अपने विभाग के अन्तर्गत जो भी अधिकारी, जो भी इन्जीनियर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में लीन हैं या अपने कार्य के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया है।

मैं बताना चाहता हूँ आज तक 350 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। हमने यह भी योजना बनायी है कि जो अधिकारी अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, ताकि उनको यह न लगे कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उनको दण्डित करने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए जो अधिकारी अपने कार्य का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उनको प्रशस्ति पत्र देकर शासन ने योजना बनाने का कार्य किया है। पारदर्शिता स्थापित करने के लिए आम जनता के लिए सड़क और मार्गों की समुचित तौर पर मानीटरिंग कर रहे हैं और इसको दर्शाने के लिए यह तय किया गया है कि जो नवीनीकरण होगा, गड्ढामुक्त अभियान होगा, नये कार्य होंगे वहां बोर्ड लगेगा। बोर्ड पर यह लिखा जायेगा "यह सड़क कितने किलोमीटर लम्बी है। इस सड़क के अन्तर्गत कौन सा मैटीरियल लगा है। मानक के अनुरूप मैटीरियल लगा है और उसी मानक के अनुसार कार्य हुआ है।" यह बोर्ड पर लिखा जायेगा। कहीं पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी समुचित जांच कराकर सम्बंधित व्यक्ति को दंडित करने में संकोच नहीं किया जायेगा। इसी तरह से गुणवत्ता कार्यों में विभिन्न स्तरों में जांच कराकर गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं। गुणवत्ता मानक के अनुरूप रहे इसकी व्यवस्था हमने की है। कार्यों की गुणवत्ता के लिए प्राविधिक सम्प्रेषण कोष उपलब्ध हैं। अनुसंधानशालाएं हैं। उनको सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, रोड फण्ड देने की कोशिश की गयी है। शासन ने तय किया है सड़क निधि की स्थापना होगी। मोटर स्प्रिट कर से धन देने की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त राकेश कमेटी ऑन इन्फ्रास्ट्रेक्चर बना है इसके द्वारा सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, इसके आधार पर पुलों, मार्गों के निर्माण का प्रयत्न कर रहें हैं। यह जो बजट आया है इसके माध्यम से कुछ नयी योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की हैं जिनके माध्यम से सड़कों का विस्तार, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का सुधार कर रहे हैं। वहीं हम गांवों को प्रमुख मार्गों से जोड़कर कीर्तिमान स्थापित कर यह प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर पुलों का भी अधिक से अधिक निर्माण हो सके, जब तक सेतु का निर्माण नहीं होगा तब तक अवस्थापना सुविधा सुव्यस्थित नहीं हो सकती। इसको भी करने की कोशिश चल रही है।

हमारा जो बजट है यह आयोजनागत प्लान बजट है। यह 866 करोड़ 14 लाख 61 हजार का है। इसमें हमने अलग-अलग तरीके से जो आपको बताया है इसमें समाहित किया है। जिसमें जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर यह दोनों मिलकर, जो हमारा जिला सेक्टर है वह 302 करोड़ 77 लाख 30 हजार का है। राज्य सेक्टर के अन्दर 540 करोड़ 79 लाख 20 हजार है। जो आयोजनागत नान प्लान बजट है इसमें अनुरक्षण आदि आते हैं। यह 232 करोड़ 18 लाख 85 हजार का है। इन आयोजनागत और आयोजनेत्तर बजट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि सुनियोजित तरीके से हम मार्ग को विकसित कर सकें और नान प्लान बजट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि अनुरक्षण के माध्यम से जो भी सड़कों की दुर्दशा है उसे सुव्यवस्थित कर सके और इस आधार पर हमने यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं सभी बन्धुओं से चाहूँगा कि हमारी इस नीयत को समझते हुए, हमारा जो संकल्प है, पूरे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलेपमेंट कैसे किया जाये, अवस्थापना सुविधाओं का विकास किस तरह से किया जाये कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश आदर्श रूप में प्रस्तुत हो सके। यह हमने करने की कोशिश की है। इसमें सभी सम्मानित साथियों का सहयोग अपेक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसमें पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। **कमी करने का उद्देश्य** विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय, उनके द्वारा संदर्भित सभी बिन्दुओं को मैं बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था, यह एक संयोग है कि पिछले साल भी लोक निर्माण मंत्री श्री कलराज मिश्र जी ने लोक निर्माण विभाग का बजट रखा था और इस अकिंचन सेवक ने कटौती का प्रस्ताव रखा था। इस बार किसान कामगार पार्टी के नेता श्री कौकब हमीद जी को कटौती रखना था लेकिन वह अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाये और यह सुखद सौभाग्य पुनः इस अकिंचन सेवक को मिल रहा है और आपने कटौती का प्रस्ताव पेश करने की कृपापूर्वक अनुमति दी है।

मान्यवर, मैंने निश्चित तौर पर पिछली बार भी बहुमूल्य सुझाव दिया था और इस बार भी प्रयास होगा कि जो उनके मन में एक अपेक्षित भावनायें विभाग की गुणवत्ता के लिए जिसकी चिन्ता माननीय मंत्री जी को है, जिसको अपने भाषण में निरूपित किया है, इस सम्मानित सदन के समक्ष हमारे सुझाव को अंगीकार करेंगे। स्वाभाविक है कि यह उनके लिए लाभप्रद होगा। माननीय मंत्री जी ने सड़क के महत्व पर प्रकाश डाला है, मैंने उनके वक्तव्य को देखा है, उन्होंने कहा है कि बहुमूल्य विकास के लिए और अवस्थापना सुविधाओं के लिए मार्ग का एक विशेष महत्व है। माननीय मंत्री जी ने इसी तरह की बात पिछली बार भी इसी सदन में कहा था और इसमें कदाचित कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सड़कों की आवश्यकता जन-जीवन से जुड़ी हुई है। ग्रामीण अंचलों तथा शहरों दोनों में आवागमन के लिए सड़कें महत्वपूर्ण हैं। माननीय मंत्री जी ने सड़कों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ सन्दर्भों का उल्लेख किया है यह कदाचित सबको पता है कि आज इस समय इतनी ज्यादा मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटर-साईकिलें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से दबाव वाहनों का बढ़ रहा है उससे सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है।

आज सड़कों की आवश्यकता तो है ही। सड़कों की आवश्यकता तो प्राचीन और आदिकाल से चली आ रही है। जब न मोटर कार थे न स्कूटर न मोटर साईकिलें थीं। आपको मालूम है कि प्राचीन काल में भारत में भी शुरू से सड़कों पर ध्यान दिया गया। 5 हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी पक्की सड़कें प्राप्त हुई थी, तांबे के रथ और पहिया प्राप्त हुये थे। सम्राट अशोक ने सड़कों का निर्माण कराया, ग्रांट ट्रंक रोड जो देश की सबसे लम्बी सड़क है को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जब जी०टी० रोड का नाम आता है तो शेरशाह सूरी को याद किया जाता है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने भी सड़कें बनवायी थी, पश्चिमी सीमान्त से पाटिलीपुत्र तक जो कि आज का पटना शहर कहलाता है। उसने पश्चिमी सीमान्त को पाटिलीपुत्र तक जोड़ा था। दुनिया में सबसे पहली सड़क सूडान में बनी थी। आज सड़कों की

आवश्यकता केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है पूरी दुनिया में है। आज आधुनिक सड़कों का इतिहास दो हजार साल पुराना हो गया है और यह भी पता होगा कि पक्की सड़कों का निर्माण 100-200 साल पुराना है। त्रेसागवे ने 1716 में तथा थामस टेलफोर्ड ने 1756 और 1757 में सड़कों का निर्माण कराया था। आज जब मोटर गाड़ियां बढ़ रही हैं तो उस अनुपात में सड़कों का निर्माण होना चाहिए। आज गांवों के लोग भी मिट्टी और खण्डजें की मांग नहीं करते हैं वह भी चाहते हैं कि पक्की सड़कें बनवायी जाये। आज यह संकल्प और इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं तो आज तुलना करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश किस स्थिति में खड़ा है और भारत की क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश का अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों से क्या है? अगर मान्यवर देखें, आंकड़ों की जो स्थिति है, उसके हिसाब से हमारे देश में 12,16,269 कि०मी० पक्की सड़कें हैं और कच्ची सड़कें 10 लाख कि०मी० के करीब हैं।

उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके अनुसार इस प्रदेश में 1,17,570 कि०मी० पक्की सड़कें हैं तथा कच्ची सड़के 96,576 कि०मी० है। इस प्रकार कुल मिलाकर 21,41,460 कि०मी० सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा राज्य माना जाता है, वहां 1,27,308 कि०मी० पक्की सड़कें हैं और 83,713 कि०मी० कच्ची सड़कें हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में 1,38,472 कि०मी० पक्की सड़कें हैं और 66,003 कि०मी० कच्ची सड़कें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 1,66,324 कि०मी० पक्की सड़कें हैं। इस प्रकार अन्य राज्य हमसे आगे हैं और हमें इन राज्यों की स्थिति में आने के लिये संकल्प लेना होगा। यदि आप पूर्व की पृष्ठभूमि में जायें तो सड़कों के संबंध में 1927 में जयकर समिति बनी, उसके बाद इन्डियन रोड कांग्रेस बनी, यदि आप लखनऊ प्लान की बात करें, बाम्बे प्लान की बात करें, यदि आप उस लखनऊ योजना का ही अध्ययन करके काम करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा।

मैं माननीय कलराज मिश्र जी का बड़ा आदर करता हूं। मेरे पास इनकी पिछली बार की बजट स्पीच रखी है और जो बजट भाषण इन्होंने इस बार प्रस्तुत किया है, उसमें बड़ा विरोधाभास है। पिछली बार इन्होंने एक संकल्प दुहराया था, लगता है, इस बार उसको भूल गये हैं। हो सकता है, वह स्पीच आपके पास न हो लेकिन अभी मैं उसका उल्लेख करुंगा तो आपकी स्मृतियां सजीव हो उठेगीं। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण अंचल 70 प्रतिशत है, इसी को केन्द्र मानकर विकास की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हमने ग्रामीण अंचलों के इस 70 प्रतिशत से विकास की प्रक्रिया शुरू की है, इन क्षेत्रों के लिये पहले यह नियम था कि जहाँ 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अब 30 प्रतिशत भी जहां अनुसूचित जाति के लोग होंगे, उसे भी अम्बेदकर गांव मानकर उसको पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा तो आज वह संकल्प कहां रह गया? पिछली बार भी आपकी सरकार थी, आज भी है। पहले इसका नेतृत्व मायावती जी कर रही थीं, इस बार कल्याण सिंह जी कर रहे हैं। दोनों ही सरकारों में आप पी०डब्लू०डी० के मिनिस्टर हैं। आज उन अम्बेदकर गांवों की क्या स्थिति है? गांव चयनित हो गये हैं, कहीं गिट्टियां पड़ी हैं, कहीं मिट्टी का काम हो गया है, आज वह सब उबड़-खाबड़ रास्ते अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। आपने अम्बेदकर योजना खत्म करके दीन दयाल योजना शुरू कर दी। आप विकास कार्य को अम्बेदकर, दीन दयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नाम पर क्यों बांट रहे हैं। आखिर नाम से क्या प्रभावी होगा।

मान्यवर, स्पष्ट कहा था कि अम्बेदकर मार्गों को पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न किया है लेकिन अम्बेदकर की परिभाषा थी कि 60 प्रतिशत वाले गांव लिये जायेंगे बाद में 30 फीसदी वाले लोगों को उसमें जोड़ा गया। कहा था कि इस काम को हम अभियान चलाकर कर रहे हैं लेकिन आज पूरे प्रदेश के विकास खण्डों में चयनित मार्गों का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, इन अम्बेदकर गांवों का भाग्य क्या होगा? ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोग न रहते हों, पिछड़े वर्ग के लोग न हों, सवर्ण न हो या अल्पसंख्यक वर्ग के न हों। गांवों का यह कम्पोजिट करेक्टरिस्टिक है। आज हर खेत-खलिहान को बांटने का काम हो रहा है लेकिन हमारे पूर्वजों ने गांव को नहीं बांटा था जिसे आपने बांटने का प्रयास किया है। उन अम्बेदकर गांवों का क्या होगा जिनके बारे में आपने संकल्प लिया था वह

हम लोगों के क्षेत्र के गांव हैं उन गांवों को पूरा करने की योजना इस बजट में नहीं है इससे उस गांव में रहने वाली गांव की जनता प्रभावित होगी और मेरा क्षेत्र भी प्रभावित होगा । पिछली बार आपने बजट भाषण को प्रस्तुत करते समय कहा था कि लखनऊ में अम्बेदकर पार्क जो बन रहा है मैं कह सकता हूँ कि वह पार्क बन जाने के बाद केवल लखनऊ का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा स्मरणीय होगा और इसे निर्माण निगम बना रहा है । हमारा निर्माण निगम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अम्बेदकर पार्क बना रहा है, केवल लखनऊ के लिए ही यह नहीं होगा, केवल यहां के लोगों के घूमने के लिए, खेलने कूदने के लिए ही नहीं होगा बल्कि वह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए स्मरणीय होगा ।

मान्यवर, स्मरणीय कौन होता है, प्रातः स्मरणीय कौन होता है, रोज जिसका आदर करते हैं वही स्मरणीय है । उस अम्बेदकर पार्क का कार्य आज बन्द हो चुका है, मायावती की सत्ता बदली और कल्याण सिंह आये तो उसी दिन से आपने आगे का बजट भी नहीं रिलीज किया और उस पर जांच हो रही है । मुख्य मंत्री जी का बार-बार बयान आया है कि अम्बेदकर पार्क का जो कार्य हुआ है उसकी गुणवत्ता में गिरावट है उसमें कमेटी बनी है । जिस निर्माण निगम की आप तारीफ कर रहे थे उसी के प्रोजेक्ट की जांच हो रही है और आपने अम्बेदकर पार्क की चर्चा भी नहीं की है । मान्यवर, 2 अगस्त, 1997 के उस भाषण के संदर्भ में मैंने यह उल्लेख किया है ।

मान्यवर, पिछले दिनों आपने कहा था कि हम एक सड़क नीति बनायेंगे और आज भी आपने सड़क मार्ग नीति की बात किया है । मैं समझता हूं कि इसको भी आप एक साल से बना रहे हैं, एक साल से यह तैयार हो रहा है । कैबिनेट में भी इसको लेकर आये थे, यह अकिंचन सेवक उस कमेटी में था उसकी एक बैठक भी नहीं थी । अब मैं नहीं जानता कि उस सड़क नीति की बैठक हुई या नहीं । आप दो बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, यह सौभाग्य है आपका । नहीं तो 6-6 महीने की सरकार थी आप सौभाग्यशाली हैं कि दूसरी बार बजट रख रहे हैं । उस सड़क नीति के बारे में आपने फिर उल्लेख किया अभी तक नहीं बन पायी, क्या कारण है ?

मान्यवर, आपने कहा था– जिस तरह से प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता है, जिले में बड़ी-बड़ी सड़कों की आवश्यकता है इसके लिए पूरे प्रदेश की मार्ग विकास नीति बने और वह बना ली है अब केवल मंत्रिपरिषद् में संस्तुति होनी है । आपने अपने विभाग का जिस तरह का आईना सम्मानित सदन को दिखाया है आप की नियत पर हमें संदेह नहीं है लेकिन चाहे मुख्य मंत्री जी आपको अच्छा कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, लोकप्रिय नहीं बनने देना चाहते हैं, कुर्सी का खतरा नजर आ रहा हो, जब सड़क नीति बन चुकी है केवल मंत्रिपरिषद् की औपचारिक स्वीकृति लेनी है आपने 1997 के बजट में दिखाया हो सकता है उस समय मायावती जी न चाहेरही हों लेकिन अब तो 9 महीने से कल्याण सिंह जी की सरकार है उसमें भी कलराज मिश्र जी के द्वारा प्रस्तावित प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क नीति को अभी तक मंत्रिपरिषद् की मंजूरी न मिल पाये तो यह आश्चर्य की बात है । 2 साल हो गये अब अगले साल तीसरा साल हो जायेगा और यह नीति प्रभावित होती रहेगी और यही सूचना रहेगी कि सड़क नीति को मंत्रिपरिषद् की मंजूरी नहीं मिल पायी ।

मान्यवर, अगर सड़क नीति नहीं बनेगी आप उसकी मंजूरी नहीं लेगें तो जो अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हम देखते हैं सड़कों की स्थिति समस्या बनी रहेगी । आप विदेश गये थे । मान्यवर, आप उसका कुछ यहां उल्लेख करते । सबसे अधिक सड़कें अमरीका में हैं 63,65,590 कि०मी०, राष्ट्रीय राजमार्ग 23,177 कि०मी० जो अमरीका के शहर अलासका से ब्राजील के शहर तक जाता है । आप कुछ लेटेस्ट तकनीकी जो विदेशों में विकसित है उसको अपनाने की बात करते और जो यहां पुरानी चीजें हैं उनको खत्म करने की बात करते । बिहार के मुख्य मंत्री जी ने सड़कों की तुलना फिल्मी हिरोइन के चेहरे से की थी । हमें आशा थी कि आप फिल्मी हिरोइन की तरह सड़क बनाने का प्रयास करेंगे । वैसे जो आपका लावण्य है, मंत्री जी बहुत सुन्दर हैं हम चाहेंगे कि उसी तरह से सड़कों का भी निर्माण हो जाये ।

विभाग की वर्तमान जो ज्वलन्त समस्या है वह यह है कि इस विभाग में 15 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और 24 हजार वर्कचार्ज पर हैं। माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं कि यह कर्मचारी रेगुलेराइज हो जायें और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात की घोषणा भी की। 8 जून, 1997 को राज्य मंत्रिमण्डल ने इन कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु फैसला भी कर लिया। उस सरकार में भी आप मंत्री थे और इस सरकार में भी आप मंत्री हैं, केवल नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। 8 जून, 97 से लेकर आज तक जी०ओ० जारी नहीं हुआ। सचिव, पी०डब्लू०डी० ने एक पत्र लिखा था। आपके द्वारा बजट साहित्य में भी उपलब्धियों में दर्शाया गया है कि हम 15 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और वर्कचार्ज के लोगों को रेगुलेराइज करने जा रहे हैं परन्तु आज एक साल से पदों का सृजन नहीं हुआ है, फाईल वित्त विभाग में पड़ी है। यदि किसी अधिकारी के पद की सृजन की बात होती है तो वह एक हफ्ते में हो गई होती परन्तु ये देहाड़ी के मजदूर हैं इसलिये एक साल से पत्रावली वित्त विभाग में पड़ी है। मैं मानता हूं कि आप प्रयास कर रहे होंगे। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि प्रायः स्मरणीय। स्व० चौधरी चरण सिंह जी के समय में भी कई हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलेराइज किया गया है। उन्होंने यहां तक किया था कि उनकी योग्यता, अर्हता तथा चयन प्रक्रिया को भी शिथिल कर दिया था। आपके सचिव श्री वी०एन० गर्ग, पी०डब्लू०डी० ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होने कहा है कि नियमितीकरण तो किया जायेगा परन्तु ये नियुक्तियां नई मानी जायेंगी।

इससे तो मान्यवर, 70 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी बाहर हो जायेंगे। यदि आपने इस आदेश को निरस्त नहीं किया तो जो कल्याणकारी योजना की संकल्पना है, वह व्यर्थ हो जायेगी। यदि आप पिछली सरकारों की भांति काम नहीं कर सकते हैं तो बहुत अनुचित बात होगी या फिर यह बात आपके संज्ञान में नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि आप प्रयासरत होंगे इन कर्मचारियों को रेगुलेराइज कराने में। आपकी जो यह लालफीताशाही है या फिर मुख्य मंत्री जी इस जी०ओ० को इसलिये नहीं निकलवाने दे रहे हैं कि कहीं कलराज मिश्र ज्यादा लोकप्रिय न हो जायें और इसका श्रेय कहीं मायावती को न चला जाय। अन्यथा मैं समझता हूं कि किसी केबिनेट में फैसला होता तो शायद लागू हो गया होता। तो इस तरह से प्रदेश की स्थिति है। अगर आप उनसे कार्य कराना चाहते हैं तो उनके साथ शोषण क्यों कर रहे हैं? या तो स्पष्ट तौर पर कह दीजिये कि जो रियायत की बात है मंत्रिमंडल ने फैसला करके उसे रद्द कर दिया है। तो कम से कम यह बात साफ तौर से सामने आ जाये कि जो कर्मचारी हैं, डेलीवेजज कर्मचारी हैं, उनका किस तरह से शोषण हो रहा है।

मान्यवर, ब्रिज कारपोरेशन की बात और निर्माण निगम की बात कही गयी। इसकी स्थापना क्यों की गयी। पी०डब्लू०डी० डिवीजन का काम सड़क बनाना है और जब उनके ऊपर लोड बढ़ गया होगा तो उन्होंने आवश्यकता महसूस की 1973 में प्रदेश में पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए कार्य की अधिकता है तो उसके लिए ब्रिज कारपोरेशन की स्थापना करें और इसी तरह से 1975 में निर्माण निगम की स्थापना कर दी गयी। आज आप उत्तर प्रदेश में ब्रिज कारपोरेशन को पुल बनाने का काम नहीं दे पा रहे हैं जो ब्रिज कारपोरेशन पूरी दुनिया के ग्लोबल टेन्डर को कम्पीटीट करता है, चाहे वह हिन्दुस्तान कम्पनी हो, गेनन कम्पनी हो उससे कम्पीटीट करते हैं आज वह ब्रिज कारपोरेशन को आप सड़क निर्माण का कार्य दे रहे हैं। नयी सड़क नीति के तहत शायद आप यह कार्य दे रहे हैं। आखिर आप उनसे क्यों काम लेना चाहते हैं और इसलिए लेना चाहते हैं कि आपने ब्रिज कारपोरेशन से एक्सपेरिमेंट के तौर पर सड़क का निर्माण काम दिया था और जो उन्होंने सड़क निर्माण किया था उसमें घटिया सामान, कम मानक का सामान लगाकर जो सड़क निर्माण में गिरावट आयी थी उसकी चर्चा पूरे समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई। आप इसकी जांच करा लें। एक जांच समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाय। ब्रिज कारपोरेशन को कुंभ मेले की सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था। जो डेनसिटी 2.33 ग्राम क्यू०सी०एम० की होनी चाहिये थी, मान्यवर, यह एक मानक है, तो उसके विरुद्ध उन्होंने 1.99 ग्राम क्यू०सी०एम० पर सड़क बनायी और आपने उसे पूरे पैसे का भुगतान करा दिया।

मैं चाहूंगा कि इसकी किसी ऐजेन्सी से जांच करा लें। आप टी०ए०सी० से इसकी जांच करा लें। लेकिन मान्यवर, आज टी०ए०सी० की जांच की गुणवत्ता वह नहीं रह गयी है। पहले यह होता था कि टी०ए०सी० की जांच होती थी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता था। लेकिन आज हो क्या रहा है कि उनके रेट बढ़ गये हैं। वे रिश्वत लेकर जांच की रिपोर्ट उनके फेवर में लगा देते हैं। मान्यवर, कुंभ का मेला जो राष्ट्रीय महत्व का मेला है उसकी डेनसिटी कम होने के कारण उसकी सड़क पांच साल तक भी नहीं चल पायी। मान्यवर, जाड़े में पक्की सड़क नहीं बनायी जाती है क्यों कि उस समय फाग आ जाता है। यह फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में बनाते हैं। इसी तरह से मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो गिट्टी डाली गयी है, वह मानक के हिसाब से नहीं डाली गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेतु निगम को सड़क बनाने का कार्य क्यों दे दिया। अगर बारीक गिट्टी डाली जाती है तो अधिक तार कोल लगता है और अगर बड़ी गिट्टी डाली जाती है तो कम तारकोल लगता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार तथा रुड़की लोक निर्माण विभाग खण्डों द्वारा एम०एस०एस० का कार्य सेतु निगम को 52 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर दिया गया है जब कि क्रेशर की गिट्टी हरिद्वार में ही उपलब्ध है। दूसरी ओर ऋषिकेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु निगम को ही यह कार्य 43.70 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर दिया गया है, जब कि ऋषिकेश के कार्यों के लिए गिट्टी दूर से लानी होती है। हरिद्वार एवं रुड़की खण्डों में एम०एस०एस० का कार्य 6 लाख वर्ग मीटर में होना है। इस प्रकार से 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अन्तर दरों में आता है जिससे एक निगम को 48 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है।

मान्यवर, हरिद्वार खण्ड द्वारा बी०एम० के कार्यों हेतु 1440 रुपये प्रति घन मीटर दिया गया है जबकि ऋषिकेश खण्ड द्वारा इसी कार्य हेतु 1812 रुपये प्रति घन मीटर दिया गया है। यहीं कार्य बी०एम० कं० द्वारा नगरपालिका में 1090 रुपये प्रति घन मीटर पर कराया जा रहा है जिससे सेतु निगम को लगभग 60 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया। सेतु निगम द्वारा जो कार्य कराये गये हैं उनकी राइडिंग सरफेश का अनुमान एक आम आदमी मार्गों पर चलने मात्र से लगा सकता है, अगर इन कार्यों की जांच करायी जाय तो लगभग 30 प्रतिशत कार्य रिजेक्ट होने योग्य हैं, इसलिए जहां-जहां सड़कें उखड़ गयी है या खराब हो गयी है उसे ठीक कराना जनहित में आवश्यक है।

मान्यवर, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जिस समय सड़क पर तारकोल डाला जाता है उस समय क्या ट्रेम्परेचर होना चाहिए। बी०एम० 163.77 और एम०एस०एस० 163.77 होना चाहिए। मिक्सड ट्रेम्परेचर 160 होना चाहिए। अभी तक आपने इन सड़कों की मानीटरिंग नहीं की है इनकी मानीटरिंग करने की आवश्यकता है अगर आप इन सड़कों को देखें तो इनकी गुणवत्ता आपको मालूम हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार के विधायक श्री अम्बरीश कुमार ने अधीक्षण अभियन्ता को एक पत्र लिखा और यह कहा कि कुम्भ मेला 1998 - हरिद्वार के कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा आपका विभाग करा रहा है, कुछ कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा भी कराये गये हैं। इन सड़कों के बनाने में आप द्वारा निर्धारित तापमान से कम तापमान पर सड़क न बनाने के निर्देश के बावजूद भी सेतु निगम द्वारा सड़क निर्माण किये जाने पर आप द्वारा जो कार्यवाही की गयी हो उसकी जानकारी देने का कष्ट करें। लेकिन उक्त पत्र का जवाब नहीं दिया गया।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

आज प्रदेश में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। इसी प्रकार आपको मालूम है कि ब्रिज कारपोरेशन पहले जो काम करता था अब एक और काम सड़क बनाने का तीसरा दे दिया है। पहले एक कान्ट्रेक्ट वर्क दूसरा डिपाजिट वर्क। डिपाजिट वर्क में अपने विभाग के पुलों के निर्माण का कार्य किया जाता है और कान्ट्रेक्ट वर्क में जो ग्रोलोबल टेण्डर में जो काम मिलता है वह करता है। अधिष्ठाता महोदय आप स्वयं पी० डब्लू० डी० मंत्री रह चुके हैं। आपको जितनी चिन्ता थी ब्रिज कारपोरेशन की दयनीय हालत को आपने ठीक करने का काम किया था उसकी अर्थव्यवस्था जो अत्यन्त खराब हो गयी थी उसको देखते हुए

आपने जो इरीगेशन विभाग के ब्रिज हैं उनको इस ब्रिज कारपोरेशन को बनाने के लिए काम दिया था। उस समय आपकी सरकार थी। तो आपको अपने सहयोगी मंत्री लोग,जो पुराने रह चुके हैं उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। 1988-89 में ब्रिज कारपोरेशन को ब्रिज बनाने के लिए सरकार की गारण्टी पर बैंकों से 40 करोड़ रुपया मिलना था लेकिन 20 करोड़ ही मिल पाया। तो वह रुपया जो 47 पुलों को बनाने के लिए मिला था,वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण पुल हैं एक नेपाल से लुम्बनी बुद्धी मार्ग पर जो राजकीय राजमार्ग है। दूसरा मध्य प्रदेश से बुद्धी मार्ग या कलवारी टाडां पुल बनना था जो फैजाबाद, मिर्जापुर,सिद्धार्थनगर, सोनभद्र,आदि को जोड़ता है,स्वीकृत है। जिसका शिलान्यास भी हो गया। पिछले दिनों जब आपकी सरकार थी उसको निरस्त कर दिया है लेकिन आज उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। जिससे अम्बेडकर नगर और जौनपुर के जो बुनकर हैं,उनको खलीलाबाद जाना होता है। उसके न बनने से अत्यन्त कठिनाई होती है। जिसमें हमारे मा० आर०के० चौधरी तथा तमाम अन्य विधायक है वह जानते हैं कि इसके न बनने से कितनी कठिनाई हो रही है।

देवरिया में भागलपुर में निर्माण कार्य हो गया था और पाये भी खड़े हैं, करोड़ो रुपये खर्च हो गये लेकिन वह काम रुका है। आपकी नियत नहीं है कि पुल बने। आपकी नीति नयी-नयी बनती रहती है और पुरानी छूट जाती है। जैसे– 1989 में रायबरेली में सड़क बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया का ऋण भी दिया गया और पाँच करोड़ के हाट मिक्स प्लान्ट खरीदे गये। लेकिन वह काम बीच में छोड़ दिया गया। वह पैसा बरबाद हो गया, तो जिस तरीके से नयी-नयी नीतियां बना रहे हैं और फिर उनको बदलते जा रहे हो तो इससे प्रदेश चलने वाला नहीं है। इससे कोई बढ़िया परफारमेन्स आने वाली नहीं है। पिछले दिनों जब मैं परिवहन मंत्री था। उसके एम० डी० अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उनको आपने बदलकर प्रमुख सचिव बना दिया। उससे यू० पी० एस० आर० टी० सी० को कोई लाभ नहीं हुआ। किसी अच्छे अधिकारी को आप एक जगह नहीं रखने देना चाहते हैं। आप किसी अधिकारी को ज्यादा दिन नहीं रखते हैं। जिससे वह जिम्मेदारी नहीं ले पाता है। जिस प्रकार से स्थानान्तरण हो रहे हैं उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी रखें उनको जबावदेह बनाना होगा और उसके लिए उनको समय देना पड़ेगा। चाहे वह छोटे स्तर या बड़े स्तर के हों। सभी को उनके कार्यों के लिए जबावदेह बनाना होगा। आपने इण्डियन रोड कांग्रेस का उल्लेख किया, आज कम्प्यूटर का युग है। आज इंटरनेट से दुनिया भर के आंकड़े, डिजाइन आपको उपलब्ध हो सकते हैं। आप ब्रिज कारपोरेशन में इंटरनेट लगायें, अपने कमरे में इंटरनेट लगाये ताकि दुनिया भर की टेक्नालाजी आपको उपलब्ध हो सके। आज जापान पुल बना रहा है। दिल्ली में पुल बना रहा है और आपका ब्रिज कारपोरेशन भी बना रहा है। आप देखिये कि जापान द्वारा कैसा पुल बनाया जा रहा है। आप दोनों पुलों की तुलना करें और अपने विभाग में गुणात्मक सुधार लाने का उपाय करें ताकि अपेक्षित परिणाम आपको मिल सके। आज पुल का कैसा डिजाइन होना चाहिये, कैसा सीमेण्ट, कंक्रीट, सरिया हो, इसके सारे आंकड़े इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप इनकी मदद से आधुनिक टेक्नालाजी को अपनाकर अच्छे पुल तैयार करवा सकते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से मंत्री जी ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने की बात कही है। बहुत सी सरकारें बनी, बहुत से मंत्री आये लेकिन यह गड्ढामुक्त करने की बात पहली बार आयी है। आप नयी सड़क बनाते हैं, जब सड़क बन जाती है और खराब होती है तो आज भी पी० डब्लू० डी० में ए० आर० एनुअल रिपेयरिंग और एस० आर० (स्पेशल रिपेयरिंग) की व्यवस्था है। इस पैसे से खराब सड़क की रिपेयरिंग होती है। पूरे प्रदेश में सड़कों के अनुरक्षण का कार्य एनुअल रिपेयरिंग के पैसे से या स्पेशल रिपेयरिंग के पैसे से कराते हैं लेकिन उसके बावजूद आपने 65 करोड़ रुपये गड्ढामुक्त करने में खर्च कर दिये। मैंने कई बार आपको लिखकर दिया, आज भी नेशनल हाइवे नं० 28 पर गड्ढे हैं, मैंने जब कहा था तो आपने कहा था कि 10 दिन में कार्य करा दूँगा लेकिन आज भी कटरा मनौरी सड़क देख लें, वह आज भी गड्ढेदार है।इसी तरह से लखनऊ-बस्ती-गोरखपुर सड़क 24 कि०मी० बहुत खराब है। इस पर पैसा भी खर्च हुआ है, इसकी आप जांच करायें। इलाहाबाद-प्रतापगढ़, आजमगढ़-जौनपुर-इलाहाबाद सड़क खराब है जिसको ठीक कराने की आवश्यकता है। आपने आज कहा कि हम रेलवे ओवर ब्रिजेज बना रहे हैं।

अलीगढ़ में बन रहा है। माननीय कल्याण सिंह जी के जनपद में पिछले साल भी बना और इस साल भी आपने उल्लेख किया है। अलीगढ़ में ही बन जाने से पूरे प्रदेश की समस्या का समाधान हो जाय तो हम सबको सन्तोष है। आप आजमगढ़ और मऊ में बना दें या गाजियाबाद मेरठ में भी बना दें तो उससे उत्तर प्रदेश की समस्या का हल नहीं होगा। लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाने वाले लोग महसूस करते हैं कि रेलवे लिंक की आवश्यकता बाराबंकी लखनऊ के बीच बिल्हौर में है। लखनऊ से गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या जाने वाले मार्ग पर आवश्यकता है। जहाँ हर 10 मिनट बाद फैजाबाद, गोरखपुर, गोहाटी जाने के लिये गाड़ियां निकलती हैं। कहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग आपने नहीं बताया है इस बजट में। जब मैं परिवहन मंत्री था तो मैंने उस समय प्रयास किया था।आपके पूरे भाषण में किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में घोषित करने का कोई उल्लेख नहीं है। जब मैं परिवहन मंत्री था तो उस समय मैंने दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले मार्ग के सम्बन्ध में प्रयास किया था और आज वह राष्ट्रीय राजमार्ग है।

(किसी माननीय सदस्य के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री जयबम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने तो केवल इतना कहा कि अगर वह इस तरह का कार्य करते तो मैं उनकी योग्यता और विद्वता का मूल्यांकन आज नहीं तो कल जरूर इस सदन में करने का आश्वस्त करता। मान्यवर, आज सेतु निगम की स्थिति क्या है? उसके पास कैपिटल पूँजी की कमी है,बैंक के कर्ज से वह लदा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी सो रहे हैं।

श्री जयबम्बिका पाल–

मुझे खुशी हो रही है कि मंत्री जी को मेरा भाषण लोरी लग रहा है। जैसे बच्चे लोरी सुनकर सो जाते हैं,वे सो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

तब तो आप मां हुए।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मां का स्थान देने का सुझाव तो माननीय नेता सदन को भा० ज० पा० के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे जी लखनऊ आये थे और वे यह सुझाव दे गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह उम्मीद नहीं थी जो लोग सदन में नहीं हैं उनकी चर्चा आप कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

आप तो उनके लाडले पुत्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी,मैं इस पीठ पर बैठा हूँ इसलिये उत्तर देना ठीक नहीं है। बाद में दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बीच-बीच में माननीय सदस्यों का व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने वाह्य सहायता, जो इन्होंने शायद जापान से मांगी है,सोनौली, श्रावस्ती, बहराइच के लिये या फिर एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के सहयोग से करेंगे, उसमें कितना पैसा हमारा लगा हुआ है,लेकिन उस पैसों के बावजूद उन सड़कों की जो हालत होनी चाहिए,वह बेकार है। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है,वह उत्तर प्रदेश सरकार के लिये ठीक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अगर अपने विभाग में कुछ परिणाम देना चाहते हैं तो मान्यवर, अधिष्ठाता जी,आप भी जब लोक निर्माण मंत्री थे,आपके जो वाक्य थे कि "नीति और नीयत जब सही रखी जायेगी तब ही विभाग का परिणाम आयेगा" को याद रखना होगा। मान्यवर,आपने नीति और नीयत सही की तो आप पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर से हटाकर वन मंत्री बना दिये गये। इसलिये यह इनको ठीक नहीं लग रहा है, यह लोक निर्माण को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपका परिणाम देख चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं।

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता 80 फीसदी है। प्रदेश का विकास तब तक सम्भव नहीं होगा, जब तक जो भी योजनायें हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। जो महत्वाकांक्षी योजनायें पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना, नगरीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना शुरू हो गयी तो सरकार बदल जाय और हमारी सरकार आ जाय तो दूसरी योजनायें शुरू कर देंगे। विकास में ऐसी योजनायें नहीं होनी चाहिए जिनसे कार्य रुक जाये। आपने दीन दयाल योजना शुरू की है,इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अम्बेडकर योजनाओं का क्या होगा? सबसे बड़ा ग्राम गाँधी ग्राम था

श्री अधिष्ठाता–

हमारे सामने विभिन्न दल के नेताओं ने नाम भेजें हैं। 29 माननीय सदस्य लोक निर्माण विभाग पर विचार प्रकट करना चाहते हैं। 7 पर्यटन विभाग पर बोलना चाहते हैं। इस तरह 36 माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। पर्यटन विभाग पर कटौती भी नहीं आयी है। तो मैं 2-2 मिनट से ज्यादा समय माननीय सदस्यों को नहीं दे पाऊँगा। इसलिये थोड़ा संक्षेप कर दें। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाल दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने कहा तो मैं बिन्दुवार बता देता हूँ। जहां तक जिला योजना की बात है, जिला योजना में जो सड़कें आती हैं,उनका विकेन्द्रीकरण करेंगे। यह आप कह रहे हैं लेकिन आपका शासनादेश सारे विभागों में गया है। जिला योजना में जो पिछले साल सड़कें स्वीकृत हुई उसमें पूरे डिवीजन में, किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने अपने क्षेत्र में मूल्यांकन किया था। तो उन्होंने कहा-एक चिट्ठी आयी है कि 7 लाख,पर किलोमीटर से ज्यादा खर्चा आयेगा तो शासन से फिर से अनुमति ली जायेगी। इंजीनियर कहते हैं अगर हम अलग से केसेज बनाकर स्वीकृति लेंगे तो हमारे खिलाफ आगे चलकर कार्यवाही होगी तो पूरे प्रदेश में जिला योजना का कार्य ठप पड़ा है। जिनकी स्वीकृतियां 1997-98 में जारी हो चुकी हैं वह सारे काम बन्द हैं। मेरे जिले में कोई काम नहीं हो रहा है,आपने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि सात लाख से ज्यादा होगा तो अनुमति लेनी पड़ेगी पहले यह था कि जो वास्तविक एस्टीमेट आता था उसके अनुसार धनराशि देते थे। आप देखते होंगे कई संस्थायें रोड कन्सट्रक्शन का कार्य करती हैं। पी० डब्लू० डी० का कार्य सड़कें बनाना है लेकिन यह काम दूसरी संस्थाओं से कराया जा रहा है, यह तमाम चीजें हैं। पी० डब्लू० डी० का कार्य पी० डब्लू० डी० से ही कराया जाना चाहिए। मिट्टी डालने का काम हरियाणा पैटर्न का है। लेकिन आपके अपने मानक हैं, अगर मानक के अनुसार काम करना है तो आपने जो प्रपत्र भिजवा दिया है उसकी वजह से सारा काम ठप है।

आपने 30 जून तक नहरों की पटरियों को पक्का करने के लिए कहा था। वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब हम अपने क्षेत्र में पी० डब्लू० डी० वालों से किसी सड़क को पूरा करने के लिए कहते हैं तो मालूम होता है कि इस समय नहर की पटरियों को पक्का करने का काम चल रहा है इसलिए कोई दूसरा काम नहीं किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

पिछले कई वर्षों से अरबों रुपये के कार्य स्वीकृत हुए थे, कोई भी सरकार आयी, उसने इनकी स्वीकृति दे दी। उन अरबों रुपयों के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने का काम किया जाएगा या नए स्वीकृत कार्यों को ही करते रहेंगे। कई कार्य जो स्वीकृत हुए और उनमें निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हुआ। कुछ में एक कोड पड गयी, किसी में दो कोड के बाद काम रुक गया, तो उसको पूरा किया जायेगा या वह कार्य रुका ही रहेगा। आप अपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे या पिक एण्ड चूज की नीति अपनायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

राज्य सम्पत्ति विभाग की यह उपलब्धि रही है कि जो पहले 50 रुपया किराया लेते थे उसको बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया। नैनीताल में एक हजार रुपये प्रति कमरे के देना होगा। दिल्ली में पहाड़गंज में भी 200-250 रुपये में ए० सी० कमरा मिल जायेगा। लखनऊ में दीप और राज में ए० सी० कमरा 200-250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिल जायेगा।

यू० पी० निवास और यू० पी० भवन में अधिकारी, विधायकगण रहते थे। वहाँ कोई सामान्य आदमी नहीं रहता था। वहाँ कई गुना किराया बढ़ा दिया।

श्री अधिष्ठाता–

आप आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

यू० पी० निवास को रेजीडेन्स कमिश्नर अपना आवास बनाना चाहते थे। यह तो कलराज मिश्रा की वजह से जिनको ओल्ड इज गोल्ड लगता है, बच गया। आज राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों की हालत बहुत खराब है। पूछने पर बताया जाता है कि हमको मेंटीनेन्श के लिए पैसा नहीं मिला। आप कौन सा गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। आज इस प्रदेश में 47 प्रतिशत माल की ढुलाई सड़कों द्वारा होती है। 68 प्रतिशत यात्री भी जीपों, प्राइवेट बसों, रोडवेज बसों से सड़कों पर ही यात्रा करते हैं। सड़कों पर यह दबाव है।

मान्यवर पहले गुड्स ट्रेन से माल ढोया जाता था। 47 प्रतिशत आज सड़कों से ढोया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह तय हुआ था कि जो 1500 आबादी के गाँव हैं, उनको सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, मैं आप से चौथी बार निवेदन कर रहा हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास कुल मिलाकर 40 माननीय सदस्यों के नाम लोक निर्माण एवं पर्यटन विभाग पर विचार प्रकट करने के लिए आये हैं। मेरा आप से विनम्र अनुरोध है कि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जरूर प्रकाश डाले क्योंकि 2 मिनट से अधिक का समय किसी माननीय सदस्य को नहीं दे पाऊँगा।

* डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि दो घन्टे का समय इस पर चर्चा हेतु विपक्ष के माननीय सदस्यों को मिलेगा। उसमें एक घन्टे का समय समाजवादी पार्टी के लिए होगा, उस एक घन्टे में हमारे जितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, उसी हिसाब से उनको समय दे दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

2.00 से लेकर 5.00 बजे तक का समय रखा गया था।

श्री अम्बरीष कुमार–

यह व्यवस्था हो गयी थी कि एक घन्टे का जो समय सत्तापक्ष का और 50 मिनट का सपा को मिलेगा उसमें हमारे सचेतक माननीय सदस्यों का समय निर्धारित कर देंगे। यह अध्यक्ष जी की व्यवस्था थी। आप एक घन्टे से ज्यादा समय सत्तापक्ष को बिल्कुल न दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन यह था, जो सूची है उसमें सत्तापक्ष के 14 नाम तथा विपक्ष के 28 माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैं चाहता था कि ये सभी माननीय सदस्य 2-2 मिनट में अपनी बात कह लेंगे तो सबको अवसर मिल जायेगा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर्यटन पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग पर सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

पर्यटन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जो संस्कृति, सभ्यता, कला एवं प्रदेश के महापुरुषों के सम्मान तथा गौरव तथा उनके दर्शन सन्देश को विदेशों में भी देने का काम करता है। ऐसे विभाग पर बहुत ही संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ऐसा विभाग है जिससे हमारे क्रियाकलापों की छाप पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाती है। यही कारण है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की ओर जहाँ पूरे देश और प्रदेश के लोगों की टकटकी लगी हो, बहुत ही संयमित होकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कड़वाहट के, तन मन धन से काम करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1972 में यह विभाग संस्थापित हुआ और 1974 में राज्य पर्यटन निगम बनाया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय 6 मुख्य परिपथ बनाये हुए हैं, उसमें एक बौद्ध परिपथ है, जो सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु को जोड़कर है। इस परिपथ के लिए विदेशों से भी अरबों रुपया अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होता रहा है लेकिन इधर सरकार की नीयत में कुछ परिवर्तन होने के नाते, जिस तरह का कार्य उस परिपथ पर होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने जो एक लम्बी सूची जारी की है कि हम क्या-क्या काम करेंगे अथवा करने जा रहे हैं, उस सूची को देखें तो पायेंगे कि इन परिपथों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है और वह भी एक विशेष मद में। वह विशेष मद एक विशेष धर्म से जुड़ा है। मेरी मंशा किसी धर्म पर चोट करने की नहीं है, लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि पैसे का सदुपयोग ठीक-ठाक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि इससे जो बाहर से पर्यटक आते हैं, या आने वाले हैं, उनकी चाहत बढ़ेगी और इससे यहाँ के पर्यटन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जापान जो सबसे ज्यादा इस बौद्ध परिपथ के पक्ष में अनुदान देने के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उदारता दिखाता रहा है, उसने वह अनुदान महात्मा बुद्ध, जिन्होंने विश्व को मानवता का संदेश दिया, जो विश्व के धर्म गुरू थे, जिन्होंने समता, समानता का सन्देश दिया, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ऐसे महापुरुषों के नाम पर प्रभावित होकर करते हैं, इस मद में आई हुई जो भी धनराशि है उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए, यह मैं अपेक्षा करता हूँ जिसका अभाव हमने देखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा परिपथ आगरा और अन्य निकटवर्ती स्थल हैं, ताज ट्रिपेजियम की व्यवस्था भी पर्यटन विभाग के द्वारा की गयी है लेकिन जो सूची जारी की गयी है विशेष तौर पर पर्यटन केन्द्रों पर, ऐसी योजनाओं में कमी करके पूरा-पूरा धन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष धर्म से सम्बन्धित मदों में खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, इसी आगरा और निकटवर्ती स्थल के पास ताज की सुरक्षा, प्रदूषण से मुक्त फतेहपुर सीकरी, लालकिला यह सभी जो पर्यटन के केन्द्र हैं, इन पर गम्भीरता नहीं दिखायी गयी, केवल इने-गिने केन्द्रों को ले लिया गया है जिनके विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा धन आवंटित करने का काम किया गया है। मैं चाहता हूँ कि पर्यटन केन्द्र कहीं न कहीं ऐतिहासिक स्थल से सम्बन्धित है और किसी न किसी महापुरुष से सम्बन्धित है।

मान्यवर, एक तरह से ऐतिहासिक स्थल किसी धर्म, मजहब का,नहीं होता बल्कि इस देश की शान, सभ्यता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक होता है। इस प्रकार इसके आवंटन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए लेकिन मान्यवर, धनों के आवंटन में यह बात साफ जाहिर हुई है। इसी तरह से मान्यवर, लखनऊ और उसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, रेजीडेन्सी है, बगल में बाराबंकी में देवां शरीफ है, इसके मेन्टीनेन्स में सरकार को जितनी तत्परता दिखायी जानी चाहिए, उसका अभाव है। अभी पिछली बार जब यहां बजट प्रस्तुत हुआ तो इत्तिफाक से और सौभाग्य से माननीय वर्तमान पर्यटन मंत्री उस समय भी मंत्री के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किये थे।

मान्यवर, आपकी ही देख-रेख में यहां पर लखनऊ में एक डा० अम्बेडकर उद्यान बना था। लखनऊ की तहजीब के लिए उसमें एक नई अद्भुत चीज आपके द्वारा हुई उसे बहन मायावती जी के शासनकाल में आपने ही कार्य करवाया था और आपके विभाग के द्वारा ही करवाया गया था और साथ ही साथ महापुरुषों की शान के प्रतीक ज्योतिबा फुले और शाहूजी महाराज के नाम पर परिवर्तन चौक बनाया गया था। वह आधा-अधूरा पड़ा हुआ हँसी मजाक का विषय बन गया है जबकि दूसरे महापुरुष पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में जो कार्य शुरू किये गये वह पूर्णता की ओर हैं और चमचमा रहे हैं। मान्यवर, जो काम रोक दिये गये हैं सरकार उनके प्रति उदासीन है। मान्यवर, वह ऐसे स्थल हैं जो प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र होंगे। इसके साथ ही साथ आज बड़े-बड़े शहरों में स्थानीय लोग शाम को सकून की जिन्दगी जीने के लिए ऐसे ही स्थलों पर जाया करते हैं।

लेकिन मंत्री जी ने उस पर पानी फेरने का काम किया है। यह लखनऊ ऐतिहासिक स्थली है, उत्तर प्रदेश की शान और राजधानी भी है। यहाँ बेगम हजरत महल पार्क है जो स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी योद्धा थीं। इसी तरह से राजा बिजली पासी यहां पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शान को बढ़ाने का काम किया है, इन सब पर निर्माण कार्य आपके दौर में शुरू जरूर हुआ लेकिन अवरुद्ध हो गया। राजा बिजली पासी के साथ ही साथ यह लखनऊ जिस महान योद्धा लाखन पासी के नाम पर बसाया गया, लखनावती से लखनऊ यहां बसा। आज कल उत्तर प्रदेश की राजधानी में इनकी स्मृतियों के संदर्भ में पर्यटन विभाग ने कुछ नहीं किया। इस पर पर्यटन मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, झाँसी, खजुराहो, माता टीला, कलींगर, महोबा का सूर्य मंदिर है जो किसी न किसी नाते पर्यटकों को चाहे वह देशी हों या विदेशी, आकर्षित करते हैं। लेकिन मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज पर्टिकुलर मद में एक विशेष धर्म से जुड़े मदों में पर्यटन विभाग के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश जो गौरवशाली और ऐतिहासिक स्थली है, उनकी अनदेखी की जा रही है, हम चाहेंगे कि इस तरह की अनदेखी का काम वे नहीं

करेंगे। इसी तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ओली पर्यटक स्थल हैं जहां आपकी स्कीमें हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैदानी क्षेत्र में जो पर्यटक स्थल आते है उसमें विदेशी आगन्तुकों की आमद क्या है और पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक स्थल हैं उसमें आने वालों की संख्या क्या है, उसके मुताबिक उसी अनुपात में हम काम करते तो पर्यटकों के आकर्षण में चार चाँद लगता।

गाजीपुर में तमाम छोटी-छोटी मिलों में आपने तमाम धन आवंटित किया है लेकिन पूरे प्रदेश की शान जो गाजीपुर में जन्मा वीर अब्दुल हमीद जैसे महान योद्धा जिसने आजादी में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिये थे, मैं आपको बधाई देता यदि उनकी स्मृति में आप कोई बड़ा काम वहां किये होते। उस विशेष योजना में वह आज भी है जहां पर उसका सौन्दर्यीकरण और उसके पर्यटन के विकास काम करने के लिए योजना रखी गयी है। चाहे मुख्य मंत्री जी का बजट हो या आपका बजट हो, विशेष बल दिया गया है। वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा व मथुरा के लिए।

ऐसे कई केन्द्र हैं जहाँ धरोहर के रूप में हमारे महापुरुषों की मूर्तियां विद्यमान हैं परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों को इस सरकार ने नजरअन्दाज किया है। इन बिन्दुओं को माननीय मंत्री जी गम्भीरता से लेंगे, को जीसीएफ के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसका सदुपयोग उसी मद में होना चाहिए जिसके लिए वह प्राप्त हुआ है। दुराव में कोई कार्य नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के रूप में उसे लेना चाहिए। इनकी कथनी और करनी में एका होता तो मैं कटौती न लाकर इस बजट का समर्थन कर रहा होता। आज प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पर्यटक स्थल हैं, यदि उनका विकास किया जाये तो देश ही नहीं पूरे विश्व का केन्द्र बन सकते हैं। दो-तीन साल में हमारे यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।

वर्ष 1996-97 और 1997-98 में जब मायावती जी की सरकार थी और कानून का राज्य था तो उस समय विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। पर्यटन मंत्री कितने संवेदनशील हैं, पिछली बार माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1997-98 में 45 करोड़ 92 लाख 48 हजार रुपये रखा था, जब मायावती जी मुख्य मंत्री थी। परन्तु इस वर्ष 43 करोड़ 81 लाख 79 हजार रुपया रखा है। खुद ही माननीय मंत्री जी ने कटौती कर दी है। यदि हम कटौती प्रस्ताव रखते तो कहते कि यह तो विपक्ष का आचरण है। आपने अपने बजट लिटरेचर में 150 करोड़ रुपये छापा है परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण पुस्तिका में पर्यटन विभाग के मद में 16 करोड़ रुपये दर्शाया है, अब किसका आँकड़ा सही है पता नहीं

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर यह छलने का काम कब तक किया जायेगा। कथनी और करनी में अन्तर कब तक जारी रहेगा। हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। श्रीमन्,मैं इसी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो पर्यटक आते हैं,उनकी सुख सुविधा के लिए हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है। जो उसके क्रियाकलाप हैं,उनको देखने से लगता है कि यह गम्भीर नहीं है। यही कारण है कि आज इस पर्यटन विभाग में चार चांद लगाने के लिए, विश्व में आकर्षण केन्द्र बनाने के लिए क्योंकि जब तक शान्ति स्थापित नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए और पर्यटन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर ले जाना चाहता हूँ। जाने अंजाने में कुछ बातें छूट गयी होंगी

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह कृपया संक्षेप में करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। तो मान्यवर, इसके विकास के लिए पर्यटन को लोक निर्माण और पुरातत्व विभाग से जोड़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, आज यहां पर शोध संस्थान की

आवश्यकता है जिसके माध्यम से पर्यटन केन्द्र का महत्व होता है, मान्यवर, देश और देश के बाहर विदेशों में है उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। गौतम बुद्ध स्थल का अपना अलग महत्व है। आज दुनिया के एक तिहाई लोग ऐसे हैं तो इन बौद्ध स्थलों को केन्द्र बिन्दु मानकर प्रदेश में आया करते हैं। जो शोध संस्थान होगा वह उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञान वर्धन का काम करता रहेगा। जो मुख्य स्थल है वहाँ पर संग्रहालय का अभाव है। जैसे बनारस और सारनाथ में संग्रहालय का अभाव है, वहाँ पर संग्रहालय होना चाहिए, साहित्य और लिट्रेचर होना चाहिए। जो भी ऐसे स्थल हैं जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु हैं जो विश्व में आकर्षक केन्द्र बिन्दु हैं उसमें संवेदनशील होकर के काम करना चाहिए और प्रदूषण से बचाव के लिए इसकी देख-रेख होनी चाहिए। जो सड़क है, बिजली है, पानी है, सफाई है, सीवर है इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

विशेषकर यातायात की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन निगम से बात करनी होगी और उसको भी सम्मिलित करके चलना होगा। गाइड का अभाव है और एक बात और है सुरक्षा। मान्यवर, पिछले 10 वर्षों में सबसे कम आमद विदेशी पर्यटकों की थी तो वह 1992 में थी। उस समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। क्योंकि अशान्ति थी, धार्मिक उन्माद था, अराजकता थी, अव्यवस्था थी इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वह उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

विन्ध्याचल में कई वाकयात हुए, पर्यटकों के साथ अभद्रता हो जाती है और कहीं-कहीं पर उनकी हत्या हो जाती है। अगर ऐसा होता रहेगा तो पर्यटक हमारे यहाँ आने में दहशत खायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार जब आप मंत्री थे तो आपकी राय से उत्तर प्रदेश को पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए कुछ चमत्कारिक कार्य करने की योजना थी आपकी सहमति से उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम से तमाम पर्यटक स्थल चलाने की बात थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ नये जिले बनाये गये हैं जैसे गौतमबुद्ध नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, शाहूजी महाराज नगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सन्त रविदास नगर, कबीर नगर और ऊधम सिंह नगर। यह ऐसे स्थल हैं जिनमें महापुरुषों की स्मृतियां जुड़ी है और हमारे प्रदेश के गौरव को देश और विदेश में बिखेरते हैं। इनको जिस प्यार से सृजित किया गया है उसी प्यार से उनको आगे बढ़ाया जाय।

मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि 1996 में जो भारतीय पर्यटक उत्तर प्रदेश में आये उनकी संख्या 5238.62 लाख थी और जो विदेशी पर्यटक आये उनकी संख्या 6.33 लाख थी इस प्रकार से कुल पर्यटक 5244.95 लाख थी वर्ष 1997-98 में 592.48 लाख देशी पर्यटक और 6.96 लाख विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में आये इस प्रकार से कुल 599.44 लाख पर्यटक यहाँ पर आये। मान्यवर, ये आँकड़े 1997 दिसम्बर तक के हैं।

मान्यवर, अगर आपका निर्देश होगा तो मैं बिना कटौती का प्रस्ताव रखे ही चला जाऊँगा आपका आदेश सर आँखों पर है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यटक आये उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मान्यवर, 1996 में देशी पर्यटक 160.53 लाख आये और विदेशी पर्यटक 0.47 लाख आये इस प्रकार से कुल 161 लाख पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों में आये। यह पर्यटक स्थलों पर इतिहास में सबसे ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटकों के आने का कार्यकाल रहा है। यह संख्या किसकी बदौलत बढ़ी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, यह संख्या उस समय की है जब मायावती जी यहाँ पर मुख्य मंत्री थी और आपका भी सहयोग था और आपके ही कार्यकाल में ये हुआ, लेकिन उस समय कानून का राज्य था।

सुख साधन कर से प्राप्त आय पर्वतीय पर्यटन स्थल से वर्ष 1996-97 में 1 करोड़ 93 हजार 988 और 1997-98 में 1 करोड़ 77 हजार 230.04 है तो यह भी उसी कार्य काल का है। इससे भी ज्यादा उपलब्धि मैदानी क्षेत्रों से रहा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

* श्री लाल जी वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या कटौती प्रस्ताव रखने वाले को भी समय सीमा में रखेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी ने बजट के लिये पुकारा था तो कहा था कि सत्तापक्ष के लिये एक घन्टा माननीय मंत्री के भाषण सहित, विपक्ष में स० पा० सबसे बड़ा दल है इसके लिये 1 घंटा और उसके बाद बसपा जो दूसरे नम्बर पर है उसके लिये पौन घन्टा तो उस हिसाब से तो समय दें।

श्री अधिष्ठाता–

आधा घंटा हो गया।

श्री भरत सिंह–

माननीय मौर्य जी बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 15 मिनट तो मेरे सत्तापक्ष के सदस्यों नें टोक-टोक कर ले लिये हैं तो उसको भी ध्यान में रखें।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विश्व में जिनके नाम से जाना जाता है, वह हमारे प्रदेश के गौरव हैं, शान हैं संत कबीर दास जो अनपढ़ होते हुए भी विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी जन्मस्थली लहरतारा को विकसित करने की बात है मगहर और लहरतारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। उस पर सरकार को संवेदनशील होकर देखना होगा। उस महान दार्शनिक ने विश्व को प्रभावित किया है। आज भी उस कबीर को महान दार्शनिक मानते हैं। तो उनकी जन्मस्थली को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का काम करेंगे जिस तरह से बौद्ध परिपथ बनाये गये हैं उसी तरह से इनको भी विकसित किया जाय। इसी तरह से और भी स्थल हैं जिनको पर्यटकों के लिये विकसित किया जाना चाहिए। गौतम बुद्ध का ननिहाल देवदह है उसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस प्रकार के बहुत से बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर संग्रहालय होने चाहिए इस पर सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जैसे कपिल वस्तु, देवदह, श्रावस्ती, सारनाथ संकिता आदि को पर्यटक स्थल विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। इनको विकसित करने की विशेष योजना बनायी जाय।

इसी तरह से जैन मंदिर है उनका भी विकास करना आवश्यक है। फिरोजाबाद में एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है। यह ऐसा स्थान है जो उनकी जन्मस्थली है। आज भी वह पूरे देश और विदेशों में प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की चूड़ियां भी प्रसिद्ध हैं हमारे उधर के साथी चूड़ियां पहनने जाते हैं। (व्यवधान) तो उस स्थल को भी विकसित करने की विशेष योजना बनायी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा कि जो सुझाव दिये गये हैं उसके मुताबिक कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज शोध संस्थान और संग्रहालय को खोलने का काम करें। इनकी आज बड़ी आवश्यकता है। मान्यवर, महाराज नहुष कोटि सरजू तट पर स्थित है यह रामायण द्वारा प्रमाणिक है। मान्यवर, यहाँ पर 4 योजना यानी में नहुष कोटि से दूर 16 कोस की दूरी पर तमसा नदी के किनारे जहां पर महाराज भृगु का आश्रम हैं व हुए हैं वह स्थान लेकिन अयोध्या साबित नहीं है। वर्तमान अयोध्या अयोध्या नहीं बल्कि साकेत नगरी है जो महाराज प्रसेनाजित जी के कार्यकाल में बौद्ध नगरी थी पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई हुई है वह एक बार नहीं तीन बार हुई है और हर बार वहां बुद्ध से सम्बन्धित प्रतीक, अवशेष और सामग्री प्राप्त हुई है। उसमें कहीं भी अयोध्या का नाम नहीं है।

वहाँ जो भी सामग्री मिली है वह बौद्ध संस्कृति और सभ्यता की मिली है इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ पर आपसी टकराहट न हो साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे इसलिए आवश्यक है कि आज शोध संस्थाओं की व्यवस्था की जाय ताकि पर्यटन केन्द्रों का उचित विकास हो सके। मान्यवर, इसी कड़ी में तमाम ऐसे स्थल हैं जो पुराने इतिहास को साक्ष्य देकर बता सकते हैं जिनको आज देवी या तथाकथित भगवान के नाम पर कर दिया गया है। आज पर्यटन केन्द्रों के विकास के साथ-साथ शोध संग्रहालय आवश्यक हैं। इतिहास वेत्ता शोध के माध्यम से बता सकते हैं कि वास्तव में यह स्थान किससे सम्बन्धित है। आज जो पुरातत्व महत्व के स्थल हैं वह करोड़ों अरबों रुपयों की आमदनी करा रहे हैं इनका उचित विकास करके आमदनी में और इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं यह सुझाव दूँगा कि जो एतिहासिक स्थल हैं उनके विकास के लिये सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहूँगा कि यहां पर लाखन पासी का किला है, बिजली पासी का किला है। इसी तरह से उन्नाव में राजा शातन पासी का एतिहासिक स्थल है हमारे विधान सभा क्षेत्र राजा डालदेव का जो गंगा के किनारे स्थित है और उन्हीं के नाम पर उसका नाम भी उतामऊ है वह स्थान बहुत ही रमणीक है तथा जगह पुरातत्व के महत्व की है।

इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे वि० स० क्षेत्र के शेहनिया में राजा माहे पासी का किला है उसके खण्डहर विद्यमान हैं वहीं किले के पास में मात्र दो किलोमीटर पर एक तालाब है जोकि समसपुर पक्षी विहार के रूप में अच्छा पर्यटन केन्द्र विकसित किया गया किन्तु लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किला मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और तालाब श्री कोरी के क्षेत्र में पड़ जाता है। इसी तरीके से भिन्न-भिन्न जिलों में अन्य स्थान हैं। रायबरेली में महास्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भीरा पासी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रतापगढ़ में राजा मानिक चंद . . . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। बहुत समय हो गया है। आपके और सदस्यों को समय नहीं मिल पायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

हमारे सम्मानित साथी चाहते हैं कि हम ज्यादा बोलें इसलिये व्यवधान डाल रहे हैं। अगर चाहते कि मैं जल्दी खत्म कर दूँ तो बीच में व्यवधान न डालते। मान्यवर, प्रतापगढ़ में राज मानिकचंद थे उन्हीं के नाम पर मानिकपुर बसा हुआ है। इन जगहों को पर्यटक स्थल बनाने के लिये, विकसित करने के लिए कोई योजना नहीं है। इलाहाबाद में पर्यटक केन्द्र बनाने के लिये कोई बजट के अन्दर प्राविधान नहीं है जबकि यह भी ऐतिहासिक नगरी है। पर्यटन केन्द्र विकसित करने के लिये कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ है तो मंदिर बनाने का, मंदिर के जीर्णोद्धार का, घड़ी घंटा लगाने का काम हुआ है। मैं कह देना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश का विभाग है किसी एक के बाप की बपौती नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उदारता के साथ पर्यटन केन्द्रों की स्थापना के लिए, उनकी बढ़ोत्तरी के लिए माननीय मंत्री जी जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कार्य को साबित करें। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो पिछला बजट था उससे इस बजट में कटौती कर दी है। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो सुझाव उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास केन्द्र के परिप्रेक्ष्य में दिये गये हैं उस पर गम्भीरता से काम करेंगे।

आज जो उत्तर प्रदेश से सन्देश जा रहा है वह कहाँ जा रहा है? देश और विदेश में जा रहा है। आज पर्यटन केन्द्र के नाम पर मंदिरों का काम किया जा रहा है। आपके ऊपर ऐसी उँगली न उठे इससे बचने के लिए आप प्रयास करें। इसके साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सत्तापक्ष के सभी उन साथियों को जिन्होंने बीच-बीच में व्यवधान डालकर हमको बोलने का ज्यादा समय दिया है। इसी के साथ मैं फिर से कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, अभी समाजवादी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोला है। हर आदमी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहता है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सूची के हिसाब से बुला रहा हूँ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बहुमुखी विकास के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय किसी प्रदेश जिले या क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का बहुत महत्व होता है मान्यवर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है मैं दूसरी बार विधायक हुआ हूं पहली बार भी मैं 1991 में विधायक हुआ था। महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहली बार जब से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है लोक निर्माण विभाग की, नई-नई योजनायें उत्तर प्रदेश में मार्गों के निर्माण के लिए बनी हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के हर विधायक को दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना के तहत....

(व्यवधान)

इससे लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में मार्ग के निर्माण के अवसर मिले हैं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह अपना भ्रम निकाल दें मैं आग्रह करना चाहता हूं मैं अगर बिना बोले रह गया तो संभव है कोई विपक्ष का आदमी बोल ले।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

यह धमकी है इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री भरत सिंह–

यह लोग एक-एक घंटे आधा-आधा घंटे बोल लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात कहें माननीय सदस्य से बात न करें।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत धैर्य से सुनता हूं मैं उत्तर प्रदेश के अन्दर लोक निर्माण विभाग की ओर से....

श्री इकबाल महमूद–

मान्यर, यह पहले अपने शब्द वापस लें।

डा० वकार अहमद शाह--

मान्यवर, इनके द्वारा कहे हुए शब्दों को कार्यवाही से निकलवाईए।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह--

दीनदयाल योजना के तहत उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में चार-पांच किलोमीटर सड़कों का निर्माण।

श्री इकबाल महमूद--

मान्यवर, इन्होंने धमकी दी है उसे निकलवाईए।

श्री भरत सिंह–

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण मंत्री जी ने जो प्लान बनाया है एक हजार की आबादी के आस-पास के गांव को और दो हजार के आसपास के गांव में हर विधान सभा क्षेत्र में चार-चार सड़कों का चुनाव करने का मौका मंत्री जी ने दिया है। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि यह अवसर पिछली किसी भी सरकार ने विधायकों को लोक निर्माण मंत्री की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय मैं कहना चाहता हूं।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, आप सत्तापक्ष के सदस्यों को इतना समय दे रहे हैं मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भरत सिंह–

अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं माननीय कल्याण सिंह जी की अगुवाई में लोक निर्माण मंत्री जी की अगुवाई में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क बनाई हैं–(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) जिस प्रकार से कल्याण सिंह जी ने घोषणा की है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश की सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने की है मैं इस बात के लिए वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं। तथा सड़के गढ्ढा मुक्त की गई।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भरत सिंह–

राष्ट्रीय मार्ग राज्य मार्ग और जिले के जो सम्पर्क मार्ग है। उनको गढ्ढा मुक्त करने का काम इस सरकार ने किया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भरत सिंह–

यह घोषणा की गई है कि सन् 2005 तक एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

(कई सदस्यों के लगातार बोलते रहने के कारण व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा की है कि सन् 2010 तक दो हजार या अधिक आबादी वाले गावों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो बोलेंगे लिखा नहीं जाएगा।

श्री भरत सिंह–

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री जगदम्बिका पाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया। जिस विभाग के बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं वह हमारी सभ्यता का प्रतीक भी रहा है, हमारे विकास का प्रतीक रहा है और साथ-साथ हमारी समृद्धि का प्रतीक भी रहा है। जब हम पथ की बात करते हैं, रास्ते की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पथ प्रदर्शक हैं उनको हम कितनी मान्यता देते हैं, पथ प्रदर्शक को हम कितना सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपना पथ प्रदर्शक माननीय कलराज मिश्र जी को चुना लेकिन यह विडम्बना है कि माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हैं। यह संस्कृति के विपरीत बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मार्ग नीति के बारे में। अभी श्री जगदम्बिका पाल जी ने चर्चा की कि मंत्री जी कह रहे थे मार्गनीति बन रही है, उसको हम सदन के सामने रखेंगे लेकिन अधिष्ठाता महोदय इससे अच्छा अवसर, जब आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बहस हो रही है, कोई नहीं हो सकता था। यह उचित भी, और सामयिक भी होता अगर लोक निर्माण मंत्री जी उस मार्गनीति की घोषणा आज ही सदन में करते। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह बात कही है कि हम विकास को दलगत राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हम दल की राजनीति से ऊपर रखकर सर्वानुमति से इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। बेहतर होता अगर हमारे लोक निर्माण मंत्री जी अपनी कैबिनेट कमेटी के साथ-साथ सदन में विभिन्न दलों के नेताओं से भी विचार-विमर्श करते। जैसा आप जानते हैं कि 1989 के बाद से कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो 5 वर्ष तक चली हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में स्वयं स्वीकार किया कि प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता है और विकास प्रभावित हो रहा है, इसलिए विकास को दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहते हैं लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो दल-विशेष के नेता के नाम पर योजनायें चलाने की बात कहेंगे। सर्वानुमति की बात मैंने कही है और माननीय मंत्री जी इस बात को करते तो इस प्रदेश के लिए एक अच्छी दिशा हो सकती थी।

आज मल्टीपिलीसिटीज ऑफ एजेन्सीज हैं जो रोड बनाने का काम करती हैं, यह कोई 7 लाख, कोई 6 लाख और कोई 5 लाख में सड़क बना रही हैं। इसमें कोई अच्छी सड़क, कोई खराब सड़क बना रही हैं। जब हम यह देखते हैं तो भ्रम हो जाता है कि कौन सी सड़क किस विभाग ने बनायी है। यह सारा संकट मार्ग नीति न होने की वजह से है। यह अगर बन जाती तो कोई भी सरकार आती तो हम उसको स्थायी मार्ग नीति दे पाते और इसका लाभ हो पाता, आज जैसी सरकार चल रही है, पूरा देश जानता है। जब यह कैबिनेट सब कमेटी में एक राय नहीं हो सकी है अगर यह सरकार सर्वानुमति की बात करे तो यह हास्यास्पद के अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। यह तो मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दूसरी मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा हमारी त्रुटिपूर्ण है।

आज माननीय मंत्री जी ने रोड कांग्रेस और तमाम बातें बतायी, जो सड़कें और पुल हम बना रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने विभाग का बजट प्रस्तुत किया और पूरी कार्ययोजना दी उसमें माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया लेकिन माननीय मंत्री जी क्या सदन को बताने की कृपा करेंगे कि रोड सेन्सस पिछले 8 वर्षों से हुई या नहीं हुई। इनके विभाग को मालूम नहीं है कि इस रोड पर कितना यातायात है, कितने वाहन एक घण्टे में गुजरते हैं और उस हिसाब से कितना सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण करना चाहिए, उसकी विशिष्टयां किस हिसाब से करनी चाहिए। इनके विभाग को यह भी मालूम नहीं है। बजट की किताब में तो लिख दिया लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मान्यवर, कुम्भ मेला के दौरान हरिद्वार—दिल्ली मार्ग पर एक पुल बनाया गया अगर वहां ट्रैफिक सेन्सस कराया गया होता तो कम-से-कम वह फोर लेन का बना होता और उसकी चौड़ाई भी बढ़ायी गयी होती। संयुक्त मोर्चा सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पिछले वर्ष दिसम्बर में उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का काम किया।

आज पूरे हिन्दुस्तान में मात्र 33 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे हिन्दुस्तान का 20 प्रतिशत है लेकिन हमारा मार्ग 3 हजार किलोमीटर से भी कम है और कुल प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश सरकार का केन्द्र सरकार में विचाराधीन है वह मात्र 7-8 सौ किलोमीटर सड़कों का है। इसलिए केन्द्रीय सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते कि केन्द्र सरकार हमारे प्रस्तावों पर सहमति नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक दीघ्रकालीन योजना का निश्चित रूप से हमारे विभाग में कमी है और जिन आधारों पर सड़कें और पुल बना रहे हैं उससे 4-5 साल बाद स्थिति भयावह होगी। जिस गति से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आवागमन बढ़ रहा है उस हिसाब से सड़कें अपर्याप्त हो जाती है और पुनः नये ढंग से बनाना पड़ता है। यह स्थिति सड़कों के बारे में है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं। जब हम सड़कों की बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं तो दीर्घकालीन योजना बनानी होगी और जो 8 वर्ष से रोड सेंसेस का काम रुका है, उसको आप पूरा करायें ताकि सड़कों के संबंध में योजनायें सही ढंग से बन सकें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक के संबंध में। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बहुत सी जगहों पर सड़कों केचौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। यह वर्ल्ड बैंक के अधिकारी मुख्यालय पर बैठते हैं, लेकिन उसके खंड और सर्किल नहीं हैं या हैं तो बहुत कम हैं। जो इसके अलावा जो नियमित सर्किल हैं, उनके माध्यम से इन्हें काम लेना होता है इस प्रकार इनका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे इनके पास नहीं है, इसलिये विश्व बैंक के कामों में लापरवाही हो रही है, अतः विश्व बैंक के मंडल और खंड अलग से बनाये जाने चाहिये। इस समय विश्व बैंक के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसमें कुल 788 कि०मी० पर काम होना है, जिसमें से 198 कि०मी० माननीय मंत्री जी के क्षेत्र का है, 186 कि०मी० माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का है, इस प्रकार इसमें भी स्थानों का चयन ठीक से नहीं हुआ। यदि रोड सेंसेज हुआ होता और यदि उसमें पाया जाता कि मंत्री जी के क्षेत्र में जरूरत है, वहां काम होता तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसी हाउस में कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है और क्रियाकलाप इसके विपरीत है। यदि इसी भवना के अनुरूप काम किया गया होता तो मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता।

इसके साथ ही दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, भाषा की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से तो वह बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन आजकल जो एक आमचर्चा है, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस संगठन से माननीय मंत्री जी जुड़े हैं, जिसके स्वंयसेवक रहे हैं, उन्हीं के लोक आमचर्चा करते हैं कि मंत्री जी बड़े ईमानदार हैं बड़े सच्चरित्र हैं, बड़े नैतिकता और आदर्श को मानने वाले हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी हम जिस राम के आदर्श की बात करते हैं, उन्होंने तो सीता का त्याग कर दिया था, एक व्यक्ति के कहने पर कि यह रावण के घर रहकर आई है, तो राम ने सीता का त्याग कर दिया। लोक मत का आदर करते हुए आज माननीय मंत्री जी के एक

सहायक हैं, बहुत योग्य हैं, और माननीय मंत्री जी की कलम बिना उस सहायक की राय के चलती/हिलती नहीं है। यह चर्चा आज सत्ता के गलियारों में जोरों से है। यदि वह बहुत काबिल हैं, माननीय मंत्री जी के सलाहकार हैं तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि माननीय मंत्री जी उन्हें राज्य मंत्री बनवा लें तो इससे उनको भी लाभ होगा और चर्चायें भी बंद हो जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, कुम्भ की बहुत चर्चा आई, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कुम्भ में माननीय मंत्री जी, यह तो सदाशयता वाले हैं लेकिन इनके नाम पर हरिद्वार में जो कुछ हुआ है, वह मैं जानता हूं, विस्तार में नहीं कहूंगा। मान्यवर, हरिद्वार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल एक विभाग को लिया है। सिंगिल आउट किया है जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारोक्ति की है कि हरिद्वार में भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी जांच रुड़की विश्वविद्यालय से करवायेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह कलराज जी को देखना नहीं चाहते हैं। नहीं तो क्या कारण हैं कि एक विभाग को सिंगिल आउट किया है और जो रोमेश भंडारी जी के अभिभाषण की इस पुस्तिका में भी है–

"कुम्भ मेले के कार्यों की उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है और जहां गुणवत्ता में कमी पायी गयी है, उन मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गयी है। गुणवत्ता में पायी जाने वाली शिकायतों की जांच रुड़की विश्वविद्यालय की टीम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।"

अब इसमें जब मैं यह सवाल पूछता हूं लोक निर्माण मंत्री जी से कि जांच किसके द्वारा की जायेगी तो यह कहते हैं कि प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम और लखनऊ राज्य के सम्परीक्षा कोष्ठ के द्वारा करायी जायेगी। मान्यवर, एक ही सरकार के दो मंत्री हैं एक तो माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हैं और दूसरे लोक निर्माण मंत्री कलराज जी हैं। मान्यवर, एक सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त की धज्जियां उड़ाई गयी है तो ऐसा क्यों है इसे माननीय मंत्री जी बतायें। यह रिकार्डेड बात है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सीधा-सीधा रिफलेक्शन लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर ही किया है। इसमें अगर नैतिकता की बात है तो माननीय मंत्री जी को स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं। लोग सड़कों के किनारे को ऊँचा करते हैं जिससे सड़कों पर पानी आ जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको दंडित किया जायेगा यदि नहीं तो जो अम्बादी के अन्दर की सड़के गुजर रही हैं उसको कंक्रीट से बनाने जा रहे हैं जिससे उसको नुकशान न हो।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो आपके प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्ग और स्टेट हाइये हैं वह तारकोल से बनाये जा रहे हैं अगर माननीय मंत्री जी गणना करा लें, और सारी सड़के सीमेन्टेड बना दी जाय जैसे बम्बई, महाराष्ट्र आदि में सीमेन्टेड सड़के बन रही हैं, तो इस पर खर्चा कम आयेगा और इससे गड्ढा मुक्त करने के लिए जो फण्ड में अफरा-तफरी मचती है वह भी नहीं होगी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जिला योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया है कि एक हजार के ऊपर के आबादी को जोड़ा जायेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी इकाई जिले को न मानकर विधान सभा क्षेत्र को मान लें तो अगर हमारे यहां 1000 की आबादी के कोई गांव नहीं बचते हैं तो जो उससे कम आबादी के हैं, हमारे जिले के हैं उनको जोड़ने की छूट मिल जायेगी। मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रखे गये पर्यटन विभाग पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। श्रीमन्, पर्यटन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। फ्रांस और स्वीजरलैण्ड का जो राजस्व है, उसका क्रमशः 40 और 70 प्रतिशत भाग पर्यटन से आता है। मगर हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर्यटक स्थल ऐतिहासिक, धार्मिक, प्रदर्शनीय बहुत हैं, पर्यटन सुविधायें इन स्थानों पर आज भी उलपब्ध नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि 1989 के बाद 1998 तक वाराणसी में कितने वी०वी०आई०पी० विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आये और 1951 से लेकर 1989 तक वाराणसी में कितने राष्ट्राध्यक्ष विदेशी आये। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आने का अर्थ ही उस क्षेत्र का आर्थिक एवं व्यापाकिर विकास है। बड़ी पुरानी कहावत है पहले घर में दिया जलाकर फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है। आज वाराणसी संवेदनशील स्थल है वहां कोई नहीं आता है। वहां के लिए विशेष तौर से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत सरकार स्वीकृति नहीं देती है, प्रोटोकाल रोकता है।

गग्ङा तरंग रमणीय जटा कलापम्
गोरी निरन्तर विभुशितवाम भागंम्
वाराणसी प्ररपति भजु विश्वनाथम्।

वहां पर आपने पहले कह दिया कि नव निर्माण हो रहा है। क्या कोई इस बात को बदल सकता है कि मोहम्मद बिन कासिक ने आज से 11 सौ वर्ष पूर्व सिंध पर आक्रमण किया था। क्या कोई बदल सकता है कि सिन्ध का राजा दाहिर पराजित हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। वह भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। क्या इसको झुठलाया जा सकता है कि 1857 में मुस्लिमों का राज था, यह कहना कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, श्रीमन्, अहिल्या बाई ने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का पुनरोद्धार किया।

श्रीमन्, जब वहां के पंडितों से अहिल्या बाई ने यह जानकारी प्राप्त की कि वर्तमान मंदिर क्या तोड़ा जा सकता है, जवाब हुआ नहीं। सनातन धर्म के अनुसार हमारे पुराण के अनुसार हम किसी का पूजा स्थल तोड़ कर के नया पूजास्थल नहीं बना सकते हैं। अहिल्या बाई जितना ऋषियों का कोई बड़ा भक्त नहीं हुआ। पर्यटन कैसे विकसित होगा। मथुरा, राजस्थान के करीब में है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहां मेला लगाया जा सकता है, पर्यटक आते हैं उनकी व्यवस्था होती है। और, मथुरा की रासलीला समाप्त क्योंकि वह संवेदनशील है, यह माना जायेगा। माननीय मंत्री जी फिल्म को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दीजिये इसी से उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनसंख्या का विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाइयें और पर्यटन के क्षेत्र में आप सुविधाएं दीजियें तभी देशी और विदेशी पर्यटक यहां आयेंगे जिससे इस प्रदेश और सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। लोकलेखा समिति अभी केदारनाथ यात्रा पर गयी थी वहां पर कोई सफाई नहीं, कोई मूत्रालय नहीं है और न ही कोई चिकित्सा व्यवस्था है। केदारनाथ किसी एक की धार्मिक संस्था नहीं है। बनारस में शंकर, हिमालय में केदार, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर तथा बिहार में वैद्यनाथ हैं, यह भारत का नक्शा बना था। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, एकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट भी आ गयी है कि यह जिला गलत बनाया गया है। 15 लाख आबादी का मानक होता है उससे कम आबादी का जिला नहीं बन सकता। हम अपनी बात को मनवाने के लिए यहां पर अपनी बात करते हैं, यह वह मंच है जहां पर हम खुलकर प्रदेश की समस्याओं का वर्णन करते हैं। किसी पार्टी विशेष की यह सरकार नहीं है अपितु 16 करोड़ आबादी की यह सरकार है इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह 16 करोड़ लोगों की जिन्दगी को ऊपर उठाये उसके लिए एक मात्र माध्यम है पर्यटन।पर्यटन शिक्षा नीति और दिशा देता है। माननीय मंत्री जी के सफल प्रयासों से हमें इस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी।

मान्यवर, सड़क निर्माण के बारे में कहना चाहता हूं। करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। रेल से भी ज्यादा आवागमन सड़क के माध्यम से होता है। आप सड़क पर चलने वालों से कहते हैं दाये-बायें देख कर चलों,

कबड्डी खेलने, फुटबाल खेलने और क्रिकेट खेलने के लिए तो होता नहीं। श्रीमन्, एक्सीडेंट हो गया, 20 टन माल लेकर एक ट्रक चल रहा है। 40 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है। सामने बच्चे आ गये और जब उसने एकदम से ब्रेक मारा तो वह पलट गया। अब आगे-पीछे जितना ट्रैफिक है वह जाम हो गया। तो हमारे लोक निर्माण विभाग के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो कि पलटे हुए ट्रक को ठीक कर सके, तो इस तरह से तीन-तीन किलोमीटर तक जाम लग जाता है। इसके लिए कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून बनाया जाय सड़क चलने के लिए। आज इस देश और प्रदेश में आवश्यकता है कि हमारे पास सामान सुलभ हो। इसी सदन में महंगाई के संबंध में घोर हंगामा मच रहा था, तो अगर समान आवागमन निरन्तर होते रहें, तो महंगाई पर कंट्रोल हो सकता है और यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप व्यवस्था करो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो माननीय लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट वास्तव में एक कर्मठ, सुयोग्य व्यक्ति द्वारा बनाया गया है और इससदन में लाया गया है। बजट को देखने से यह लगता है कि यह बजट पूर्ण संतुलित बजट हैं। मैं इसके माध्यम से जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है जिसके आंकड़े भी उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं, कुछ बिन्दु जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें सरकार ने लिया है। विकास के लिए उनकी तरफ इस बजट का समर्थन करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, यह प्रदेश गांव का प्रदेश है और 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और गांव से शहर और नगर को जोड़ने के लिए सड़के हैं।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में इस हेतु योजना बनायी हैं। आपने सड़कों को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम दिये हैं, वह स्तुत्य हैं, जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, वह कई दृष्टिकोण से उपयोगी है। जो भी योजनाएं बनायी गयी हैं, वह हर दृष्टिकोण से सही हैं। आपने कहा कि पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जो एक हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव हैं, उन्हें सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है, ऐसे गांव जो कीचड़युक्त हो जाते थे, जहां पर चलने की सुविधा नहीं थी, रेलवे के लिए कोई साधन नहीं था, जो किसान अपनी उपज और खाद्यान को बाजार में ले जाने में कठिनाई महसूस करता था। आज इसके माध्यम से अपनी उपज और खाद्यान को बाजार पहुंचाने में कामयाब होगा। मान्यवर, सेतु निर्माण की योजनाएं जो माननीय मंत्री जी ने रखी हैं, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से यह जानकारी दी गयी है कि प्रदेश में ऐसी योजनाओं में 40 सेतु का निर्माण हो चुका है और बहुत से निर्माणाधीन है।

मान्यवर, नहर की पटरियों को पक्का कराने की योजना आपके द्वारा रखी गयी है। यह बहुत उपयोगी हैं क्योंकि हमारे देश और प्रदेश में नहरों का जाल है और वहां आने-जाने में कठिनाई होती है और ऐसे मार्गों में एक्सीडेंट होते थे। आज उन नहरों के माध्यम से जो सड़कें बनायी जा रही हैं और जो एक्सीडेंट होते थे, उसमें कमी आयी है। डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग योजना जो आपने बनायी है, वह स्वागत योग्य है। इस योजना से नगरों और बाजारों में जो पानी भर जाता था या कीचड़ हो जाता था, उसकी समस्या दूर हो जायेगी, यह आपका जो कार्य है सराहनीय है। मान्यवर, आपने गड्ढा मुक्त सड़कों की योजना दी है, यह एक अच्छा कदम है। चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सभी लोग अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं और उन्हें आने-जाने में कठिनाई हुआ करती है, उनकी वह कठिनाई इस योजना से दूर हो जायेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना दी है वह स्वागतयोग्य है और सराहनीय है। मान्यवर, आज पर्यटन से पूरे प्रदेश में हमें बहुत सी इनकम होती है उत्तर प्रदेश में ऐसे पर्यटक स्थल है जो पूरे विश्व में नहीं है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो पर्यटक स्थल हैं जैसे आगरा, मथुरा और वाराणसी, इनके सौन्दर्यीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके विकास के लिए नयी योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अब अपने जनपद भदोही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भदोही जनपद पूर्वांचल का जिला है। यहां पर सीतामढ़ी एक ऐसा स्थल है जो पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस स्थल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पर देश और विदेश के पर्यटक आ रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वहां एक मार्ग धनतुलसी, डेगुरपुर है, इस पर गंगा नदी पर पुल नहीं है, अगर पुल का निर्माण हो जाये, तो यहां पर पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ सकती है एक स्थान कोनिया है जो तीन ओर से गंगाजी से घिरा है। यहां पर एक पुल बन जाये तो बहुत उपयोगी होगा। माननीय मंत्रीजी अभी हाल में वहां पर दौरे पर गये थे और उन्होंने उस स्थल को देखा था और वहां पर कुछ कार्य करने के लिए आश्वासन दिया था। मैं उनका आभारी हूं। इस शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

श्री दिलीप कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहराइच जिले में सड़कों की हालत बहुत खराब है और मा० मंत्री जी ने गड्ढामुक्त सड़कों की बात कही है। वह मात्र लूटने की बात प्रतीत है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में उमरपुर घाट व बरुआ घाट पर एक पुल के निर्माण की बहुत जरूरत है। बहराइच से महसी तहसील की दूरी 15 कि०मी० है लेकिन यहां पर पुल न होने के कारण उनकी दूरी 30 कि०मी० है। यहां पर पुल बन जाने से 15 कि०मी० की दूरी कम हो जायेगी। इससे गरीब जनता को राहत मिलेगी। बौड़ी घाट (सरयु नदी) परव गढ़ी घाट पर पुल बनाया जाय। इससे 50 गांव को फायदा होगा।

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक हजार से दो हजार की आबादी वाले पांच गांव को चुना जायेगा जिसमें स्थानीय विधायक की संस्तुति होगी वह मार्ग चुने जायेंगे। मैं उन पांच मार्गों का नाम बता रहा हूं। रामपुर-बरई मार्ग, मगरिहा सम्पर्क मार्ग, रायगंज सम्पर्क मार्ग, अब्बासपुर, बिसालपुर परसोहना, मार्ग इनको मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि इन मार्गों का निर्माण करायेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पाल साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, यह सही है कि चाहे उद्योग धन्धे हों या कृषि हो, चाहे गांव हो या शहर बिना मार्ग के बिना सड़क के बिना पुल-पुलिया के उनका विकास मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है अर्थात नामुमकिन है। मार्गों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन खेद की बात यह है कि पुल पुलिया की जितनी मांग है, उसके अनुसार बजट में धन का प्राविधान नहीं किया गया है। आज बजट में जिला सेक्टर में तीन सौ करोड़ रुपये का प्राविधान है। यदि हिसाब लगाया जाये तो कुल 83 जिले हैं और 425 विधान सभा क्षेत्र हैं। तो एक विधान सभा क्षेत्र में 9 कि०मी० सड़क आती है। जो नहीं के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा है। यही हाल छोटे-बड़े पुल-पुलियों का है। अगर आप नजर डाले तो उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबिले 4 से पांचवें नम्बर पर आता है। मार्गों के आंकड़े मा० पाल साहब ने दिये हैं मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूं। अगर अन्य प्रदेशों पर हम नजर डालें तो देखेंगे कि मध्यप्रदेश, में पक्की सड़कें 1,27,308 कि०मी०, महाराष्ट्र में 1,64,324 कि०मी०, तामिलनाडु में 1,38,472 कि०मी०, उत्तर प्रदेश में 1,12,700 कि०मी० है। यानी हम सड़क के मामले में सबसे पीछे हैं। आज हमारे प्रदेश में प्रदूषण के कारण वहां पर हो हल्ला हो रहा है, इसको दूर करने के लिए जल मार्ग की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री राम ललित चौधरी–

जल मार्ग के लिए नहरों एवं नदियों का प्रयोग किया जाये, तो यातायात और माल ढुलाई ज्यादा सस्ती होगी और प्रदूषण नहीं होगा। नेशनल हाईवेज के बारे में कहना चाहता हूं। एक मापदण्ड होना चाहिए और एक सी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। मार्गों की व्यवस्था के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल की व्यवस्था लेकिन भवन और पुलों के लिए नहीं है। प्रतापगढ़ में सई नदी पर करोड़ों का पुल बना वह ढह गया इसलिए क्वालिटी कन्ट्रोल की व्यवस्था की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सड़कों की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मोटाई की सड़कें बनाई जा रही हैं लखनऊ से बाराबंकी सड़क की मोटाई अधिक है इसी तरह से बाराबंकी से फैजाबाद और फैजाबाद से गोरखपुर सड़क की मोटाई अलग-अलग है मेरा निवेदन है कि सड़कों की मोटाई बराबर बनाई जाय। इसी तरह से मान्यवर, निर्माण निगम द्वारा जिन भवनों का निर्माण किया जाता है उनका प्लीन्थ लेबल बहुत नीचा रखा जाता है जबकि इंजनियर लोग जब अपने भवनों का निर्माण करते हैं, तो उनकी प्लीन्थ सड़क से तीन फुट ऊपर रखते हैं। निर्माण निगम द्वारा नीची प्लीन्थ बनाने से भवनों की फर्श जल्दी खराब हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह नहीं लिखा जाएगा।

श्री राम ललित चौधरी–

[x x x]

(श्री गंगा सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आप जो समय निर्धारित करेंगे और जो अनुमति देंगे उसके अनुसार बोलेंगे, हमारा दल विरोध पक्ष का सबसे बड़ा दल है जो इसकी संख्या है, उसके अनुपात को देखते हुए आप समय देने की कृपा करें और दूसरे दलों के अनुपात में जितनी संख्या हमारी बैठती है उतने सदस्यों को आप बुलवायें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रयास कर रहा हूं कि सबको मौका मिले जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही अधिक से अधिक सदस्य बोल सकेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक चीज आप निश्चित कर दें कि कितने समय तक आप इस पर विवाद करायेंगे उसी के अनुसार समय को एलाट करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं चाहता हूं कि दो-दो मिनट का समय सबको मिल जाय केवल आपका सहयोग चाहिए आपका सहयोग मिला, तो अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिलेगा।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मंगल सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने जो बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरा सुनिश्चित मत है अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो उत्तर प्रदेश के गांवों को सड़क से जोड़कर ही गांव का विकास किया जा सकता है। मान्यवर, यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी में 11½ करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। गांव में रहने वाले किसान गरीब लोग हैं। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो इन सड़कों को गांवों तक जोड़ना होगा। मुझे खुशी है कि चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, चाहे अम्बेदकर योजना हो, चाहे जो रुके हुए कार्यों को पूरा करने की योजना हैं, जिसके लिये अलग से योजना बनाई गई है एवं सम्पर्क मार्गों के लिये अलग योजना बनाई गई है। नहरों की पटरियों को पक्का करने के लिये योजना है इस तरह से तमाम योजनाओं का जाल इस बजट में बिछाया गया है। हमारे गांव जुड़ेंगे तब ही गांवों का विकास होगा।

मैं माननीय मंत्री जी को उनकी साधुवादिता के लिय धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन सब योजनाओं के माध्यम से गांव जोड़ने का प्रयास किया है। जहां पर छूटे हुए कार्यों के लिये पूरा कराने की योजना बनाई गई है। उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे बिलग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1994 में एक शासनादेश हुआ था। जिसके तहत 5 मार्ग स्वीकृत किये गये थे। उनमें एक मार्ग था जो बी०एस०ए० मार्ग से भदार मार्ग जो 7 कि०मी० है, पर नीलम नदी पर मंतनीपुर गांव में पुल के अभाव में 50 हजार लोग आवागमन से वंचित हैं। पलियाबेड़ी जोर मार्ग हेतु 30 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान हुई थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसी तरह से खरगपुर तिराहा से बड़ागांव मार्ग पर मात्र 2.40 लाख ही अवमुक्त किया गया है। जबकि स्वीकृत राशि 17.04 लाख थी। इसी प्रकार खरगपुर तिराहा से खट्टीपुर राजा साहब मार्ग के लिए 30 लाख की स्वीकृति हुई थी लेकिन वहां पर सिर्फ 6 लाख का काम हुआ है। खरगपुर तिराहा से तिथगांव उसी शासनादेश के तहत दिनांक 19.9.94 में स्वीकृत हुआ था लेकिन अधूरा पड़ा हैं।

एक मार्ग ऐसा भी है जो सांडी से शाहाबाद मार्ग के दोनों तरफ सड़क बन गयी है लेकिन शिरोमण नगर में पुल के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहां पर एक सुखेता नाला पड़ता है जिस पर पुल का अभाव है। पुल न बनने के कारण लाखों रुपये की लागत के मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपये स्वीकृत किया गया था लेकिन पैसा अवमुक्त न हो पाने के कारण कार्य अधूरे पड़े हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन आधे अधूरे पड़े कार्यों के लिये पैसा अवमुक्त कराकर कार्य करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जहां तक नीतिगत मामले का सम्बन्ध है, आप समय कम दे रहे हैं इसलिये कुछ कहना सम्भव नहीं हो पा रहा है लेकिन कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में सड़कों में मोड़ बहुत हैं इसलिये दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। माननीय बंसी लाल जी जब हरियाणा में पहली बार मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था "पहले मैं सड़कों की मोड़ निकालूंगा और अधिकारियों की मरोड़ निकालूंगा" आपके भी अधिकारी जो निरंकुश हो रहे हैं उन पर आपका कन्ट्रोल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सड़कों में मोड़ बहुत ज्यादा हैं इनको आप अगर सीध कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक तरह से आपका नाम अमर हो जायेगा।

दूसरी बात यह कि हमारे जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें जगह-जगह परस्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। दिल्ली से जब हम हरिद्वार जाते हैं तो मान्यवर, वहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वहां पर इतने ऊंचे-ऊंचे स्पीड ब्रेकर बने हैं। हरियाणा और पंजाब में नहीं बने हैं। क्या आप इस तरह की नीति नहीं बना सकते हैं कि यह जो रोड ब्रेकर हमारे राष्ट्रीय और स्टेट मार्ग पर हैं उनसे हटा लिये जायं। जैसा अभी अम्बरीष जी ने सुझाव दिया है कि कुछ सड़कें छांट लीजिए। गुजरात में सीमेन्ट की सड़कें हैं, आप भी वैसे ही बनवाना शुरू

कीजिये। जनपद हरिद्वार में विकराल समस्या है वहां पर कांवर का मेला शुरु होने जा रहा है। पिछले वर्ष मैंने और अम्बरीष जी ने कहा था और आपने आश्वासन दिया था।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, दो मिनट में खत्म करता हूं। हर साल 10 लाख कांवरियां वहां जाते हैं। यहां पर नहरों की पटरियां पक्की नहीं की गई हैं, जो मार्ग है वह एक सप्ताह के लिए बन्द कर दिए जाते हैं हर साल वहां दुर्घटनायें होती हैं। आठ-दस व्यक्ति मरते हैं मैं मांग करता हूं गंगा नहर की पटरी जो आप पक्की नहीं करा रहे हैं। कांवरियां लोग हैं वह इधर डायवर्ट कर दिए जायेंगे तो 10-15 दिन जो जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है वह नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रामसिंह सैनी–

पंडित दीनदयाल योजना आपने बनाई है तो मैं कहना चाहूंगा कि "अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को दे।" यह कोई बात नहीं हुई पंडित दीनदयाल जी के सिद्धान्तों को आप कलंकित करेंगे, इस तरह का बंटवारा करके। सबको बराबर बंटवारा होना चाहिए। हमारे यहां हरिद्वार में पी०डब्लू०डी० के लोग जिला योजना में धन आवंटित करते हैं। पिछले वर्ष तीन करोड़ रुपया आवंटित हुआ तीन करोड़ में से 1 करोड़ 30 लाख रुपया पी०एल०ए० में चला गया उस पैसे को यूटीलाइज नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रामसिंह सैनी–

आपके कर्मचारी जब धन का उपयोग नहीं करेंगे तो कैसे विकास होगा?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रामसिंह सैनी–

मैं एक बात अन्तिम रूप से कहना चाहता हूं। हमारे यहां सहारनपुर से देवबन्द के बीच जो हिंडन नदी है। उस पर पुल बना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कर दें।

श्री रामसिंह सैनी–

वहां जो अपरोच रोड है वहां पर 25 से 60 किलो तक पत्थर लगना चाहिए था परन्तु 15 और 30 किलों के पत्थर लगे हैं। आप जांच करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी कोई बात अन्तिम नहीं हो रही है।

श्री रामसिंह सैनी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने मुझे श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृतज्ञ हूं आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति दी है। मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा और आदर है। क्योंकि अभी जब इस देश में आपातकाल लगाया गया था, तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि आपातकाल के दौरान 11-19 माह तक उनके साथ जेल में बन्द था लोग, उस समय माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आपात काल में हमारे साथ कारागार में थे, तो जितनी निकटता से मैंने उन्हें समझा, मुझे बहुत भरोसा था। उत्तर प्रदेश के शासन में एक महत्वपूर्ण पद पर आने के बाद मा० मिश्रा जी उदार तथा विशाल हृदय का परिचय देंगे लेकिन आज इस बजट में इस सदन में माननीय सदस्यों को इनकी घोषणाओं से निराशा हुई है। इस वित्तीय वर्ष में इस सदन के माननीय सदस्य दीनदयाल योजना के अन्तर्गत सेकेन्ड फेस में प्राथमिकता के आधार पर केवल दो गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु अपनी सूची में लेंगे। उक्त योजनान्तर्गत मात्र दो गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास एक वर्ष में किया जाएगा। माननीय मंत्री जी की कृपा से चार किलोमीटर सड़क एक प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में बनवा पाएगा।

मुझे लोक निर्माण मंत्री जी की घोषणा से अफसोस हुआ। मैं समझता था कि कोई बड़ी घोषणा आज सदन में करेंगे। सरकार में बैठे लोगों की प्रतिबद्धतायें बराबर बदलती रहती हैं। बार-बार सरकार की प्राथमिकतायें जो बदलती रहती हैं। उससे प्रदेश में प्रगति और विकास कार्य बहुत प्रभावित होते हैं। विगत दिनों 6 महीने तत्कालीन बा०स०पा०, भा०ज०पा० वर्तमान गठबन्धन की सरकार में वर्तमान मंत्री जी इसी पद पर लो०नि०वि० के मंत्री थे। यही विभाग था। मुझे याद है कि मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में जो उद्घोषणाएं की थी। उसमें उनकी प्राथमिकता और उनके संकल्प दूसरे थे। आज उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जो विकास का स्वरूप इनके दिमाग में था, यह दूसरा था।

प्रदेश में जो पूर्व की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, अधूरी हैं वह सरकार की अब प्राथमिकताएं बदल जाने के कारण ठप पड़ गयी है। क्या होगा चयनित अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से उन्हें जोड़ने का क्या होगा, गाँधी ग्रामों का जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं तो उन स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का क्या होगा? यह सभी ग्राम उपेक्षित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता दीनदयाल उपाध्याय ग्रामों की है। अच्छा होता कि मंत्री जी निर्माणाधीन योजनाओं को समयवद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का संकल्प लेते। जिन अम्बेडकर ग्रामों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों में कई कोट मिट्टी पड़ गयी है, अब उन पर केवल पेंटिंग का काम बाकी है। वहाँ से इनकी निगाह हट गयी है। मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि उनकी सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढा वाली नहीं होगी। गड्ढा रहित सड़कों की घोषणा प्रदेश सरकार की है। मंत्री जी की है।

मैं आपकी अनुमति से मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि प्रति वर्ष लो० नि० वि० के लिए सालाना रिपेयरिंग के लिए स्पेशल रिपेयरिंग के लिए करोड़ों रुपयों का प्राविधान होता है। एस० आर० और ए० आर० का फण्ड लोक निर्माण विभाग को मिलता था। वह सड़कों के अनुरक्षण के लिए तथा वह गड्ढामुक्त करने के लिए भी होता है लेकिन एस० आर० और ए० आर० के प्राविधान के बाद भी 65 करोड़ के राजकीय कोष का अपव्यय किया गया। गड्ढामुक्त बनाने के लिए इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपने दल का नेता हूँ। मुझे थोड़ा अधिक समय चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश सरकार को चलाने वाले लोगों ने एक संकल्प लिया था कि 1500 करोड़ के ऊपर की आबादी के गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा। लेकिन बादके दिनों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में वह संकल्प धरा का धरा रह गया। आजादी के पूर्व हमारे प्रदेश में जहाँ 15,113 कि०मी० पक्की सड़कें थीं, 50 वर्ष पूर्व। हम आज स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और हमने प्रगति की है कि 50-51 वर्षों में हमारे यहाँ केवल 1,10,482 कि०मी० ही पक्की सड़कें हैं। पंजाब में प्रति लाख आबादी पर 240 कि०मी० पक्की सड़क है, कर्नाटक में 211 कि०मी० पक्की सड़क प्रति लाख आबादी पर है वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 61 कि०मी० प्रति लाख आबादी पर पक्की सड़क है। आजादी के 50 वर्षों बाद हम प्रगति के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को इस वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए था।

आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि सन् 2005 तक माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने यह दावा किया है कि 1000 आबादी के ऊपर के गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ देंगे। मैं आपकी अनुमति से इस सरकार और लोक निर्माण मंत्री जो याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने लक्ष्य 2005 तक का रखा है लेकिन उनका जनादेश तो उतने समय का है नहीं। अगर यह मान भी लें कि माननीय मंत्री जी 2005 तक में मंत्री रहेंगे तो सन् 2005 तक 20 हजार गांव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगे। मैं आदरणीय मिश्रा जी को याद दिलाना चाहता हूँ आप में जो समयबद्धता और कार्यों के अनुश्रवण की बात करते हैं और ठीक ढंग से पूँजी निवेश की बात करते हैं, हम जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं आपको वहाँ जाने का मौका मिला होगा, छोटी गण्डक नदी बहती है, 1952 से लेकर आज तक गोरया घाट पर निरन्तर यह वायदा किया जाता रहा है कि उस पर सेतु बनेगा।

वर्ष 1991 में शासन के पत्रांक 862/ई/23लो०नि०वि०-11/102वी/90 वर्ष 1991 के द्वारा 103 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति पुल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने दे दिया। 1991 में प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद आज तक उक्त पुल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी। विगत दिनों मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में माननीय मिश्रा जी ने जवाब दिया कि सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। उक्त पुल की वित्तीय स्वीकृति हेतु आपने घोषणा की होती तो अच्छा होता यह पुल उपेक्षित इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला पुल है। उसको निर्मित करने की घोषणा भी आज कर दें। आज पूरा प्रदेश संकटग्रस्त हो गया है। वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में जिला योजना से जितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, पी० डब्लू० डी० ने आगणन बनाकर शासन में भेजा, शासन ने वित्तीय स्वीकृति दे दिया लेकिन एक प्रतिबन्ध लगाकर भेज दिया कि अगर सड़कें 5 लाख के ऊपर की धनराशि से बनती हैं तो उन कार्यों का पुनः आगणन बनाकर शासन को भेजा जाय तथा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य शुरू किये जायें जो माननीय मंत्री जी यहां कह रहे हैं उसे अमलीजामा नहीं दिया जा रहा है। शासन में बैठी हुई लालफीता शाही जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। वर्तमान प्रदेश के मुख्य मंत्री और सदन के नेता जब विगत दिनों देवरिया गये थे, देवरिया से कुशीनगर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे ढाल पर एक ऊपरगामी सेतु के निर्माण के लिए वचन दिया था लेकिन आज तक उक्त स्थान पर ऊपरगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। धन्यवाद।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

माननीय अध्यक्षता जी, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। माननीय पाल जी ने और सुभास जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। अम्बेडकर गांव और पुल की बात आयी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट के अन्तर्गत है। यह ध्यान में रहे कि 1997-98 में 1200 अम्बेडकर गांव किये थे। 1998-99 में पूर्व वर्षों के अनुसार स्वीकृत जो अम्बेडकर गांव हैं उसके लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उसकी उपेक्षा हो रही है ऐसा नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो 35 करोड़ का उपाय कर रहे हैं, यह कहाँ से है, नाबार्ड का है, वाह्य सहायता है, यह बता दें?

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर भाषण में बता देंगे।

* श्री राजधारी–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से सड़क निर्माण की बात कहकर अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का जिक्र किया है, वह इसके लिए प्रशंसा व बधाई के पात्र हैं।

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से लोक निर्माण विभाग के कई कार्यक्रमों की चर्चा की है। लोक निर्माण विभाग सहित जितनी भी कार्यदाई संस्थायें हैं, उनका एक मापदण्ड है और लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, चाहे भवन हो, पुल अथवा सड़क हो, उसमें कितनी लागत है, कितना मैटेरियल लगेगा उसकी पूरी जानकारी लोगों को देने के लिए, पारदर्शिता बनाये रखने के लिए घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

मैं उन्हें कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। लोक निर्माण विभाग के जो मार्ग हैं, उसके किनारे की खाली जगहों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कुछ ने घर बना लिये हैं, कुछ ने खेलने की जगह बना ली है। इस सम्बन्ध में हमारे अभियन्तागण को इतना अधिकार मिले, दण्ड देने का या पुलिस बल के प्रयोग करने का, ताकि वह उससे मुक्ति दिलवा सकें। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग का जो आगणन शासन को प्रेषित होता है, उसकी स्वीकृति होने में बहुत लम्बा समय लग जाता है, इस बीच में काफी मूल्यवृद्धि हो जाती है, श्रम की वृद्धि हो जाती है, मैं चाहूँगा कि जब भी इसकी स्वीकृति हो तो बढ़े हुए लागत मूल्य आदि को जोड़कर स्वीकृति दी जाय ताकि योजना को पूर्ण होने में कोई कठिनाई न हो।

मेरा एक सुझाव और है कि जो आन-गोइंग प्रोजेक्ट हैं, उनके जो पुनरीक्षित आगणन होते हैं, उनकी स्वीकृति में भी काफी समय लग जाता है, इसलिये पुनरीक्षित आगणन की प्रक्रिया एक साल के अन्दर पूरी कर ली जाय जिससे जो हमारे अधूरे काम हैं, वह समय से और जल्दी पूर्ण हो सकें। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ। मार्गों के अनुरक्षण में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वह अब काफी संख्या में रिटायर हो रहे हैं, उनकी काफी जगह रिक्त हो रही है, उनको भी रखने के लिये बन्दोबस्त किया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रख-रखाव का जो बजट है, उसमें लगातार कटौती हो रही है, मेरा कहना यह है कि जहाँ नये मार्गों का निर्माण आवश्यक है, वहीं पुराने मार्गों का रख-रखाव भी अति आवश्यक है, इसलिये उसमें कटौती न की जाय। मैं बलिया जनपद से चुनकर आता हूँ, वहाँ आसाम और बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला मांझी पुल 1978 से निर्माणाधीन है, यह आज तक पूरा नहीं हो सका है, इसी प्रकार बलिया और घाघरा के बीच भागलपुर पुल बन रहा है, वह भी अभी तक अधूरा है। दोनों ही पुलों के न बनने से बिहार आसाम से उत्तर प्रदेश का सम्पर्क प्रभावित हो रहा है।

मान्यवर, चाहता हूँ कि विशेष बजट का प्राविधान करके इसको बनवाया जाय। इन्हीं अपनी भावनाओं के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं, उसका समर्थन करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल बारावफात के कारण अवकाश है यह एक वर्ग विशेष का त्योहार है उस त्योहार की तैयारी के लिए उनका जाना आवश्यक है इसलिए आप उस समुदाय के माननीय सदस्यों को पहले सुन लें ताकि उनको जाने के लिए समुचित समय मिल सके। यही मेरी प्रार्थना है। आपके यहाँ सूची उपलब्ध है, जो अल्पसंख्यक सदस्य हैं उनको पहले बुलवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात का पूरा ध्यान है लेकिन एक महिला सदस्य है उनकी ट्रेन छूट रही है, वह दो मिनट में अपने सुझाव दे देंगी।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं इस सदन को बहुत निष्पक्ष रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसके पूर्व जो भी सरकारें रहीं वह आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि एक विशेष योजना के आधार पर कार्य करती थीं जिसके परिणामस्वरूप हमारा विकास कार्य बहुत नीचे चला गया था। हमारी सरकार ने बहुत कम समय में बहुत कम बजट में इतना अच्छा कार्य विकास का किया है। वह एक नजीर के रूप में कार्य कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है यहां पर सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं सभी जानते हैं कि इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार था, गोलमाल था लेकिन वह अब समाप्त हो गया है। आप देख रहे होंगे कि जितनी सड़कें थी, सब गड्ढामुक्त हो गयी हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक मार्ग का निर्माण हो रहा है वह रोड मेरे घर के लिए जाती है। उसके लिए आज से 15 माह पूर्व धन दिया गया था लेकिन आज उसका हाल यह है कि आज 3 कि०मी० की सड़क में मात्र ढाई किलोमीटर में ही मिट्टी का कार्य हो पाया है। मेरे घर वालों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को टेलीफोन किया कि रोड की हालत बहुत खराब है।

आपके लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता के० एन० राय कहते हैं कि इससे अच्छा कार्य नहीं कर पाऊँगा। चाहे तो स्थानान्तरण करा दें। विधायकों के घर तक जाने वाली रोड का यह हाल है तो आम पब्लिक से जुड़ी रोड के बारे में क्या होता? मान्यवर, इसका भौतिक सत्यापन कराया जाय और जो भी उसमें दोषी पाये जायें दण्ड दिया जाय। बेलवार घाट पर पुल के लिए मड़ियाहूँ में वहां की जनता ने मा० मुख्य मंत्री से उपयोगिता के आधार पर पुल स्वीकृत करने का निवेदन किया गया। इसी के साथ बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूँ।

* श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री जी ने विभागों का बजट प्रस्तुत करते हुए अनेकों बहुमुखी योजनायें गिनायी हैं लेकिन जो स्थान हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए-जो एकता का प्रतीक है-विश्व एकता के लिए जाना जाता है, उस जिले के लिए कोई सार्थक योजना नहीं है। कपिलवस्तु-कुशीनगर तक उस बीच में मेहादवल से लेकर कुशीनगर को जोड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज कई जिले सड़क पर पड़ते हैं लेकिन आज 10 साल से मेहदावल-टमटियागंज होते हुए कुशीनगर जाता है उस पर राष्ट्रीय रोड के लिए कोई पुरसाहाल नहीं है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां के प्रभारी समाज कल्याण मंत्री जी पिछली 8 तारीख को गये थे, देखकर भी आये हैं, मंत्री जी को भी हमने कई बार अवगत कराया कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रोड के लिए कोई धन नहीं है। पूर्व प्रस्तुत बजट के समय भी आपने कहा था कि जो भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन पर काम करेंगे, जो आपकी योजनायें हैं। अम्बेडकर योजना, पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना, हमारे जिले में हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जो प्रस्ताव मांगे जाते हैं खाली कागज पर मांगे जाते हैं लेकिन अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। वर्ष 1996-97 में जिला योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आये थे। स्वीकृत भी हुए हैं। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई न काम शुरू हो रहा है, हर काम वंचित पड़े हुए हैं। आप पर्यटन मंत्री जी भी हैं।

कपिलवस्तु जो वहाँ कोपिया गांव नाम से मशहूर है, उसको पर्यटन स्थल बनाया जाय। प्रस्ताव भी आ चुका है, कोपिया गांव संत कबीर नगर में है, उसे पर्यटक स्थल बनाकर उसका सुदृढ़ीकरण किया जाय। मान्यवर, आज पं० दीन दयाल उपाध्याय, गाँधी ग्राम, अम्बेडकर योजना - इन नामों से योजनायें चल रही हैं, वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया, उनके नाम पर भी एक योजना चलायी जाय। बी० जे० पी० के जो विधायक हैं, केवल उन्हीं के यहाँ पर काम हो रहे हैं परन्तु जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके वहाँ पर काम नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जायें। मैंने श्री भोला शंकर मौर्य जी को बुलवा लिया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अब्दुल कलाम (बस्ती)–

जिन मार्गों का मैंने अपने भाषण में जिक्र किया है, उन मार्गों पर माननीय मंत्री जी तुरन्त अमल करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अनुपात के हिसाब से आपको हमारी पार्टी के दो सदस्यों को बुलवाना चाहिये था।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, श्री मौर्य जी ने अपना समय माननीय सदस्य को दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री चौधरी जी ने एक त्योहार की बात कही इसलिए मैंने इधर से एक माननीय सदस्य को बुलवा लिया। इधर से मैंने किदवई जी को बुलवा लिया था परन्तु वह थे नहीं इसलिए मैंने इनको बुलवा लिया।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलसी में 30 गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति हुई थी। वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान हो गयी थी। शासनादेश संख्या 5773ई/23-लो०नि०-11-97-100(24)ई–97 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हुई और पत्र संख्या ई–8-1221/दस–97, दिनांक 3-10-97 द्वारा वित्तीय स्वीकृति हुई।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

* मूल वक्तव्य का पुनर्मुद्रण नहीं किया।

किन्तु राजनीतिक कारणों से यह टेण्डर होने के बाद इसकी आवश्यकता पूर्ण होने के बाद इसको रोक लिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि बहन मायावती जी ने इसकी घोषणा की थी और उसी परिप्रेक्ष्य में यह 30 गाँव बिलसी विधान सभा क्षेत्र में जोड़े जा रहे थे, तो यह अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है, जो स्वीकृति होने के बाद वापस लिया गया है, यह ठीक नहीं है। इसी तरह से बिलसी विधान सभा क्षेत्र की एक और घोषणा की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष 1988-89 में यह घोषणा की गयी थी कि हल्द्वानी से भरतपुर मार्ग के लिए राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जायेगा और इसके लिए तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार को लिखा पढ़ी की थी और उसके पश्चात् भी यह नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी मैं आपको बता दूँ कि दो मिनट से अधिक का समय आप लोग न लें। प्रारम्भ में भी इस सम्बन्ध में आपसे कह दिया गया है। अब आप अपनी बात कृपया समाप्त करें। आपको बोलते-बोलते तीन मिनट हो गया है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, हमारे जनपद बदायूँ एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। इसमें कोई नहर नहीं है, खाली ट्यूबवेल हैं, आपने नहर पटरी पक्का कराने की बात कही है। मेरा सुझाव है कि यहाँ पर 1200 ट्यूबवेल हैं, जो सर्विस रोड्स हैं, तो जिस तरह से आप नहर पटरी पक्का कराने की योजना चला रहे हैं, उसी तरह से सर्विस रोड को पक्का कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें। आपकी कही हुई बात को अंकित नहीं किया जायेगा। मैंने दूसरे वक्ता का नाम पुकार लिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह आजमगढ़–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार की जो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं। वह गड्ढामुक्त सड़कें हैं। आज इस प्रदेश में हर आम आदमी यह कहने लगा है कि इस प्रदेश में जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, जो राजकीय मार्ग हैं, वह गड्ढामुक्त हो गये हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया है कि अब जिले के अन्दर जो छोटे-छोटे रास्ते हैं, उनको भी गड्ढामुक्त किया जायेगा। यह एक सराहनीय काम है। मान्यवर, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना है, वह सबके लिए है और उन सम्पर्क मार्ग योजना के माध्यम से 425 विधायकों को प्रत्येक विधायक को अपने-अपने गाँव के चार नाम देने हैं उसमें से दो गांव चुने जायेंगे और इस तरह से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार किलोमीटर की सड़कें बनेंगी और इसमें 30 लाख रुपये का खर्चा आयेगा यह कम नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने 20 हजार वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। हम उस सरकार के विधायक हैं, जो कहते हैं, वह करते हैं। यह हमारा इतिहास रहा है। हम इसको दुहराना नहीं चाहते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ।

मान्यवर, माननीय पाल जी ने कहा है, उसके सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ, उन्होंने नीति और नीयत की चर्चा की है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ही महीनों में इधर से उधर चले गये, आप हमको

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोड़कर चले गये। इसी में आपकी नीति और नीयत दिखाई पड़ती है। मान्यवर, पाल जी ने सेतु निगम के बारे में बहुत सी बातें कही हैं और उसको नाकारा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सेतु निगम देश के कई भागों में कार्य कर रहा है और विदेशों में भी कार्य कर रहा है, उसके कार्य की सभी जगह सराहना है। सारे विश्व में इसका काम अच्छा है, वह उनको अच्छा नहीं लगा, इसी कारण वह ऐसा कहा है।

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी ने भ्रष्टाचार की बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे एक एजेन्सी से जाँच करायें या दो एजेन्सी से जांच करायें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी को यह सरकार जरूर दण्डित करेगी। मान्यवर, मैं अब एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। भगवान शिव का मंदिर वाराणसी में है, उसका पुनर्निमाण अहिल्याबाई ने करवाया था। जहाँ पर वह मंदिर है और जहाँ पर वह स्थापित था, उसको अवलोकित कर लें। मैं माननीय सदस्य से यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो स्थल विवादित हैं, उसको जरूर देख लें और फिर अपनी बात को सदन में कहें।

मान्यवर, अब मैं पर्यटन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ जिले में पालमेश्वर देवी और वाराह मंदिर है, वहाँ पर पर्यटन स्थल की स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने दे दी है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री मा० मुकीम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी जब लोक निर्माण मंत्री जी अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमारी सरकार गड्ढामुक्त सड़कों की घोषणा करती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इटवा विधान सभा क्षेत्र में जो सड़क भारत और नेपाल सीमा को जोड़ती है, जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जब पिछली बार बजट प्रस्तुत किया था, तो उस समय भी उक्त सड़क के बारे में मैंने अवगत कराया था।, लेकिन मान्यवर उस सड़क पर काम नहीं हुआ। यह सरकार नारा तो देती है, लेकिन काम नहीं करती, इतनी महत्वपूर्ण सड़क है जो भारत नेपाल सीमा को जोड़ती है। उस पर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। आज भी वहाँ के नागरिकों का सड़क पर चलना दूभर है। क्योंकि थोड़ी ही वर्षा में जल भराव हो जाता है। बिना रिक्शा के सड़क पार नहीं कर सकते हैं। उधर से जितने भी लोग समर्थन में बोले हैं। वह सब सरकार की गड्ढामुक्त योजना का दावा करते हैं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे जिले के दो-दो मंत्री इस मंत्रिमण्डल में हैं उनसे भी जानकारी कर ली जाये कि इटवा कस्बे की क्या हालत है? आज इस मामूली वर्षा में भी दो-दो फिट गड्ढों में पानी भरा है। जब छोटी-छोटी गाड़ियाँ उधर जाती हैं। वह पानी में फँस जाती हैं। उनको निकालने के लिए ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ती है।

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा और माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार भी मा० मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था। मैंने मा० मंत्री जी को याद दिलाया था कि इस सड़क पर 1993-94 में 22 लाख रुपया राज्यपाल महोदय ने स्वीकृत किया था। कि इसी जाँच करा लें कि इसके लिए जो 22 लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें से 22 हजार भी खर्च नहीं किया गया। आज तक उस सड़क की जाँच नहीं हुई है। बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। मा० मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि जब वह उत्तर भाषण करें तो इस बारे में सूचित करने का कष्ट करें।

• श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूँ। इस बजट को देखने से और

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी के भाषण सुनने से मुझे जो दिखायी पड़ रहा है, उसे बताना चाहता हूँ। इस बजट में और उनके भाषण में विरोधाभास है। मा० मंत्री जी ने राष्ट्रीय मार्ग और ग्रामीण मार्गों के बारे में बातें कहीं और उनकी लम्बाई को परिभाषित किया लेकिन इस पुस्तिका को पढ़ने से मालूम हुआ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1997-98 में 7000 कि०मी० सड़कें बनायी जिनके लिए 293 करोड़ रुपया अवमुक्त किया गया लेकिन तालिका के अनुसार दि० 31 मार्च, 93 को 6388 कि०मी० तैयार हुई और जबकि मार्च 98 तक 2700 कि०मी० सड़कें ही बनायी और मा० मंत्री जी कहते हैं कि 7000 कि०मी० सड़कें बनायी।

मान्यवर, जिला सेक्टर में सड़कों के लिए 3 सौ करोड़ रुपया प्रस्तावित है जबकि राज्य सेक्टर मे 535.64 करोड़ रुपया प्रस्तावित है मैं यह सुझाव देता हूँ जिले में हम सब लोग बैठकर काम का बंटवारा और पैसे बंटवारा जिला सेक्टर में करते हैं लेकिन राज्य सेक्टर में जो पैसा दिया जाता है उसमें अधिकारियों का कमीशन बहुत ज्यादा होता है और उसमें जनप्रतिनिधियों को कान्फिडेन्स में अधिकारी नहीं लेते हैं, उसमें पैसे का दुरुपयोग ज्यादा होता है, इसलिए मेरी मांग है जिला योजना में ही पैसे को बढ़ाया जाय तो अच्छा हो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को विहंगम दृष्टि से देखा है, लेकिन मेरा कहना है कि समता की दृष्टि से नहीं देखा गया। जो मानक मंत्री जी राज्य सरकार ने बनाये हैं, पंडित दीन दयाल मार्ग योजना में 34.34 करोड़ रुपया वर्ष 1997-98 में रखा गया था और 55 करोड़ रुपया वर्ष 1998-99 के लिए प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी प्रति ब्लाक दो-दो कि०मी० सड़कें ले रहे हैं लेकिन हमारे यहां एक सड़क बनी है उसमें हमारे प्रस्ताव से सड़क नहीं बनायी गयी है मंत्री जी वह स्वीकृति कहां चली गयी यह मेरी जानकारी में नहीं है?

मान्यवर, आज एक अतारांकित प्रश्न मेरा था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना में जिला योजना अथवा राज्य योजना के रुपये से सड़के बनायी जा रही हैं, यदि हाँ, तो क्या सम्पर्क मार्गों पर लगाये जा रहे पत्थर अथवा बोर्ड पर क्षेत्रीय विधायक का भी नाम अंकित करने का कष्ट करेंगे? जिसका उत्तर आया है जी नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा और इस पर भी मंत्री जी कहते हैं कि हम सबको समान रूप से देखते हैं अगर ऐसी बात है तो विपक्ष के विधायक 180 हैं इनका नाम बोर्डों पर लिखाने में क्या कठिनाई? अगर जनप्रतिनिधि का नाम बोर्ड पर लिखा जाय तो मंत्री जी को क्या आपत्ति है? यह उत्तर भाषण में बताने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारे प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों का औसत कम है। हमारे प्रदेश का यह औसत 53.(प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 59 हमार गांव आज तव सड़कों से जोड़ दिये गये हैं और 64 हजार गांव शेष हैं, जो यह पुस्तिका है, उसमें ग्रामीण मार्गों की संख्या 254262 है, जिनमें से 31 मार्च तक तिरसठ हजार आठ सौ सत्तर कि०मी० सड़कों की व्यवस्था हो जायेगी जो प्रस्तावित मार्गों का केवल 1/4 है। इस भ्रम को भी दूर करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

* श्री महेन्द्र पाल निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता सदन बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह केवल शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखकर और पूँजीवादी व्यवसाइयों के क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महोदय, लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो गड्ढामुक्त सड़क की बात कही गयी थी, तो मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है उदाहरण के लिए जो गड्ढामुक्त हो। लखनऊ से चलें चित्रकूट जाने के लिए कमर में गड्ढे हो जायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य मेरा निवेदन सुन लें। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पर्यटन विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है। आप उस पर बोल रहे हैं या लोक निर्माण पर।

श्री महेन्द्र पाल निषाद–

मान्यवर, मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री महेन्द्र पाल निषाद–

महोदय, पर्यटन क्षेत्र चित्रकूट व अन्य जगह जाने के लिए आपके मार्ग अच्छे नहीं होंगे तो पर्यटन स्थल तक कैसे पहुँचेंगे ? मान्यवर, मेरा मानना है कि पर्यटन से पहले सड़कों को लें, तो ज्यादा अच्छा होगा। महोदय उसी मार्ग में एक सेमरी नाला पर पुल बन रहा है, जिसको बनते हुए एक साल हो गया लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी उसका पहुँच मार्ग नहीं बन पाया है। समूचे बुन्देलखण्ड में जो गाँव की आबादी है, उसका 60 प्रतिशत पुरवों और मजरों में लोग रहते हैं। बहुत से मजरों की स्थिति यह है कि वहाँ 200 से 500 तक लोग रहते हैं और वे 1000 आबादी के टारगेट में नहीं आते हैं और इस टारगेट में न आने के कारण सम्पर्क मार्गों से वंचित हैं। महोदय अच्छा होगा कि उन मजरों और पुरवों के लिए कोई सम्पर्क मार्ग योजना बनायी गयी होती तथा पर्यटन के नाम पर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बात करने वाली यह सरकार महोदय जनपद फतेहपुर में खागा ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर धार्मिक ग्रन्थ रामायण को सी०ओ० खागा ने

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

* श्री कैलाश सिंह राजपूत–

अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर लोक निर्माण और पर्यटन का बजट रखा है, उसकी जितनी सराहना की जाय कम है। माननीय मंत्री जी ने पूरी कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों के सम्बन्ध में और पर्यटन से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में विकास करने का पूरा योगदान किया है। अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता मौर्या जी कटौती का प्रस्ताव पर्यटन पर रख रहे थे और मैं यहाँ पर बैठा सुन रहा था कि सारा भाषण रखते-रखते उन्होंने हमारे मंत्री जी पर एक आरोप लगाया था कि पर्यटन का धन मंदिर के पत्थर और जीर्णोद्धार में खर्चा किया जा रहा है। बहुजन पार्टी के नेता मंदिर का नाम न लेते तो इन्हें डर था कि इनकी नेता इनके नेता पद की छीन लेंगी।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

माननीय अधिष्ठाता जी अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा सभी विधायकों के लिए पंडित दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना के नाम पर सड़कों के आवंटन की बात कही तो एक सम्मानित सदस्य ने इस योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं मैं सुझाव देना चाहता हूँ आप भी, पंडित दीन दयाल जी देश के महान सन्त हैं, मैं साहित्य उपलब्ध करा दूँगा, आप उनकी विचारधारा पर चलने की कोशिश करें, तो निश्चित ही आपको दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना दिखायी पड़ने लगेगी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक-दो मिनट में मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास जो दलों के माननीय नेताओं द्वारा सूची भेजी गयी है मैं उसी सूची के अनुसार लोगों को बुला रहा हूँ। जो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे उनको दुबारा बुलवाने नहीं जा रहा हूँ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उमर्दा में पाण्डु नदी पर शेर घाट पर पुल निर्माण के लिए धन आवंटित कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां पर बैठे हुए है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह पुल स्वीकृत पुल है धन उपलब्ध है। 15 दिन में आप निर्माण कार्य करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, यदि मंत्री जी की कृपा हो जाए तो ईसन नदी पर निगोहा में पुल बनवाने की कृपा करें। ठठिया से वाया कन्नौज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 40 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर रह जायेगा। मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत जर्जर है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

(श्री लालमणि जी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

जिनके नाम सूची में थे और जो अनपस्थित थे मैं उनको नहीं बुलवा रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

कोई निवेदन नहीं सुन रहा हूँ। मैंने लालमणि जी को बलवा लिया है अगर नहीं बोलने देना चाहते हैं तो बता दें।

श्री लालमणि प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मौर्या जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर जो पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में माननीय मौर्या जी ने प्रस्ताव रखा है विशिष्ट स्थानों पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, लेकिन इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि दुनिया के लगभग चालीस देश के लोग बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। आपके अपने प्रदेश में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं इसलिए जो बौद्ध स्थली श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु है, कुशीनगर पिपरहवा, लुम्बिनी, कौशाम्बी आदि जो बौद्ध स्थली हैं। इनका पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर पर्यटकों के आने के बारे में उनके रहने की व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पर्यटकों के प्रदेश में आने के बाद ऐसी भी स्थितियां आयी हैं कि पर्यटकों के साथ उनकी जान-माल की रक्षा हो। उनकी

हिफाजत की गारण्टी प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। ऐसी भी स्थिति आई है कि पर्यटकों के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार किये जाते हैं। उससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आयी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, आज संत कबीर नगर जो नया जिला बहन मायावती जी द्वारा बनाया गया था। वहाँ मगहर पवित्र स्थान है। जो कबीर साहब की पवित्र स्थली है। हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मेरी प्रार्थना है, आपके आसन ग्रहण करने के पूर्व भी मैंने कहा था जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। कल बारावफात का त्योहार है, तो इस त्योहार को मनाने के लिए मुसलमान भाई अपने घर जाना चाहते हैं, उनको इसलिए पहले बुलवा लिया जाय। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अधिष्ठाता–

आप माननीय सदस्यों का नाम लिखकर दे दें।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। सबसे पहले पर्यटन के बारे में सुझाव देना चाहूँगा। यह प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह सारे देश के लिए संदेश होता है। सबसे पहले हमारी चिन्ता यह है कि देश की एकता और अखण्डता को कैसे कायम रखा जाय? पर्यटन विभाग एक संवेदनशील विभाग है। संवेदनशील विभाग इस मायने में है क्योंकि पर्यटन विभाग में अनेक धर्मों के पर्यटक स्थल हैं। चाहे सिक्ख धर्म से सम्बन्धित हो, चाहे जैन धर्म से सम्बन्धित हो, चाहे सनातन धर्म से, हिन्दू धर्म से सम्बन्धित पर्यटक स्थल हों, चाहे बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हो, चाहे माइनारटी मुसलमान से सम्बन्धित पर्यटक स्थल हो। सभी के प्रमुख स्थल हैं। हमारा पर्यटन विभाग एक ऐसा उद्योग है जिसमें लाभ के अलावा हानि की बात नहीं है। इस विभाग के माध्यम से हम देश की एकता और अखण्डता को कायम रख सकते हैं। दूसरे विदेशी पूँजी इससे अर्जित कर सकते हैं। इस देश में भाषा अनेक हैं, धर्म अनेक हैं लेकिन इस देश की संस्कृति एक है। उस सांस्कृतिक विरासत को उस धार्मिक विरासत को अक्षुण्य रखने का काम हमें करना है। यह देश इसलिए जाना जाता है। यहाँ मुसलमान धर्म से सम्बन्धित अनेक इमारतें, ताजमहल, लखनऊ में अनेक इमारतें हैं, जो सारी दुनिया को संदेश देती हैं। यहाँ पर साहसिक पर्यटक स्थल एवरेस्ट है। इस देश की एकता और अखण्डता को अगर अक्षुण्य रखना है, तो आपको समान नीति अपनानी होगी।

आपने यह किया कि एक धर्म से सम्बन्धित पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से शिकायत पैदा होगी और आपसी विश्वास में कमी आयेगी। समरसता और समान दृष्टि अपनाने का सरकार का दायित्व है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इस बजट में जो प्राविधान रखा है, उससे कोई समान दृष्टि बनाने का काम किया गया है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिए, यह सरकार बतायें कि उसने समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए कौन-सा काम किया है, तीसरी बात विदेशी सहायता जो जापान से आती है, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए उस विदेशी सहायता को वांछित उद्देश्यों में प्रयोग न करके वेतन और भत्तों में प्रयोग किया जाता है, इस पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आपत्ति प्रकट की है और उत्तर प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट नहीं दिया है। मुझे लगता है कि जो विदेशी सहायता मिल रही है वह बन्द हो सकती है। किसी महत्वाकांक्षी योजना का कोई विश्लेषण नहीं किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अगर आप कह देंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। मान्यवर, जहाँ तक पर्यटन विभाग में मास्टर प्लान का सवाल है, अन्य प्रान्तों में सरकारों ने मास्टर प्लान आरम्भ कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्टर प्लान लागू नहीं किया है। मान्यवर, इस तरह से पर्यटन के सम्बन्ध में जो हमारे सुझाव हैं, बेहतर होगा माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो उनका समावेश करें। लोक निर्माण के बारे में कहूँगा, गुणवत्ता के बारे में जहाँ तक सवाल है।

श्री वसीम अहमद:–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पाल जी ने मौर्या जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो लोक निर्माण का बजट रखा है उस पर बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं। विशाल हृदय से इस बजट को बनाया गया है लेकिन मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आता है, समानता नजर नहीं आती है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, आजमगढ़ में महराजगंज का पुल दो साल से टूटा है, छोटी सरयू पर पुल बनना है।

मान्यवर, किसान चीनी मिल को गन्ना देने का काम इस क्षेत्र के किसान करते हैं, लेकिन बैरियर लगा दिया गया है, जिससे कोई ट्रक व ट्रैक्टर नहीं जाता है, जिससे गन्ने की ढुलाई नहीं हो सकती है। टेढ़वामजरिया का पुल है, उसको बनाने की बात नहीं की गयी है। सरयू से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर बन्धे को पिच कराना आवश्यक है लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। आपने बार-बार कहा कि पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत दो-दो काम विधायकों को दिये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक साल से ऊपर हो गया देवाराकदीम से जोडबावर मार्ग के लिए आज तक कोई पैसा नहीं गया। देवाराकदीम से जोडबावर मार्ग को चिकनहवा तक जोड़ना है लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया। इसी तरह से देवाराकदीम से औघड़गंज की तरफ जो रास्ता जाता है, उस सड़क को पक्की करनी है। सरदहा से टेढवामजरिया वाली सड़क को पक्की करनी है। सरहदा से भीमवर का जो अवशेष 3-4 किलोमीटर का है वह पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह महराजगंज बिलरियागंज मार्ग पर परशुरामपुर से बैदरा, भटनी होते हुये चेंवता तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया है।

जयराजपुर से भलुवाई होते हुये परशुरामपुर मार्ग से जोड़ने का भी कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है इसलिये मैं भी कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। सेहंदा से दुबरहाबुजुर्ग होते हुये आजमपुर जकिया मार्ग से मिलाने का भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं रखा गया है। इसी तरह श्रीनगर से गुलडर बाजार तक सड़क निर्माण की कोई बात नहीं कही गई है। सरैया पुल के बगल से तेंदुआ होते हुये बनकट मार्ग से जोड़ने का प्राविधान नहीं किया गया है, भदाँव से मझौवा बरसरा होते हुये विजयापार में मिलाने का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है। इसी प्रकार गौरी से कन्धरापुर बिन्दवल मार्ग से जोड़ने का भी कोई प्राविधान नहीं है, साथ ही बिन्दवल कन्धरापुर मार्ग का अवशेष भाग बनवा दिया जाय। यह सभी कार्य इस बजट में कराये जाने का प्राविधान नहीं रखा गया है, अतः मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

चौधरी बाबू लाल (आगरा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से विधायक हूँ। मेरे क्षेत्र में 96-97 में बाढ़ आई थी, 3 महीने तक वहाँ बाढ़ रही, इस दौरान सड़कें टूटकर बराबर हो चुकी हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग की ओर से कोई भी मरम्मत का

कार्य नहीं कराया गया। इसी प्रकार 96-97 में जिला योजना के अन्तर्गत जो भी काम स्वीकृत हुये, उस पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इन कार्यों को अविलम्ब पूरा कराया जाय। मेरा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी तक ऐतिहासिक क्षेत्र है, वहाँ ऐतिहासिक शेख सलीम चिश्त की मजार, इमारतें हैं, जहाँ देशी और विदेशी दोनों ही पर्यटक आते हैं, वहाँ के विकास के लिये कोई भी योजना इस बजट में नहीं रखी गई है। इसी तरह मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कीथम झील है, यह महर्षि सूरदास की जन्मस्थली भी है, इस क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र बनाने के लिये कोई योजना नहीं रखी गई है।

हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में आगरा से राजस्थान सीमा तक सड़क बनाने का ठेका 3 करोड़ रुपये का हुआ था। इसका ठेकेदार बी०जे०पी० का उपनगर प्रमुख नवीन जैन था, उसने ऐसी सड़क बनवाई जो 6 महीने के अन्दर टूट गयी, आप उस सड़क की जांच कराइये तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ। मेरे क्षेत्र में एक खारी नदी पड़ती है, उसके ऊपर जैगारा गांव बताया खेड़ा बाक नदी पर पुल बनवाने की कृपा करें, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत एक शासनादेश है कि एक हजार के ऊपर आबादी वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिये जायेंगे लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने अपनी मनमानी करके ऐसा नहीं किया है। फतेहपुर सीकरी रजवहा पर सड़क बनवाई जा रही मानक के अनुरूप नहीं बन रही है, जांच करायें?

श्री अधिष्ठाता–

बाबू लाल जी समाप्त करें, अब आपकी कही बात अंकित नहीं की जायेगी।

* श्री शेर बहादुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा रखे गये प्रगतिशील बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सैफई जैसे गांव से विकास की गाड़ी का चक्का निकालकर उसे माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सड़के गड्ढा मुक्त दिखाई पड़ रही हैं, चारों तरफ विकास का कार्य हो रहा है मैं इसके लिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि वह इस प्रदेश में गड्ढा वाली सड़कें नहीं रहने देगी और इस प्रदेश के 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ेगी।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़े-बड़े गांव हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव छोटे-छोटे हैं ज्यादातर गांव 5-6-7 सौ की आबादी के हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने के पहले इस पर भी विचार करें। मान्यवर, अपने निर्वाचन क्षेत्र जवाहरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों की कमी है और कभी भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जलालपुर मित्तूपुर सड़क, बन्दीपुर कटका सड़क, रफीबंध कटका सड़क, पट्टी सुरहुरपुर सड़क, कभूपुर सम्पर्क मार्ग की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। पट्टी सुरहुरपुर की सड़क पर आपके समय में ही पास हुई है और उस पर धन भी आवंटित हुआ है। बाकी जो 4 सड़कें हैं इस पर 1994 में धन आवंटित हुआ था और धन समाप्त भी हो गया और कोई कार्य भी नहीं हुआ है, बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। इस पर तुरन्त ध्यान दे करके इसे ठीक कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, मेरे यहाँ बरिया बन सड़क पर सुल्तानगढ़ पुल टूट गया है, यह टोंस नदी पर स्थित है तुरन्त इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का कष्ट करें। सिसारा से कअई नहर की पटरी को बनवाया जाय। मान्यवर, जिस तरह से अपने कमजोर बच्चे की गार्जियन ज्यादा चिन्ता करते हैं, उसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री राम जग–

मान्यवर, मैं लोक निर्माण एवं पर्यटन विभाग के बजटों पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो दैनिक वेतन कर्मचारी जो काम करते हैं, जो मस्टररोल बनता है, फर्जी बनता है और उनका भुगतान जेब में जाता है। मजदूरों को आधी मजदूरी भी नहीं मिल पाती है।

मान्यवर, गांव में जब पी०डब्लू०डी० की रोड बनती है और जब गांव वाले पूछते हैं कि क्यों नहीं ठीक काम हो रहा है, क्यों गिट्टी नहीं ठीक से पड़ रही है, तो कार्य करने वाले साफ कहते हैं कि हमें 30 से 40 प्रतिशत तक कमीशन देना पड़ता है, तो हम क्या बढ़िया काम करें? विभाग के लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं विभाग में भ्रष्टाचार का यह हाल है। एक काम आगे बढ़ता है, तो पीछे-पीछे खराब होता जाता है अगर इस भ्रष्टाचार को आप नहीं रोकेंगे तो कार्य ठीक होने वाला नहीं है। आपने जन-प्रतिनिधियों से पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत 4-4 गांवों के नाम मांगे थे अब कैसे कह रहे हैं कि 2-2 गांव ही लेंगे, जो सूची मांगी है, उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें? आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जो नाम दिये, कार्यकर्ताओं ने जो नाम दिये, उन पर स्वीकृति चली गयी लेकिन जो जनप्रतिनिधियों ने, हम लोगों ने प्रस्ताव दिये हैं, वह विभाग में ही हैं। यह पी०डब्लू०डी० विभाग जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं मानता है। जिला योजना में जो स्वीकृत रोड हैं, उनके निर्माण का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे, लगा कि अब अधिकारी डरेंगे लेकिन फिर वहीं अधिकारी जस के तस। पी०डब्लू०डी० के कामों को देखने के लिए आप क्या जनप्रतिनिधियों को अधिकार देंगे? आपने कहा कि नहर की पटरी का लेपन होगा कितने स्थान पर हो रहा है। जहां भाजपा के विधायक हैं। वहां कार्य हो रहा है। जहां पर नहर की पटरी पर लेपन कार्य अनिवार्य है, अगर विरोधी दल के विधायक हैं, तो वहां काम नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं पुल के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां मंगेही नदी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें कृपया।

श्री राम जग–

यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्थान है जहां पर पुल के निर्माण के लिए बराबर मांग उठती है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हुई।

पूरे प्रदेश में यह अम्बेडकर गांव—97-98 में लेपन के संबंध में घोषणा की—एक साल बीत गया जो 10-10 गांव लिये गये थे, सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़े गये। अब आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे।

यदि माननीय मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी इस विभाग में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और सड़कों को ठीक प्रकार से बनवाना चाहते हैं तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग के धन्धे को छोड़िये और कमीशन बंद करवायें। यही मुझे कहना था। धन्यवाद।

श्री राम बिशुन आजाद–

माननीय, अधिष्ठाता जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बजट गरीबों के लिये नहीं है, मैं अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गड्ढामुक्त योजना की बात कही, लखनऊ तो हो सकता है परन्तु हमारे जनपद में राजमार्गों पर यह योजना सफल नहीं हुई। मनकापुर से बभनान, मनकापुर से उतरौला, मनकापुर से नवाबगंज, गोंडा दर्जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंडा से मनकापुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं, बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, पटरियां टूट गयी हैं, इसलिये राज्य मार्ग योजना के तहत इन मार्गों के लिए पैसा दिया जाय। मनकापुर से नवाबगंज मार्ग पर जो ऊँट घाट का पुल है, वह टूट गया है, जो अयोध्या को जोड़ता है, इसलिये राज्य योजना के अन्तर्गत पैसा स्वीकृत कर इस पुल को बनाया जाय, चिरैया-चांगढ़ घाट तथा श्रृंगार घाट के पुलों का निर्माण कराया जाय। वजीरगंज का जो कस्बा है, इसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, इनको ठीक कराया जाय।

मान्यवर, महराजा देवी बक्श सिंह जी ने 1857 के गदर में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी परन्तु उनके नाम पर आज भी जनपद गोंडा में कोई भी योजना नहीं है। आने वाली पीढ़ी उन्हें याद कर सके इसलिये उनके नाम पर योजना बनाई जाय। पसका क्षेत्र में शुकर खेत में बाराह भगवान का बहुत पुराना मन्दिर है, मन्दिर को सम्पर्क करने वाली सड़क का लेपन कराया जाय और इस पर पुल बनाया जाय। माननीय श्री पाण्डेय जी राज्य मंत्री वहां गये थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि पसका क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाया जायेगा परन्तु अभी तक शासन द्वारा पर्यटन केन्द्र नहीं बनाया गया। इसी प्रकार श्रवण पाकर के मन्दिर है जो किरन छपिया में है। मन्दिर को सम्पर्क करने वाली सड़क का भी लेपन कराया जाय। पसका और श्रवण पाकर तीर्थ स्थल पर शासन द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायें।

(व्यवधान)

मैंने दूसरे वक्ता का नाम पुकार लिया है। आपकी कही हुई बात नहीं लिखी जा रही है। इसलिए अब आप समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

* श्री जगदीश नारायण 'मुन्ना'–

मान्यवर, मैं माननीय पाल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद एक बात बहुत खली, मैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सड़क की बात बहुत देर से हो रही है लेकिन उसके आगे जो नदी चलती है, उस पर पुल आप नहीं दे रहे हैं। प्लाटून ब्रिज की बात थी, तो यह आप नहीं देने जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक पुल गठिया नाला है, उसका उद्घाटन आप करने गये थे, जो बेलका घाट पर प्लाटून ब्रिज नहीं बना है। मान्यवर, जिला पंचायत ने दिनांक 6-10-96 को प्रस्तावित कर दिया कि क्रियान्वयन कर दें। पिछले साल की बजट पुस्तिका में इसका जिक्र हुआ था, इस साल इसका नामों निशान नहीं है। जो अम्बेडकर गांव योजना है उसमें जिला योजना से पैसा रिलीज हो गया है लेकिन राज्य सेक्टर से कोई धन अभी तक नहीं मिला है, तो इस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा।

इसी तरह से मान्यवर, पर्यटन के बारे में काफी बातें कही गयीं। मान्यवर, जौनपुर में, जहां पर हमारे मंत्री जी का भी निवास है, वह नगर जमुनी संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां पर परशुराम जी और शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है, इसको विकसित किया जाय। इसको देखना गौरव की बात होगी। मान्यवर, इसी तरह से अटाला मस्जिद अनूठी कला का केन्द्र है इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि इसको देखने के लिए लोग आ सकें। मान्यवर, इसी तरह से नहरों की पटरियों को पक्का कराने की बात कही गयी तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसके चयन की प्रक्रिया क्या है, जनप्रतिनिधियों का इसमें ध्यान रखा जायेगा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय पाल जी और माननीय मौर्य जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

(श्री सुखवीर सिंह पुन्डीर का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे।)

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना अच्छा बजट कभी नहीं प्रस्तुत हुआ है जो ग्रामोन्मुखी हो। यह वास्तव में हर प्रकार से विकास करने वाला बजट है। मान्यवर, मैं थोड़ा सा अपनी विधान सभा क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं। मैं बदायूं विधान सभा से निर्वाचित होकर आया हूं। मान्यवर, गंगा की पटरी के पार कुछ गांव हैं, वहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है। वहां पर एक नदी बहती है जिसको भैसोरा नदी कहते हैं। उस नदी के पार का इलाका जो है,वह वर्षाकाल में जब सैलाब आता है तो वहां का आना-जाना अवरुद्ध हो जाता है। उसके कारण किसानों को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है जो कि उनकी रोजी-रोटी में सहायक होता है और वह उससे वंचित हो जाते हैं और वहां के लोग अपहरण, डकैती और चोरी जैसे कामों में लिप्त हो जाते हैं इसलिए मेरा मा० मंत्री जी से निवेदन है कि उस नदी पर मूढ़ा-मगरौला के पास एक पुल का निर्माण कर दिया जाय तो वहां पर आने-जाने की समस्या दूर हो जायेगी।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ एक दूसरा क्षेत्र है, सहसवान। वहां पर महावा नदी बहती है,वहां पर हजारों की संख्या में आबादी है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी 1996 में वहां पर गये थे,उस समय वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बन जायेगी तो हम निश्चित रूप से पुल बनवा देंगे। सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गयी है और जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे वह आज प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री बन गये हैं। तो मैं मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने वादा किया था उसे निभायें। तो मान्यवर, मैंने संक्षेप में दो सुझाव रखे हैं इन पर ध्यान देने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

* श्री गजेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बड़े ही सुन्दर तरीके से इसको पेश किया है। बजट भाषण में गड्ढामुक्त सड़कों का बड़ा भारी जिक्र हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राज्य मार्ग हैं जहां पर वह खराब हो जाते हैं क्या उनको खड़ंजा लगाकर गड्ढामुक्त की संज्ञा दी जायेगी। जब आप सहारनपुर जायें तो सड़क पर गड्ढों में खड़ंजा लगा हुआ मिलेगा। क्या उसी को गड्ढामुक्त कह रहे हैं। यही हालत ग्रामीण क्षेत्रों की है वहां पर ऐसी सड़के नहीं है कि आदमी सही सलामत अपने घर पहुंच जाये। दिन के उजाले में ठोकर लगती है। अगर आप बागपत जायें तो आप देखेंगे और तब कहें गड्ढामुक्त क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर थोड़ा बहुत गड्ढा था उसको लेप कर दिया गया है लेकिन वह जैसे का तैसा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सड़क का नवनिर्माण चल रहा है, मेरठ से बागपत, उस पर जो कोलतार लगाया गया है उसमें काले तेल की मात्रा अधिक है इसके कारण रोड़ी काली दिखायी पड़ती है और वह कुछ ही समय में टूट जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

मान्यवर,मैं अपनी पार्टी का अकेला सदस्य बोल रहा हूं मुझे कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपनी जिले की योजना के बारे में बताना चाहता हूं।

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। अनुशासन सबके लिए बराबर है। केवल कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्य एवं एक अन्य सदस्य को ज्यादा समय दिया क्योंकि उनके दल वालों को दो-दो मिनट का समय दिया।

श्री गजेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

मेरे क्षेत्र में जो सड़कें पास हुई है। उन सड़कों पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। कहीं पर भी कोलतार नहीं है,जहां पर बना दी, वह सब टूट गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण तथा पर्यटन के बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया,मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग का जो कार्य है वह पूरे प्रदेश में सड़कें बनाने का है। यह सरकार गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की बात करती है,वह कहीं पर नहीं गड्ढों की मुक्ति नहीं की है। मेरे क्षेत्र में कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं की गई है। वहां पर जो 32 सड़कें हैं उनमें कहीं पर कोलतार नहीं पड़ा है, जब इंजीनियर के पास जाते हैं, वह कहते है कि कोलतार नहीं है। तो कैसे गड्ढा मुक्त सड़क बनेगी। खाली बजरी डाल देने से सड़क गड्ढा मुक्त पक्की नहीं हो जायेगी और जब बरसात होगी तो वह मिट्टी भी बह जायेगी और कहेंगें कि हमने पक्की सड़क बनाकर गड्ढा मुक्त कर दी है। इस प्रकार सारा का सारा पैसा वह खा जाते हैं। करोड़ों रुपये का घोटाला मेरे क्षेत्र में सड़कों के मामले में है। आप कहते हैं कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे। पूरे जिले में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो अभी तक मुख्य सड़क से जोड़े नहीं गये है। आप दीनदयाल सम्पर्क मार्ग की बात करते हैं, लेकिन इसका चयन कौन कर रहा है। जिलाधिकारी, बी०डी०ओ० या बी०डी०सी०,कौन कर रहा है? विधायक से कोई नहीं पूछ रहा है। इस मंत्रिमण्डल का इससे कोई मतलब नहीं है। रोड कैसे बनेगी क्यों कि आपके पास रोड रोलर नहीं है। तारकोल नहीं है। फिर गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे बनायेगें। इसी प्रकार पुल-पुलियों की बात है,मेरे यहां सोलह पुलिया और 32 सड़कें बननी थीं लेकिन उन सोलह में से पांच ही बन जाती,एक भी नहीं बनी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी द्वारा कही गयी कोई बात नहीं लिखी जायगी।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, [x x x]

नोट:– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम शंकर पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, मैं पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे यहाँ बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में सन् 1993 में बल्लापुर में महामहिम राज्यपाल द्वारा सड़कों के लिये 43 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। 1995-96 में 26 लाख रुपया खर्च हुआ था। उस सड़क पर चार पुलिया ऐसी हैं जिनमें दिवालें खड़ी हैं, मैंने कई बार जांच के लिए निवेदन किया, जांच हुई और अनियमिततायें पाई गई लेकिन आज तक उन पुलियों की छतें नहीं पड़ी हैं। वहां पर चार मौतें इसी रास्ते के अभाव में हो गई हैं और यातायात अवरुद्ध है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन पुलियों की छतें बनवाई जायें। अभी कुछ दिन पहले पन्छी विहार में आश्वासन दिया था। वहां दो बारातें रास्ता न होने के कारण लौट गई और लोगों की शादियाँ नहीं हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद उन्नाव में जिला योजना के माध्यम से 100 कि०मी० सड़क कटरी की बननी हैं,वहां गरीब केवट लोग रहते हैं। वहां पिछले वर्ष मंत्री जी पक्षी विहार में गये थे और सड़क के लिए धन देने की बात कही थी। उस सड़क पर एक करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है, वहां पर गंगा के किनारे केवट लोगों की आबादी है,मैं चाहूंगा कि राम भक्त केवट ने श्री राम को उतारा था,अगर धन दे दें तो जो वहां पर गरीब असहाय लोगों की आबादी है,उनको सड़क बनने से सुविधा मिल जायेगी। सड़क न होने से वहां कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, या तो वहां सड़क बनवा दें नहीं तो वहां के नौजवानों की शादी का प्रबन्ध करायें।

श्री अधिष्ठाता–

हम और आप उस सीमा से बाहर हैं।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत खूबसूरत बजट भाषण प्रस्तुत किया। कुछ तो उनके तजुर्बे का रंग और कुछ खूबसूरत शब्दों के रंग भरकर उन्होंने बजट प्रस्तुत किया और कुछ खूबसूरत योजनायें भी बतायीं। मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में योजनाओं को लागू कराने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नीतियां बनाने की बात कही है।

पक्षपात न हो। भाई अम्बरीष जी ने भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था और क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाय तो आपकी योजनाएं वाकई बहुत प्रभावी रहेंगी, जन हित में रहेंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि यह दोनों चीजें आपके यहां सम्भव नहीं हो पा रही हैं। मैंने सामान्य बजट पर बोलते हुए एक उदाहरण दिया था,माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखा था,आपके विभाग से संबंधित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पक्षपात और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात की जाय। पिछले वर्ष नहर पटरी के लिये 12½ किलोमीटर सड़क मुरादाबाद जिले में दिया गया। वहां के दो विधान सभा क्षेत्र ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद देहात हैं जिनमें नहरें आती हैं। सुझाव मांगे गये थे,मैंने भी दिये थे और ठाकुरद्वारा से भी सुझाव आये थे। मुरादाबाद देहात मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। पूरा 12½ किलोमीटर सड़क एक भा०ज०पा० विधायक के ही विधान सभा क्षेत्र में बना दी गई। हमने जब उसकी जानकारी की तो पता चला कि वह शासन से सीधे आदेश गये थे कि ठाकुरद्वारा में बना दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, दो मिनट में बात समाप्त करता हूं। एक बात कह रहा हूं,आपने निर्णय लिया था कि आम जनता के लिये जामा मस्जिद में चट्टे का पुल बना करेगा। गत वर्ष बना था,जिससे जनता को सुविधा मिली लेकिन विभाग को अनुचित लाभ नहीं मिला इसलिये इस साल नहीं बनाया गया। जबकि यह हर साल के लिये तय हुआ था कि हर साल बना करेगा और बरसात में खोला जायेगा। इसी बजट में पिछली बार भी आपके विभाग के बजट पर बोलते हुए आपको याद दिलाने की कोशिश की थी कि राष्ट्रीय हित में लखनऊ और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय मार्ग है उसमें एक क्रासिंग ऐसी भी पड़ती है रेलवे की।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, यह आपके दोनों विभागों से संबंधित है। राष्ट्रीय राज मार्ग भी है,जिम कॉर्बेट का ट्रैफिक और कुमाऊं का पर्यटक वहीं से जाता है। 20-20 घंटे जाम लगा रहता है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रेलवे ओवर हैड ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ।

* श्रीमती सुमन लता सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया है,इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। लोक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है,मैं उसका समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जब माननीय मंत्री जी बरेली दौरे पर गये थे तो इन्होंने मिनी बाई-पास की घोषणा की थी और उसके लिये 50 लाख रुपये तत्काल घोषित किया था। आपने उस योजना की बी०डी०ए० को आर्थिक जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। अगर बी०डी०ए० पर धन होता तो आपसे क्यों कहते। इस बजट में मिनी बाई-पास को शामिल करें,यह बरेली की जनता की महती आवश्यकता है। मेरा क्षेत्र भी बरेली शहर के चारों तरफ है। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि तुर्रमगोटिया शाहजहांपुर से निकलती है,यह नगर निगम के पास है। उसने पी०डब्लू०डी० को लिखकर दिया है, यह 1½ कि०मी० का मार्ग पी०डब्लू०डी० ग्रहण कर लें क्योंकि बाई-पास पर 10 हजार ट्रैफिक प्रतिदिन निकलता है,उस सड़क की हालत दयनीय है। मेरा यह निवेदन है कि उसे नगर निगम से पी०डब्लू०डी० ले ले। मथुरा-भरतपुर मार्ग है,बरेली से मार्ग जाता है, रेलवे की डबल लाइन है,उस पर ओवर ब्रिज को बजट में शामिल कर लें। दूसरी बात कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की एक समस्या है कि स्पेशल कम्पोनेंट के अन्तर्गत जिन सड़कों का चयन हुआ है, 1000 आबादी का मानक रखा गया है।

अम्बेदकर गांव का एक हजार की आबादी वाले गांव में मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं आता है तो इस दशा में क्या होगा? उसमें कुछ छूट दी जाये। एक हजार की आबादी की जो संख्या है,वह घटा दी जाये। उससे कम आबादी के गांव ले लिये जायें। गड्ढा मुक्त कराने की योजना है तो नेशनल हाईवे,जितने हैं,वहां गड्ढा मुक्त किया जा रहा है,और मार्गों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसे शासनादेश हमारे पास नहीं है। छोटे जनपद के लिए यह नहीं है कि गड्ढा मुक्त करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

श्रीमन् चौथी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि बरेली जनपद में डायवर्ट सी-5 एग्रीकल्चर योजना शुरू हुई,उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई,इसमें मजरवां ब्लाक आता है, यह कहा गया कि हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा,इसको क्रियान्वित नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग के बजट पर पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के 14 व्यक्ति के नाम मिले हैं,मेरा निवेदन है, सुझाव है,अगर आप स्वीकार कर लें तो काम में आसानी होगी। लगभग दो बजे बजट शुरू हुआ था,छः घंटे होने को आ रहे हैं। तो मैं तीन प्रतिपक्ष से और एक पक्ष से बुलवाऊँगा। फिर सूचना विभाग का बजट आयेगा,आप इस पर बोल लें, सूचना विभाग पर कटौती का प्रस्ताव आयेगा,उसके बाद न बोलें। लोक निर्माण पर जितने सदस्य बोलना चाहें बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपका सुझाव मान्य है। मुख्य मंत्री बेचारे असहाय हैं,उनको संकट में डालना नहीं चाहते हैं,जैसे एडजस्ट करना चाहें कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

कोई संकट नहीं है।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय जगदम्बिका पाल ने रखा है,मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब कोई डाक्टर किसी मरीज को देखते हैं तो लक्षणों के आधार पर मर्ज की पहचान कर लेते हैं। मान्यवर, इसी प्रकार जनपद लखीमपुर के पहचान के कुछ लक्षण हैं। कोई पर्यटक जब पश्चिम या पूर्व या उत्तर या दक्षिण से आ रहा होता है तो वह अगर गाड़ी में सो जाए तो जैसे ही लखीमपुर की धरती पर प्रवेश करेगा,उसकी आंख स्वतः खुल जायेगी। बस समझ लीजिये लखीमपुर आ गया। पूरे जनपद की सड़कें गड्ढा युक्त हैं,किसी भी सड़क पर चलना दूभर है। मान्यवर, जिस जनपद के माननीय लोक निर्माण मंत्री जी रहने वाले हैं वहां की सड़के मजबूत और चौड़ी हो जाती हैं और गड्ढा मुक्त हो जाती है तथा सभी गांव मुख्य मार्गसे जुड़ जाते हैं। हमारे जनपद की सड़कें नहीं सुधरी। जब मा० वर्मा जी लोक निर्माण मंत्री थे। मान्यवर, हमारे यहां बेलरॉया-पनवारी राज्य मार्ग है,यहां एक-एक फिट गहरे गड्ढे हैं। पंचपेड़ी घाट इसी राज्य मार्ग पर है, पुल नहीं बना है,वहां पर पुल बनवाया जाए, मान्यवर, बेलराया-पनवारी राज सड़क मार्ग की तीन कि०मी० सड़क शहर से गुजरती है। उस पर एक-एक फिट के गड्ढे हैं। वहां से निकलना दूभर हो जायेगा। जी०एम०टी० एवं सरैया ग्राम के पास लखिया नाला पड़ता है,उस पर पुल बनवाने की व्यवस्था की जाये। दुधवा नेशनल पार्क,जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है,उसको जाने वाली सड़क माशा अल्ला है। वहां पहुंचना मुश्किल है। टाउन एरिया ओयल और कस्बा खीरी की दूरी 10 कि०मी० है,इसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर पहुंचना मुश्किल है क्योंकि कच्चा है। इसका बनना नितान्त आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० कौशल किशोर–

लखीमपुर से बहराइच रोड जिला खीरी के अन्दर 10-15 कि०मी० है,इसका पी०डब्लू०डी० द्वारा बनना आवश्यक है। लखिया नाले पर पिथवापुर केशवपुर गुरेला के बीच पुलिया बनवाई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ,मैं,श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा जनपद नया बना हुआ कौशाम्बी है। इसका इस बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर बनाया गया है। वहां के अधिकारी इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद से अधिकारी मंझनपुर आते-जाते हैं। वहां पर रास्ते में भरवारी रेलवे क्रासिंग पड़ती है जिससे वहां के जिलाधिकारी, एस०पी० और आम जनता दो-दो घंटे क्रासिंग में फंसे रहते हैं। वहां पर ओवर ब्रिज के लिए प्राविधान नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि भरवारी में कम से कम एक ओवर ब्रिज बना दिया जाये जिससे सभी को सुविधा हो। कौशाम्बी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। कौशाम्बी के लिए,सड़कों के लिए 30 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि कौशाम्बी जनपद के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए रुपया है या कौशाम्बी,जो पर्यटक स्थल है,उसके लिए यह सड़क निर्माण का प्राविधान किया गया है। मंत्री जी ने हनुमान गढ़ी के पुनर्निर्माण, उसके सौन्दर्यीकरण के लिये योजना बनाई है,जो पर्यटक स्थल कौशाम्बी है,वहां पर हमारे क्षेत्र में पभोषा पहाड़ में जैनियों का एक मंदिर है,पूरे वर्ल्ड से आदमी वहां आते जाते हैं। उसके विकास के लिए प्राविधान किया जाये। अलवारा में झील है,उसके विकास के लिए कार्य किया जाये। मंत्री जी ने रामपथ गमन मार्ग का उद्घाटन फाफामऊ में किया जब कि भगवान राम अयोध्या से श्रृंगवेरपुर होते हुए चित्रकूट गये थे। यह हर जगह धार्मिक ग्रन्थों में लिखा हुआ है। यदि आपको सही रामपथ गमन का मार्ग बनाना है तो श्रृंगवेरपुर के पास गंगापार पुल तथा महेवाघाट पर यमुनापार पुल का निर्माण कराकर चित्रकूट तक मार्ग का निर्माण करायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब,माननीय सदस्य,आप बैठ जाय।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में ऐगवां एक ग्राम है। मान्यवर, इस बात को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी नोट कर लें अगर यह झूठा होगा तो त्यागपत्र दे दूंगा। उसको सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना बनायी गयी वह मार्ग मात्र डेढ़ किलोमीटर का है लेकिन अधिकारी तीन किलोमीटर का स्टीमेट बनाकर धन आवंटित कराकर रुपया खाने की योजना बनाये हैं। यह सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई लेकिन अधिकारियों की जेब जरूर भर गयी।

* श्री जय प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण एवं पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का हमें अवसर दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के मार्ग के विकास के लिए जिस प्रकार का प्राविधान इस बजट में किया है,इससे लगता है कि प्रदेश की जो आवागमन की समस्या है,उसका समाधान हो जायेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा एक हजार से ज्यादा आबादी के गांवों को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए जो योजना चलायी गयी है, सचमुच ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, किसी के भी द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना बनायी जाये और उसका विकास किया जाये। यह पहली सरकार है जो गांवों पर काफी ध्यान दे रही है।

मान्यवर, जिला योजना के द्वारा जो मार्ग इस बार स्वीकृत किये गये थे, यहां से जो शासनादेश गया कि कार्यदायी संस्थाओं से बेस पेपर मांगा जाये। यह प्रतिबंध हो गया कि बिना वित्त विभाग की अनुमति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे, अभी तक जिला योजना के निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके है, बिना अनुमति की वजह से कार्य रुके पड़े हुये हैं। इसलिए तुरन्त वित्त विभाग से अनुमति दिलायी जाये और कार्यों को शुरू कराया जाये। मेरा विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर कई नदियों के बीच है। राप्ती, गुर्रा, नकरा कठनेर इन तमाम नदियों से घिरा हुआ है और यहां पर पुल व पुलियों की सख्त आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश–

माननीय मुख्य मंत्री जी इकौना घाट 24 अगस्त को गये थे, वहां पीपे का पुल लगाने की घोषणा हुई थी, अभी तक बजट का प्राविधान नहीं हो पाया, इसमें इसको करा लीजिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है, पंचकोसी एरिया में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब अपनी बात समाप्त करें, बिना अनुमति के बोलेंगे तो कार्यवाही में अंकित नहीं होगा।

श्री जय प्रकाश–

[x x x]

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो लोक निर्माण विभाग का बजट पेश हुआ है और उस पर माननीय जगदम्बिका पाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में गढ़ढा योजना की बात कही, यह सरासर गलत है। मेरा क्षेत्र सदर आजमगढ़ है, माननीय मंत्री जी को भी वहां से बहुत लगाव है, यह वहां के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

वहाँ से मंत्री जी का बहुत मधुर सम्बन्ध है, स्वीकार क्यों नहीं करते। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के ऐसे प्रिय स्थान की बात कर रहे हैं, मेरी ओर से मंत्री जी आपसे निवेदन है उस प्रिय स्थान में जो अच्छा विकास कार्य हो सकता है, वह जरूर करायें।

श्री कलराज मिश्र–

माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिये इनका बोलना आवश्यक है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र सदर आजमगढ़ में दिनांक 28-6-97 को त्रिनिदाद (टोबैगो) के प्रधानमंत्री श्री वासुदेव पान्डे अपने पूर्वजों की जन्मस्थली पर आये थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय रोमेश भंडारी भी आये थे, वहां पर राज्यपाल महोदय ने लक्ष्मणपुर मार्ग बनाये जाने की घोषणा की थी, इस योजना की लागत 64 लाख थी, इसकी पहली किश्त 5 लाख की तथा दूसरी किश्त 12 लाख की दी गई, उसके बाद से कोई पैसा आज तक नहीं दिया गया है, मैं चाहूंगा कि यह मार्ग श्री वासुदेव पान्डे जी के पूर्वजों की जन्मस्थली को जाता है, अतः इसके बनवाने की तत्काल व्यवस्था करें।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ बहुत छोटा जिला शहर है, वहां के अन्दर की सड़कें बहुत खराब हैं, एक बाईपास है जो 10 कि०मी० लम्बा है लेकिन बहुत पतला है, उसको चौड़ा कराने की व्यवस्था करें ताकि शहर में गाड़ियां न आकर बाईपास के रास्ते से निकल जायें। मेरे क्षेत्र में सोधीपुर-मसलम पट्टी मार्ग है जो आजमगढ़ को जोड़ता है, मान्यवर पुराने मार्ग हैं उन पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं उनको भरवाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अम्बेडकर गांव की जो योजना अधूरी रह गई हैं उनको पूरा कराया जाय। आतापुर इण्टर कालेज से शिवराजपुर तक मार्ग को लेपनस्तर तक कराया जाय तथा शहरवाई से करिमुद्दीनपुर गांव तक लेपन स्तर का काम कराया जाय। इसके अतिरिक्त तरबरपुर बैरमपुर मार्ग से ददरा होते हुए सोफीपुर मसलम पट्टी मार्ग को लेपन स्तर तक पूरा कराया जाय तथा सोफीपुर से ढढनी तक पिच का अवशेष मार्ग बनवाने की कृपा करें। मान्यवर, तहबरपुर-बैरमपुर मार्ग का लेपन बाकी है। यह मुख्य सड़क है,इसे बनवाया जाय। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कोविद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अभूतपूर्व है किसी सरकार द्वारा इतना शानदार बजट नहीं प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है,उसमें जिस तरह से चौमुखी विकास का प्राविधान किया गया है उसके लिए हम इस बजट का समर्थन करते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर चारों ओर से नदियां हैं,वहां पर पैन्टून का पुल बनवाने से लगभग 50 हजार लोगों को लाभ पहुंचेगा। पेन्टून पुल ग्राम ढकियारघा के निकट कठिना नदी पर पुल निर्माण इसके अलावा ग्राम गौरीखेडा से ढकियारघा तक पक्की सड़क बनवा दें। इसके साथ ही मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं वहां जखनिया विधान सभा जहां 4-4 नदियां बहती हैं लेकिन कोई पुल नहीं है,जिसके कारण काफी कठिनाई होती है,मेरी मांग है कि वहां पर पुल बनवाया जाय। वहां पर चलने लायक कोई सड़क नहीं है। हरिहरपुर से बरहर जो सड़क जाती है,वह इतनी खराब है कि उस पर कोई आदमी जाता नहीं है, मजूई दुल्लहपुर मुल्लक की सड़क पर कंकड़ पड़ा हुआ है,वह चलने लायक नहीं है। लेकिन वह भी सड़क चलने लायक नहीं है। मान्यवर, जखनियां विधान सभा तपस्वियों की तपोभूमि रही है, वहां हथियाराम भुड़कड़ा मठ हैं, वहां पर पर्यटक स्थल का विकास करें। हमारा क्षेत्र वीरों की भूमि है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद महावीर चक्र विजेता रामउग्रह पांडे पैदा हुए थे। इन वीरों के नाम पर इनके गांव में पर्यटक स्थल बनाकर विकास किया जाय ताकि भारतवर्ष के लोग वहां पर आ सकें, प्रदेश और जिले का लाभ हो, इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम चन्दर यादव–

मान्यवर, विगत वर्षों की जो योजनाएं लोक निर्माण विभाग के द्वारा संचालित की गयी हैं, आगे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 75 कि०मी० ऐसी सड़कें जो विभिन्न योजनाओं से आच्छादित की जानी चाहिए थीं जिनमें कोलतार और उसे फिनिश करने की सारी व्यवस्था होने के बावजूद आज कार्यों पर रोक लगा दी गयी है, आज जो नये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, मैं अपेक्षा करुंगा कि जो पुरानी योजनाएं हैं, अधूरी योजनायें हैं, जिनके लिए कोलतार और दूसरे मेटल सामान खरीद रखे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। हमारे यहां गोमती नदी से लगी सीमा है। सुल्तानपुर की, वहां इण्डस्ट्री लगी है, नदी पार जो आवागमन का पुल है, टूट गया है, उस पुल का निर्माण कराया जाय। क्षेत्र की समस्याओं पर मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया ध्यान दें। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर जो लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं, उसके लिए मंत्री जी को बधाई देते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। वस्तुतः जो प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय राज मार्ग है उनमें अनेक स्थानों पर गति अवरोधक अथवा पट्टियां बनाई जाती हैं, जहां जिसकी जैसी मर्जी होती है। गति अवरोधक कैसे बनेंगे, पट्टियां कैसे बनेंगी, इसके लिए भारतीय मानक निर्धारित हैं। मान्यवर, आज तेज गति की कारें आ गयी हैं। दुर्घटनायें मात्र इस कारण से होती हैं, यह गति अवरोधक या पट्टियां जो बनायी जाती हैं, जहां पर बनती हैं, अनियमित रूप से बनी होती हैं इसमें किसी प्रकार का चिन्ह व आगे की इस तरह की गति अवरोधक पट्टियां वहां नहीं बनी होती।

पानी और डामर का आपस में बैर है, इसमें आदेश पहले से ही है, फिर से निर्गत करें कि जहां-जहां जल भराव है वहां डामर सड़क से पूर्व जल निकासी की व्यवस्था हो, जल भराव कहां-कहां है, उसको चिन्हित कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, जो पुरातत्व विभाग भारत सरकार का गजट है, उसके अनुसार सोमवार को बंदी ताजमहल की नहीं हो सकती है। लेकिन अनधिकृत रूप से ताजमहल बंद हो रहा है जिससे देश और विदेश के पर्यटकों को नुकसान हो रहा है इसलिए इस गजट के अनुसार उसको खुला रखा जाय।

दिल्ली से आगरा अनधिकृत रूप से बसें आती हैं, इससे काफी नुकसान हो रहा है, इसे रोका जाय। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु जो धन दिया गया है, 1997-98 में मैनपुरी को सबसे कम धन दिया गया है। गड्ढामुक्त सड़कों की बात कही गई। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र किशनी की बात कहना चाहता हूं। गिट्टी तो आरसीसी की पड़ गई, वह भी 5-10 दिन पहले। बरसात शुरू हो गई है और वह गिट्टी भर जायेगी। मान्यवर, इस पीठ की एक गरिमा है, जब आप सरकार में थे तो आप जासमई गांव गये थे, पांच हजार की इसकी आबादी है, आपने घोषणा की थी कि इस मार्ग को बनवायेंगे। इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि इस मार्ग को बनाया जाय। मेरे यहां करैल किशनीपुर, मैनपुरी व कुसमरा में सड़कों पर गड्ढे हैं, इन्हें ठीक कराया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 10 गांवों के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति मिली थी, 1994 में परन्तु आज तक इन गांवों की सड़कों का डामरीकरण नहीं किया गया है, इसे कराने की कृपा करें। सेरिक से किसनी–विधूना मार्ग पर नगला मदारी पर अरण्य नदी पर पुल हैं। हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान हेतु यहां से जाते हैं, इसलिये इस पुल को बनाया जाय। धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं विधान सभा क्षेत्र भाटपाररानी (देवरिया) का निवासी हूं। यह बिहार की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थिति यह है कि न यह बिहार में है और न उत्तर प्रदेश में। विकास के नाम पर यह जीरो है। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। लगभग पांच-सात नदियों-नालों से मेरा विधान सभा क्षेत्र घिरा रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे आग्रह पर एक नयी तहसील भाटमा बनायी गयी।

रायबारी से खराट होते हुए भाटपाररानी को जोड़ने वाली सड़क है । खराट में खनुआ नाला है जिसमें पुल न होने के कारण लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । मान्यवर, इसी तरह से प्रतापुर फैक्टरी से बनकुल रोड होते हुए बिहार सीमा को जोड़ती है । इसमें झरही नदी है उसपर पुल बनाया जाय तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ा जा सकता है । नूनखार से होते हुए बेलवा बाबू यह 21 किलोमीटर लम्बी रोड है जो बेलवा बाबू होते हुए फतेहपुर टेहरा जो बिहार सीमा को जोड़ती है । उसपर छोटी गंडक बनकव घाट में पुल बनाया जाय । तो यह विधान सभा चारों तरफ से जो खंडित है वह एक हो सकता है ।

मान्यवर, भटनी से बलुवा अफगान रोड जो है उसपर खनुआ नदी पर पुल बनाया जाय तो बिहार सीमा को जोड़ा जा सकता है । रायबारी पर पुल बनाया जाय तो भाटपा खराट घाटी बिहार सीमा गोपालगंज जिला जुड़ सकता है । इसी प्रकार से चकिया कोठी से राजपुर को बिहार सीमा से जोड़ा जाय तो बिहार से हम जुड़ सकते हैं । भवानीछापर बलुआ पडरी होते हुए अरहौली बघेल को अगर जोड़ दिया जाय तो कटसरवा इन्टर कालेज को रास्ता मिल जायेगा और छात्रों को भी सुविधा मिल जायेगी । इसी प्रकार एक डंमा बिहार सीमा से टीकमपार खामपार बिहार सीमा भिगारी को जोड़ दिया तो भी बिहार से उत्तर प्रदेश एक हो सकता है । इसी प्रकार मान्यवर, पूरे विधान सभा क्षेत्र में कोई गेस्ट हाउस नहीं है जबकि अन्य जिलों की विधान सभा में सब जगह गेस्ट हाउस है । तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक गेस्ट हाउस हमारे यहां बना दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, भाटपार भिगारी तथा भिगारी से भवानी छापर पर गड्ढे हो गये हैं इसे बनवा दिया जाय तो इस प्रदेश में कोई विकास का काम हो सकता है । मान्यवर, हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां पर काफी नदियों और नालों की वजह से वह कई दिशा में कटा हुआ है । अतः इन सब चीजों को जुड़ने से हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बजट का समर्थन करते हुए और स्वागत करते हुए अपनी पूरी बात पद्य में कहना चाहता हूं–

पिछली सरकार से तो हमें कुछ नहीं मिला
हर व्यक्ति की हमेशा से रही यही गिला
आई है जब से भाजपा सरकार यू०पी० में
चालू हुआ विकास का तभी से सिलसिला ।।

गड्ढों से भरी सड़कें अब तो प्लेन लग रहीं,
चलती हुई बस जीप जैसे ट्रेन लग रही
सब कुछ उजाड़ कर तो आप सब ने रखा था
जो कुछ हुआ विकास हमारी देन लग रही ।।

नहरों की पटरियां भी अब तो चमक उठेंगी
चकरोड रोड बनके सभी झनक उठेगी ।

हर गांव गली जहां पर दुश्वार था चलना
कुछ भी नहीं बचेगा सभी दमक उठेगी ।।

सड़कों के लिए अब नहीं बवाल मचेगा
धन की कमी का अब नहीं सवाल उठेगा
अब हो गयी शुरुवात जरा देखना यारो
पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा ।।

सरकार यह मशहूर है नये अंदाज के लिए
कुछ काम शेष रह गया समाज के लिए
अब तक जो भी आए प्रदेश लूट कर गये
करने को काम छोड़ गये कलराज के लिए ।।

सड़कें बहुत जरुरी हैं विकास के लिए
कितने शहर तरस रहे हैं बाईपास के लिए
ओवरब्रिज बन रहे हैं मार्ग चौड़े हो रहे
नदियों पर पुल हैं बन रहे कार पास के लिए ।।

लोक निर्माण का यह बजट विकास की पिटारी है
सब देख रहे कार्य यहां जोरों से जारी है
महसूस कर रहे हैं सभी हम क्या बताये
पूरा प्रदेश चमके तमन्ना यही हमारी है ।।

था काम नहीं हो रहा धन के अभाव में
सरकार भी सवार हुई टूटी नाव में
कल्याण की सरकार की यह देखिये खूबी
सड़कें झनक रही हैं अब तो गांव गांव में ।।

अब तक विपक्ष के लोग थे गल्ला पचा रहे
जब काम शुरू हैं तो ये हल्ला मचा रहें
जो है मिला विरासत में हमें सभी जानते
किस ढंग से हम सबका मुहल्ला रचा रहे ।।

जो काम कर चुके हैं कभी फर्जी यहां पर
चमने न पा रही है उनकी मर्जी यहां पर
कुछ ठीक हो गये हैं बाकी ठीक हो रहे
रहने न पायेगी कोई अलगर्जी यहां पर ।।

सारा अधूरा काम पूरा आज किया है
जनता भी मस्त भाजपा पर नाज किया है
जो काम नहीं कोई भी सरकार कर सकी
उस काम को इस वक्त श्री कलराज किया है ।।

नई कार्य संस्कृति से भ्रष्टाचार हटेगा
आएगी पारदर्शिता आर-पार दिखेगा
हर काम समयबद्ध सही ढंग से होगा
गुणवत्ता बढ़ेगी स्वप्न साकार बनेगा ।।

मान्यवर इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इस समय 8 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(समय 8 बजकर 30 मिनट)

श्री राम प्यारे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया अभी आपके पूर्व जो अधिष्ठाता महोदय बैठे हुए थे उन्होंने माननीय मंत्री जी से मधुर संबंध के बारे में कहा है जिस पर मा० मंत्री जी भी प्रसन्न हुए हैं। मैं स्वीकार करता हूं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मा० मंत्री जी के मधुर संबंध आजमगढ़ से हैं कि बहुत कम उम्र में संघ के प्रचारक के रूप में मा० मंत्री जी आजमगढ़ गये थे और आजमगढ़ के लोगों ने इतनी ऊर्जा दी थी की चेहरे की चिकनाहट बढ़ गयी और मुझे ऐसा लगता था कि इनकी खूबसूरती एवं चेहरे की चिकनाहट जैसी है उसी तरह पूरे प्रदेश की सड़कें हो जायेंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखायी पड़ रहे हैं यह प्रदेश का दुर्भाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याओं को रखना चाहता हूं। मा० अधिष्ठाता महोदय, आजमगढ़–गोरखपुर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु 30 लाख रुपये गत वर्ष स्वीकृत हुए वह सड़क नहीं बनी केवल 3 किलो मीटर में एक किलो मीटर बनी, आजमगढ़–गोरखपुर मार्ग का लेपन हो चुका है। दो किलो मीटर की गिट्टी पड़ी हुई हैं। मुश्किल से उस पर 15 लाख भी खर्च नहीं हुए होंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस रोड की जांच आप जरुर करवा दें। मैं लिखकर दे दूंगा। लठीपार–सेनापार एक मार्ग है। जिस पर कल्याणपुर लकड़ी का पुल बना हुआ है जो बहुत पुराना है। और जर्जर स्थिति में है। घोसी चीनी मिल के लिए वहां से रास्ता जाता है उसके जर्जर होने से अब किसानों का गन्ना ट्रकों को 30 किलो मीटर घूम कर जाना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर भेज दीजिये। मा० मंत्री जी कृपया उस पत्र को देख लेंगे। हमारे साथ सहयोग करें।

श्री राम प्यारे–

ठीक है मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संदीप अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करने का अवसर दिया आपका मैं हार्दिक रुप से आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, पाल साहब को बुलाइयें मेरा इस पर एतराज है क्योंकि पाल साहब ने अपने में से 3 मिनट का समय इधर के लिए दिया था मुझे एतराज है इसमें की आप इधर से बुला रहे हैं।

श्री संदीप अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से एक सुझाव अपने क्षेत्र मुरादाबाद के बारे में रखना चाहता हूं। मान्यवर, मुरादाबाद–महानगरी ऐसा जिला है जो प्रदेश में ही नहीं वरन् पूरे देश को 2000 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा देता है। मुरादाबाद नगरी में आये दिन विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि मुरादाबाद महानगर की सीमा से लगा हुआ काशीपुर तिराहा है। वहां पर रेलवे क्रासिंग है। वह रेलवे क्रासिंग 24 घन्टे में साढ़े 9 घन्टे बन्द रहता है। और उस मार्ग पर 24 घन्टे पर करीब 18000 वाहन पास होते हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली रोड पर जो नेशनल हाइवे है उससे लखनऊ को जोड़ने वाले मार्ग को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण किया गया है। उसके रख-रखाव की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी को पुकारे जाने पर।)

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पाल साहब को बुलायें या मुझे निकाल दीजिये, मुझे इंगित करें। अगर आप सत्ता पक्ष को मौका देते हैं तो हमारा अधिकार है कि हम भी बोलें।

श्री अधिष्ठाता–

हम बुलायेंगे, इसके बाद बोलियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा पाल साहब को बुलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जिद रही, आपकी जीत रही। माननीय बाजपेयी जी मेरा निर्देश है आप लिखकर भेज दीजियेगा। जो आप लिखकर देंगे उस पर माननीय मंत्री जी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर ध्यान दिया जायगा। यह पीठ का निर्देश है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज इस महत्वपूर्ण लोक निर्माण विभाग के बजट पर सम्मानित सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, 42 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका आभारी हूं। मान्यवर, सत्ता पक्ष द्वारा बजट पास करानेकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, बाध्यता है। अभी भाई पुंडीर बोल रहे थे वह जिस ओवर ब्रिज की मांग कर रहे थे वही मांग मुरादाबाद के सदस्य कर रहे थे। मान्यवर, इसी तरह से सत्तापक्ष के माननीय प्रेम प्रकाश पाठक जी बैठे हुये हैं उन्होंने कहा कि आजतक इतिहास में इस तरह का बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कलराज मिश्र जी ने पेश किया। बजट की बड़ी प्रशंसा की गयी, निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिये लेकिन एक तरफ जब आप कहते हैं कि आजादी के बाद यह तबारीखी बजट आया है और दूसरी तरफ यह कहते हैं जब कलराज मिश्र संगठन के अध्यक्ष थे तो वह गंगा की कटरी में गये थे और कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पुल को तत्काल बनाया जाएगा आज दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि पुल अभी तक नहीं बन सका। हमारी बहन सीमा द्विवेदी जी नहीं है चली गई हैं उन्होंने कहा कि मेरे गांव तक जो सड़क बन रही है वह 15 महीने से बन रही है लेकिन केवल ढाई सौ मीटर काम हुआ है अगर माननीय सदस्या की सड़क स्वीकार हो गई और केवल ढाई सौ मीटर बनी है तो आप समझ लें कि क्या स्थिति होगी?

मान्यवर, हमारी बरेली की माननीय सदस्या भी चली गई हैं उन्होंने किताब दिखाई थी और कहा बरेली के सभी गांवों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कसे, प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार हुई थी लेकिन कार्य शून्य है मैं इधर के माननीय सदस्यों की बात नहीं कह रहा हूं। मैं इन सदस्यों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्होंने इस बजट की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की और बजट पारित करने की बात कही। मैंने केवल उसके कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया है और सभी माननीय सदस्यों की यही आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी सड़क नीति बन रही है या अन्य रोड पालिसी बनायेंगे इसमें इस तरह से न करें कि काम पन्द्रह महीने से हो रहा है और मात्र 2½ मीटर काम हो। आज सड़क निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें होता यह है कि आप 4 किलोमीटर सड़क देते हैं और उसके लिये 5 लाख रुपये आहरित कर देते हैं तो उसमें इन्जीनियर सबसे पहले चाहते हैं कि अर्थ वर्क करा लें उसके बाद वह फर्स्ट कोट, सेकेन्ड कोट, इन्टर कोट आदि के लिये मैटीरियल इकट्ठा करने की सोचता है क्योंकि उसमें उसको कमीशन मिलता है। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा कहना है कि आप 4 किलोमीटर न देकर एक किलोमीटर दें और उसको पूरा कराने के बाद ही दूसरे चरण में दूसरा किलोमीटर और तीसरे चरण में तीसरा किलोमीटर दें। गांवों के लिये जो सड़क दें तो उनको कम से कम एक किलोमीटर बनाकर दें ताकि उनका कुछ कष्ट तो कम हो जाय।

आप देखेंगे जगह जगह गिट्टी के ढेर पड़े हैं। अभियंता मैटीरियल डलवाता है औरउसी बीच में उसका स्थानान्तरण हो जाता है उसके बाद दूसरा आता है तो उसके पास धन आहरित नहीं होता तो इस वजह से काम नहीं हो पाता है। हमारे सदस्यों ने सुझाव दिया था कि सभी दलों के सदस्यों को लेकर एक कमेटी बना लें तो अच्छा होगा क्योंकि उसमें इस सदन से अलग हटकर भाग लेंगे कोई दलगत भावना नहीं होगी एक प्रदेश की जनता का हित होगा और महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आ सकेंगे। सड़क निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक काम एक ठेकेदार से तो दूसरा कोटिंग दूसरे ठेकेदार से, तीसरा तीसरे से और चौथा कोट चौथे ठेकेदार से कराया जाता है। भिन्न भिन्न स्तर पर अलग अलग ठेकेदार काम करते हैं जिस कारण से किसी के कार्य कीगणवत्ताके लिये जिम्मेदारी नहीं दी जा पाती है। अगर भविष्य में इसमें गुणवत्ता बनाये रखना चाहते हैं तो उसके लिये आपको यह करना होगा कि सड़क के निर्माण की प्रक्रिया में मिट्टी से गिट्टी तक का काम एक से ही करवाया जाए। कई योजनाओं का उल्लेख किया गया।

मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूं। पी०डब्ल्यू०डी० और पर्यटन को आप पिछले साल से देख रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध परिपथ श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर है। लुम्बिनी सिद्धार्थनगर में है। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि अगर आपको वहां जाना है तो लखनऊ से जाना होगा फैजाबाद, बांसी होते हुए जायेंगे। यह उत्तर प्रदेश की सबसे खराब सड़क है। गोरखपुर से फरेन्दा, नौगढ़, बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती जाना होता है कोई एयर लाइन्स नहीं है। अगर जापान, सुमात्रा से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आयें तो लखनऊ तक वह किसी वायुयान से आयेंगे लेकिन लुम्बिनी, श्रावस्ती जाने के लिये उसे सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। आज भी सैकड़ों लोग जाते हैं। बस्ती से नौगढ़ के रास्ते में कष्ट है। पूर्वांचल का मामला है मध्य प्रदेश से नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है, वहीं से विन्ध्याचल का रास्ता है, नेपाल को रास्ता जाता है। एक बौद्ध परिपथ योजना बीरबहादुर सिंह के समय में गोरखपुर से निकली थी उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। मैं समझता हूं भविष्य में बौद्ध परिपथ को सम्यक रुप से जोड़ने के लिए मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे। जिला योजना के बारे में भागीदारी की बात, दीनदयाल उपाध्याय योजना में भागीदारी की बात हुई। मैंने स्वयं पत्र लिखकर दिया। आप कहते—"सभी माननीय सदस्यों से प्रस्ताव लिया जाता" मेरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। दूसरी बार आपकी चिट्ठी आई दूसरी बार फिर लिखकर भेज दिया सभी माननीय सदस्यों से दीनदयाल उपाध्याय योजना का प्रस्ताव मांगते हैं तो उसमें बराबर की भागीदारी सभी की निश्चित करें। आप इसकी गुणवत्ता की बात करतेगुणवत्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल की बात करते हैं तो प्रदेश का मुख्यालय है उसको बन्द करें। मान्यवर विधायक निवास पर संसदीय कार्य मंत्री जी को खेद प्रकट करना पड़ा। इनके दो बार कहने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई और संसदीय कार्य मंत्री को खेद व्यक्त करना पड़ा। सचने कहा पानी बिजली नहीं आ रही है।

मान्यवर, अगर आप इस विभाग में राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में पी०डब्लू०डी० को माफिया से मुक्त करायें। चाहे कान्ट्रेक्टर माफिया हों चाहे जो माफिया हों। मान्यवर कानपुर में जाजमऊ पुल का ठेका होना था इसमें टेण्डर पड़ने थे। कानपुर के एक ठेकेदार ने होटल से लोगों को निकलने नहीं दिया जिनको टेण्डर खरीदने थे उनको टेण्डर खरीदने नहीं दिए गए पुलिस से लैस लोग खड़े रहे और तीस टेण्डर उन्हीं के लोगों ने डाले तो माफिया कान्ट्रेक्टर चाहे ब्रिज के हों चाहे सड़क के हों इससे मुक्त कराने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा पर्यटन को विकसित करना चाहते हैं। पिछली सरकार ने पिपरहवा लुम्बिनी में एयरपोर्ट की स्वीकृति दी थी ताकि बुद्धिस्ट आ सकें इसको आपने निरस्त कर दिया. अगर है तो बता दें। आपने गड्ढा समाप्त करने के लिए 65 करोड़ रुपया खर्चा किया इससे आठ सौ किलोमीटर सड़क बन जाती। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

एक साथ आ जाए। स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने कहा है पांच-छः मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा कही बात को दोहराना उचित नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य चाहे सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं बात अच्छी थी समर्थन करने वाले और मक्खन लगाने वाले लोगों ने अन्त में आलोचना के तेवर दिखाकर उन्होंने हमारे कटौती प्रस्ताव पर अप्रत्यक्ष रूप से बल दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनके कुछ ऐसे कार्य जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं मात्र दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक मैं अपने पैतृक गांव चकवड़ (प्रतापगढ़) जहां पर कमासिन देवी जो हिन्दुओं की श्रद्धा का प्रतीक हैं। सितम्बर 1997-98 में मेरे आग्रह पर मंत्री जी ने पर्यटन मंत्री की हैसियत से 4½ लाख रुपए दिया था लेकिन सत्र खत्म होने के उपरान्त आज तक वह धन आवंटित नहीं हुआ। दूसरी बात चिलविलिया में मंत्री जी ने पर्यटन मंत्री की हैसियत से वह भी मेरे आग्रह पर 18 लाख रुपए संस्तुत किए थे लेकिन वह धन भी आज तक अवमुक्त नहीं हुआ। इन्होंने अपने बजट भाषण में करोड़ों रुपयों का धन आवंटित किया है, वह कपोलकल्पित है, झूठा है, असत्य है। इनकी सैकड़ों लिखित घोषणाएं हैं इनकी कथनी और करनी में एक होने की मैं अपेक्षा करता हूं क्योंकि मंत्री जी बहुत संजीदा और वरिष्ठ साथी हैं लेकिन उनके आचरण से हमारे विश्वास को अविश्वास हुआ।

मुख्यमंत्री जी का जो बजट भाषण छपा हुआ है उसमें पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पेज नं० 58 पर है। दूसरे आपके निर्देश पर जो सूचना विभान ने छपवाया है। पूरे प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए उसमें 150 करोड़ रुपयों को दिखाया गया है। तो मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण को सही माने या पर्यटन मंत्री के भाषण को सही माने। इससे पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। मंत्री जी इस पर गौर करें। सही क्या है इस पर स्पष्टीकरण दें। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में 14 सुझाव दिए थे उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। पर्यटन केन्द्र तक जाने के लिए जो राजमार्ग होते हैं उनके किनारे-किनारे फलदार वृक्ष रोपण कराने की व्यवस्था चाहे जिस विभाग से समन्वय करके करें। तो प्रदेश के हित में होगा और पर्यटन केन्द्र के हित में होगा। पर्यावरण के हित में भी होगा।

दूसरे इण्टर नेशलन एयर पोर्ट को डेवलप करें जिनसे हमेशा विदेशी आते रहते हैं। जिससे करोड़ों रुपए की आय उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़े। इसलिए इसको करवाने की व्यवस्था करें। इससे जो पर्यटन स्थल हैं उसमें और चार चांद लगाने के लिए जो आपके संज्ञान में भी है और कुछ दिन तक उस पर कार्य करने में साथ भी थे। कानपुर में गौतम बुद्ध पार्क, लखनऊ में डा० अम्बेडकर उद्यान, बुद्धा पार्क और इटावा में स्थित गौतम बुद्ध पार्क, इसको आधा-अधूरा छोड़े हुये हैं यह उत्तर प्रदेश माननीय मंत्री जी को हंसी का पात्र बना रहा है, उसको कार्ययोजना की सूची में जोड़ेंगे। अन्त में माननीय मिश्रा जी ने खुद पिछले सत्र की अपेक्षा इस वर्ष अपने-आप स्वयं बजट में कटौती कर दिया है, मिश्रा जी का शुभ चिन्तक होने के नाते और साथ देने के नाते कटौती स्वयं कर दिया है इसलिए इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपको अयोध्या की चिन्ता है, कैलाश मानसरोवर जो विदेशी कब्जे में है उसको आप लेने के लिए आन्दोलन छेड़ें। हिन्दू मैथोलोजी के सबसे बड़े भगवान के निवास स्थान कैलाशपुरी को आजाद कराकर अपने कब्जे में लेने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सभी सम्मानित साथियों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं श्री पाल जी का और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से तमाम बातें कहीं। मैं उसकी आलोचना तो नहीं कहूंगा, एक समालोचना की दृष्टि

प्रस्तुत कराकर मुझे लाभान्वित किया है। लेकिन समालोचना में जो अच्छी और सकारात्मक चीज होती है उसकी भी प्रशंसा की जाती है लेकिन शायद पाल जी और हमारे मित्र मौर्य जी और भी बन्धुओं को अच्छे काम गले नहीं उतर रहे हैं। जहां मेरे ऊपर यह आरोप लगाने की कोशिश की गयी है कि मैं भेद कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका आह्वान करे, आपके सामने सारी चीजों को यह ध्यान रखते हुये कि जन प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं चाहे राम जग, जगदम्बिका पाल जी, चन्द्रनाथ जी, डा० धर्मेन्द्र मिश्र जी या सौमित्र अली जी का क्षेत्र हो, उसे हम यह अनुभव करते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है और यह अनुभव करते हुये लोक निर्माण विभाग में आते ही प्रबल संकल्प के साथ काम करना प्रारम्भ किया और मैं यह कह सकता हूं कि जब हम शासन में आये उस समय चुनाव के दौरान हम सब लोग गये होंगे, बराबर चलते थे, चाहे राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग या एम०डी०आर० हों ऐसा लगता था कि सड़क गड्ढे में और गड्ढा सड़क में है, इसी का अहसास करके एक अभियान चलाया और यह काम पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया, श्रेणीवार किया।

माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में, जिले में यह सड़क नहीं बनी, मैं बताना चाहता हूं कि जिले की सड़कों को ओ०डी०आर० कहते हैं, यह सही हैं कि वह ठीक नहीं हुई, उसका हम अभियान चला रहे हैं। इसी तरह जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजकीय राजमार्ग हैं, एम०डी०आर० हैं, मैं खड़े होकर विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आज 98 फीसदी से ज्यादा इन सड़कों को इस तरह का बना दिया है कि वह गड्ढा मुक्त हो गये हैं, इन सड़कों को मैंने अपने पैरों से नापा है, लगातार भ्रमण किया है। अभी एक माननीय सदस्य सहारनपुर का जिक्र कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि सहारनपुर–दिल्ली सड़क का मैंने स्वयं चार बार चक्कर लगाया है, आप आज शामली के पास की सड़क देख लें, इसमें बुरी तरह से गड्ढे थे, आज वह सड़क कितनी अच्छी हो गई है, अब लोग कह रहे हैं कि शामली के पास बाईपास बना दें, क्योंकि वहां जाम लग जाता है।

मैंने बिना किसी के कहे सड़कों को लेने का काम शुरू किया है और अभी पाल जी ने बासी-बस्ती की सड़क की बात कही, उसको भी लिया है। हम तो खुद सड़कों को देखकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एम०डी०आर० हैं, उसके लिये अभियान चला रहे हैं। यह एक कन्टीनुअस प्रासेस है और मैंने कहा है कि यह काम चलता रहेगा। जो हमारे ओ०डी०आर्स हैं, जिले की अन्य सड़कें हैं जो 20 कि०मी० से 30 कि०मी० की हैं, जो उससे अधिक होती हैं, उनको एम०डी०आर० की श्रेणी में रखते हैं, यह काम भी पारदर्शिता से हो सके, इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विशेष रूप से इन्हें चिन्हित करें। नीला, लाल, सफेद से चिन्हित करें ताकि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एम०डी०आर० को पहचाना जा सके, इसको हमने प्रचारित भी करने का क्रम किया है ताकि लोग भी यह जान सकें कि कौन सा मार्ग नेशनल हाईवे है, कौन सा स्टेट हाईवे है, कौन सा ओ०डी०आर० है, कौन सा एम०डी०आर० है, आज तक इस तरह का अभियान किसी ने नहीं चलाया। अभी 65 करोड़ की बात कही गई, मैं बताना चाहता हूं कि यह आपदा कोष का पैसा है, इसमें 25 जिले चिन्हित थे, उन्हीं जिलों में यह पैसा खर्च किया गया है, वहां नवीनीकरण हुआ है। हमारे यहां अनुरक्षण की मद में बहुत कम पैसा आता है।

मैंने भी सब चीजें पढ़ी हैं, देखी भी हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया है। 1 लाख कि०मी० की सड़क के लिये 500 करोड़ जहां अवमुक्त किया जाता है, वहीं हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ धन अवमुक्त किया जाता है क्योंकि संसाधनों की अत्यन्त कमी है लेकिन अनुरक्षण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि अनुरक्षण न किया जाय तो सड़क नहीं चल सकती और हर सड़क की एक निश्चित अवधि होती है, वह ध्वस्त हो चाहे ध्वस्त न हो, वह सड़क मानक के हिसाब से अवधि को पूरी कर लेती है तो उसका रिनीवल होना ही चाहिये। उसका सुदृढ़ीकरण होना ही चाहिए लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं यह नहीं कहता कि विरासत में क्या मिला लेकिन जो वास्तविकता है आप सब लोग जानते हैं हम तो 15 माह से आये हैं। कल्याण सिंह जी को आये हुए लगभग 9 माह हो गये और 6 माह उसके पहले से

मैं था। 15 माह में कोई करिश्मा नहीं हो जायेगा लेकिन जिस प्रकार से हमने काम किया है वह करिश्मायुक्त ही कहा जायेगा। जहाँ तक कमीशनखोरी की बात है यह कैसे होती है बताने की बात नहीं है।

मान्यवर, मार्ग विकास नीति तैयार कर ली गयी है मंत्रिमंडल की मंजूरी भी हो गयी है उसमें जो अपेक्षा की है, सुझाव दिये हैं, पाल जी के सुझाव का स्वागत करता हूं। हमने उसमें लिया है कि ठेकेदारों पर अवलम्बन कम से कम हो। इस प्रकार व्यवस्था किया है उसके जो साइलेन्ट फीचर हैं वह मैं बता रहा हूं उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति करना चाहता हूं कि किसी भी सड़क पर जांय तो यह न महसूस करें कि हमारा आवागमन बाधित हुआ है। मान्यवर, संशाधनों की दिक्कत आ रही है लेकिन इसकी व्यवस्था के लिए उसमें प्राविधान किया है और उस प्राविधान के अन्दर बी०ओ०ओ०पी० की भी व्यवस्था की है। पुलों के निर्माण के लिए भी, सड़कों के निर्माण के लिए भी कोई भी हिस्सा बाकी न रहे, जैसा हमारे अम्बरीष जी ने कहा कि कुछ सड़कें सीमेन्टेड क्यों नहीं होती, संसाधनों को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से संसाधनों की व्यवस्था करके यह सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारी सरकार रोना नहीं जानती है। लेकिन जनता के सामने वास्तविक स्वरूप का चित्रण करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए।

प्रदेश नंगे स्वरुप में है इसे किसने निर्माण किया है जरूर बताना चाहता हूं यह आज जनता को कुंठित कर रहा है। नंगा स्वरुप देखकर अपनी संकल्पशक्ति दिखाकर और कार्यशक्ति में प्रभावी स्तर पर जाकर प्रदेश के विकास को आगे की तरफ तेजी से ले जायेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस आधार पर कि हमने कार्य किया है, काम दिखाई पड़ रहा है। बहुत से लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि काम दिखाई पड़ रहा है गांवों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया है, विलेज कमेटी में दिया है।

मान्यवर, दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग का मानक निर्धारित किया है और वह है कि 1000 की आबादी होगी और अधिकतम दूरी 2 कि०मी० होगी ताकि गांव को जोड़ा जा सके। और उस मानक के आधार पर चलाने की कोशिश की थी जब हम शासन में आये, तब तक नाबार्ड से जो पैसा मिलता था लेप्स कर जाया करता था। हमने आकर पूछा कि नाबार्ड पेज-2 की क्या स्थिति है बताया गया कि डेढ़ सौ करोड़ रु० है। हमने कहा मैं योजना देता हूं आप क्रियान्वित करायें। बहुत से गांव अभी प्रमुख मार्गों के साथ जुड़े नहीं हैं इसलिए हमने गांव का भी सर्वेवार किया। एक हजार से अधिक वाले गांव जो हैं वह 23 हजार हैं जो प्रमुख मार्ग के साथ नहीं जुड़े हैं। हमने कहा कि इसको पहले जोड़ें। पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना का नाम दिया, वे एक राजनीतिक मनीषी थे, लोगों के प्रेरणा स्त्रोत थे, वे कहते थे कि जो गरीब आदमी हैं अगर हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ को ऊपर उठाओ उसको साथ लेकर चलो। कहा गया कि हमने डा० अम्बेदकर योजना को उपेक्षित किया है।

मान्यवर, डा० अम्बेदकर ग्राम योजना जो है उसमें विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य भी है। पाल साहब ने आरोप लगाया आप बजट देख लेते। जो अनुसूचित जाति, जनजाति के गांव हैं, 90.53 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है, जिला सेक्टर में। 1997-98 में कुल 1710 गांव सम्पर्क मार्गों के साथ जोड़े गये।

श्री अधिष्ठाता–

आपस में बात न करें, बाद में पूछ लेंगे।

श्री [illegible]राज मिश्र–

मान्यवर, 1998-99 के लिए 35 करोड़ रु० की व्यवस्था इसमें की गयी है, शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 1 हजार से अधिक की आबादी के जो गांव हैं ऐसे गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी सबसे अधिक लाभान्वित है। यह बजट के अंदर व्यवस्था है। आगे भी हमने स्पेशल

कम्पोनेन्ट प्लान में 25 करोड़ रु० और इनके गांवों की एक मुश्त व्यवस्था में 90.56 करोड़ रु० की व्यवस्था की है, हमारे पास भी पहले का बजट भाषण है, यह मैंने पूरा पढ़ लिया है पाल साहब। जो दीनदयाल उपाध्याय योजना की बात थी, पैसा उस समय अवमुक्त नहीं हुआ था, स्वीकृति मिल गयी। बजट में आग्रहपूर्वक मैंने बढ़वाया। जहां तक गांवों का सवाल है, उस समय जल्दी होने के कारण हमने इन्जीनियरों को यह निर्देश दिये कि वह जन-प्रतिनिधियों से परामर्श करके गांवों के नाम ले लें क्योंकि हमें नाबार्ड में योजना को प्रेषित करना था। हो सकता है जल्दी के कारण सभी से न ले पाये हों। कई जगह पर तो एक ही क्षेत्र के कई गांव हो गये और कई विधान सभायें खाली रह गई।

इस बार हमने विशेष ध्यान दिया है। पहले यह योजना 2 वर्ष के लिये थी परन्तु हमने प्रभावी तरीके से साल भर के अन्तर्गत 1060 गांवों को दीनदयाल सम्पर्क मार्ग के अधीन लेपन स्तर तक करा दिया है। सभी विधायकों को पत्र लिखे हैं, हो सकता है कुछ को 4-5 दिन पहले मिले हों या कुछ को अभी न मिल पाये हों, फिर भी मेरा उनसे आग्रह है कि चार नाम वह दे दें दो गांव हम ले लेंगे। मानक के आधार पर एक हजार की आबादी से ऊपर का गांव और प्रमुख मार्ग से अधिकतम दूरी 2 कि०मी० और बीच में कोई पुल न हो। हमने दीनदयाल सम्पर्क मार्ग फेज-2 इसका नाम दिया है। हमारे मन में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई अन्यथा भाव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जनता लाभान्वित हो। चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वह हरिद्वार की हो, प्रतापगढ़ की हो या मेहनगर की हो, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। गांव को सर्वोपरि मानकर हमने इस योजना को बनाया है ताकि 2005 तक हम इन गांवों को जोड़ सकें। जिला सेक्टर योजना के लिए भी निर्देशित किया गया है, इसके अन्तर्गत 3 कि०मी० या 4 कि०मी० की भी हो सकती है, इसमें कोई मानक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विशेष कनेक्टिविटी बढ़ सके।

माननीय श्री पाल जी ने कहा कि एम०डी०आर० ओ०डी०आर० नहीं हो पाये और ओ०डी०आर० स्टेट हाई वे नहीं हो पाये। हमने एन०एच० के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा और कानपुर को हमने इस बार भी भेजा है, स्वीकृत नहीं हुआ है, इसकी लम्बाई 405 कि०मी० है, कानपुर, हमीरपुर और सागर मार्ग भेजा है, इसकी लम्बाई 157 कि०मी० है, झांसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर मार्ग भेजा है जिसकी लम्बाई 453 कि०मी० है। और प्रस्तावों को भेजने की तैयारी में हम हैं। वेंकटरमन जी से हमारी बात हुई थी नैनीताल में सेमिनार हुआ था उस दिन मीटिंग में स्वीकार कराया था। हमने यह कहा था कि घोषणा करके जाइये और उसकी घोषणा की गयी। मान्यवर, बाद में औपचारिक घोषणा हुई। उस समय इन्द्र कुमार गुजराल प्रधान मंत्री थे। और माननीय कल्याण सिंह जी ने उनसे बात की थी। उन्होंने यह कहा था कि हम बनायेंगे। फिर नेशनल हाई वे की घोषणा की। लेकिन जो नीचे वाली सड़कें हैं, अभी यह किसी ने नहीं किया है कि एम०डी०आर० एस०एच०डब्ल्यू० हो जाय। मान्यवर, हमने सूचनाएं इंजीनियर से मांगी हैं कि कौन-कौन सी ओ०डी०आर० हैं जिनकी लम्बाई 30 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी एम०डी०आर० है जो कि 60, 70 किलोमीटर से ऊपर की हैं। तो यह सब सूचनाएं हमने मंगायी हैं। अभी हमारे एक साथी योगेन्द्र सिंह जी ने कहा, वह शायद नहीं हैं, छावनी से सलेमपुर की जो बिहार सीमा पर मिलती है, उसको हमने चौड़ी कराया है। उसको हम नेशनल हाई वे के रूप में देने वाले हैं।

(एक सदस्य ने बैठकर ही गाजीपुर के बारे में पूछा)

गाजीपुर तो हो गयी है, तो हम स्टेट हाई वे को डबल लाईन के रूप में करना चाहते हैं। यह अभी तक सिंगिल रोड है और जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रकें चलती हैं, वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो यह बरदाश्त नहीं कर पायेगा। इसको जब तक हम चौड़ीकरण नहीं करेंगे, मान्यवर, इसलिए क्रमवार हमने संशोधनों को देखते हुए उसको करने का प्रस्ताव लाये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया संक्षिप्त करें।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं बड़ी देर से सुन रहा था। मैं अभी बहुत कुछ बताना चाहता हूं। तो मान्यवर, हम इस दिशा में इस तरह से और एक सुनियोजित तरह से काम कर रहे हैं देवगौड़ा जी शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाये, 59 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी। अब हम उस पर विचार कर रहे हैं। जो रुके हुए कार्य हैं वह नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिला सेक्टर में 250.085 लाख राज्य सेक्टर में 215.98 लाख और आर०आई०डी०एफ० में 157.56 करोड़ रुपये व्यय होना है इस रुपये में अधुनीत कार्यों को पूरा किया जायेगा।

मान्यवर, पालजी ने सेतु निगम की बात कही है। उसकी गुणवत्ता के बारे में उन्होंने कहा है मैं बताना चाहता हूं कि उसकी गुणवत्ता के बारे में सभी लोग जानते हैं केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ के लाभ पर सेतु निगम है और हर जगह पर जो भी कार्य कर रहा है वह ठीक है। भागलपुर का पुल काफी ठीक हो गया है बीच में बाढ़ आ गयी थी और उसका एकस्पैन नीचे आ गया था उसके बनाने में साल भर लग रहा है। मैं उसको देखने गया था। लगभग पूरा हो गया है लेकिन साल भर लग जायेगा। सेतु निगम ने बम्बई में कई फ्लाई ओवर बनाये हैं, उड़ीसा में कई पुलों का निर्माण किया है। पालजी ने एक और बात कही है कि सड़कों का काम सेतु निगम द्वारा नहीं किया जाना था। तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी सड़कों का काम सेतु निगम ने किया है। गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर सोनाली सड़क को सेतु निगम ने ही बनाया। विदेशों में भी सड़कें सेतु निगम ने बनायी, ईरान में बनायी। सड़कों के मामले में भी सेतु निगम की गुणवत्ता है।

हरिद्वार में जो सड़क बनायी गयी है उसकी भी गुणवत्ता ठीक है, मैंने जांच करायी है वह ठीक पायी गयी है। हां यह अवश्य है कि ऋषिकेश की सड़क में कुछ गड़बड़ी थी। उसकी टी०ए०सी० से जांच करायी गयी। उसमें कमियां पायी गयीं। सेतु निगम के बारे में कहना है कि यह सेतु ही बनाने के लिए नहीं है। उसके पास बहुत काम हैं और जो निर्देश दिये हैं कि जितने समय में काम पूरा करना है उतने समय में वह पूरा कर रहे हैं। वाराणसी में चौकाघाट में 10 मई, 1997 को काम पूरा हो गया। वरूणा पर जो पुल बनना था कई वर्ष लगते उसका 30 जून को मैं लोकार्पण करके आया हूं। तातारपुर का पुल प्रगति पर है 44 पुलों का शिलान्यास किया है जिनमें से 39 पुलों का काम चल रहा है। सिसौली के पुल की बात कही गयी। वह महेन्द्र सिंह टिकैत का गांव है। उन्होंने ये कहा कि कई मन्त्रियों ने इसका शिलान्यास किया है लेकिन इस पर काम नहीं लगा है। बालियान जी जब उनसे बात करने गये तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता था कि यह पुल को बनवा देगा। 5-6 महीने में मुझे लोकार्पण करना पड़ेगा। सुनाली नदी पर मुजफ्फर नदी में भोपा पर कई बार शिलान्यास हुआ वहां पर भी तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है और जल्दी ही मैं लोकार्पण करने जाऊंगा। (समय 2 बजकर 30 मिनट)

सेतु निगम ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की है। सेतु निगम और निर्माण निगम दोनों ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है।

पालजी ने वर्कचार्ज और दैनिक भोगी कर्मचारियों के बारे में पूछा। मंत्रिमंडल की बैठक में उनको नियमित करने की बात तय हो गयी है और उसके लिये शासनादेश भी हो गया है। यह ठीक है जो रिक्त पद होते जायेंगे उसके आधार पर नियुक्तियां होती जायेंगी और रिक्त पदों के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। नये पदों के सृजन की फाइनेन्स विभाग से स्वीकृत नहीं हुई है। तो जो भी रिक्त पद हैं उन पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति होती रहेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बीच में न पूछे बाद में स्पष्टीकरण के समय पूछ लें।

श्री कलराज मिश्र–

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रैगुलर हो रहे हैं। पालजी ने बाराबंकी में लखनऊ–बाराबंकी मार्ग पर रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के बारे में कहा। इसको केन्द्र सरकार को भेजा है लखनऊ–बाराबंकी मार्ग संख्या-25 पर मल्हौर पर सहमति प्रदान करने के लिये नवम्बर 97 में भारत सरकार को भेजा है। सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होनी है।

कलवारी में पुल बनाने के लिये पूछा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने इसके निर्माण की घोषणा की थी इसके लिए हमने यह प्रस्ताव भारत सरकार को किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया है उस समय केन्द्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी।

मान्यवर, बरेली के बारे में सुमन लता जी ने कहा था (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, पन्द्रह मिनट और लूंगा तो मैं कह रहा था बरेली–मथुरा मार्ग में चौपला पर सेतु निगम द्वारा ओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के रेल मंत्रालय को नवम्बर 97 में भेजा जा चुका है सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। बरेली बाईपास राष्ट्रीय मार्ग पर जरूर हमने एक घोषण की थी उसमें बरेली विकास प्राधिकरण को आधा पैसा और लोक निर्माण विभाग को आधा पैसा देना था परन्तु बरेली विकास प्राधिकरण ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी है हमने तय किया कि पूरा पैसा हम देंगे और यह बाईपास बनना शुरू हो जायेगा तो लोक निर्माण के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें उठायीं मैंने कोशिश की कि उनका जवाब दूं मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपके द्वारा सुझाव आये हैं उनको समाहित करने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, पर्यटन का जहां तक प्रश्न है बजट प्रस्तुत करते वक्त मैंने सोचा था कि बाद में जब मौका मिलेगा तो बताऊंगा।

मान्यवर, स्वामी प्रसाद जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हमारे प्रति सदाशयता बरतने की बात कही और कहा कि कलराज जी अगर बजट रखेंगे तो वह संतुलित होगा लेकिन पता नहीं कैसे गलत फहमी पैदा हो गयी और कह दिया कि इसमें असंतुलन है मान्यवर, मैंने इस प्रदेश को ध्यान से देखा है और पूरे प्रदेश को व्यवस्थित रूप से अलग-अलग पर्यटन क्षेत्रों में बल के रूप में विभाजित किया है इसके अन्तर्गत पहले हमारा बौद्ध परिपथ आता है जिसमें सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी यह हिस्से आते हैं इसके विकास के लिए वाई०सी०एफ० से एग्रीमेन्ट भारत सरकार ने किया है जिसके अन्तर्गत वहां पर सड़कें बनी जल निगम का कार्य हुआ नगर विकास का काम हुआ और होटल तथा मोटल्स बने श्रावस्ती में लोटस कम्पनी ने होटल बनाया कपिलवस्तु में जो एयर पट्टी के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी मैं उस संबंध में बताना चाहूंगा उसके आधुनीकीकरण के लिए 50 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया है।

सारनाथ में लाइट एण्ड साउंड की व्यवस्था और स्तूपों सौन्दर्यीकरण के लिए हमने प्राविधान किया है संकिसा में, कौशाम्बी के लिए इन्द्रजीत सरोज ने कहा कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पर्यटन के सुधार के लिए, अवस्थापना सुविधाओं के लिए सड़कों की व्यवस्था हमने किया है। तो उन्होंने जो आरोप लगाया मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जैसा कि उन्होंने पहले कहा हमने प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बलों में विभाजित किया इसमें एक हमारा आगरा के आस-पास का क्षेत्र है आगरे का ताज फतेहपुर सीकरी, सूरसरोवर, पक्षी बिहार आता है इसके अतिरिक्त आगरे में पंच महादेव है वहां कहा जाता है कि पंच महादेव के कारण और आशीर्वाद से आगरा सुव्यवस्थित रहता है तो पंच महादेव का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है इसी तरह से आगरे के किले में लाइट एण्ड साउंड की व्यवस्था जल्दी शुरू हो जायेगी फतेहपुर सीकरी के लिए हमने व्यवस्था की है यह कहा जाय धर्म विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं जो सही नहीं हैं फतेहपुर सीकरी के सौन्दर्यीकरण के लिए प्राविधान रखा गया है।

मान्यवर, मथुरा और वृन्दावन में एन०आर०आई० आते हैं और बहुत से विदेशी पर्यटक भी वृन्दावन आते हैं वहां करोली बाबा का आश्रम है वहां विदेशी पर्यटक दिखाई पड़ेंगे वहां मेडिटेशन सेंटर है और योग साधना का केन्द्र है उसको भी हमने ठीक किया है सब चीजों को ध्यान में रखकर एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। इसके अलावा लखनऊ और उसके आस-पास के क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि रेजीडेन्सी में हमने लाइट एण्ड साउंड की व्यवस्था की। इतना ही नहीं लखनऊ में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिये तो उस समय हमारे नवाब लोगों ने बनवाई थीं, की सुरक्षा के लिये कैसरबाग हैरिटेज बनाया जिसमें करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह कहना कि धर्म विशेष के लिये कर रहे हैं जबरदस्त आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में पीरन कलियर में सुलभ शौचालय यात्रियों के लिये बनवाया है। इसी तरह से सरधना जोकि ईसाइयों का तीर्थ स्थल है वहाँ के सौन्दर्यीकरण के लिये भी कार्य किया है। जितने भी पंथ हैं उनके लिये समुचित रूप से संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है ताकि हम पर कोई आरोप न लगा सके। किसी को विभेद का अन्तर न हो सके समान दृष्टि रखते हुए कार्य किया है।

आप लोगों को एक विशेष नजरिया रखने के कारण दिखायी नहीं देता है। बुन्देलखण्ड परिपथ में माता टीला, देवगढ़, कालांजर, बरुआसागर आदि स्थलों को बुन्देलखण्ड के इतिहास को सामने रखते हुए, गौरवमयी इतिहास और उसके अनुरोध को देखते हुए बुन्देलखण्ड की सुव्यवस्था का प्रस्ताव किया है और इसके लिये एक सेमिनार भी रखा है। इसके लिये 25 करोड़ का एक प्रस्ताव रखा है जिसके बारे में इस बजट में चर्चा नहीं है लेकिन अलग से विचार किया गया है। अलग-अलग क्षेत्र के लिये परिपथ के माध्यम से पर्यटन विभाग द्वारा कार्य किये गये हैं। चार धाम यात्रा तीर्थाटन जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं और भी धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक यात्राएं सर्वाधिक होती हैं इसलिए चिन्ता की है। इतना ही नहीं साहसिक दृष्टि से औली और उत्तरकाशी में वाटर स्पोर्टस, वाटर रिफ्टिंग शुरु की है। इलाहाबाद में बोट क्लब, वाटर स्पोर्टस की शुरुआत की है। इलाहाबाद से वाराणसी तक वाटर स्पोर्टस की व्यवस्था की है। त्रिवेणी महोत्सव भी किया है।

महोत्सव के माध्यम से उस क्षेत्र की सांस्कृतिक धारा के साथ लोग जुड़ सके इस बात का प्रयास किया है। हर जिले में जहाँ इस प्रकार के क्षेत्र हैं अधिक से अधिक उन्हें विकसित कर सकें। यह पहली बार हुआ है कि पर्यटन विभाग की तरफ से जिला सेक्टर में तीन गुना धनराशि प्रदत्त की गयी है। उत्तर प्रदेश को दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर प्रभावी ढंग से दिखाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रायः दुनिया के लोग चार्टर्ड विमान करके बनारस आते हैं। हमारे पास, हमारे अधिकारियों के पास उनके पत्र आते हैं। फिल्मी उद्योग को हमने बढ़ावा दिया है इस आधार पर कि पूरे प्रदेश भर में जो हमारे पर्यटन से सम्बन्धित रमणीय स्थल हैं वे वहाँ शूटिंग करें तो निश्चित रूप से फिल्म एक सशक्त माध्यम है दुनिया के किसी भी क्षेत्र को आँखों के समक्ष ला सकता है। पर्यटन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को इस तरीके से प्रसिद्ध करें कि पर्यटन को सही चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

मैं सम्मानित सदस्यों और नेताओं से यह कहना चाहता हूँ पाल जी और मौर्या जी से कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिये सचेष्ट हैं। यह सही है कि काम करने का तरीका भिन्न-भिन्न हो सकता है। किसी की नीयत पर सवाल उठाना ठीक नहीं। आप मेरे ऊपर करें यह ठीक नहीं, मैं आपके ऊपर करूँ यह ठीक नहीं है। हम लोग क्षेत्र से ऊपर उठ चुके हैं इसलिए सामूहिक रूप से मिलकर चाहे लोक निर्माण हो, पर्यटन हो या अवस्थापन सुविधाओं का मामला हो सामूहिक रूप से परस्पर विचार विमर्श करके सहयोगी बनें। यह सही है कि आपके साथ बैठक नहीं हुई है। हम शुरुआत करेंगे। आप आइये हम बात करेंगे। हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें और यह प्रदेश जो इस समय बड़ी खराब स्थिति में पड़ा हुआ है निश्चित रूप से ऊपर उठायेंगे। यह मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ आपने कई बार सदाशयता के कारण अपने वक्तव्यों में सकारात्मक टिप्पणी की है चाहे लालू यादव को

ध्यान में रखकर की हो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसको मैं अपनेपन का अतिरेक मानता हूँ। उस अपनेपन के अतिरेक के आधार पर कहता हूँ कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर इसे पास कर दें।

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने स्वामी नाथ मौर्य कहा है यह स्वामी प्रसाद मौर्य हैं इसको ठीक कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है संशोधन कर लेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

आपने महोत्सवों के बारे में कहा गंगा दशहरा पर महोत्सव मनाया जाता था उसको बन्द कर दिया है इसको पुनः शुरू करवा दें। दूसरी बात जिला योजना में एक हजार आबादी वाले गांव के बारे में कहा तो एक हजार से कम आबादी वाले गाँव को इससे जोडने का काम किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

एक चीज की अपेक्षा में आपके अभिभाषण में कर रहा था 1997-98 की जो आपकी नहर पटरी की योजना थी उसमें साढ़े बारह किलोमीटर एक ही भाजपा विधायक के क्षेत्र में बना दी गयी तो उसमे क्या मानक रहा और आगे क्या मानक होगा।

(व्यवधान)

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ अम्बेड़कर नगर के किनारे . . . . . .

श्री अधिष्ठाता–

लम्बा भाषण न करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

अम्बेड़कर नगर ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से सूची मिली है कि चतुर्भुज नकटाखेड़ा चयनित वर्ष 1995-96 में अम्बेड़कर ग्राम योजना में किया गया है एक सम्पर्क मार्ग के अतिरिक्त सभी सुविधा दे दी गई। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने चिट्ठी भेजी। शासन को स्टेट सेक्टर से पैसा माँगा परन्तु नहीं मिला और आज तीन वर्ष के बाद भी वह सड़क नहीं बनी है। इसका कारण क्या है? कृपया स्पष्टीकरण दें। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मा० श्री जगदम्बिका पाल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पूरे विवरण की कापी आप मंत्री जी को दे दें। आप हाउस का मूड तो देखें। दस बजने जा रहा है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बजट चर्चा में परम्परा रही है कि मंत्री जी अपनी बात कहते इसके बाद कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी -अपनी बात कहते। उसके बाद जो माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हैं अगर वह कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो एक आध मिनट में अपनी बात कह देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री डंग जी ने जिस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया है परिपाटी यही है। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले जो माननीय सदस्य हों वह एक दो मिनट में अपनी बात रख देते हैं। लेकिन इधर एक नई परम्परा का जन्म हुआ है। हालांकि वह हिल्दी परम्परा नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी की विनम्रता तो आभूषण है, सदाशयता उनके चरित्र में है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। दीन दयाल की किसी ने आलोचना नहीं की। दीन दयाल जी जिस घी, तेल, लकड़ी की बात करते थे, घी 6 रुपये कि० तेल 52 रुपये कि० लकड़ी 100 रुपये क्विन्टल है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना कह देना चाहता हूँ। जैसे गलत आंकड़े देने में मंत्री जी माहिर हैं जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वामी नाथ कहा इसी प्रकार गलत बयानी कर रहे हैं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,47,79,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,62,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,56,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,29,11,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,81,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,28,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,95,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,95,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

लोक निर्माण , पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,94,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप में विचार रख दें।

श्री कलराज मिश्र–

बात तो पहले ही आ गयी।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(श्री दद्दू प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, जो कमिटमेन्ट हुआ है उसके अनुसार चलें।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सूचना विभाग की जो अनुदान मांग रखी गयी है उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं, माननीय सदस्यवर्गों के कुछ सुझाव हैं। मान्यवर, जो सूचना विभाग का तंत्र है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह सुझाव मैं आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जो सूचना विभाग है जो क्षेत्र की घटनाएं होती हैं उनके साथ जिला सूचना अधिकारी का कोई समन्वय नहीं होता है। केवल जो शासन की नीतियाँ हैं उनको ही वह जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं और जनता में जो विभिन्न आन्दोलन होते हैं, किसानों के आन्दोलन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, छुआछूत का आन्दोलन है उसमें कोई सूचना नहीं लेते हैं आज के युग में जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

सहकारिता मंत्री (श्री रामकुमार वर्मा)–

आपके सुझावों का आदर है।

श्री अधिष्ठाता–

आपके सुझावों का आदर करते हैं। आप उसको देखें।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह मेरे अधिकारों का हनन है। मैं सुबह से लेकर रात तक बैठता हूँ और मेरे लिए यह सदन नहीं बैठ सकता है।

मान्यवर, यह विभाग केवल सरकार का प्रशस्ति गान करने वाला विभाग नहीं होना चाहिए। जो बी० बी० सी० है या दूसरे प्रचार माध्यम हैं वह किसी घटना को तुरन्त प्रसारित कर देते हैं लेकिन यह सूचनातंत्र उसे 12 घन्टे बाद प्रसारित करता है। आज के परिवर्तन के दौर में इस बात को खुद ही स्वीकार किया गया है कि सूचना की जो क्रान्ति हो रही है इस युग में एक बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक परिवर्तन का आन्दोलन है, शोषण उत्पीड़न की भी सूचना आना चाहिए केवल सरकार का प्रशस्तिगान का यह माध्यम नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, आज जो साम्प्रदायिकता का वातावरण है ऐसे समय में आज कबीर के व्यक्तित्व के प्रचार की आवश्यकता है। वहीं साम्प्रदायिकता के जहर को रोक सकता है। उनके व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए सूचना विभाग को भूमिका निभानी चाहिए। यह विभाग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झाँकिया निकालता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकियों में संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर को याद नहीं किया जाता है। उनकी भी झाँकी में निकाला जाय इसकी व्यवस्था सूचना विभाग करें। मान्यवर, यह जो सरकार है परम्परावादी सरकार है। परिवर्तन

विरोधी है। आज के दौर में जो सामाजिक मूल्य है, जो आज से 4 हजार वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे उनको बदलने की जरूरत है। यह विभाग केवल शास्त्रों का गुणगान करता है। आज के बदलते युग में नये मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैंने इस विभाग की एक पत्रिका जो 1992, 1993, 1994, 1995 में छपी थी देखी उसमें अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार के निवारण अधिनियम 1989 का विवरण रहता था। वह अच्छी किताब थी। लेकिन इधर वह किताब विभाग प्रकाशित नहीं करा रहा है। उसे प्रकाशित करायें। इसी के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो आरोप लगाया है वह मिथ्या है सूचना विभाग प्रदेश के अन्दर सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए, इसके सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए अपने मापदण्डों के आधार पर कार्य कर रहा है और उसके लिए व्यवस्था ही बनी है। जैसे एनेक्सी में मीडिया सेन्टर बना है जो पत्रकार बन्धु है जो सूचना विभाग के सदस्य हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया है। हमने तय किया है कि पत्रकार पेंशन योजना की धनराशि 1000 हजार से बढ़ाकर दो हजार की जायेगी। मैं चाहूँगा कि सम्मानित दद्दू प्रसाद जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दद्दू प्रसाद जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के लिए मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,94,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाल चन्द्र मिश्र सदस्य विधान सभा द्वारा प्रदेश में हो रही भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-12 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 7-7-98 को नियम- 51 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की हिन्डन नदी पर निर्माणाधीन पूरा महादेव का पुल का निर्माण कार्य पूरा न करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृति की जाती है, दूसरी सूचना श्री बावन सिंह की

जनपद गोण्डा के थाना कटरा बाजार के अन्तर्गत करनैलगंज से कटरा जाने वाले मार्ग पर शातिर अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों की जीप से कुचलकर निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री राजधारी की प्रदेश में पशु मेलों में बिक्री हेतु मवेशियों को लाने ले जाने की सरकारी अनुमति के बावजूद जनपद अम्बेदकर नगर की कोतवाली टाण्डा की पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है, चौथी सूचना श्री सरजीत सिह डंग की मिर्जापुर स्थित टाण्डा फालबीयर का पानी नहर में न जाकर हर्रई नदी में जाने तथा उससे कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है पाँचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि के पास व्यवसायियों को जिला प्रशासन की मिली भगत से कृष्ण जन्म संस्थान मथुरा द्वारा श्रीकृष्ण जन्म भूमि सुरक्षा के नाम पर उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना श्री राम जग की जनपद आजमगढ़ के मेह नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ठेकवा रजबहा की पटरी को ठेकवा बाजार से गुसाई के बाजार तथा मेह नगर से सिंहपुर बाजार तक लेपन स्तर का कराये जाने के सम्बन्ध में है को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है, सातवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे गतिपथ पथ मार्गों के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं तथा मजदूरों को स्वीकृत दर पर मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि की उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा उन्नाव - पनकी एवं उन्नाव - आगरा ट्रांसमिशन लाइन के रीवर क्रासिंग टावर पर बिना सिविल अभियन्ता की राय के पाईल टावर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है, नवीं सूचना श्री हरवंश कपूर के देहरादून नगर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयी, उनके नाम हैं सर्वश्री डा० धर्मज्ञ मिश्र, राम औतार शाक्य, अजय भट्ट, महेन्द्र प्रसाद निषाद, नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, कृपा शंकर सिंह, ओंकार सिंह, सरवर अली, हरदेव सिंह, आर० के० सिंह पटेल एवं श्री सतीश जतारिया, डा० कौशल किशोर, श्री विजय पाल सिंह, डा० वकार अहमद शाह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री लाल सिंह वर्मा हैं।

मेरठ महानगर के चार ट्यूबवेलों की रि-बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्षता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पेंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मेरठ महानगर के पुराने शहरी भाग में 4 ट्यूबवेलों से पानी उत्पादन बन्द होने तथा इसके कारण 3.00 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति में संकट उत्पन्न होने के संदर्भ में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मेरठ महानगर की वर्तमान में नगर की अनुमानित 12.3 लाख जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर लगभग 150 एम०एल०डी० पेयजल की आवश्यकता है। नगर की आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1997-98 में रु० 100.00 लाख शासन द्वारा उपलब्ध कराया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया जिसमें से अन्य कार्यों के साथ-साथ 3 नलकूप का कार्य भी सम्मिलित है। यह 3 नलकूप सूरजकुण्ड, कंकड़खेड़ा तथा स्माइलकालेज स्थल पर बनाकर चालू कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में ही मेरठ महानगर में 3 नलकूप स्वीकृत करते हुए 75.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष एक नलकूप तैयार कर चालू कर दिया गया है तथा दो नलकूप भगवतपुर तथा रामबाग पर कार्य प्रगति पर है।

2. जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा घन्टाघर डाकखाने के सामने मेनिका सिनेमा के बराबर पटेलनगर, आलोकनगर भूमिया पुल पर स्थित ट्यूबवेलों द्वारा पानी की उत्पादन बन्द हो जाने की सूचना का प्रश्न है इन ट्यूबवेलों की स्थिति यह है कि घन्टाघर डाकखाने के सामने स्थित नलकूप का डिस्चार्ज कम हो गया है इस नलकूप का डेवलपमेन्ट जल निगम से कराये जाने के बावजूद भी डिस्चार्ज की मात्रा नहीं बढ़ी है। पटेलनगर का नलकूप गत वित्तीय वर्ष से स्थाई रूप से खराबी के कारण बन्द है। आलोकनगर भूमिया पुल नलकूप चालू हालत में है लेकिन इन पर भी डिस्चार्ज कम मिल रहा है जिससे पेयजल संकट के लगभग 1.00 लाख अंशतः प्रभावित है। पेयजल संकट के तत्काल निवारण हेतु शासन के आदेश दि० 24 जून, 1998 द्वारा नगर निगम मेरठ हेतु 50 हैण्ड पम्प स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा उक्त तीन नलकूप की रि-बोरिंग हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की जा रही है।]

जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज के ग्राम गुजर टोला में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने तथा भाई बहन दोनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय विधायक द्वारा जनपद सुल्तानपुर के थाना गौरीगंज के ग्राम गुजरटोला में एक मुस्लिम युवती के साथ बलात्कार के बाद उसकी एवं उसके भाई की हत्या के सम्बन्ध में दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से जाँच आख्या प्राप्त की गयी। जाँच से यह पाया गया कि वादी श्री मुहम्मद शहीद पुत्र मुहम्मद याकूब निवासी गुजरटोला थाना गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर की लिखित तहरीर पर थाना गौरीगंज पर मु०अ०सं० 297/98 अन्तर्गत धारा 302 दिनांक 27/28-6-98 पंजीकृत हुआ। दर्ज मुकदमें के अनुसार दिनांक 27/28-6-98 की रात को वादी अपने घर में अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ था। रात करीब 12.30 बजे चार अभियुक्त (1) नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हमीद (2) मीर आलम पुत्र काबिले अब्बास निवासीगण गुजरटोला (3) शब्बीर चिकवा पुत्र वाहिद निवासी बाबूगंज (4) एक आदमी नाम पता अज्ञात ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर चारों अभियुक्त वादी के घर में घुस गये। अभियुक्त नूर मोहम्मद ने वादी की पुत्री कुमारी फिरोजा के शादी का प्रस्ताव किया जिस पर वादी ने कहा कि उसकी शादी कहीं अन्यत्र तय हो गयी है। इसी बात पर उसको अभियुक्त नूर मोहम्मद से कहा सुनी होने लगी। कहा सुनी होने पर वादी ने अभियुक्त नूर मोहम्मद के घर परिवार वालों से मदद मांगी परन्तु घर वालों ने उससे कहा कि नूर मोहम्मद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके पश्चात वादी ने गांव वालों से भी सहायता मांगी परन्तु कोई भी व्यक्ति सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। नाउम्मीद वादी ने घर आकर देखा कि घर उसकी पुत्री कुमारी फिरोजा उम्र 18 वर्ष तथा उनका लड़का कलीम उम्र 10 वर्ष घर में नहीं हैं तथा रसोई घर में खून पड़ा है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वादी मोहम्मद शहीद ने गाँव वालों से अपने पुत्र व पुत्री को तलाश करने के लिए कहा परन्तु नूर मोहम्मद के डर से कहीं ढूँढ़ने नहीं गये। वादी द्वारा तलाश करने पर कलीम का शव गांव के पूरब एक खेत में मिला तथा कुमारी फिरोजा की लाश गांव के पश्चिम में मिली जिस पर चाकुओं के घाव थे। यद्यपि शव-विच्छेदन रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकी इसलिए कुमारी फिरोजा का विजाइनल स्पेयर डाक्टर ने परीक्षण हेतु जिला अस्पताल के प्रयोगशाला में भेजा है। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के पश्चात् ही बलात्कार के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होगी।

घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की सघन तलाश की जा रही है। चारों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त हसनैन पुत्र मुहम्मद हनीफ निवासी-गुजरटोला थाना-गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर का दिनांक 30-6-98 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।]

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पेंशन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुन्दरकी के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या: 1213/15-12-97-4(घोषणा)/97, दिनांक 27-5-97 द्वारा रु० 69.00 लाख रुपये की धनराशि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के पी० एल० ए० में जमा की गयी। जिसे शासनादेश संख्या: 1729/15-12-97-4(घोषणा)/97, दिनांक 21-7-97 द्वारा उक्त विद्यालय के लिये रु० 30.00 लाख की धनराशि पी०एल०ए० से आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसे निदेशक (माध्यमिक) के चेक संख्या—2/31184, दिनांक 26-8-97 द्वारा राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करा दी गयी।

उपरोक्त विद्यालय को शासनादेश संख्या: 162/15-10-97-4(घोषणा)/97, दिनांक 20-2-98 द्वारा रु० 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। जो पी० एल० ए० की चेक संख्या 17/36945, दिनांक 15-5-98 द्वारा बैंक ड्राफ्ट बनाने हेतु कोषागार में लम्बित है। पुनः शासनादेश संख्या: 1249/15-10-98, दिनांक 29-5-98 द्वारा उक्त विद्यालय को पी० एल० ए० में रखी धनराशि रुपये 14.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसे निदेशालय के चेक संख्या 12/36945, दिनांक 15-6-98 को निर्गत की गयी है परन्तु निदेशक (मा०) के पी०एल०ए० के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण न होने के कारण कोषाधिकारी, लखनऊ से पारित नहीं हो सकी है। जिसके कारण राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुन्दरकी को स्वीकृत की गयी धनराशि 69.00 लाख में से मात्र 30.00 लाख की धनराशि राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी गयी है। इस विद्यालय के भवन निर्माण की प्रगति निम्नवत् है :—

1.	बाउण्ड्रीवाल	100प्रतिशत पूर्ण
2.	ट्यूबवेल बोरिंग तथा आर०सी०सी० टैंक 25,000 लीटर क्षमता वाला	100 प्रतिशत पूर्ण
3.	मुख्य भवन भूमि तल	
	क—छत स्तर पर	50 प्रतिशत पूर्ण
	ख—लिन्टर स्तर पर	25 प्रतिशत पूर्ण
	ग—नीव स्तर पर	25 प्रतिशत पूर्ण

उक्त विद्यालय का समस्त निर्माण कार्य स्थानीय ठेकेदार से न कराकर उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा ही कराया जा रहा है।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत विद्यालय के कक्षा संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित पद सृजित किये गया है जिनके कार्यरत रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् हैं :–

स्वीकृत किये गये पद	पद संख्या	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
प्रधानाध्यापिका	01	01	एक	
सहायक अध्यापिका	07	06		
कनिष्ठ लिपिक	01	01	एक	
चपरासी	01	—	एक	
चौकीदार	01	—		

वर्तमान समय में उक्त विद्यालय निःशुल्क प्राप्त भवन में विधिवत् चल रहा है एवं रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। और शिक्षण कार्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त के सन्दर्भ में मा० सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि शीघ्र ही राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करा दी जायेगी। ताकि भवन निर्माण कार्य सुचारु रुप से संचालित किया जा सके। साथ ही विद्यालय के रिक्त पदों के भरने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद सिद्धार्थनगर के सिकटा ग्राम में दलित वर्ग के घरों के जलाये जाने एवं लूटे जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि सदस्यों के द्वारा दी गयी सूचना पर एक घन्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-17 को माननीय सदस्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी० एम० एस०, पी० एम० एस० (महिला), पी० एच० एस० डाक्टरों का एकीकरण कर समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-18 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या की तुलना में उसके इलाज हेतु ए० आर० वी० के न्यून उत्पादन एवं अस्पतालों में उसके इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

वैसे मान्यवर, पूरे प्रदेश में कुत्ते के काटने की दवाई उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं। दिनांक 9-7-98 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 20 मिनट पर वृहस्पतिवार दिनांक 9 जुलाई, 1998 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

7 जुलाई, 1998

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अता० प्र० सं०—69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

परिशिष्ट—अ

लखनऊ स्थित इकाईयों द्वारा वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक (विगत पांच वर्ष) पंजीकृत फर्मों से क्रय की गयी सामग्री की वर्षवार धनराशि का विवरण :—

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	एल०एम०यू०, लखनऊ	12,02,309.50	4,40,299.24	29,613,86.82	20,89,728.37	28,44,485.65
2.	इकाई-21, लखनऊ	72,97,722.19	87,57,855.60	4,96,89,231.00	2,56,46,167.36	3.02,71,338.56
3.	इकाई-20, लखनऊ	1,4,00,923.05	2,18,39,497.72	2,21,29,494.79	1,13,19,128.07	3.06,86,345.00
4.	इकाई-14, लखनऊ	21,38,787.03	22,62,922.63	1,09,03,933.05	30,38,888.90	—
5.	इकाई-17 ए,लखनऊ	—	—	—	30,93,183.23	1,06,68,197.44
6.	इकाई-12, लखनऊ	2,63,63,976.00	1,54,90,397.47	3,27,31,521.93	1,63,18,114.10	1.93,24,953.49
7.	इकाई-17 सी, लखनऊ	—	—	87,44,000.00	1,33,61,000.00	—
8.	इकाई-4, लखनऊ	1,45,12,406.02	1,23,44,344.80	82,86,867.00	64,04,750.55	20,32,268.12
9.	इकाई-5, लखनऊ	32,32,945.19	75,03,945.00	19,34,771.00	21,16,379.72	29,34,162.77
10.	इकाई-7, लखनऊ	34,50,000.00	1,15,32,822.90	3,40,16,547.18	1,69,71,970.24	2.86,74,660.25
11.	इकाई-10, लखनऊ	11,19,435.14	36,20,800.84	1,16,04,948.12	95,33,336.25	—
12.	इकाई-11, लखनऊ	—	9,95,097.80	14,86,344.50	16,02,316.90	4,60,427.39
13.	इकाई-11, पी०जी०आई०	29,63,977.23	14,78,477.10	45,00,546.90	3,03,046.00	13,000.00
14.	इकाई-11, लोहिया अस्पताल	57,45,047.23	7,29,973.00	69,16,083.30	1,67,00,128.62	21,05,420.15
15.	इकाई-19, लखनऊ पी०जी०आई०	26,87,714.07	18,98,763.56	56,29,965.84	52,76,096.84	1,26,83,975.00
16.	इकाई-1/19	1,08,53,680.95	94,25,732.30	14,07,149.10	20,27,701.65	73,93,127.69
17.	इकाई-23, लखनऊ	44,81,054.17	90,49,883.80	1,35,02,597.91	1,11,84,582.40	1,65,32,805.65
18.	इकाई-16, लखनऊ	85,37,630.04	52,04,947.29	1,37,66,285.10	3,02,74,450.48	1,53,55,966.10
19.	इकाई-2, लखनऊ	47,99,810.28	56,23,942.82	3,14,32,394.79	5,03,70,956.60	—

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
20.	इकाई-6, लखनऊ	15,86,021.79	5,68,446.30	63,88,164.97	78,99,689.03	1,51,43,470.00
21.	इकाई-15, लखनऊ	16,30,376.00	51,76,613.00	34,86,889.00	32,55,340.00	86,70,104.00
22.	यांत्रिक इकाई, लखनऊ	-		-	—	76,12,376.00
23.	अनुरक्षण इकाई ई०एम०आई० कार्य, लखनऊ	5,80,000.00	5,14,000.00	3,28,000.00	2,83,000.00	3,21,000.00
24.	विद्युत इकाई, लखनऊ	43,16,536.56	62,82,231.75	3,05,17,066.71	34,78,650.56	1,50,32,102.39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०—110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

आगरा शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग पर स्थित उटंगन सेतु एवं शमसाबाद इरादत नगर मार्ग खारी नदी सेतु पर वर्षवार वसूली से हुई आय का विवरण : —

पथकर वसूली का वर्ष	उटंगन सेतु पर वसूली की धनराशि वर्षवार	खारी नदी सेतु पर वसूली की धनराशि वर्षवार
1	2	3
1963-64	717.81	—
1964-65	7255.87	—
1965-66	27354.80	—
1966-67	30124.00	—
1967-68	32030.00	601.00
1968-69	30130.00	306.50
1969-70	29505.00	586.80
1970-71	32667.00	474.10
1971-72	40771.00	2127.40
1972-73	30035.00	624.30
1973-74	30601.00	606.00
1974-75	43395.00	पथकर की वसूली बन्द रही
1975-76	87386.00	"
1976-77	134513.00	"
1977-78	119210.00	"
1978-79	131188.00	"
1979-80	122407.00	16630.25
1980-81	95454.00	55045.35
1981-82	98920.00	53508.00
1982-83	53575.00	60101.00
1983-84	113475.00	53448.00
1984-85	119230.00	79745.75
1985-86	107100.00	99238.50
1986-87	143413.00	176024.00
1987-88	114012.00	174016.00
1988-89	152016.00	136828.00
1989-90	286076.00	204504.00
1990-91	322406.00	204504.00
1991-92	322406.00	213350.00
1992-93	296426.00	443366.75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
1993-94	273893.00	291653.25
1994-95	291336.00	783840.50
1995-96	399373.00	1020908.00
1996-97	321000.00	1501000.00
1997-98	560000.00	996599.00
4/98	71399.00	1-4-98 से 31-5-98 तक 102176.00
21-5-98	54283.00	
	योग: रु० 53,97,956.00	रु० 66,71,813.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०-116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद गोण्डा में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से वर्ष 1997-98 तक किए गए वृक्षारोपणों की सूची :–

प्रभाग का नाम	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	वृक्षारोपण का स्थल	रोपित क्षेत्रफल (है० में)	रोपित पौधों की संख्या	सफलता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर गोण्डा	1994-95	–	–	–	–	–
दक्षिण गोण्डा	1994-95	कटरा बाजार	रामपुर घाट–दुबहा बाजार मार्ग	7.00	7700	20%
		बेलसर	प्राइमरी पाठशाला गंगारौली स्कूल भूमि	2.50	2750	5%
		मनकापुर	रामगढ़ कं०न०-5	10.00	11000	10%
		मनकापुर	मनकापुर–लकड़ मण्डी रेल पथ	2.00	2200	14%
		मनकापुर	बटिहार–लखनऊ रेल पथ	6.00	6600	13%
		मनकापुर	पंडितपुर ग्राम समाज	6.00	6600	12%
		नवाबगंज	कटरा–बस्ती मार्ग	2.00	2200	19%
		बभनजोत	कूल्हनगर कं०न०-2	5.00	5500	41%
उत्तर गोण्डा	1995-96	झझरी	शाहपुर धनावा चचेरी मार्ग 0.5 कि०मी०	6.00	12000	42%
		झझरी	चचेरी शाहपुर मार्ग-2	6.00	12000	45%
		झझरी	गोण्डा–लखनऊ रेल मार्ग 693-694 कि०मी०	3.00	5345	48%
दक्षिण गोण्डा	1995-96	बेलसर	आदमपुर ग्रा०स० भूमि	5.00	5500	30%
		बेलसर	गोण्डा–बेलसर मार्ग	8.00	8800	5%
		बेलसर	डिडिसिया–मंगुरा मार्ग	8.00	8800	5%
		तरबगंज	वनघुसरा–तरबगंज मार्ग	10.00	11000	5%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर गोण्डा	1996-97	झझरी	गोण्डा–लखनऊ रेल मार्ग 660 से 664 कि०मी०	10.00	11000	दोहरी रेल लाईन बनाने में रेल विभाग द्वारा पौधे नष्ट कर दिये गये।
		झझरी	गोण्डा–फैजाबाद मोटर मार्ग 2-7 कि०मी०	5.00	5500	50%
		करनैलगंज	गोण्डा–लखनऊ मोटर मार्ग 29-32 कि०मी०	5.00	5500	55%
दक्षिण गोण्डा	1996-97	कटरा बाजार	चौदहा मेढ़कआ ग्रा०स०	5.00	5500	73%
		कटरा बाजार	चन्दतपुर घाट से तिलकपुर मार्ग	5.00	5500	79%
		बेलसर	आदमपुर ग्रा०स०	9.00	14400	84%
		बेलसर	मिसई–पैगवापुर मार्ग	5.00	8000	75%
		पडरी कुमाल	सुभागपुर ग्रा०स० भूमि	5.00	5500	73%
		तरबगंज	नरायनपुर ग्रा०स०	6.00	6600	52%
		वजीरगंज	वजीरगंज–बन घुसरा मार्ग	11.00	23100	60%
उत्तर गोण्डा	1997-98	करनैलगंज	अल्लीपुर गोकुल ग्रा०स०	5.00	5500	70%
		करनैलगंज	मोहम्मदपुर फतेहपुर ग्राम स०	5.00	5500	75%
		करनैलगंज	मोहर ग्राम स०	6.00	6600	70%
		परसपुर	तुलसीवन ग्राम स०	4.00	4400	60%
दक्षिण गोण्डा	1997-98	मनकापुर	कोडर ग्राम स०	10.00	16000	40%
		बेलसर	बरौली ग्राम स०	10.00	16000	92%
		बेलसर	उदबतनगर ग्रा०स०	6.00	9600	85%
		बेलसर	रानीपुर ग्रा०स०	10.00	16000	87%
		मनकापुर	लच्छेजोत विद्यानगर बीट-7	8.00	8800	90%
		मनकापुर	महदेइया-3 (विद्यानगर बीट)	12.00	13200	75%

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) । वि० सभा/351—25-11-98 – 813 पुस्तकें । (फोटो)